भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का उपलब्ध होना, उन्हें पचाने की शक्ति का होना, सुंदर स्त्री के साथ संसर्ग के लिए कामशक्ति का होना, प्रचुर धन के साथ-साथ धन देने की इच्छा होना। ये सभी सुख मनुष्य को बहुत कठिनता से प्राप्त होते हैं।
चाणक्य

सन्मार्ग
पटना, शुक्रवार, 24 मई 2024
www.live7tv.com

लोकसभा चुनाव: सीटों पर जीत की सियासी सट्टेबाजी और वोटर का विवेक

अजय बोकिल

लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न टीवी न्यूज चैनलों को दिए जा रहे इंटरव्यू के बाद अगर किसी साक्षात्कार की चर्चा है तो वो है भाजपा के पूर्व चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर की। अपना पुराना धंधा छोड़कर राजनेता बने प्रशांत किशोर (पीके) ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि भाजपा का 370 का नारा भले ही अवास्तविक लगे, लेकिन पार्टी 270 से नीचे हरगिज नहीं जा रही। दूसरे अगर बीजेपी 370 के नीचे गई तो निवेशकों को भारी नुकसान होगा। अगर प्रशांत किशोर के दावे को सही मानें तो देश में मोदी राज 3.0 तकरीबन तय है। उधर पीएम मोदी ने भी कह दिया है कि 400 पार के नारे को आंकड़ों में न पकड़ें, इसका भावार्थ लें कि चुनाव में एनडीए इसके आसपास रहने वाला है। यहां पीके की बात में कुछ दम इसलिए है कि वो भाजपा के अलावा भी कुछ दूसरी विपक्षी पार्टियों के चुनावी रणनीतिकार रह चुके हैं और अब खुद एक जन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं। पीके का चुनाव के करंट को पकड़ने और नापने का अपना तरीका है।

272 का जादुई आंकड़ा : अलबत्ता पीके के इस बयान ने विपक्ष के उस सोशल मीडियाई नरेटिव को तगड़ा झटका दिया है, जिसमें चार चरण बाद ही मोदी की सत्ता से बेदखली के गारंटी के साथ दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा तो क्या समूचा एनडीए भी 272 के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच रहा, कारण कि पूरे देश में भाजपा और मोदी विरोधी हवा है और इसका सीधा चुनावी फायदा इंडिया गठबंधन को हो रहा है। इसी आधार पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि पांच चरणों में कुल 428 सीटों पर हुई वोटिंग में इंडिया गठबंधन 350 सीटें जीत रहा है। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि पांचवे चरण के बाद भाजपा सहित एनडीए गठबंधन की 310 सीटों पर जीत पक्की है। हम सरकार तो बना ही रहे हैं, अब सवाल सिर्फ 400 सीटों की फिनिश लाइन को टच करने का है। यह शायद पहला चुनाव है, जिसमें हर चरण के बाद दोनों मुख्य प्रतिदंद्वी गठबंधनों द्वारा जीत के आंकड़े राजनीतिक सट्टेबाजी की तरह जारी किए जा रहे हैं, जबकि चुनाव के दो चरण अभी बाकी हैं। इस मनोवैज्ञानिक सियासी द्वंद्व का लक्ष्य मानो यह है कि क्लास टेस्ट के अंकों को ही बोर्ड परीक्षा का फाइनल रिजल्ट मान लिया जाए। इसी से समझा जा सकता है कि राजनीतिक रण में मुकाबला कितना कड़ा है। हकीकत में जनता के मन में क्या है, यह ठीक- ठीक कोई नहीं जानता बल्कि चुनावी रणनीतिकारों की कोशिश तो यह है कि जनता भी उसी वेव लेंथ पर सोचे, जो नेता सरेआम कह रहे हैं। इन तमाम दावों प्रतिदावों के बरक्स एग्जिट पोल सर्वे अभी आने बाकी हैं। वो क्या बताते हैं, यह और भी दिलचस्प होगा। बहरहाल जनमत की व्याख्याएं मतदान के हर चरण के बाद अलग- अलग तरीके से की जा रही हैं। विपक्षी इंडिया गठबंधन का मानना है कि पांचवे चरण तक आते-आते भाजपा के लिए एक आसान सी लगती प्रेमकथा अब ट्रैजिक स्टोरी में बदलने जा रही है। भाजपा का मानना है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार की तर्ज पर वो और उसका संगठन अपना काम कर रहा है। चुनाव मुद्दों की सर्जिकल स्ट्राइक की बजाए वोटों के मैनेजमेंट से जीता जाता है। नतीजे विपक्षी दावों का मुंह सिल देंगे। उधर विपक्ष बार- बार यह कह रहा है कि इस बार नतीजे चौंकाने वाले होंगे। वैसे भी अमूमन हर चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले ही होते हैं, हारने वाले के लिए तो होते ही हैं, कई बार जीतने वाले के लिए भी होते हैं। इसमें भी विपक्ष का ट्रिकी फंडा यह है कि अगर इंडिया गठबंधन एनडीए से ज्यादा सीटें जीत सका तो नैरेटिव बनेगा कि जनादेश मोदी और भाजपा के खिलाफ आया है, इसलिए सभी भाजपा विरोधी पार्टियां मिलकर सरकार बनाएंगी। अगर भाजपा फिर भी जीत गई तो ईवीएम पर हार का ठीकरा फोडना तय है। उसे जनादेश की बजाए मशीनादेश कहा जाएगा। इसी के चलते अपने-अपने इलेक्शन नरेटिव को स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया पर काफी मेहनत और पैसा खर्च किया जा रहा है। एक ब्लॉगर ने तो यू-ट्यूब पर चौथे चरण के बाद प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान बीबीसी वर्ल्ड के कथित सर्वे के आधार पर इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित कर डाली। सर्वे के बैक ड्रॉप में बीबीसी वर्ल्ड का लोगो भी दिखाया जा रहा था। लेकिन जब बीबीसी ने अपनी अधिकृत वेबसाइट पर उसके द्वारा ऐसा कोई चुनावी सर्वे नहीं करने की बात स्पष्ट की तो ब्लॉगर ने अपने वीडियो से चुपके से बीबीसी वर्ल्ड का लोगो हटा दिया। लेकिन तब तक उसे डेढ़ लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके थे। यह डिजिटल दुस्साहस का एक उदाहरण है।

जीत के दावों में कितनी सच्चाई? : यहां सवाल यह कि इंडिया गठबंधन की जीत के दावों में सच्चाई कितनी है? अगर आंकड़ों के आधार पर बात करें तो यह कठिन जरूर है, मगर असंभव नहीं है। इंडिया गठबंधन में कुल 36 दल शामिल हैं और अगर टीएमसी को भी मिला लिया जाए तो यह संख्या 37 होती है। इनमें से कांग्रेस के अलावा 6 पार्टियां ऐसी हैं, जो चुनाव में 5 से लेकर 25 तक सीटें जीतने की स्थिति में हैं। अगर कांग्रेस चुनाव में अपनी जीती हुई सीटों का आंकड़ा 125 तक ले जा सकी तो बाकी सहयोगियों की मदद से वह किसी तरह 272 तक पहुंच सकती है। लेकिन कांग्रेस के लिए वर्तमान में 52 सीटों का आंकड़ा 125 तक पहुंचाना एवरेस्ट फतह करने जैसा है। दो लड़कों की बातों में इतना जबर्दस्त करंट भी नहीं दिख रहा कि जो मोदी विरोधी करंट को डीसी से एसी करंट में तब्दील कर दे। दूसरी तरफ भाजपा के एनडीए गठबंधन में संख्या के लिहाज से राजनीतिक दल ज्यादा यानी 41 हैं, लेकिन इनमें भाजपा के अलावा कोई पार्टी ऐसी नहीं है, जो अपने दम पर 20 से ज्यादा सीटें निकाल पाए। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि अव्वल तो भाजपा ने आंध्र प्रदेश को छोड़कर सभी जगह ज्यादातर सीटें अपने खाते में रखी हैं।

ऐसे में अगर भाजपा का इंजन अपने ही यार्ड में फेल हो गया तो एनडीए की गाड़ी मैजिक नंबर के आउटर पर जाकर अटक जाएगी। हालांकि ऐसा होने की संभावना कम है। इस चुनाव में कोई आंधी भले नजर न आए, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, विकास, किसानों की नाराजगी, सड़क पानी बिजली, जातिवाद और आरक्षण आदि मुद्दे यथावत हैं।

मोदी और राम मंदिर फैक्टर : इन मुद्दों को मोदी और राम मंदिर फैक्टर किस स्तर तक काउंटर कर पाते हैं, उसी से काफी कुछ चुनाव नतीजे तय होंगे। अमूमन सामान्य मतदाता भी इतना तो समझता ही है कि ये लोकसभा चुनाव देश की सरकार के लिए हो रहे हैं, ऐसे में उसके निजी दुख दर्द के अनुपात में राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर वोट ज्यादा करने की संभावना है। ऐसा विवेक वोटर ने हर चुनाव में दिखाया भी है। गठबंधन सरकारों के कामकाज, मजबूरियों, अंतर्विरोधों और उससे पैदा होने वाली राजनीतिक अराजकता को भी उसने देखा है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का थोड़ा बहुत अहसास उसे भी है। राष्ट्रहित का अंदाजा उसे भी है। लिहाजा वोटर जो भी जनादेश देगा, अपने विवेक से देगा। वह अनपढ़ हो सकता है, नासमझ नहीं है। हमें उस के विवेक पर भरोसा करना चाहिए। भरोसा करना चाहिए।

(यह लेखक के निजी विचार हैं।)

भाषण पर सवाल क्यों?

कलकत्ता हाइकोर्ट के तीसरे सबसे सीनियर जज रहे जस्टिस चितरंजन दास ने सोमवार को अपने कार्यकाल के आखिरी दिन विदाई भाषण में जिस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की अपनी सदस्यता का जिक्र किया, वह न्यायाधीश पद के साथ जुड़ी गरिमा और संवेदनशीलता से वाकिफ किसी भी शख्स को हैरान कर सकता है। उन्होंने बताया कि वह न केवल अतीत में इस संगठन के सदस्य रहे हैं बल्कि अब रिटायरमेंट के बाद अगर संगठन उन्हें कोई उपयुक्त काम सौंपता है तो उसे खुशी-खुशी अंजाम देंगे। हालांकि यह दलील दी जा सकती है कि आरएसएस कोई प्रतिबंधित संगठन नहीं है। यह भी कि देश के हर नागरिक को वैचारिक स्वतंत्रता हासिल है और न्यायाधीश भी एक व्यक्ति के रूप में किसी विचारधारा को पसंद या नापसंद कर सकते हैं। मगर गौर करने की बात यह है कि जस्टिस दास ने यह खुलासा घर-परिवार या मित्रों-रिश्तेदारों के बीच व्यक्तिगत हैसियत से नहीं बल्कि कार्यकाल के आखिरी दिन बाकायदा कलकत्ता हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ के सामने किया। देश के एक हाइकोर्ट में बतौर जज 15 साल बिता चुके किसी शख्स से यह उम्मीद तो होती ही है कि वह न केवल अपने कार्य की गंभीरता को समझेगा बल्कि उसके लिए जिस वैचारिक गहराई और परिपक्वता की जरूरत होती है, उसे भी महसूस करेगा। अफसोस की बात है कि जस्टिस दास के इस भाषण ने इन दोनों मोर्चों पर देश के नागरिकों को ही नहीं दुनिया भर में फैली न्यायिक बिरादरी को भी निराश किया है। यह भाषण कितना कमजोर था, इसका अहसास इसके कुछ अंशों पर एक नजर डालने से ही हो जाता है। मिसाल के तौर पर, इस भाषण में जस्टिस दास खुद अपनी तारीफ करते हुए कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी के लिए किसी तरह का पूर्वाग्रह नहीं रखा। अब देश के एक प्रतिष्ठित हाइकोर्ट के इतने वरिष्ठ जज से यह जानने की अपेक्षा गलत नहीं कही जाएगी कि पूर्वाग्रह कोई ऐसी चीज नहीं है, जो जानबूझकर रखी या न रखी जाए। पूर्वाग्रहों से मुक्ति अपनी चेतना का स्तर ऊपर उठाने के हमारे निरंतर प्रयासों का परिणाम होता है, लेकिन किसी भी खास बिंदु पर कोई व्यक्ति अपने पूर्वाग्रहों को लेकर सौ फीसदी आश्वस्त नहीं हो सकता। इसका पता तब चलता है जब दूसरे लोग इस ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। यह अकारण नहीं कि जस्टिस दास के फैसले में निहित पूर्वाग्रह को लेकर अतीत में विवाद हो चुके हैं। उदाहरण के लिए, उनकी अगुआई वाली एक खंड पीठ के इसी साल दिए एक फैसले को गलत करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जजों का काम कानून और तथ्यों के आधार पर फैसला देना है, उपदेश देना नहीं।

औसत से ज्यादा वोटिंग क्यों नहीं होती?

इंद्रकांत मिश्र

मौजूदा लोकसभा चुनाव में औसत मतदान 60 प्रतिशत के आसपास रहना निर्वाचन आयोग ही नहीं, राजनेताओं के लिए भी चिंता का विषय है। इससे लोकतंत्र के मूल उद्देश्य पूरे होते नहीं दिखते। स्थिति यह है कि कुल पंजीकृत मतदाताओं के एक चौथाई हिस्से से भी कम का समर्थन पाकर पार्टियां सरकार बना लेती हैं और फिर पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। उत्तर और पश्चिम इलाकों में, जहां इस समय प्रचंड गर्मी है, वहां तो कम मतदान हो ही रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्रों और दक्षिण राज्यों, जहां गर्मी नहीं है, में भी मतदाताओं में उत्साह नहीं नजर आता है। इसकी एक वजह राजनीतिक व्यवस्था से मोहभंग भी हो सकता है। निर्वाचन आयोग और राजनीतिक दलों की तरफ से मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के तमाम प्रयास किए जाते हैं। लोगों को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रेरित किया जाता है, लेकिन इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। कुछेक अपवादों को छोड़ दें, तो कभी वोटिंग औसत से ज्यादा नहीं बढ़ी। सिर्फ 2014 और 2019 में मतदाताओं ने उत्साह दिखाया था और औसतन 66 प्रतिशत से ज्यादा मतदान हुआ था। सवाल यह है कि ऐसे में क्या उपाय किए जाएं कि मतदाता मतदान करने के लिए प्रेरित हों। कम वोटिंग भारत ही नहीं, दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों के लिए चिंता का विषय है। कई देशों ने मताधिकार का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया, तो कुछ देशों ने मतदान नहीं करने पर अलग-अलग तरह से दंड लगाने के कानून बनाए। हालांकि कुछ देशों ने बाद में व्यावहारिक परेशानियों के चलते इसे रद्द कर दिया। सबसे पहले बेल्जियम ने 1892 में वोटिंग अनिवार्य करने का कानून बनाया। फिर अर्जेंटीना ने 1914 में और ऑस्ट्रेलिया ने 1924 में ऐसा ही कानून लागू किया।

उसके बाद ऑस्ट्रिया, ब्राजील, मिस्र, फिजी, बुल्गारिया, बोलीविया, इटली, ग्रीस, फ्रांस (सिर्फ सीनेट), अमेरिका (कुछ राज्य), मैक्सिको, फिलीपीन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, स्पेन, तुर्किये, वेनेजुएला, पेरू, पनामा आदि ने भी कानून बनाए। इनमें कुछ देशों ने कानून को आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द कर दिया।

भारत की स्थिति कुछ भिन्न है। यहां कई बार वोटिंग अनिवार्य करने को लेकर लोकसभा में चर्चा हुई। यही निष्कर्ष निकला कि ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होगा। इस संबंध में सबसे पहले चर्चा 1950 में तब शुरू हुई, जब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम लागू किया जा रहा था। डॉ. भीमराव आंबेडकर सहित संविधान सभा के कई सदस्यों ने इसे सिरे से नकार दिया। 1990 में दिनेश गोस्वामी कमेटी ने वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के उपायों पर विचार करने के दौरान इसे अनिवार्य किए जाने पर भी गौर किया और अंततः इसे नामंजूर कर दिया। वर्ष 2001 में कंसल्टेशन पेपर ऑफ नेशनल कमीशन रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कंस्टीट्यूशन ने इस मुद्दे पर विचार करने के बाद कहा कि वोट नहीं देने पर दंड का प्रावधान रखने से कई जटिलताएं पैदा होंगी। चुनावी खर्च को लेकर गठित तारकुंडे कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि वोटिंग अनिवार्य करने से मतदाताओं में रोष पैदा होगा और इसके दुरुपयोग की आशंका रहेगी। बेहतर होगा कि वोटरों को मतदान के लिए उत्साहित किया जाए। लोकसभा में 2004, 2009, 2012 एवं 2014 में प्राइवेट बिल पेश किए गए, लेकिन हर बार प्रस्ताव का विरोध हुआ। वर्ष 2009 में इस पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई, जिसमें मताधिकार का उपयोग नहीं करने वाले के घर की बिजली, पानी आदि काटने और आर्थिक दंड लगाने की मांग की गई। कोर्ट ने इसे बेहद अमानवीय बताकर याचिका खारिज कर दी। देश में चुनावों में अशिक्षित और अल्पशिक्षित मतदाताओं में मतदान को लेकर जितना उत्साह दिखता है, उतना प्रबुद्ध वर्ग में नहीं। प्रबुद्ध वर्ग का एक बड़ा हिस्सा आलस और अरुचि की वजह से घर से नहीं निकलता। वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी होना भी कम मतदान का एक कारण है। चुनाव से पहले मतदाता सूची को ठीक से अपडेट नहीं किया जाता और किया भी जाता है, तो उनमें कई त्रुटियां दिखती हैं। लोगों को शिकायत रहती है कि नाम शामिल करने, संशोधन आदि का फॉर्म बूथ लेवल अफसर (बीएलओ) को समय पर देने के बाद भी कुछ नहीं होता। यह विडंबना ही कही जाएगी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पंजीकृत वोटरों में से 40 प्रतिशत वोट ही नहीं देते।

खटाखट-फटाफट की सतही राजनीति से बचे लोकतंत्र

विश्वनाथ सचदेव

हमारे समय के महान कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण ने अपने एक कार्टून में नेताओं के कार्टून न बनाने की बात की थी। उन्होंने लिखा था, अब मैं नेताओं के कार्टून नहीं बनाता, क्योंकि अब स्वयं कार्टून नेता बनने लगे हैं। बरसों पहले बनाया गया था यह कार्टून, और लक्ष्मण के बनाये अनेक कार्टूनों की तरह यह आज भी प्रासंगिक है, शायद उस समय से कहीं ज्यादा जब यह कार्टून बनाया गया था। इस कार्टून में लक्ष्मण का ट्रेडमार्क आम आदमी हैरानी और चालाक-सी मुस्कान के साथ इस घोषणा को होते सुन-देख रहा है! आज भी आम आदमी के चेहरे पर वही मुस्कान है। पत्रकारिता में कभी कहा जाता था,एक चित्र सौ शब्दों के बराबर होता है। यही बात कार्टून पर भी लागू होती है। जहां तक नेताओं के कार्टून बन जाने का सवाल है आज की राजनीति में इसके उदाहरण खोजने की आवश्यकता नहीं है, एक ढूंढ़ो हजार मिलते हैं। चुनावों का मौसम अभी चल रहा है। कुछ ही दिन में चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे, नई सरकार बन जायेगी। नये-पुराने नेता कुर्सियां संभालेंगे। तब किसी लक्ष्मण के आम आदमी के चेहरे पर वैसी ही मुस्कान होगी जो उस कार्टून में दिख रही थी। पर आज की राजनीति को देखते हुए यह समझना जरूरी है कि मुस्कुराना पर्याप्त नहीं है। यह स्थिति अपने आप में कम पीड़ादायक नहीं है कि हमारी राजनीति का स्तर लगातार नीचे खिसक रहा है। देश के राजनीतिक नेतृत्व ने इस चुनाव-प्रचार के दौरान नई गिरावट को छूने का जैसे एक रिकॉर्ड बनाया है। विभिन्न दलों के राजनेताओं में जैसे प्रतियोगिता चल रही थी घटिया राजनीति का उदाहरण प्रस्तुत करने की। हमारी राजनीति सिद्धांतों और मूल्यों के बजाय जुमलों में सिमट कर रह गयी है। जुमले की भी एक नयी परिभाषा ईजाद की है हमारे नेताओं ने, आप चाहें तो इसे लफ्फाजी नाम दे सकते हैं। था कोई जमाना जब हमारे देश में चुनाव की तुलना यज्ञ से की जाती है। दूसरे आम चुनाव की बात है। चुनावी सभाओं में एक कविता सुनाई देती थी, ओ मतदाता, तुम भारत के भाग्य-विधाता/ राजसूय सम भारत के हित/ यह चुनाव है होने जाता/ कागज का यह नन्हा-टुकड़ा भारत माता का संबल है/ वोट नहीं है तेरे कर में, महायज्ञ-हित तुलसी दल है। आज हमारे राजनेता उस तुलसीदल के लिए झूठ और फरेब का सहारा ले रहे हैं। त्रासदी तो यह भी है कि जो जितना बड़ा नेता है वह उतना बड़ा झूठ बोल रहा है। घटिया बोलों की एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। किसी भी प्रकार के शर्म या लिहाज के लिए हमारी राजनीति में जैसे कोई जगह नहीं बची। हमारे नेता यह मानकर चल रहे हैं कि हल्की-फुल्की बातों से मतदाता को बरगलाया जा सकता है। ताजा उदाहरण खटाखट वाली राजनीति का है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा में खटाखट-खटाखट का प्रयोग क्या किया, राजनेताओं को जैसे नया खिलौना मिल गया। राहुल गांधी ने कहा था, मोदी अपने धनवान मित्रों को पैसा दे रहे हैं, पर मैं पैसा आपको दूंगा खटाखट-खटाखट। यहां खटाखट से उनका

आशय तेजी से पैसा देना था। प्रधानमंत्री मोदी को यह शब्द पसंद आ गया और दूसरे ही दिन उन्होंने एक चुनावी सभा में खटाखट शब्द के माध्यम से राहुल गांधी का मजाक उड़ाने का अभिनय किया। खटाखट शब्द में कहीं कुछ गलत नहीं है। वैसे ही जैसे दीदी, ओ दीदी कहना कहीं से गलत नहीं लगता। पर पिछले चुनाव में जिस तरह ओ दीदी उचारा गया था, उसे भद्र भाषा का उदाहरण तो नहीं कहा जा सकता। इस खटाखट शब्द की भी जिस तरह नकल उतारी गयी, उसे हास्यास्पद तो कहा ही जा सकता है! राहुल गांधी ने अपने भाषण में देश की हर गरीब महिला के बैंक खाते में 8500 रुपये खटाखट जमा करवाने की बात कही थी। प्रधानमंत्री जी ने इस खटाखट शब्द से उनका मजाक उड़ाया जो खटाखट पैसा देने की बात कर रहे थे। मतदाताओं को अपने नेताओं से कुछ गंभीर आचरण की अपेक्षा भी होती है। लेकिन हमारे नेता तो मतदाता को बच्चों की तरह रिझाने में विश्वास करते हैं! प्रधानमंत्री मोदी न जाने कब से देश के मतदाताओं को पांच किलो अनाज से रिझा रहे हैं। पहले देश के अस्सी करोड़ गरीबों को कुछ अर्से के लिए प्रतिमाह पांच किलो अनाज दिया गया था, फिर चुनाव से ठीक पहले यह कह दिया गया कि अगले पांच साल तक यह खैरात बंटती रहेगी। अब कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वह पांच किलो के बजाय दस किलो अनाज प्रति माह देंगे। यही नहीं, यह बात कहीं इस तरह से कही जाती है मानो प्रधानमंत्री अथवा विपक्ष के नेता अपनी जेब से खर्च करके मतदाता को अनुगृहीत कर रहे हैं! लाभार्थी नाम दिया गया है सरकारी सहायता पाने वालों को। इसी तरह रेवड़ी बांटने की बात भी हुई थी। सत्ताधारी पक्ष जनता को अनुदान देने को कल्याणकारी कार्य बताता है और विपक्ष की सरकारों को रेवड़ियां न बांटने की सलाह देता है। चुनाव-प्रचार के इस सोच पर सवाल उठना ही चाहिए। सवाल इस बात पर भी उठाना चाहिए कि पंथ-निरपेक्ष देश में धर्म के नाम पर वोट मांगने की इजाजत कैसे दी जा रही है? अयोध्या में बने राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाये जाने के षड्यंत्र की बात का आखिर क्या मतलब है? कैसे कोई राजनेता यह कह सकता है कि, तुम्हारे मंगलसूत्र भी उनको दे दिये जाएंगे? यह तुम्हारे कह कर किसे संबोधित किया जा रहा है और यह उनको का क्या मतलब है? हमारे संविधान-निर्माताओं ने बहुत सोच-समझ कर देश को धर्म-निरपेक्ष घोषित किया था। विभाजन के समय देश में जो परिस्थितियां बन गयी थीं, उन्हें देखते हुए आसान नहीं था इस प्रकार का निर्णय लेना। संविधान-सभा में इस सबको लेकर पर्याप्त विचार-विमर्श हुआ था और पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किये जाने के बावजूद हमने देश को धर्मनिरपेक्ष रखने का निर्णय लिया था। वस्तुतः यह निर्णय मानवता के पक्ष में लिया गया था। सारी दुनिया को रास्ता बताया था हमने, मनुष्यता का रास्ता। आखिर धर्म के नाम पर संकीर्णता वाली सोच हमें कहां ले जायेगी? यह जनतांत्रिक मूल्यों की सफलता का ही एक उदाहरण है कि हमारे देश में नियम से चुनाव हो रहे हैं। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। जनतांत्रिक मूल्यों को आचरण में उतारना ही इस सफलता की असली कसौटी है। इन्हीं मूल्यों का तकाजा है कि धर्म को राजनीति का हथियार बनाने की मानसिकता से उबारा जाये। यह हम और वे वाली राजनीति समाज को बांटने वाली है, हमें सिर्फ हम वाली राजनीति की आवश्यकता है। हम भारत के लोग ने अपने लिए एक संविधान बनाया था, यह हर भारतीय को सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अधिकार देता है, सबका साझा है यह अधिकार। इस अधिकार को खटाखट और फटाफट वाली घटिया राजनीति का शिकार नहीं होने दिया जा सकता। हमारे नेताओं की चुनावी सभाएं बताती हैं कि यह खटाखट वाली राजनीति उन्हें दाता बना रही है और नागरिक को इस दाता की कृपादृष्टि का पात्र। यही नहीं अब हमारे नेता ऐसी गारंटियां भी देने लगे हैं, जिनका कोई आधार उनके पास नहीं है। इस गारंटी राजनीति की शुरूआत कर्नाटक के पिछले चुनाव में कांग्रेस ने की थी, फिर भाजपा ने इसे लपक लिया। प्रधानमंत्री ने नहले पर दहला चलते हुए गारंटी पूरे होने की गारंटी वाली चाल चली। अब यानी हमारी राजनीति के कर्णधार अपने आप को देश के सामान्य नागरिकों से भिन्न मानते हैं, कुछ ऊंचा मानते हैं। विषमता का यह चेहरा हमारी राजनीति का घटिया पक्ष ही दिखाता है। स्वस्थ राजनीति का तकाजा है कि राजनेता स्वयं को मतदाता का स्वामी न समझें। वे भी नागरिक मात्र हैं, बस उनकी भूमिका कुछ भिन्न है। पता नहीं यह स्थिति कब आयेगी, कब वे ऐसा समझेंगे?

(ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

देशप्राण स्वतंत्र हिन्दी दैनिक

किशोर न्याय कानून पर पुनर्विचार की जरूरत

पुणे में अमीर बाप के बिगड़ैल अल्पवयस्क बेटे ने शराब के नशे में दो युवा इंजीनियरों को रौंदने के बाद जिस तरह आनन-फानन में जमानत हासिल की, उस घटना ने पूरे न्याय व्यवस्था को कटघड़े में खड़ा कर दिया है। दुस्साहस देखिये कि दो करोड़ रुपये से अधिक महंगी विदेशी कार को सड़क पर यह किशोर दो सौ किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ा रहा था। उस धनी बाप के नशेड़ी बेटे को पुणे की सड़कों में रोकने वाला कोई नहीं था। इसके पहले उसने दोस्तों के साथ 48 हजार रुपए की शराब पी थी। उसके बाद अपनी पोर्श कार को इतनी अनियंत्रित गति से दौड़ाया कि मोटरसाइकिल सवार दो इंजीनियरों को मौत की नींद सुला दिया। हैरानी की बात यह है कि अभियुक्त को किशोर होने के नाते किशोर न्याय बोर्ड से कुछ ही घंटों में जमानत दे दी गई। कोर्ट ने उसे 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ रहकर ट्रैफिक नियम सिखने, सड़क दुर्घटना पर निबंध लिखने और शराब छोड़ने के लिए डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया। आनन -फानन में अभियुक्त को जमानत मिलने पर सोशल मीडिया पर लोगों का आक्रोश फूटा।सोशल मीडिया पर गंभीर अपराधों में लिप्त किशोरों को वयस्कों की तरह दंड देने की मांग तेज हुई और विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए तब पुलिस को होश आया और उसने जमानत रद्द करवाई। कोर्ट ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए किशोर अभियुक्त पर सामान्य कोर्ट में केस चलाने की अनुमति दे दी है। अभियुक्त किशोर के अरबपति बिल्डर पिता और नाबालिगों को शराब परोसने वाले होटल के अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना के बाद यह सवाल फिर उठा कि गंभीर अपराधों में किशोरों की संलिप्तता होने पर वयस्कों के कानून के हिसाब से उन्हें सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए ? जिस किशोर को शराब पीने और तेज रफ़्तार में कार चलाने की बुद्धि है वह अपराध के बाद बच्चा कैसे बन जाता है ? उसे कानून की नजर में नासमझ क्यों समझा जाना चाहिए ? सवाल यह भी है कि धनाढ्य बिल्डर ने क्यों किशोर पुत्र को बिना लाइसेंस के कार चलाने की अनुमति दी? क्यों बेटे को शराब पार्टी करने की इजाजत दी? क्यों होटल वालों ने किशोरों को शराब पीने की सुविधा दी? जब किशोर ने बार-बार जानबूझकर तमाम कानूनों का उल्लंघन किया तो उसे सामान्य कानून के तहत दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए? किशोर न्याय अधिनियम पर नए सिरे से विचार और समीक्षा की जरूरत है। निर्भया कांड में भी नाबालिग अपराधी ने सबसे अधिक क्रूरता दिखाई थी। ऐसे अपराधियों को बच्चा क्यों माना जाये ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी से ऐतिहासिक जीत दिलाने की कोशिश

नीरज कुमार दुबे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। देखा जाये तो वाराणसी में भाजपा उम्मीदवार के रूप में प्रधानमंत्री मोदी की जीत पर किसी को कोई संशय नहीं है लेकिन भाजपा का प्रयास है कि इस बार की जीत पहले से ज्यादा बड़े अंतर से होनी चाहिए। भाजपा ने बीस लाख के आसपास मतदाताओं की संख्या वाली वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री को 10 लाख से ज्यादा वोट दिलवाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए पार्टी ने तमाम नेताओं और कार्यकताओं को जिम्मेदारियां बांट कर उन्हें काम पर लगा दिया है। भाजपा के स्थानीय विधायक, पार्षद तो छोटी-छोटी टोलियां बनाकर घर-घर संपर्क साध ही रहे हैं साथ ही जिन-जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं वहां-वहां के भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी वाराणसी आकर प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार में हाथ बंटा रहे हैं। हम आपको बता दें कि दूसरे राज्यों से आये प्रवासी कार्यकताओं से समन्वय के लिए प्रधानमंत्री के केंद्रीय चुनाव कार्यालय में टीमें बना दी गयी हैं। दूसरे राज्यों से आये लोग वाराणसी में खासकर उन स्थानों पर जा रहे हैं जहां उनके राज्य के लोगों की बहुतायत है। जैसे महाराष्ट्र से आये कार्यकर्ता वाराणसी में मराठी इलाकों में जा रहे हैं, राजस्थान से आये कार्यकर्ता उन इलाकों में जा रहे हैं जहां राजस्थानी मूल के लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस समय उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के कार्यकताओं का जो समागम हो रखा है वह देखते ही बनता है।

प्रधानमंत्री ने अपने नामांकन से पहले भव्य रोड शो और उसके बाद हाल ही में स्त्री शक्ति के साथ संवाद कार्यक्रम के जरिये तो अपना प्रचार किया ही साथ ही प्रचार की हर गतिविधि पर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नजर रखे हुए हैं। चुनाव प्रचार में कहीं कोई कमी नहीं रह जाये इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार काशी का दौरा कर रहे हैं। भाजपा के कई केंद्रीय नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों और उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को भी वाराणसी में प्रचार की जिम्मेदारी दी गयी है। इसके अलावा काशी की जनता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार कर रही है। देखा जाये तो यहां कहने को तो कई उम्मीदवार मैदान में हैं लेकिन आपको सड़कों पर लगे होडिंगों और घरों पर लगे भाजपा के झंडों तथा प्रधानमंत्री की तस्वीर वाले स्टीकरों से पता चल जायेगा कि यहां का चुनावी मिजाज क्या है।

लेकिन आज वाराणसी में प्रचार की जो छटा दिखाई पड़ रही है उसके लिए एक टीम ने खास मेहनत की है। यह टीम पिछले कई महीनों से काशी में डटी हुई है और पर्दे के पीछे रहते हुए सारे चुनाव प्रचार अभियान का संचालन कर रही है। इस टीम में जो सात लोग शामिल हैं वह दिन भर आपको प्रधानमंत्री के केंद्रीय चुनाव कार्यालय में विभिन्न बैठकों के माध्यमों से प्रचार अभियान की समीक्षा करते, देशभर से आ रहे कार्यकताओं से मिलने और प्रचार में कहीं किसी प्रकार की कमी ना रह जाये, इसकी चिंता करते हुए दिखेंगे। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार अभियान से जुड़े हर छोटे-बड़े काम को देख रही टीम में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य अश्विनी त्यागी और अरुण पाठक, गुजरात के पूर्व विधायक जगदीश पटेल, उत्तर प्रदेश के इटवा के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी, उत्तर प्रदेश के रोहनिया के पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह और वाराणसी के भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा शामिल हैं।

हम आपको याद दिला दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 4.79 लाख वोटों से हराया था। देखा जाये तो यह अंतर बहुत बड़ा था लेकिन फिर भी यह जीत देश भर में दस सबसे बड़ी जीतों में दर्ज नहीं हो सकी थी इसलिए भाजपा की टीम इस बार जीत का ऐसा रिकॉर्ड कायम करने के लिए मेहनत कर रही है जिसको तोड़ना दूसरों के लिए कठिन चुनौती साबित हो। इसीलिए प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को वोटों में तब्दील करने और ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए यह टीम बेहद सक्रिय है।

जहां तक प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में काम कर रही भाजपा की मुख्य टीम में शामिल सात सदस्यों की बात है तो आपको बता दें कि इसमें प्रमुख नाम सुनील बंसल का है। वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद लोगों में से एक हैं। सुनील बंसल पिछले कुछ महीनों से लगभग सारा समय वाराणसी में दे रहे हैं। अश्विनी त्यागी की बात करें तो आपको बता दें कि वह वाराणसी में पार्टी की समन्वय गतिविधियों के प्रभारी हैं। अश्विनी त्यागी भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के महासचिव हैं और पार्टी की पश्चिमी इकाई के क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। अश्विनी त्यागी को आठ महीने पहले वाराणसी में काम संभालने के लिए लाया गया था। जहां तक जगदीश पटेल की बात है तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव प्रचार शुरू होने से दो महीने पहले गुजरात के पूर्व विधायक जगदीश पटेल को समन्वय और प्रबंधन से संबंधी कामकाज को देखने के लिए वाराणसी भेजा गया था। जगदीश पटेल 2019 में अमराईवाड़ी से उप चुनाव जीतकर विधायक बने थे। उन्होंने अहमदाबाद शहर अध्यक्ष के रूप में भी काम किया और मेहसाणा, भावनगर और पाटन जिलों के भाजपा प्रभारी के रूप में भी काम किया है। वह अमित शाह के भरोसेमंद व्यक्ति माने जाते हैं। वहीं सुरेंद्र नारायण सिंह की बात करें तो आपको बता दें कि वह वाराणसी जिले के रोहनिया से पूर्व विधायक हैं। इस क्षेत्र में कुर्मी और भूमिहार मतदाता बड़ी संख्या में रहते हैं। उल्लेखनीय है कि वाराणसी में कुर्मी जाति के 2 लाख मतदाता होने का अनुमान है। सुरेंद्र नारायण सिंह रैलियों और रोड शो से संबंधी कामकाज देखते हैं और चुनाव प्रचार संबंधी टीमों के साथ समन्वय करते हैं।

वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली पहली भाजपा सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। वह वाराणसी में मतदाताओं तक पहुंच बनाने और हर जाति की छोटी-छोटी बैठकें आयोजित करने का काम देख रहे हैं। वह वाराणसी क्षेत्र के ऐसे मतदाताओं से भी संपर्क साध रहे हैं जोकि समाज में प्रभावशाली छवि वाले हैं। उनका प्रयास है कि ऐसे मतदाताओं के माध्यम से समाज में ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए संदेश भेजा जाये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूहों में जाकर मतदान करने का जो आह्वान किया है उसे सफल बनाने के लिए भी सतीश द्विवेदी दिन-रात काम कर रहे हैं।

इसी प्रकार तीसरी बार कानपुर से एमएलसी बने अरुण पाठक को पिछले साल वाराणसी जिले और शहर का प्रभारी बनाया गया था और वर्तमान में वह बूथ प्रबंधन का काम देख रहे हैं। उनकी जिम्मेदारियों में लाभार्थी सम्मेलन आयोजित करना, बूथ को मजबूत करना, पन्ना प्रमुखों की सूची तैयार करना, बूथ समितियों का समन्वय और बूथ के काम का जायजा लेना शामिल है। हम आपको बता दें कि वाराणसी में 1,909 बूथ हैं और इनमें से 150 बूथ भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि यहां अल्पसंख्यक समुदाय का दबदबा है और यह वर्ग भाजपा को अधिकांशतः वोट नहीं देता है। अरुण पाठक की जिम्मेदारी है कि जिन बूथों पर भाजपा को ज्यादा वोट नहीं मिलते हैं वहां पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाने के लिए काम करना है।

वहीं हंसराज विश्वकर्मा की बात करें तो वह वाराणसी जिला भाजपा अध्यक्ष के रूप में 2017 और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों और 2019 के लोकसभा चुनावों की देखरेख कर चुके हैं। भूपेंद्र चौधरी जब उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने तो उन्होंने पिछले साल अपनी नई टीम की जो घोषणा की थी उसमें हंसराज विश्वकर्मा को उनके पद पर बनाए रखा था। इस प्रकार, विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा 2016 से ही जिला भाजपा का अध्यक्ष पद संभाल रहे हैं जोकि बड़ी बात है। पिछड़े समुदायों पर अच्छी पकड़ रखने वाले हंसराज विश्वकर्मा के बारे में माना जाता है कि वह लगभग 3000 लोगों को तत्काल एकत्रित कर सकते हैं।

संविधान की मूल भावना हो आरक्षण की कसौटी

केपी सिंह

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के राजनीतिक आरक्षण का आधार मूलतः कुछ वर्गों के प्रति छुआछूत बरतना और नागरिक अधिकारों का हनन बना था, सरकार और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के माध्यम से पीड़ित वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके इन सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन की अवधारणा संविधान में स्थापित की गई। क्योंकि छुआ-छूत का प्रसार केवल हिन्दू समाज में ही है, इसलिए अनुसूचित जातियों में मुसलमानों का उल्लेख नहीं है। शुरूआत में आरक्षण के प्रावधान केवल अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए थे। पिछड़े वर्गों का आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय में श्रीमती चम्पक दोराईराजन प्रकरण (1951) के दौरान केन्द्र बिन्दु में आया, अदालत ने कहा कि यद्यपि अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण का उल्लेख करता है, अनुच्छेद 15 में इसका जिक्र तक नहीं है। इसके बाद संविधान में पहला संशोधन किया गया और अनुच्छेद 15(4) जोड़कर सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश संबंधी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। वर्ष 1953 में पिछड़े वर्गों की दशा का अध्ययन करने के लिए पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में बनाया गया। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बीपी मंडल की अध्यक्षता में वर्ष 1979 में गठित किया गया जिसकी रिपोर्ट 1990 में लागू की गई थी। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी। मंडल आयोग की रिपोर्ट ही मुसलमानों को पिछड़े वर्गों में सम्मिलित कराती है।

वर्तमान लोकसभा चुनावों के प्रचार में आरक्षण को लेकर, विशेषकर एक समुदाय के आरक्षण पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्षी दल कह रहे हैं कि सत्तासीन पार्टी यदि पुनः सरकार बनाने में सफल हो गई तो आरक्षण समाप्त कर देगी। वहीं सत्ता-पक्ष कुछ राज्यों में मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण पर सवाल खड़ा करके उसे संविधान विरुद्ध बता रहा है। राजनीति को दरकिनार कर-के यदि देखा जाए तो आरक्षण ऐसी संविधान प्रदत्त गारंटी है जिसके सहारे एक समतामूलक और समावेशी समाज की परिकल्पना की गई थी, और यह तब तक प्रासंगिक रहेगा जब तक सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विषमताएं और भेद-भाव जनित परिस्थितियां दूर नहीं होतीं।

आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान संविधान में चार अलग-अलग स्थानों पर वर्णित हैं। अनुच्छेद 330 से 335 तक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा, विधानसभाओं तथा सरकारी नौकरी में आरक्षण के प्रावधान हैं। एंग्लो-इंडियन समुदाय के दो सदस्यों का लोकसभा में मनोनयन और रेलवे तथा डाक विभाग में दस वर्षों तक आरक्षण का आधार भी उन्हीं अनुच्छेदों में है। यहां महत्वपूर्ण है कि अनुसूचित जातियों के लिए छुआ-छूत जनित भेदभाव, जनजातियों के भौगोलिक एक सांस्कृतिक अलगाव तथा एंग्लो-इंडियन स मुदाय की सीमित संख्या उन्हें आरक्षण एवं मनोनयन का आधार प्रदान करती है।

दूसरे, संविधान के अनुच्छेद 15(3), 15(4) एवं 15(5) में महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों में दाखिला पाने को आरक्षण दिया है। वर्ष 2019 में संविधान संशोधन कर आर्थिक पिछड़ेपन को मान्यता देकर इस वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया।

तीसरे, ऐसे पिछड़े वर्गों, जिनका सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं, के लिए संविधान के अनुच्छेद 16(4), 16(4ए) एवं 16(4बी) में पद आरक्षित किए गए हैं। वर्ष 2019 में संविधान में नया अनुच्छेद 16(5) जोड़कर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए भी दस फीसदी नौकरियां आरक्षित की गई। चौथे, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए आरक्षण प्रावधान अनु. 243डी तथा 243टी में दिए हैं।

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के राजनीतिक आरक्षण का आधार मूलतः कुछ वर्गों के प्रति छुआछूत बरतना और नागरिक अधिकारों का हनन बना था, सरकार और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के माध्यम से पीड़ित वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके इन सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन की अवधारणा संविधान में स्थापित की गई। क्योंकि छुआ-छूत का प्रसार केवल हिन्दू समाज में ही है, इसलिए अनुसूचित जातियों में मुसलमानों का उल्लेख नहीं है।

शुरूआत में आरक्षण के प्रावधान केवल अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए थे। पिछड़े वर्गों का आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय में श्रीमती चम्पक दोराईराजन प्रकरण (1951) के दौरान केन्द्र बिन्दु में आया, अदालत ने कहा कि यद्यपि अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण का उल्लेख करता है, अनुच्छेद 15 में इसका जिक्र तक नहीं है। इसके बाद संविधान में पहला संशोधन किया गया और अनुच्छेद 15(4) जोड़कर सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश संबंधी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया।

वर्ष 1953 में पिछड़े वर्गों की दशा का अध्ययन करने के लिए पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में बनाया गया। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बीपी मंडल की अध्यक्षता में वर्ष 1979 में गठित किया गया जिसकी रिपोर्ट 1990 में लागू की गई थी। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी। मंडल आयोग की रिपोर्ट ही मुसलमानों को पिछड़े वर्गों में सम्मिलित कराती है। रिपोर्ट में कहा गया था कि दो प्रकार की मुसलमान जातियां पिछड़ी जाति मानी जाएंगी, पहली, वे जो धर्म परिवर्तन से पहले हिन्दू अछूत जातियां थी और, दूसरी, वे हिन्दू पिछड़ी जातियां जिन्होंने धर्म परिवर्तन के बाद भी अपना परम्परागत व्यवसाय जारी रखा हो। इसके बाद अनेक राज्यों ने मुसलमानों की कुछ पिछड़ी जातियों को आरक्षण लाभ देना शुरू कर दिया था।

आरक्षण की संवैधानिक व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर की जाती रही है। इंदिरा साहनी प्रकरण (1992) में न्यायालय द्वारा व्याख्या दी गयी थी कि पिछड़े वर्ग की ह्यक्रीमी लेयरह्ण को आरक्षण लाभ नहीं मिलना चाहिए, पदोन्नति में आरक्षण नहीं हो और 50 प्रतिशत से अधिक भी नहीं होना चाहिए। इसके तुरन्त बाद संविधान संशोधन करके सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण का आधार बरकरार रखा था। एक प्रकरण में 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मैरिट व गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दस वर्ष उपरान्त आरक्षण की समीक्षा करनी चाहिए।

संविधान में आरक्षण की अवधारणा उन लोगों के मुख्य धारा में समावेश का आधार बनी थी जो ऐतिहासिक अथवा अन्य कारणों से पीछे छूट गए थे। इसका अभिप्राय है, जो लोग पिछड़ेपन से बाहर आ गए हैं उन्हें आरक्षण लाभ नहीं मिलना चाहिए, ताकि अन्य पात्र पिछड़ों को आरक्षण दिया जा सके। अतः आरक्षण की सामयिक समीक्षा जरूरी है परन्तु वोट बैंक राजनीति के चलते ऐसा नहीं हो पाया। आरक्षण सरकार की सकारात्मक उपायों की समावेशी अवधारणा का प्रतिबिम्ब है। इन नीतियों को संविधान की मूल भावना के आलोक में ही लागू किया जाए, न कि सियासी हित-साधना के एक तंत्र के रूप में।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

और गहराया रईसी की मौत का राज

ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत का रहस्य गहराता जा रहा है। अभी तक यह समझ नहीं आ रहा है कि यह हादसा कैसे हुआ, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है अथवा यह महज एक दुर्घटना थी? इसी के साथ यह सवाल भी में हवा में तैर रहे हैं कि आगे ईरान की नीति क्या होगी और क्या भारत और ईरान के रिश्ते पहले जैसे सौहार्द्रपूर्ण बने रहेंगे? अभी तक के मिले संकेतों से तो यही लग रहा है कि जो हुआ वह हादसा था। राष्ट्रपति का सबसे सुरक्षित समझा जाने वाले हेलीकॉप्टर अजर बैजान सीमा के पास जंगल में खराब मौसम के कारण भटक गया और गिर पड़ा। गिरने के बाद उसमें आग लग गई। इस हादसे में राष्ट्रपति समेत सवार सभी सात लोग मारे गए। इस दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर का पता भी ईरान तुर्किए के ड्रोन की मदद से लगा पाया। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को कट्टरपंथी और अपने राजनीतिक दुश्मनों को बेरहमी से कुचलने के तौर पर जाना जाता है। उनके कार्यकाल में करीब 5 हजार विरोधियों को सजा ए मौत दी गई। यही नहीं ईरान की प्रगतिशील महिलाओं ने जब हिजाब का खुलकर विरोध किया तो उन्हें भी बेरहमी से मार डाला गया। अलबत्ता रईसी ने ईरान की सेना को मजबूत किया और इजराइल के खिलाफ आतंकवादियों का खुलकर साथ दिया। यही वजह है कि आमतौर रईसी की मौत पर ईरान में शोक छाया हो, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं, जिन्होंने रईसी के मरने पर सार्वजनिक रूप से खुशी जताई। रईसी के मारे जाने के पीछे दो थ्योरियां चल रही हैं। पहला तो यह कि इजराइली खुफिया एजेंसी ने हादसा करवाकर रईसी को मरवा दिया या फिर इसके पीछे अमेरिकी गुप्तचर एजेंसियों का हाथ भी हो सकता है, क्योंकि हादसे के आठ दिन बाद ही ईरान के परमाणु शक्ति बनने की खबरें थीं और अमेरिका ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहता। एक और थ्योरी ईरान की आंतरिक राजनीति की है। माना जाता है कि रईसी जल्द ही ईरान के सर्वोच्च ताकतवर नेता अयातुल्लाह खोमेनेई का पद हासिल करने वाले थे। जबकि वर्तमान खोमेनेई के बेटे मोजतबा की निगाह भी इसी पद पर लगी है। रईसी की मौत से मोजतबा का रास्ता साफ हो गया है। जहां तक ईरान के भारत से रिश्तों का सम्बंध है तो बीच में कुछ खटाई के बाद दोनों देशों के सम्बंधों में फिर गर्माहट आई है। हाल में ईरान ने अपने चाबहार बंदरगाह का संचालन का ठेका भारत को दिया था। भारत ने यह समझौता अमेरिका की नाराजगी के जोखिम के बाद भी किया था। भारत और ईरान के रिश्ते ऐतिहासिक हैं। ये रिश्ते पश्चिम एशिया में भारत की स्वीकृति का भी परिचायक हैं। ईरान के भारत के दुश्मन पाकिस्तान से रिश्ते खराब ही रहे हैं। हाल में दोनों ने एक दूसरे पर एयर स्ट्राइक भी की थी। यही कारण है कि रईसी की मौत के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न सिर्फ दुख जताया बल्कि भारत ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया। दोनों देशों के बीच आगे रिश्ते किस तरह के रहते हैं, यह नए ईरानी नेतृत्व के रवैये पर निर्भर करता है। हालांकि वैश्विक और एशिया की भू राजनीति के मद्देनजर इस बात की संभावना बहुत कम है कि दोनों देशों के रिश्तों में दरार आए। वैसे इस बात की भी पूरी संभावना है कि ईरान में रईसी की मौत के बाद सत्ता संघर्ष नए सिरे से शुरू हो। वैसे भी वहां कट्टरपंथियों और उदारपंथियों में जद्दोजहद जारी है।

बिहार : अजब रार, गजब तकरार

बिहार की सारण सीट पर बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर के लोगों की भी निगाहें हैं। यहां से लालूप्रसाद यादव तीन बार विजयी हुये। इस बार उनकी बेटी सुश्री रोहिणी आचार्य यहाँ से राजद की प्रत्याशी हैं। रोहिणी सिंगापुर में रहती हैं। और वृक्क-विकार से ग्रस्त पिता को गुर्दा दान करने के कारण सुर्खियों में रही थीं। लालू प्रसाद 29 वर्ष की वय में पहली बार सन् 1977 में सारण से जीते थे। यही उनका दबदबा रहा, किंतु सन 2014 में उनकी पत्नी राबड़ी देवी बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से हार गयी थीं। सन 2019 में यहां से लालू के बेटे तेज प्रताप यादव के श्वसुर चंद्रिका राय को मैदान में उतारा। चंद्रिका राय यादव- बिरादरी की प्रतिष्ठित शख्सियत थे, लेकिन मोदी लहर में वह भी रुडी से हार गये।

डॉ. सुधीर सक्सेना

पिछले चुनाव में बिहार भाजपा को बेतरह फला था। नतीजे ऐसे आये थे कि भाजपा की बाँहें खिल गयी थीं। उसकी ये बांछें कुछ दिनों पहले तक कि खिली हुई थीं, लेकिन ज्यों-ज्यों मतदान के चरण बीते बाँछें सिमटती गयीं और धुकधुकी बढ़ती गई। मुहावरे में कहें तो राजनीतिक रूप से चोकस बिहार में सियासी हालात संगीन है। जद (यू) के बगलगीर होने से बीजेपी को विशेष नफा होने के आसार नहीं है। उधर इंडिया-ब्लॉक ने बखूबी मोर्चा बांधा है। सीटें कुछ इस तरह फंसी हुई हैं कि पिछले चुनाव के उन परिणामों की पुनरावृत्ति संभव नहीं दीखती, जिनकी बदौलत कमल ओरछोर खिल गया था। शुरआती आकलन में राजनीतिक पंडित बीजेपी की 17 सीटं सुरक्षित मान रहे थे। यह भी माना जा रहा था कि सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी जिन पांच सीटों पर भाग्य आजमा रही है, वहां रूझान उसके लिये खतरे के निशान के ऊपर नहीं है। अनेक लोग जीतन राम मांझी को भी पासिंग मार्क्स दे रहे थे। नीतीश की जद (यू) की 16 सीटों के बारे में कयास अलग-अलग थे, अलबत्ता सामान्य धारणा थी कि नीतीश बाबू की पार्टी को घाटा उठाना पड़ेगा। किस्सा कोताह यह कि भगवा-ब्रिगेड कितना भी तुमार बाँध ले बीजेपी जद (यू) और एलजेपी के जमावड़े को पूर्वापेक्षा घाटा उठाना पड़ेगा। इस जमावड़े के लिये किशनगंज यूं भी किरकिरी की नाई हैं। गत चुनाव में भी जद (यू) ने यह सीट गंवायी थी। इस दफा भी आसार यही हैं। 70 फीसद मुस्लिम मतदाताओं की यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। बांका, भागलपुर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल और झंझारपुर में जनता दल मुकाबले में हैं, लेकिन पूर्णिया में उसके मौजूदा सांसद संतोष कुमार की दशा सोचनीय है। वजह यह कि यहाँ निर्दलीय पप्पू यादव ताल ठोंक रहे हैं।

बीजेपी की संभावनाओं पर सरसरी निगाहे डाले तो अधिकांश सीटों पर उसके लिए वाकओवर नहीं है। औरंगाबाद, अररिया और नवादा में मुकाबला कड़ा है। नवादा में मुकाबला त्रिकोणीय है। राज्य सभा सदस्य विवेक ठाकुर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिन्हें राजद के श्रवण कुशवाहा ने कड़ी चुनौती दे रखी है। राजद के बागी उम्मीदवार विनोद यादव ने चुनावी दंगल में उतरकर समीकरण गड़बड़ा दिये है।

औरंगाबाद में भी बीजेपी के मौजूदा सांसद सुशील सिंह और राजद के अभय कुशवाहा के मध्य कश्मकश है। माना जा रहा है कि श्रीरंगाबाद और नवादा में कुशवाहा समाज के थोक बंद वोट राजद को मिलेंगे। अररिया में समीकरण भाजपा के प्रतिकूल बनता दिख रहा है। हम माई (मुस्लिम-यादव) समीकरण की बात करें तो लगभग 55 प्रतिशत वोट बीजेपी के प्रत्याशी की हार का सामान जुटाने को पर्याप्त हैं। टिकट वितरण से उपजे असंतोष से बक्सर सीट भी खटाई में पड़ गयी है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद अजय निषाद का टिकट काटकर गत-चुनाव में पराजित प्रत्याशी को दी तो क्षुब्ध अजय कॉंग्रेस में चले आये। अब वह कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं और उनकी स्थिति मजबूत बताई जाती है। बक्सर के बारे में अंदरखाने खबर है कि केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे रुष्ट हैं। यहां निर्दल प्रत्याशी पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा का प्रचार भी जोरों पर है। फलतः भगवा - शिविर के मिथिलेश तिवारी संकटापन्न है।

सीतामढ़ी की संसदीय सीट अलहदा मिजाज का निर्वाचन क्षेत्र है। यह सीट समाजवादियों का गढ़ रही है। अतीत के वर्क बताते हैं कि सन् 1957 में यहाँ से प्रसोपा के आचार्य जेबी कुपलानी जीते थे। सन् 1962, 1967 और 1971 में कांग्रेस के नगेंद्र प्रसाद ने जीत की तिकड़ी बनाई। सन् 1977 में जनता पार्टी के श्यामसुन्दर दास जीते। सन् 1980 और 1984 में क्रमशः कांग्रेस के बलीराम भगत और रामश्रेष्ठ खिलहर जीते। सन् 2019 में यहां से जद (यू) की टिकट पर सुनील कुमार पिंटू जीते थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका पत्ता काटकर विधान परिषद के सभापति देवेशचंद्र ठाकुर पर दांव लगाया है। यहाँ महागठबंधन की ओर से राजद के अर्जुन राय प्रत्याशी हैं। सीतामढ़ी के लिये जानकीधाम (पुनौरा) भावनात्मक मुद्दा है। बीजेपी को उम्मीद है कि हिन्दुत्व की बयार का उसे लाभ मिलेगा।

बिहार की सारण सीट पर बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर के लोगों की भी निगाहें हैं। यहां से लालूप्रसाद यादव तीन बार विजयी हुये। इस बार उनकी बेटी सुश्री रोहिणी आचार्य यहाँ से राजद की प्रत्याशी हैं। रोहिणी सिंगापुर में रहती हैं। और वृक्क-विकार से ग्रस्त पिता को गुर्दा दान करने के कारण सुर्खियों में रही थीं। लालू प्रसाद 29 वर्ष की वय में पहली बार सन् 1977 में सारण से जीते थे। यही उनका दबदबा रहा, किंतु सन 2014 में उनकी पत्नी राबड़ी देवी बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से हार गयी थीं।

सन् 2019 में यहां से लालू के बेटे तेज प्रताप यादव के श्वसुर चंद्रिका राय को मैदान में उतारा। चंद्रिका राय यादव- बिरादरी की प्रतिष्ठित शख्सियत थे, लेकिन मोदी लहर में वह भी रुडी से हार गये। प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि चंद्रिका के पिता दारोगा राय कभी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इस बार एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह आया है कि चंद्रिका राय रूड़ी के साथ है। सारण से रोहिणी के चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने खूब हायतौबा मचाई। उसने इसे वंशवाद से जोड़ा और खूब तकरार की। बीजेपी-नेता सम्राट चौधरी ने तो यहां तक कहा कि लालू प्रसाद ने बेटी को गुर्दे के बदले टिकट थमाई है। सारण में यादव और राजपूत प्रमुख वोट बैंक हैं। यादव जहाँ राजद के हिमायती हैं, वहीं राजपूत बीजेपी के समर्थक।

हाजीपुर इस नाते जेरे बहस और काबिले-गौर है कि वहां से लोजपा के मुखिया चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ा सकेंगे? चिराग के पिता रामविलास पासवान हाजीपुर से आठ बार निर्वाचित होकर संसद में पहुंचे थे। सन् 2019 के चुनाव में रामविलास ने अपने छोटे भाई पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर से टिकट दी थी और वह जीते भी। इस बार हाजीपुर से चिराग का चुनाव लड़ना उनके क्षोभ का कारण बना। ज्ञातव्य है कि चिराग ने पिछला चुनाव जामूई से लड़ा। उस चुनाव में पारस ने बीजेपी के समर्थन से हाथ तो नहीं खींचा है, लेकिन भतीजे के प्रचार में हाथ भी नहीं बंटाया है। वह बुझे मन से हाथ पर हाथ धरे बैठे बताए जाते हैं।

तो बिहार में रार और तकरार का घमासान जारी है। बाहुबलियों से इस बार भी बिहार का रण शून्य नहीं है।

आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद श्योहर से जदयू की प्रत्याशी हैं। उनका सामना राजद की रीतू जायसवाल से है। पटना से 180 किमी के फासले पर बसे मुंगेर में अशोक महतो से सद्य-विवाहिता अनिता कुमारी महतो राजद की प्रत्याशी हैं। उनका मुकाबला दो बार के सांसद और जद (यू) के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से है।

जिज्ञासा पूर्णिया को लेकर भी है, जहां रूपौली से पाँच बार की विधायक बीमा भारती (राजद), राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (निर्दलीय), और संतोष कुमार कुशवाहा (एनडीए) के बीच तीखा त्रिकोणीय मुकाबला है। चुनावी आँच और निदाघ में बिहार तप रहा है। कैसा अचरज है के सितारे शत्रुघ्न सिन्हा और कार्ति आजाद चुनाव लड़ने लिए ममता दी के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल चले गये हैं।

अध्यात्म

किसी के बारे में धारणा बनाने से पहले सच्चाई जाने

एक बार ट्रेन से पिता-पुत्र यात्रा कर रहे थे, पुत्र की उम्र करीब 24 साल की थी, पुत्र ने खिड़की के पास बैठने की ज़िद की, क्योंकि पिता खिड़की की सीट पर बैठे थे। पिता ने ख़ुशी ख़ुशी खिड़की की सीट पुत्र को दे दी, और खुद बगल में बैठ गये।

ट्रेन में आस पास और भी यात्री बैठे थे, ट्रेन चली तो पुत्र बड़ी उत्सुकता से चिल्लाने लगा देखो पिता जी नदी, पुल, पेड़ पीछे जा रहे है, बादल भी पीछे छूट रहे है। पिता भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर वहां बैठे यात्रियों को लगा कि शायद इस लड़के को कोई दिमागी समस्या है, जिसके कारण यह ऐसी हरकत कर रहा है।

पुत्र बहुत देर तक ऐसी अजीबोगरीब हरकत करता रहा। तभी पास बैठे एक यात्री ने पिता से पूछा कि- आप अपने पुत्र को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नही दिखाते?

क्योंकि उसकी हरकत सामान्य नहीं है, हो सकता है की कोई दिमागी बीमारी हो। उस यात्री की बात सुनकर पिता ने कहा- हम अभी डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं। पिता की सुनकर यात्री को आश्चर्य हुआ।

पिता ने बताया कि- मेरा पुत्र जन्म से ही अंधा था। कुछ दिन पहले ही इसको आँखों की रौशनी प्राप्त हुई है, इसे किसी दूसरे की आँखें लगाई गई हैं, और जीवन में पहली बार यह दुनिया को देख रहा है। यह इसलिए ऐसी हरकत कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें इसके लिए एकदम नई है। ठीक वैसे ही जैसे किसी छोटे बच्चे के लिए होती हैं। पिता की बात सुनकर आस-पास बैठे लोगों को अपनी गलती का अहसास हुआ और उन्होंने पुत्र के पिता से माफी भी मांगी।

शिक्षा: दोस्तों जिंदगी में कई बार हम बिना सच्चाई जाने ही कुछ लोगों के प्रति अपनी एक राय बना लेते हैं। क्योंकि हम उसके बारे में वही सोचते हैं, जो हमें दिखाई देता है। इसलिए किसी के बारे में राय बनाने से पहले हमे उसकी सच्चाई जान लेनी चाहिए। जिससे बाद में सच्चाई का पता लगने पर शर्मिंदा ना होना पड़े।

यूं पलट गई यूपी में बीजेपी की बाजी

क्या उत्तर प्रदेश में खाक से उठ खड़ी होगी अबकी बार कांग्रेस! पिछले दो चुनाव में कांग्रेस को झन्नाटेदार हार के पराजय का मुंह देखना पड़ा था। बेल की तरह फैल चुकी बीजेपी से एनडीए के सहयोगी दलों का मोहभंग होने के बाद मोदी विरोधी दलों का गठबंधन कमल को नोचने लगेगें,इसकी कल्पना मोदी-अमित शाह कभी नहीं किये थे।अबकी बार यूपी की सियासी जमीन से कमल को जड़ से उखाड़ने के लिए राहुल और अखिलेश ने जो रणनीति अपनाई है,उससे बीजेपी के तंबू में सनाका खिंच गया है। इसलिए कि यूपी में जो सियासी हवा चल रही है,उसे रोकने की काट गुजरात लॉबी के पास नहीं है। यह बात अब तक के हुए चुनाव ने साफ कर दिया। मोदी का रथ यू.पी.से दिल्ली जा पाएगा,इसमें संदेह गहरा गया है।

रमेश कुमार 'रिपु'

सन् 2014 में मोदी की जो लहर थी,वैसी लहर सन् 2019 में नहीं थी। बावजूद इसके 65 सीट बीजेपी पा गयी थी। अबकी बार न लहर है। और न ही हवा है।यही वजह है कि मोदी-शाह के अभेद्य चुनावी कवच की दरारों को यू.पी.में अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने उघाड़ दिया है। चुनावी मतदान का प्रतिशत और मतदाताओं में बीजेपी विरोधी रूझान ने मोदी-अमितशाह को सियासी फलक से नीचे ला दिया है। फैलती भाजपा को अब खतरा महसूस होने लगा है। सवाल यह है कि दलित,पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम वर्ग क्या मोदी का रथ यूपी में ही रोक देगा?

वैसे गुजरात लॉबी को पूरा भरोसा था,कि राहुल गांधी के जातिगत जनगणना और आरक्षण का मुद्दा राम मंदिर की लहर में उड़ जाएगा। अखिलेश के अगड़े- पिछड़े की की राजनीति जो राम को लाए हैं,उन्हें लाएंगे के नारे में नहीं ठहरेगा। लेकिन गुजरात लॉबी को हवा तक नहीं लगी कि इंडिया गठबंधन वाले चुनाव को संविधान बचाने की लड़ाई से जोड़,कर बीजेपी की पसली को चोटिल कर देंगे। दलित,अति दलित,पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग में संविधान बचाने की बात ने इतना असर डाला, कि अंबेडकर जयंती में गांव-गांव में बैठक कर बीजेपी के खिलाफ हवा बना दी। इसका असर यह हुआ,कि जो दलित,अति दलित और पिछड़ा वर्ग बीजेपी का वोटर था,वो सपा या फिर कांग्रेस को वोट कर दिया। चार चरणों के चुनाव में अचानक मतदाताओं के बदलते रूख को गुजरात लॉबी नहीं भांप पाई। आगे के चुनाव में बीजेपी कामयाबी का कोई सियासी रास्ता नहीं ढूंढ सकी, तो उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्यों कि अखिलेश और राहुल गांधी मोदी और अमित शाह के बयानों से वोटर प्रभावित न हो इसका तत्काल जवाब मंच से देने लगे हैं। बीजेपी और मायावाती का जो बेस वोटर था,उसमें जागरूकता आई। उसे यकीन हो गया, कि बसपा की सरकार बन नहीं सकती। इसलिए कुर्मी, कुशवाहा, कटियार, वर्मा, मौर्य, पटेल, चौहान,साकेत,मुसलमान वोटर सायकिल पर बैठने लगा। 'हाथ' से हाथ मिलाने लगा। बीजेपी आश्वस्त थी,कि राम मंदिर बनने के बाद यूपी में 75 सीट आएगी। दूसरे चरण के चुनाव से मोदी के चाणक्य अमितशाह को रिपोर्ट मिली कि अंबेडकर जयंती पर सारे दलित और पिछड़ा वर्ग गांव गांव बैठक कर तय किया है कि यदि बीजेपी की सरकार आई तो संविधान बदल देगी। बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिष्ठा का सवाल है। और वो सबके सब बीजेपी की बाजी को पलटने में लग गए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिन्दू कार्ड भी खेला। उन्होंने हिदुओं को सावधान करते हुए कहा,कांग्रेस की सरकार आई तो वो राम मंदिर में बाबरी ताला लगा देगी। लेकिन मोदी की बातों का कोई असर नहीं दिखा। केन्द्रीय गृहमंत्री,यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित बीजेपी कई मंत्रियों ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को कटघरे में रखा। सबने जोर शोर से मंच पर कहा,कि कांग्रेस की सरकार आई तो देश में सरिया कानून लागू हो जाएगा। महिलाओं के मंगल सूत्र छीन लिए जाएंगे। जिनके पास दो घर उसमें एक घर लेकर अल्पसंख्यकों को दे दिया जाएगा। यहां तक एक से ज्यादा कार होने पर उसे ले लिया जाएगा। जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा था। बीजेपी के केन्द्रीय मंत्रियों के झूठ से भी बीजेपी के पक्ष में हवा नहीं बनी। लेकिन यूपी के 21.26 फीसदी मुस्लिम वोटर मोदी से नाराज हो गया। बागपत में 27 फीसदी, अमेठी में 20 फीसदी, अलीगढ़ में 19 फीसदी,गोंडा में 19.6, लखीमपुरी खीर में20 फीसदी,लखनऊ में21.46 फीसदी,पीलीभीत में 24.11 फीसदी,सिद्धार्थ नगर में 29.33 महाराजगंज में 17.48 फीसदी और मुरादाबाद,रामपुर में 50.8 फीसदी,मजफ्फर नगर में 41 फीसदी,बिजनौर में 43 फीसदी,अमरोहा में 41 फीसदी,बलरामपुर में38.51 इसके अलावा बरेली, बहराइच, संभल,हापुड़ आदि जिलों के मुस्लिमों को मोदी ने नाराज कर दिया।। यूपी के 75 जिलों में मुस्लिम वोटर की संख्या इतनी है कि वो किसी भी पार्टी की हार जीत की दिशा बदल सकते हैं। काशी के तीस लाख मुस्लिम वोटर इस बार मोदी को वोट करेंगे इसमें संदेह है।

बीजेपी राम मंदिर को मुद्दा नहीं बना सकी। सन् 2014 के चुनाव में रायबरेली ही विपक्ष के पास था। बीजेपी 2024 के चुनाव में इस सीट को जीतना चाहती है। अदिति सिंह लखनऊ में प्रचार कर रही हैं। मगर वो अयोध्या, और अमेठी नहीं गयी। संजय सिंह अमित शाह से मिलने के बाद भी निष्क्रिय दिखाई दे रहे हैं। राजा भैया ने बकायदा अपने समर्थकों को कह दिया है,जो प्रत्याशी आपको बेहतर लगे उसका प्रचार करें और वोट दें। उनके समर्थक और वोटर समझ गए कि राज भैया किसे वोट करने को कह रहे हैं। कौशाम्बी बीजेपी की सीट फंस गयी है। पांचवे चरण की 14 सीट में 13 सीट बीजेपी के पास है। इसमें सात सीटों में कोंटे का टक्कर है। लोकसभा की 14 सीटों में विधान सभा की कुल 71 सीटें आती है। जिसमें 45 सीट बीजेपी के पास है। उत्तर प्रदेश में गेरूआई राजनीति की पताका उम्मीद से कम लहरा रही है। उसकी वजह यह है कि योगी आदित्यनाथ ने हाथ खींच लिया है। क्यों कि उन्हें पता है कि अमितशाह लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें सी.एम.पद से हटा देगे। यूपी में नरेटिव बदलता जा रहा है। अमेठी में जो कह रहे थे,कि राहुल गांधी के चुनाव नहीं लड़ने से स्मृति इरानी को वॉक ओवर मिल गया,अब वही आकलन कर रहे हैं,कि किशोरी लाल शर्मा कितने लाख से स्मृति को हराएंगे। बीजेपी के खिलाफ बाजी पलटने का सबब बीजेपी के नेता हैं। जनवरी मे जो उत्साह बना था,उसी उत्साह में मोदी ने कहा था कि अबकी बार चार सौ पार।अनंत हेगड़े,अरूण गोविल,लल्लू सिंह और ज्योति मिरधा ने कहा,संविधान बदलने के लिए मोदी को चाहिए चार सौ के पार सीट। इस बात को इंडिया ने लपक लिया। और अपने हर मंच पर संविधान बदलने की बात जोर-शोर से कहने लगे। उसका असर यह हुआ कि बीजेपी का वोटर उनके हाथ से फिसल गया। बीजेपी को लगा,राहुल गांधी की बातों को वोटर गंभीरता से लेता नहीं। अखिलेश यादव पांच साल तक निष्क्रिय रहे,इसलिए राम मंदिर की लहर में उनकी बात दब जाएगी। अखिलेश यादव ने सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले के तहत टिकट बांटा। दस कुर्मी,आठ मौर्य,पांच कश्यप,पांच निषाद,और अपने परिवार को छोड़कर किसी यादव को टिकट दिया नहीं। मेरठ,फैजाबाद की सामान्य सीट पर भी उन्होने दलित को टिकट दिया। उसका नतीजा यह रहा है कि दलित,पिछड़ा वर्ग और मुस्लमान वोटर सपा और कांग्रेस को जा रहा है। बीस फीसदी दलित,दस फीसदी ओबीसी और पन्द्रह फीसदी मुस्लिम वोटर इंडिया गठबंधन को जा रहा है यानी 45 फीसदी वोट पा रहे हैं। ठाकुर और ब्राम्हण वोटर को जोड़ दें तो यह प्रतिशत और ज्यादा हो जाता है। राजपूत भी बीजेपी से नाराज है। करणी सेना भी यूपी में सक्रिय हो गयी है बीजेपी के खिलाफ। ऐसे में बीजेपी का फिसलना ही था। बीजेपी ने देश को बड़ा करने का सपना दिखाया। दूसरी ओर देश को कर्ज में डूबाते गए। देश पर मोदी के दस साल के कार्यकाल में 272 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। खाद्यान योजना बिल कांग्रेस ने लाया था। आज मोदी सरकार देश में 85 करोड़ गरीब जनता को पांच किलो का अनाज दे रही है। राहुल ने कहा,हमारी सरकार आएगी तो दस किलो देंगे।वहीं हर गरीब महिला को लखपति बनाएंगे।

आज का कार्टून

राशिफल

मेष

आपके आपसी रिश्ते टूटने की कगार पर आ सकते हैं। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं, उन्हें अपने साथी के साथ रिश्ते में प्रेम को बरकरार रखना होगा।

वृषभ

आज का दिन आपके लिए बजट बनाकर चलने के लिए रहेगा। आपको यदि काम में कुछ अवरोध आ रहे थे, तो वह भी दूर होंगे। आप एक बजट बनाकर चलेंगे।

मिथुन

आप अपने परिवार में वरिष्ठ सदस्यों से किसी बात को लेकर जिद ना करें, उन्हे आपकी बात बुरी लग सकती है। किसी कानूनी मामले में आप सावधानी ना बरतें।

कर्क

आज योजनाबद्ध तरीके से काम आगे बढाएं। आज का दिन आपके लिए दांपत्य जीवन में मधुरता लेकर आने वाला है। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी।

सिंह

आज का दिन आर्थिक मामलों में कमजोर रहेगा लेकिन नौकरीपेशा लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। जिम्मेदारियां बढेंगी लेकिन घबराएं नहीं।

कन्या

आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आप अपने मन से आज किसी बात को लेकर परेशान रहेंगे। जीवनसाथी से छोटी बात पर नोक झोंक हो सकती है।

तुला

आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है। आपको एक से अधिक स्त्रोतों से आय प्राप्त होने से आजा प्रसन्न रहेंगे।

वृश्चिक

आप व्यवसाय में अच्छा धन लाभ होने के कारण जिद व इंकार ना करें, नहीं तो इससे आपको कोई समस्या आ सकती है। घर में सुख सुविधाओं में आज वृद्धि होगी।

धनु

आज का दिन आपके लिए सुखमय रहने वाला है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। भाईचारे की भावना को बल मिलेगा। आप मित्रों के साथ मौज मस्ती करते नजर आएंगे।

मकर

आज का दिन आपके लिए परोपकार के कार्य में भाग लेने के लिए रहेगा। आपकी किसी मन की इच्छा की पूर्ति होने से आपका दिन खुशनुमा रहेगा। आपके अंदर प्रसन्नता बनी रहेगी।

कुंभ

आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप अपने व्यवहार से आज अपने चारों ओर के वातावरण में खुशहाली लेकर आएंगे।

मीन

आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए अपने बिजनेस में कुछ नए उपकरणों को शामिल कर सकते हैं।

सम्पादकीय

पूरे चुनाव धर्म और सम्प्रदाय पर हो गए और अब जागा है चुनाव

चुनाव आयोग ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस देकर कहा है कि चुनाव में धर्म और सम्प्रदाय को लेकर भाषण भाजी रोकी जाए और संविधान के खिलाफ भी कोई नेता कुछ न बोले। चुनाव आयोग की इस नोटिस की टाइमिंग पर सवाल उठना लाजिमी है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के सात चरणों में से पांच चरणों का मतदान निपट गया। पांच चरणों के चुनाव में धर्म-सम्प्रदाय को लेकर जबरदस्त भाषण हुए। खूब हिन्दू मुसलमान हुए और संविधान की व्यवस्थाओं को लेकर भी खूब सवाल उठाए गए। अब सिर्फ दो चरणों का मतदान बचा है। ऐसे में चुनाव आयोग इस तरह का नोटिस अब देकर क्या साबित करना चाहता है। पहले ही चरण में सामने आए पीएम नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस नेताओं में शामिल खुद खड़गे और राहुल गांधी के भाषणों को लेकर उसी समय कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। हर चुनाव में स्वतंत्र व संवैधानिक संस्था होने के बावजूद चुनाव आयोग पर दबाव में काम करने और उसके मनमुताबिक चुनाव कार्यक्रम बनाने के आरोप लगते हैं। पिछले साल चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाकर उसकी जगह एक केंद्रीय मंत्री को कमेटी में शामिल करने का कानून बनने के बाद तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का संकट और बढ़ गया है। पहले चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता एवं चीफ जस्टिस हुआ करते थे। लेकिन सरकार के ही दो प्रतिनिधि हो जाने से यह तय ही हो गया कि जिसे सरकार चाहेगी, वही मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त बनेगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला इसी कारण सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। अब आयोग को चुनाव शुरू होने के करीब सवा दो महीने बाद लगा है कि दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारक धार्मिक और सांप्रदायिक बयानबाजी कर रहे हैं। इसके लिए आयोग ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 22 मई को नोटिस दिया है। भाजपा को दिए नोटिस में कहा है कि ऐसे भाषण देने से नेताओं को रोका जाए,जिससे समाज में बंटवारा हो सकता है। जबकि कांग्रेस से कहा है कि वह संविधान को खत्म करने, अग्निवीर और सेना पर बयानबाजी ना करें। भाजपा-कांग्रेस के स्टार चुनाव प्रचारक दो- ढाई महीनों से ये भाषण दे रहे हैं,लेकिन चुनाव आयोग की नींद अब टूटी है। जबकि अब तो शिकायत करने या अखबार में खबर छपने के इंतजार की जरूरत नहीं है। लगभग सभी प्रमुख नेताओं की चुनाव सभाएं न्यूज़ चैनलों एवं सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर लाइव दिखाई जाती है। क्या आयोग अपने स्तर पर कोई टीम बनाकर इसकी व्यवस्था नहीं कर सकता था कि वह सभी बड़े नेताओं के भाषणों पर आंख और कान रख सके और जैसे ही आपत्तिजनक बात कही जाए, उन्हें तुरंत सख्ती से रोका जाए। क्या आयोग में इसकी हिम्मत नहीं थी या इच्छाशक्ति का अभाव अथवा कोई दबाव,इसका जवाब आयोग को देना चाहिए। एक -दो राज्यों में गिनती के नेताओं को चुनाव प्रचार से कुछ दिन रोकने या वीडियो को सोशल मीडिया से हटवाने के अलावा आयोग किसी बड़े नेता पर लगाम नहीं लगा सका।

अदालत के फैसले से प्रेशर में ममता, नहीं मानेंगी फैसला

कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना है कि 2010 के बाद जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए गए हैं, वे कानून के मुताबिक ठीक से नहीं बनाए गए हैं। इसलिए उस प्रमाणपत्र को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही हाई कोर्ट ने कहा है कि इस निर्देश का उन लोगों पर कोई असर नहीं होगा जो पहले ही इस सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पा चुके हैं या नौकरी पाने की प्रि या में हैं। अन्य लोग अब उस प्रमाणपत्र का उपयोग रोजगार प्रि या में नहीं कर सकेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तपोब्रत चर वर्ती और न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने बुधवार को फैसला सुनाया। जिस मामले के आधार पर हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया, वह मामला 2012 में दायर किया गया था। वादियों की ओर से वकील सुदीप्त दासगुप्ता और वि म बनर्जी अदालत में पेश हुए।

अशोक भाटिया

2024 के आम चुनाव के पांच चरण पुरे हो चुके है । एक-एक सीट के लिए कशमकश लगी हुई है क्योंकि अभी छठे व साटवे चरण का चुनाव बाकी है । बता दें कि बंगाल में लोकसभा चुनाव जारी हैं। 42 लोकसभा सीटों में से 26 सीटों पर मतदान हुआ हैं और 16 सीटों पर अगले दो चरणों में मतदान होने बाकी हैं। ये सीटें कोलकाता और कोलकाता से आसपास और दक्षिण बंगाल की हैं। इन इलाकों में मुस्लिमों की बड़ी संख्या हैं। इस बीच कलकत्ता हाई कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जिससे ममता प्रेशर में है । कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद तैयार की गई सभी ओबीसी सूची को रद्द कर दिया है। इस फैसले की वजह से पांच लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द हो जाएंगे। अदालत ने कहा कि 2010 से पहले के ओबीसी व्यक्तियों के सर्टिफिकेट वैध माने जाएंगे। 2010 के बाद जिन लोगों को ओबीसी आरक्षण की वजह से नौकरियां मिल गई है या भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, उनकी नौकरी जारी रहेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को विशेष रूप से तृणमूल सरकार का उल्लेख नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए जाएंगे। संयोग से तृणमूल कांग्रेस 2011 से राज्य में सत्ता में आई है। नतीजतन, अदालत का आदेश केवल तृणमूल सरकार द्वारा जारी ओबीसी प्रमाण पत्र पर प्रभावी होगा। पीठ ने कहा कि इसके बाद राज्य विधायिका यानी विधानसभा को यह तय करना है कि ओबीसी कौन होगा। पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ओबीसी की सूची निर्धारित करेगा। उस सूची को राज्य विधानमंडल या विधानसभा को भेजा जाना चाहिए। जिनके नाम विधानसभा द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे उन्हें भविष्य में ओबीसी माना जाएगा। वाम मोर्चा सरकार ने 2010 में एक अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर पश्चिम बंगाल में 'अन्य पिछड़ा वर्ग' बनाया। उस कैटेगरी को 'ओबीसी-ए' नाम दिया गया है। लेकिन अगले वर्ष, वाम मोर्चा बंगाल मसनद से हट गया। 2011 में तृणमूल सत्ता में आई। नई सरकार सत्ता में आई और उस वर्ग पर अंतिम रिपोर्ट के बिना एक सूची बनाई और कानून बनाया। जिसके आधार पर तृणमूल सरकार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत गरमा गई है। इस फैसले के तुरंत बाद ही राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वह इस फैसले को नहीं मानती हैं। यह बीजेपी का फैसला है और इस फैसले खिलाफ वह अपील करेंगी। राज्य में ओबीसी को आरक्षण दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। लेकिन कोर्ट के इस फैसले को बीजेपी ने स्वागत किया और कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ओबीसी उप-श्रेणी के तहत मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर दिया है। इससे ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति खुलकर सामने आ गई है।इसके साथ ही देश को अन्य राज्यों में ओबीसी को कोटे से मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने के भाजपा के आरोप पर अब बंगाल में भी नया हथियार मिल गया है। भाजपा आरोप लगाती रही है कि ओबीसी के लोगों को वंचित कर मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया है। इसके पहले भाजपा ने कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार पर ओबीसी को वंचित कर मुस्लिमों को आरक्षण देने का आरोप लगाया था। अब इसी मुद्दे पर ममता बनर्जी भी भाजपा के निशाने पर हैं। इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। गौरतलब है कि साल 2011 में लेफ्ट फ्रंट को पराजित कर तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आयी थी।

उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में संशोधन किया और नई सूची बनाई गई। उस समय राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ओबीसी में 42 समुदायों को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश की गई थी, जिनमें से 41 समुदाय मुस्लिम धर्म के थे। इसी तरह से 11 मई, 2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार 35 समुदायों की सिफारिश की गई, जिनमें से 30 समुदाय मुस्लिम धर्म के थे। इस तरह से 77 समुदाय (42+35) को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। इनमें 77 में से 71 समुदाय मुस्लिम समुदाय के थे। पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में 179 जातियां हैं। और इस लिस्ट को दो कैटेगरी में बांटा गया है। श्रेणी-ए और श्रेणी-बी। श्रेणी ए अति पिछड़ा है। और श्रेणी-बी पिछड़ा है। श्रेणी-ए में 81 जातियां शामिल हैं, जिनमें से 73 जातियां मुस्लिम हैं। इनमें वैद्य मुस्लिम, बबियारी मुस्लिम, मुस्लिम बढ़ई, मुस्लिम दफादार, गायेन मुस्लिम, मुस्लिम जमादार, मुस्लिम कलंदर, कसाई, माझी (मुस्लिम), खानसामा जैसी जातियां शामिल हैं।श्रेणी-बी में 98 में से 45 जातियां मुस्लिम हैं। श्रेणी-बी में वैश्य कपाली, बंशी बर्मन, बरुजीवी, चित्रकार, दीवान, कर्मकार, कुर्मी, मालाकार, मोइरा, गोला, तेली जैसी जातियां शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 17 प्रतिशत आरक्षण है। इनमें कैटेगरी ए के उम्मीदवारों को 10 फीसदी आरक्षण मिलता है। वहीं श्रेणी-बी के उम्मीदवारों को 7 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। ममता सरकार के इस फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला दायर किया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर मामले में कहा गया था कि साल 2010 में एक अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर वाम मोर्चा सरकार ने ओबीसी की एक सूची बनाई थी, लेकिन 2011 में तृणमूल सरकार के सत्ता में आने के बाद बिना अंतिम रिपोर्ट के उसने ओबीसी की जो सूची बनाई। वह पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के विपरीत थी। परिणामस्वरूप, जो लोग वास्तव में पिछड़े वर्ग के हैं, वे आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। इस मामले में 2012 के अधिनियम को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की गई है और 1993 के अधिनियम के अनुसार वास्तविक पिछड़े वर्गों की पहचान करके एक नई ओबीसी सूची तैयार के लिए अदालत से फरियाद की गई। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वास्तविक पिछड़ा वर्ग से आने वाले अल्पसंख्यकों को इस कार्य के लिए तृणमूल सरकार द्वारा ओबीसी सूची में शामिल करने से वंचित कर दिया गया है। बुधवार को न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा की पाठ ने याचियाकर्ता के तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि 2010 के बाद बनी सूची1993 के एक्ट के खिलाफ है। कोर्ट ने जिन लोगों को 2010 के बाद ओबीसी प्रमाणपत्र मिला था, वे सभी रद्द करने का आदेश दिया।कोर्ट ने कहा कि नये अधिनियम 1993 के अनुसार पिछड़े वर्गों की सूची तैयार की जानी है। वह सूची विधानसभा में जायेगी और वहां से अनुमोदन लेना होगा, लेकिन कोर्ट ने यहां नौकरी पाने वाले उन लोगों को राहत दी, जिन्हें इस दौरान ओबीसी सर्टिफिकेट से नौकरियां मिली हैं। कोर्ट ने कहा कि इस फैसले से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाईकोर्ट द्वारा 2010 के बाद के ओबीसी सर्टिफेकेट को रद्द किए जाने के बाद ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया जताई। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू किया गया ओबीसी आरक्षण कोटा जारी रहेगा। हमने घर-घर सर्वेक्षण करने के बाद विधेयक का मसौदा तैयार किया था और इसे कैबिनेट और विधानसभा द्वारा पारित किया गया था।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, आपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारम्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संताप और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष
आपको शारीरिक और मानसिक भय का अनुभव होगा। मन में उलझन के कारण निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाएगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद होने से उदासी बढ़ेगी। माता के स्वास्थ्य के सम्बंध में चिंता हो सकती है।

वृष
किसी बौद्धिक या लेखन सम्बंधी प्रवृत्ति के लिए दिन अच्छा है। आपका मन उलझन में होने के कारण किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। आपकी जिद के कारण किसी के साथ विवाद हो सकता है।

मिथुन
किसी नए व्यक्ति की ओर आप आकर्षित होंगे और नए लोगों से मिलकर रोमांचित अनुभव करेंगे। आपको अच्छा दांपत्य सुख भी प्राप्त होगा। आपकी तंदुरुस्ती आज अच्छी रहेगी। आप मान- सम्मान तथा आनंद प्राप्त कर सकेंगे।

कर्क
खर्च बढ़ सकता है। विवाद से दूर रहने की सलाह आपको दी जाती है। आज आपको विविध लाभ मिल सकते हैं। आपकी दुविधापूर्ण मानसिकता के कारण किसी लाभ से वंचित रह सकते हैं। आपको मित्रों और बुजुर्गों से लाभ होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा।

सिंह
नौकरी या बिजनेस में पदोन्नति तथा आय में वृद्धि हो सकती है। आप अपने जीवन साथी के साथ नए काम का आरंभ करने के लिए अपने जो योजना बनाई है, उस पर अमल करने के लिए यह समय बहुत अनुकूल है।

कन्या
कलाकार, लेखक और साहित्यकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। आपकी वाणी के कारण आपके काम में प्रगति होगी और अन्य लोग उससे प्रभावित होंगे। नए काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। नए काम शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी।

तुला
आपके विचार स्थिर नहीं होने से आप उलझन में रह सकते हैं। बिजनेस या नौकरी में प्रतियोगिता का माहौल रहेगा। आप सफलतापूर्वक उसमें से बाहर आ सकेंगे। किसी छोटी यात्रा होने की संभावना है।

वृश्चिक
नौकरी करने वाले लोगों की पदोन्नति का योग है। आपको पिता से लाभ होगा। परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा। दांपत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। सरकारी कामकाज अच्छी तरह से पूरे होंगे। आज का दिन अच्छी तरह व्यतीत होगा।

धनु
आज आप प्रवास या किसी देव स्थान पर जा सकते हैं। जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं, उनके लिए अनुकूल योग बनेंगे। बच्चों की चिंता परेशान करेगी। नौकरी करने वालों को उनके उच्च अधिकारियों का सहयोग नहीं प्राप्त होगा।

मकर
आज आपको लाभ होने की उम्मीद है। दिन आरंभ होते ही आपको स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव होगा। मित्रों और सगे- सम्बंधियों के साथ स्वादिष्ट भोजन कर सकेंगे। आज आर्थिक लाभ के साथ आपको उपहार भी मिल सकता है।

कुंभ
आप किसी के साथ बहसबाज़ी न करें। खर्च होने की भी संभावना है। आपको पेट दर्द, दमा, खांसी जैसी तकलीफें हो सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शरीर और मन अस्वस्थ रहने से बेचैनी रहेगी।

मीन
कड़े नियम आपको कठिनाई में डाल देंगे। खर्च बढ़ सकता है। पानी से दूर रहना हितकर है। आज खुशी, आनंद और शांति प्राप्त कर सकेंगे। अच्छे वस्त्र, मित्रों के साथ घूमना-फिरना और स्वादिष्ट भोजन आपके दिन को आनंदमय बनाएंगे। बिजनेस में भी लाभ होने का योग है।

आज का इतिहास

24 मई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- जर्मन संसद ने फर्डिनेंड द्वितीय को 1653 में ऑस्ट्रिया का राजा घोषित किया।
- ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितिय ने 1660 में नीदरलैंड का दौरा किया।
- ब्रिटिश संसद ने 1689 में प्रोटेस्टेंट इसाइयों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी।
- यूनाइटेड आयरिशमैन ने 1798 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की।
- अमेरिका में 1830 में पहली बार यात्री रेलरोड सेवा की शुरुआत हुई।
- सैय्यद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मुहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है।
- ब्रुकलिन और मैनहट्टन को जोड़ने वाले ब्रुकलिन ब्रिज को 1883 में यातायात के लिए खोला गया।
- थॉमस अल्वा एडिशन ने 1915 में टेलीस्क्राइब का अविष्कार किया।
- एमी जॉनसन नामक महिला ने 1930 में अकेले विमान उड़ाकर लंदन से ऑस्ट्रेलिया पहुंची।
- बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की 2500 वीं जयंती 1956 में धूमधाम से मनायी गयी।
- कोलंबिया में 1957 में आये भूकंप के झटके महसूस किए गए।
- बांग्लादेश में 1985 में आये चक्रवाती तूफान से दस हजार लोग मरे।
- मार्गरेट थैचर 1986 में इजरायल का दौरा करने वाली ब्रिटेन की पहली प्रधानमंत्री बनी।
- रूस और अमेरिका ने 2002 में मास्को संधि पर हस्ताक्षर किया।
- इस्त्रायल के प्रधानमंत्री एरियल शैरोन ने 2003 में पश्चिम एशिया शांति योजना को स्वीकार किया।
- उत्तर कोरिया ने 2004 में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाया।
- एनबी इंकबेयर 2005 में मंगोलिया के राष्ट्रपति चुने गये।
- राफेल कोरेया ने 2013 में तीसरी बार इक्काडोर के राष्ट्रपति पद की शपथ ली।

24 मई को जन्मे व्यक्ति

- ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैण्ड की महारानी विक्टोरिया का जन्म 1819 में हुआ।
- भारत के प्रसिद्ध क्रान्तिकारियों में से एक करतार सिंह सराभा का जन्म 1896 में हुआ।
- प्रसिद्ध बांग्ला कवि, संगीत सम्राट, संगीतज्ञ और दा-र्शनिक काजी नजरुल इस्लाम का जन्म 1899 में हुआ।
- भारत के पूर्व 'भारतीय विदेश सचिव' रंजन मथाई का जन्म 1952 में हुआ।
- माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल का जन्म 1954 में हुआ।
- भारतीय निर्देशक, संपादक, निर्माता और पटकथा लेखक शिरीष कुंदर का जन्म 1973 में हुआ।

24 मई को हुए निधन

- प्रसिद्ध यूरोपिय खगोलशास्त्री व गणितज्ञ निकोलस कॉपरनिकस का निधन 1543 में हुआ।
- अमेरीकी दासता विरोधी आंदोलन के नेता विलियम लायड गैरिसन निधन 1879 में हुआ।
- ब्रह्मसमाज के प्रसिद्ध नेता प्रतापचंद्र मजूमदार का निधन 1905 में हुआ।

विशेष आलेख

कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस के हिन्दू विरोध की उग्रता

ललित गर्ग

लोकसभा चुनाव के दो चरण शेष रहे हैं, चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी राजनीतिक दल अपनी बढ़त बनाने के लिये कुछ अतिश्योक्तिपूर्ण करने का प्रयास करते हुए राष्ट्र की एकता-अखण्डता एवं बहुसंख्यक हिन्दू धर्म विरोधी स्वरों को बुलंद किये हुए है और अपनी मर्यादाओं को भूल रहे हैं। विशेषतः इंडिया गठबंधन से जुड़े दल एवं बाहर से समर्थन देने की बात करने वाले दल ऐसा दूषित प्रचार कर रहे हैं, जिससे न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है बल्कि ऐसे दलों को राजनीतिक लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावनाएं प्रबल हो रही है। इन चुनावों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस एवं इंडिया गठबंधन के अन्य दल हिन्दुओं से, हिन्दू मन्दिरों-भगवानों-संतों एवं हिन्दू पर्वों से नफरत का बिगुल हर मोड़ पर बजाते रहे हैं जो हर रोज सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए हिन्दू संतों को राजनीति में घसीटने की कोशिश की है। उन्होंने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ से जुड़े संतों पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिये ओबीसी आरक्षण पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय पर कानून की धज्जियां उडाते हुए उंगली उठाई है। इस प्रकार कानून की अवमानना वह नेता ही खड़ी कर सकता है, जिसे एक खास वर्ग के वोट चाहिए। संतों को लेकर राजनीतिक टिप्पणी करना, निःसंदेह आपत्तिजनक है एवं दुर्भाग्यपूर्ण है।

कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस हिन्दुओं को अपने ही देश में सेकेंड क्लास सिटिज़न एवं अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। मुस्लिम तुष्टीकरण की इन दलों की सोच एवं नीति न केवल उनके घोषणा-पत्रों में बल्कि उनके बयानों में स्पष्ट झलक रही है। सभी विपक्षी दलों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है, राजनीतिक दलों का एकतरफा रवैया हमेशा से समाज को दो वर्गों में बांटता रहा है एवं सामाजिक असंतुलन तथा रोष का कारण रहा है। बदले हुए राजनीतिक हालात इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किसी भी एक वर्ग की अनदेखी कर कोई भी दल राजसत्ता का आनंद नहीं उठा सकता। लेकिन लगातार जीत की ओर बढ़ रहे भाजपा को हराने के लिये इन दलों को मुस्लिम वोटों का ही सहारा नजर आ रहा है, जिसके चलते ये हिन्दू विरोध को प्रचंड किये हुए। ममता बनर्जी ने अपने शासन में मुस्लिमों को खुश करने एवं उनके वोटों को अपने पक्ष में करने के लिये हिन्दू विरोध का कोई मौका नहीं छोड़ा है। ममता ने रामकृष्ण मठ, मिशन और भारत सेवाश्रम संघ पर झूठा एवं भ्रामक आरोप लगाया है कि ये हिन्दू संगठन भाजपा के पक्ष में काम कर रहे हैं, जबकि इन संगठनों की ओर से एक बार भी भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान नहीं किया गया है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में इस्लामिक संगठनों एवं चर्चों के द्वारा भाजपा के विरोध में किसी एक विशेष दल के पक्ष में मतदान करने के प्रकरण बार-बार सामने आये हैं। चुनावों को धार्मिक एवं साम्प्रदायिक रंग देने की इन विडम्बनापूर्ण स्थितियों पर आज तक ममता बनर्जी ने एक भी बयान नहीं दिया है। इसलिए भी कहा जा सकता हैं कि बिना किसी प्रमाण हिन्दू संतों पर निशाना साधने का अभिप्राय यही है कि ममता बनर्जी की निगाहें कहीं और है निशाना कहीं और है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा ममता बनर्जी पर संतों को धमकाने का आरोप निराधार नहीं है। क्योंकि एक संत कार्तिक महाराज ने मुख्यमंत्री ममता को कानूनी नोटिस भेज कर कहा है कि ममता बनर्जी के बयान निराधार, झूठे और अपमानजनक है। पश्चिम बंगाल ही नहीं, अन्य गैर-भाजपा सरकारों के प्रांतों में हिन्दुओं को प्रताड़ित करने के घटनाक्रम सामने आते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो हिन्दुओं के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उग्र और हिंसक प्रदर्शन होता रहा हैं। पिछले कुछ सालों से हमेशा यह देखा गया है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सत्ता पाकर भाजपा समर्थकों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। वर्ष 2021 में भी तृणमूल कांग्रेस के जीतने के बाद राज्य में बवाल हुआ था और पंचायत चुनाव जीतने के बाद भी उसके कार्यकर्ताओं ने हिंसक उत्पात मचाया था। उस समय भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों को खोज-खोजकर हमले हुए थे। ऐसे स्थिति में और ऐसे कार्यकर्ताओं के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हिन्दू संगठनों एवं धर्मगुरुओं के भाजपा के पक्ष में होने का बयान संतों के लिए जान तक का खतरा पैदा कर सकता है। ऐसा हुआ भी है, ममता बनर्जी के बयान के बाद कुछ हमलावर जलपाईगुड़ी स्थित रामकृष्ण मिशन के आश्रम में घुस गए। उन्होंने भिक्षुओं पर हमला किया, सीसीटीवी आदि तोड़े दिए। याद हो कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में पहली बार संतों पर दोष लगाकर उनके खिलाफ माहौल बनाने का काम नहीं हुआ। मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने के लिये इंडिया गठबंधन के दल विशेषतः कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यकों को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अल्पसंख्यकों में सिख, पारसी, यहूदी, जैनी, बौद्ध आदि धर्म आते हैं, लेकिन कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम परस्ती करते आई है। ओबीसी आरक्षण पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने जिस तरह से कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय पर उंगली उठाई है, उससे तो यही लगता है कि राजनीतिक वोट बैंक के लिए संविधान की जितनी अवमानना की जा सकती है, वह की जाती रहेगी। सामनेवाले को घेरने के लिए उसी संविधान की आड़ भी ली जाएगी। ममता ने मुस्लिमों को ओबीसी सर्टिफिकेट देकर उन्हें तरह-तरह से लाभ पहुंचाने का षड़यंत्र किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चुनावी रैलियों में इंडी गठबंधन के सत्ता में आते ही एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को मुस्लिमों को देने की बात कह रहे हैं, वह भी इस घटना से साफ होता नजर आ रहा है। धर्म के आधार पर आरक्षण भारतीय संविधान में निहित मूल्यों और सिद्धांतों के खिलाफ है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 मई को पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश दिया है। जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर की बेंच ने कहा कि 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बगैर ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए। इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। यह सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बगैर जारी किए गए। इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी या मिलने वाली है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी। ममता बनर्जी सरकार से पहले वामपंथी शासन काल में भी हिन्दू संतों को माकपा की सरकार ने निशाना बनाया था। तब परिणाम यह हुआ था कि कोलकाता में सरेआम 16 भिक्षु और 1 साध्वी हत्या की गई थी। आज उस नरसंहार को 'बिजोन सेतु नरसंहार' कहा जाता है। राजनीतिक बेशर्मी देखिए कि सरेआम संतों की हत्याएं की गईं लेकिन आज तक उस नरसंहार में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

10वीं के बाद विषयों का चयन सावधानी से करें

विजय गर्ग

10वीं पास करने के बाद माता-पिता-छात्र उस चौराहे पर खड़े होते हैं, जहां से अलग-अलग विषयों से होकर कई राहें निकलती हैं। इस समय विषय या स्ट्रीम का चुनाव एक बड़ी चुनौती बन जाता है। कई कारक विषयों के चुनाव को प्रभावित करते हैं। जब कोई भी छात्र 10वीं पास करता है तो उसे समझ नहीं आता कि वह कौन सा विषय चुने। इसका मुख्य कारण यह है कि उन्हें किसी भी विषय के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। 10वीं तक वो सभी विषय जैसे हिंदी,वह गणित, पंजाबी, विज्ञान, सामाजिक आदि का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद उसे कुछ विशिष्ट विषयों का चयन करना होगा।

मध्यवर्ती पाठ्यक्रम यह दो साल का कोर्स है. इसे ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा कहा जाता है। इस बीच, छात्र आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, वोकेशनल स्ट्रीम चुनते हैं। स्ट्रीम के दौरान विषयों का चुनाव अलग-अलग होता है। आर्ट्स एक इसमें 12वीं पास करने के बाद छात्र बीए में एडमिशन ले सकते हैं। बारहवीं कला स्ट्रीम में इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इंटर कला के लिए गणित, शारीरिक शिक्षा, वैकल्पिक पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी आदि विषयों का चयन किया जा सकता है। इस स्ट्रीम के माध्यम से उच्च अध्ययन के दौरान बीएड, लॉ आदि करके बेहतर भविष्य का विकल्प चुना जा सकता है। व्यापार कॉमर्स स्ट्रीम का महत्व आजकल बहुत ज्यादा है। इसमें प्रवेश लेने वाले छात्र अकाउंट्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, ऑपरेशंस रिसर्च आदि विषयों की पढ़ाई करते हैं। बारहवीं के बाद बीकॉम किया जा सकता है। सीए, एमबीए आदि करने से बैंकिंग, फाइनेंस, बिजनेस में रोजगार के कई अवसर मिलते हैं। बढ़ते बाजार में वाणिज्य की बहुत मांग है। विज्ञान तकनीकी युग मेंसाइंस स्ट्रीम भी बहुत महत्वपूर्ण है. इस स्ट्रीम से पढ़ाई करने वालों के लिए हर क्षेत्र में अच्छे अवसर हैं। विज्ञान विषयों में मेडिकल और गैर-मेडिकल विषय शामिल हैं। मेडिकल के लिए जीवविज्ञान और गैर-मेडिकल के लिए गणित। अन्य विषय यथावत रहेंगे। 12वीं पास करने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई कोर्स, रेडियोग्राफी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, एमबीबीएस, बीएमएस आदि कोर्स किए जा सकते हैं। जो छात्र डॉक्टर बनना चाहते हैं वे मेडिकल विषय चुनते हैं और जो छात्र इंजीनियर बनना चाहते हैं वे गैर-मेडिकल विषय चुनते हैं। कैरियर के विकल्पविद्यार्थी जीवन में निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है। इसलिए छात्र को अपनी रुचि और भविष्य को ध्यान में रखकर ही स्ट्रीम का चयन करना चाहिए।

व्यवसायिक नई शिक्षा नीति व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के कारण व्यावसायिक की ओर उन्मुख है। इसमें विभिन्न ट्रेड हैं, जो छात्र को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करते हैं, जिसमें ऑटो, आईटी, कंप्यूटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक आदि कई विषयों का अध्ययन किया जा सकता है। इसमें पढ़कर छात्र अपने हाथों से सरकारी क्षेत्र में रोजगार भी प्राप्त कर पाते हैंबहुत सारे अवसर हैं. विभिन्न प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम दसवीं कक्षा के बाद सीधे प्रवेश लिया जा सकता है। कई तकनीकी और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम अपनाए जा सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस के हिन्दू विरोध की उग्रता

-ललित गर्ग

लोकसभा चुनाव के दो चरण शेष रहे हैं, चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी राजनीतिक दल अपनी बढ़त बनाने के लिये कुछ अतिश्योक्तिपूर्ण करने का प्रयास करते हुए राष्ट्र की एकता-अखण्डता एवं बहुसंख्यक हिन्दू धर्म विरोधी स्वरों को बुलंद किये हुए है और अपनी मर्यादाओं को भूल रहे हैं। विशेषतः इंडिया गठबंधन से जुड़े दल एवं बाहर से समर्थन देने की बात करने वाले दल ऐसा दूषित प्रचार कर रहे हैं, जिससे न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है बल्कि ऐसे दलों को राजनीतिक लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावनाएं प्रबल हो रही है। इन चुनावों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस एवं इंडिया गठबंधन के अन्य दल हिन्दुओं से, हिन्दू मन्दिरों-भगवानों-संतों एवं हिन्दू पर्वों से नफरत का बिगुल हर मोड़ पर बजाते रहे हैं जो हर रोज सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए हिन्दू संतों को राजनीति में घसीटने की कोशिश की है। उन्होंने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ से जुड़े संतों पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिये ओबीसी आरक्षण पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय पर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए उंगली उठाई है। इस प्रकार कानून की अवमानना वह नेता ही खड़ी कर सकता है, जिसे एक खास वर्ग के वोट चाहिए। संतों को लेकर राजनीतिक टिप्पणी करना, निःसंदेह आपत्तिजनक है एवं दुर्भाग्यपूर्ण है।

कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस हिन्दुओं को अपने ही देश में सेकेंड क्लास सिटिजन एवं अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। मुस्लिम तुष्टीकरण की इन दलों की सोच एवं नीति न केवल उनके घोषणा-पत्रों में बल्कि उनके बयानों में स्पष्ट झलक रही है। सभी विपक्षी दलों ने मुस्लिम तुष्टीकरण को राजनीति की है, राजनीतिक दलों का एकतरफा रवैया हमेशा से समाज को दो वर्गों में बांटता रहा है एवं सामाजिक असंतुलन तथा रोष का कारण रहा है। बदले हुए राजनीतिक हालात इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किसी भी एक वर्ग की अनदेखी कर कोई भी दल राजसत्ता का आनंद नहीं उठा सकता। लेकिन लगातार जीत की ओर बढ़ रहे भाजपा को हराने के लिये इन दलों को मुस्लिम वोटों का ही सहारा नजर आ रहा है, जिसके चलते ये हिन्दू विरोध को प्रचंड किये हुए।

ममता बनर्जी ने अपने शासन में मुस्लिमों को खुश करने एवं उनके वोटों को अपने पक्ष में करने के लिये हिन्दू विरोध का कोई मौका नहीं छोड़ा है। ममता ने रामकृष्ण मठ, मिशन और भारत सेवाश्रम संघ पर झूठा एवं भ्रामक आरोप लगाया है कि ये हिन्दू संगठन भाजपा के पक्ष में काम कर रहे हैं, जबकि इन संगठनों की ओर से एक बार भी भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान नहीं किया गया है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में इस्लामिक संगठनों एवं चर्चों के द्वारा भाजपा के विरोध में किसी एक विशेष दल के पक्ष में मतदान करने के प्रकरण बार-बार सामने आये है। चुनावों को धार्मिक एवं साम्प्रदायिक रंग देने की इन विडम्बनापूर्ण स्थितियों पर आज तक ममता बनर्जी ने एक भी बयान नहीं दिया है। इसलिए भी कहा जा सकता है कि बिना किसी प्रमाण हिन्दू संतों पर निशाना साधने का अभिप्राय यही है कि ममता बनर्जी की निगाहें कहीं और है निशाना कहीं और है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा ममता बनर्जी पर संतों को धमकाने का आरोप निराधार नहीं है। क्योंकि एक संत कार्तिक महाराज ने मुख्यमंत्री ममता को कानूनी नोटिस भेज कर कहा है कि ममता बनर्जी के बयान निराधार, झूठे और अपमानजनक है।

पश्चिम बंगाल ही नहीं, अन्य गैर-भाजपा सरकारों के प्रांतों में हिन्दुओं को प्रताड़ित करने के घटनाक्रम सामने आते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो हिन्दुओं के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उग्र और हिंसक प्रदर्शन होता रहा है। पिछले कुछ सालों से हमेशा यह देखा गया है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सत्ता पाकर भाजपा समर्थकों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। वर्ष 2021 में तृणमूल कांग्रेस के जीतने के बाद राज्य में बवाल हुआ था और पंचायत चुनाव जीतने के बाद भी उसके कार्यकर्ताओं ने हिंसक उत्पात मचाया था। उस समय भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों को खोज-खोजकर हमले हुए थे। ऐसे स्थिति में और इसे कार्यकर्ताओं के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हिन्दू संगठनों एवं धर्मगुरुओं के भाजपा के पक्ष में होने का बयान संतों के लिए जान तक का खतरा पैदा कर सकता है। ऐसा हुआ भी है, ममता बनर्जी के बयान के बाद कुछ हमलावर जलपाईगुड़ी स्थित रामकृष्ण मिशन के आश्रम में घुस गए। उन्होंने भिक्षुओं पर हमला किया, सीसीटीवी आदि तोड़े दिए। याद हो कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में पहली बार संतों पर दोष लगाकर उनके खिलाफ माहौल बनाने का काम नहीं हुआ। मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने के लिये इंडिया गठबंधन के दल विशेषतः कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यकों को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अल्पसंख्यकों में सिख, पारसी, यहूदी, जैनी, बौद्ध आदि धर्म आते हैं, लेकिन कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम परस्ती करते आई है। ओबीसी आरक्षण पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने जिस तरह से कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय पर उंगली उठाई है, उससे तो यही लगता है कि राजनीतिक वोट बैंक के लिए संविधान की जितनी अवमानना की जा सकती है, वह की जाती रहेगी। सामनेवाले को घेरने के लिए उसी संविधान की आड़ भी ली जाएगी। ममता ने मुस्लिमों को ओबीसी सर्टिफिकेट देकर उन्हें तरह-तरह से लाभ पहुंचाने का षड्यंत्र किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चुनावी रैलियों में इंडी गठबंधन के सत्ता में आते ही एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को मुस्लिमों को देने की बात कह रहे हैं, वह भी इस घटना से साफ होता नजर आ रहा है। धर्म के आधार पर आरक्षण भारतीय संविधान में निहित मूल्यों और सिद्धांतों के खिलाफ है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 मई को पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश दिया है। जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर की बेंच ने कहा कि 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बगैर ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए। इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। यह सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बगैर जारी किए गए। इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी या मिलने वाली है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी।

ममता बनर्जी सरकार से पहले वामपंथी शासन काल में भी हिन्दू संतों को माकपा की सरकार ने निशाना बनाया था। तब परिणाम यह हुआ था कि कोलकाता में सेरआम 16 भिक्षु और 1 साध्वी हत्या की गई थी। आज उस नरसंहार को ह्वबिजोन सेतु नरसंहारह्व कहा जाता है। राजनीतिक बेशर्मी देखिए कि सेरआम संतों की हत्याएं की गई लेकिन आज तक उस नरसंहार में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। माकपा सरकार पर आरोप है कि उसने इस मामले से संबंधित तथ्यों को छिपाया। नरसंहार की जाँच के लिए बने आयोगों को न तो माकपा सरकार ने सहयोग दिया और न ही तृणमूल कांग्रेस ने। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान के बाद से भय का वातावरण बन गया है। आश्रमों एवं संतों को नुकसान पहुँचाने की आशंका गहरा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सांप्रदायिक बयान की जितनी निंदा की जाए कम है। यह तो निश्चित है कि वर्तमान कांग्रेस, पूर्व में आजादी से अब तक की कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ही की है। इस सोच के कारण कांग्रेस एवं अन्य इंडिया गठबंधन के दलों ने राम मंदिर उद्घाटन से भी दूरी बनाये रखी। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस की हिंदू विरोधी छवि का नुकसान इन दलों को निश्चित रूप से मिलेगा। क्या वास्तव में ये दल अपनी बिगड़ती छवि एवं नुकसान से परेशान है? या इस बात से कि उसकी छवि बिगाड़कर ह्वहिंदू विरोधीह्व बताने की कोशिश की जा रही है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि वे अपनी बदहाली के कारणों को समझना भी चाहते है या नहीं?

अदालत के फैसले से प्रेशर में ममता, नहीं मानेंगी फैसला

अशोक भाटिया

2024 के आम चुनाव के पांच चरण पुरे हो चुके है । एक- एक सीट के लिए कशमकश लगी हुई है क्योंकि अभी छठे व सातवे चरण का चुनाव बाकी है । बता दें कि बंगाल में लोकसभा चुनाव जारी हैं। 42 लोकसभा सीटों में से 26 सीटों पर मतदान हुआ हैं और 16 सीटों पर अगले दो चरणों में मतदान होने बाकी हैं। ये सीटें कोलकाता और कोलकाता से आसपास और दक्षिण बंगाल की हैं। इन इलाकों में मुस्लिमों की बड़ी संख्या हैं। इस बीच कलकत्ता हाई कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जिससे ममता प्रेशर में है । कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद तैयार की गई सभी ओबीसी सूची को रद्द कर दिया है। इस फैसले की वजह से पांच लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द हो जाएंगे। अदालत ने कहा कि 2010 से पहले के ओबीसी व्यक्तियों के सर्टिफिकेट वैध माने जाएंगे। 2010 के बाद जिन लोगों को ओबीसी आरक्षण की वजह से नौकरियां मिल गई है या भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, उनकी नौकरी जारी रहेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को विशेष रूप से तृणमूल सरकार का उल्लेख नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए जाएंगे। संयोग से तृणमूल कांग्रेस 2011 से राज्य में सत्ता में आई है। नतीजतन, अदालत का आदेश केवल तृणमूल सरकार द्वारा जारी ओबीसी प्रमाण पत्र पर प्रभावी होगा। पीठ ने कहा कि इसके बाद राज्य विधायिका यानी विधानसभा को यह तय करना है कि ओबीसी कौन होगा। पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ओबीसी की सूची निर्धारित करेगा। उस सूची को राज्य विधानमंडल या विधानसभा को भेजा जाना चाहिए। जिनके नाम विधानसभा द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे उन्हें भविष्य में ओबीसी माना जाएगा।

कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना है कि 2010 के बाद जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए गए हैं, वे कानून के मुताबिक ठीक से नहीं बनाए गए हैं। इसलिए उस प्रमाणपत्र को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही हाई कोर्ट ने कहा है कि इस निर्देश का उन लोगों पर कोई असर नहीं होगा जो पहले ही इस सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पा चुके हैं या नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं। अन्य लोग अब उस प्रमाणपत्र का उपयोग रोजगार प्रक्रिया में नहीं कर सकेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने बुधवार को फैसला सुनाया। जिस मामले के आधार पर हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया, वह मामला 2012 में दायर किया गया था। वादियों की ओर से वकील सुदीप्त दासगुप्ता और विक्रम बनर्जी अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि वाम मोर्चा सरकार ने 2010 में एक अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर पश्चिम बंगाल में 'अन्य पिछड़ा वर्ग' बनाया। उस कैटेगरी को 'ओबीसी-ए' नाम दिया गया है। लेकिन अगले वर्ष, वाम मोर्चा बंगाल मसनद से हट गया। 2011 में तृणमूल सत्ता में आई। नई सरकार सत्ता में आई और उस वर्ग पर अंतिम रिपोर्ट के बिना एक सूची बनाई और कानून बनाया। जिसके आधार पर तृणमूल सरकार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत गरमा गई है। इस फैसले के तुरंत बाद ही राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वह इस फैसले को नहीं मानती हैं। यह बीजेपी का फैसला है और इस फैसले खिलाफ वह अपील करेंगी। राज्य में ओबीसी को आरक्षण दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। लेकिन कोर्ट के इस फैसले को बीजेपी ने स्वागत किया और कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ओबीसी उप-श्रेणी के तहत मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर दिया है। इससे ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति खुलकर सामने आ गई है।इसके साथ ही देश को अन्य राज्यों में ओबीसी को कोटे से मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने के भाजपा के आरोप पर अब बंगाल में भी नया हथियार मिल गया है। भाजपा आरोप लगाती रही है कि ओबीसी के लोगों को वंचित कर मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया है। इसके पहले भाजपा ने कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार पर ओबीसी को वंचित कर मुस्लिमों को आरक्षण देने का आरोप लगाया था। अब इसी मुद्दे पर ममता बनर्जी भी भाजपा के निशाने पर हैं। इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है।

गौरतलब है कि साल 2011 में लेफ्ट फ्रंट को पराजित कर तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आयी थी। उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में संशोधन किया और नई सूची बनाई गई। उस समय राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ओबीसी में 42 समुदायों को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश की गई थी, जिनमें से 41 समुदाय मुस्लिम धर्म के थे।इसी तरह से 11 मई, 2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार 35 समुदायों की सिफारिश की गई, जिनमें से 30 समुदाय मुस्लिम धर्म के थे। इस तरह से 77 समुदाय (42+35) को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। इनमें 77 में से 71 समुदाय मुस्लिम समुदाय के थे।

पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में 179 जातियां हैं। और इस लिस्ट को दो कैटेगरी में बांटा गया है। श्रेणी-ए और श्रेणी-बी। श्रेणी ए अति पिछड़ा है। और श्रेणी-बी पिछड़ा है। श्रेणी-ए में 81 जातियां शामिल हैं, जिनमें से 73 जातियां मुस्लिम हैं। इनमें वैद्य मुस्लिम, बबियारी मुस्लिम, मुस्लिम बढ़ई, मुस्लिम दफादार, गायेन मुस्लिम, मुस्लिम जमादार, मुस्लिम कलंदर, कसाई, माझी (मुस्लिम), खानसामा जैसी जातियां शामिल हैं।

श्रेणी-बी में 98 में से 45 जातियां मुस्लिम हैं। श्रेणी-बी में वैश्य कपाली, बंशी बर्मन, बरुजीवी, चित्रकार, दीवान, कर्मकार, कुर्मी, मालाकार, मोइरा, गोला, तेली जैसी जातियां शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 17 प्रतिशत आरक्षण है। इनमें कैटेगरी ए के उम्मीदवारों को 10 फीसदी आरक्षण मिलता है। वहीं श्रेणी-बी के उम्मीदवारों को 7 प्रतिशत आरक्षण मिलता है।

ममता सरकार के इस फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला दायर किया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर मामले में कहा गया था कि साल 2010 में एक अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर वाम मोर्चा सरकार ने ओबीसी की एक सूची बनाई थी, लेकिन 2011 में तृणमूल सरकार के सत्ता में आने के बाद बिना अंतिम रिपोर्ट के उसने ओबीसी की जो सूची बनाई। वह पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के विपरीत थी। परिणामस्वरूप, जो लोग वास्तव में पिछड़े वर्ग के हैं, वे आरक्षण के लाभ से वंचित हैं।

इस मामले में 2012 के अधिनियम को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की गई है और 1993 के अधिनियम के अनुसार वास्तविक पिछड़े वर्गों की पहचान करके एक नई ओबीसी सूची तैयार के लिए अदालत से फरियाद की गई। याचिकाकताओं ने तर्क दिया कि वास्तविक पिछड़ा वर्ग से आने वाले अल्पसंख्यकों को इस कार्य के लिए तृणमूल सरकार द्वारा ओबीसी सूची में शामिल करने से वंचित कर दिया गया है। बुधवार को न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा की पाठ ने याचियाकर्ता के तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि 2010 के बाद बनी सूची1993 के एक्ट के खिलाफ है। कोर्ट ने जिन लोगों को 2010 के बाद ओबीसी प्रमाणपत्र मिला था, वे सभी रद्द करने का आदेश दिया।कोर्ट ने कहा कि नये अधिनियम 1993 के अनुसार पिछड़े वर्गों की सूची तैयार की जानी है। वह सूची विधानसभा में जायेगी और वहां से अनुमोदन लेना होगा, लेकिन कोर्ट ने यहां नौकरी पाने वाले उन लोगों को राहत दी, जिन्हें इस दौरान ओबीसी सर्टिफिकेट से नौकरियां मिली हैं। कोर्ट ने कहा कि इस फैसले से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

हाईकोर्ट द्वारा 2010 के बाद के ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द किए जाने के बाद ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया जताई। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू किया गया ओबीसी आरक्षण कोटा जारी रहेगा। हमने घर-घर सर्वेक्षण करने के बाद विधेयक का मसौदा तैयार किया था और इसे कैबिनेट और विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। उन्होंने इसे भाजपा का फैसला करार देते हुए कहा कि भाजपा ने केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके इसे रोकने की साजिश रची है। भगवा पार्टी इतना दुस्साहस कैसे दिखा सकती है? उन्होंने कह कि बंगाल में आरक्षण है और जारी रहेगा।

दूसरी ओर, भाजपा नेता अमित मालवीय ने इसे लेकर ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की तुष्टिकरण की राजनीति को एक और झटका देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ओबीसी उप-श्रेणी के तहत मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर दिया है। इसने 2010-2024 के बीच जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को भी अमान्य कर दिया है। जिन लोगों को इसके तहत नौकरी दी गई है, यदि वे अपनी नौकरी बरकरार रखने में कामयाब होते हैं, तो वे किसी भी अन्य लाभ के हकदार नहीं होंगे।

कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने पर, एनसीबीसी आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने कहा कि रपश्चिम बंगाल में 2010 के बाद सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने का कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला का हम स्वागत करते हैं। 2023 में हमारी समीक्षा के दौरान, हमने देखा 2010 के बाद 65 मुस्लिम जातियों और 6 हिंदू जातियों को ओबीसी सूची में जोड़ा गया, हमने इस संबंध में एक रिपोर्ट मांगी लेकिन राज्य सरकार ने हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी। अदालत का फैसला बिल्कुल सही है और हम स्वागत करते हैं।

राजनीतिक विश्लेषक पार्थ मुखोपाध्याय कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट के यह फैसला निश्चित रूप से ममता बनर्जी की सरकार के लिए झटका है। दो चरणों में मतदान के पहले निश्चित रूप से यह मुद्दा प्रचार के दौरान उठेगा और ममता बनर्जी भाजपा पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाएंगी, तो भाजपा मुस्लिमों को आरक्षण देकर ओबीसी को आरक्षण के लाभ से वंचित करने का आरोप लगाएगी। चुनाव के परिणाम पर जो प्रभाव पड़ेगा। वह चुनाव परिणाम के साथ साफ हो जाएगा, लेकिन इतना तय है कि चुनाव के बाद भी यह फैसला ममता बनर्जी को प्रेशर में जरूर रखेगा।

मायावती का प्रचार के लिये अम्बेडकरनगर नहीं आने के सियासी मायने

-अजय कुमार

उत्तर प्रदेश में अवध और पूर्वांचल के मुहाने पर अम्बेडकरनगर जिला पड़ता है। यह लोकसभा क्षेत्र अयोध्या से सटा हुआ है। जिले का निर्माण ही अयोध्या जिले का बंटवारा करके हुआ था। अम्बेडकर नगर को जिले का रूतबा मायावती की सरकार में हासिल हुआ था। यहां से मायावती सांसद भी रह चुकी है। सरयू नदी से सटे अम्बेडकरनगर की पहचान पूर्वांचल के गांधी के रूप में मशहूर जयराम वर्मा और समाजवाद के पुरोधा डॉ राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली के रूप में भी है। उत्तर प्रदेश की अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। प्रचार के लिए सभी दलों के नेता यहां ताल ठोक रहे हैं,लेकिन चर्चा बसपा सुप्रीमों मायावती की गैर-मौजूदगी की अधिक हो रही है।

करीब तीन दशक की राजनीति में यह पहला मौका है जब बसपा प्रमुख मायावती पार्टी के गढ़ रहे अंबेडकरनगर से अभी दूरी बनाई हुई हैं। चुनाव प्रचार करने भी नहीं पहुंचीं। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दो सभाएं अपेक्षित थीं, लेकिन आचार संहिता के फेर में उनका भी दौरा नहीं हो पाया। प्रचार खत्म होने के अंतिम दिन 23 मई को गृहमंत्री अमित शाह की सभा है। सियासी रूप से अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। यह उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के द्वारा 29 सितंबर 1995 को बनाया गया था। सियासत की नजर से देखें तो अम्बेडकरनगर सीट से बसपा सुप्रीमो मायावती भी सांसद रह चुकी हैं। अम्बेडकरनगर लोकसभा सीट पर सपा, बसपा और भाजपा तीनों का कब्जा रह चुका है।

पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट से सपा और बसपा के सयुंक्त उम्मीदवार रितेश पांडे को जीत मिली थी। इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा ने रितेश पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है,जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। यहां की राजनीति बसपा के इर्द गिर्द घूमती आई है। वर्ष 1995 में बसपा प्रमुख मायावती ने ही मुख्यमंत्री के तौर पर अंबेडकरनगर नाम से नए जनपद की सौगात दी थी। बसपा उसके बाद लोकसभा और विधानसभा चुनावों में धमाकेदार प्रदर्शन करती रही। मायावती खुद यहां के चुनाव प्रचार की कमान पूरी मजबूती से संभालती रहीं। शुरूआती दौर में तो यहां दो-दो रैली और जनसभा भी होती थी। इस बार भी उम्मीद थी कि वह अंबेडकरनगर में जोरदार प्रचार करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

इस चुनाव में बसपा के लिए काफी कुछ बदल गया है। पिछले पांच वर्ष में पार्टी के कई बड़े नेता सपा और भाजपा में जा चुके हैं। यहां टिकट को लेकर खींचतान भी मची रही। प्रचार के नाम पर राष्ट्रीय संयोजक पद से हटाए जाने के पहले मायावती के भतीजे आकाश आनंद ही यहां एक रैली कर सके। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र तक का दौरा यहां नहीं लगा।

इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा ने रितेश पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। बसपा से जीतने वाले रितेश इस बार पाला बदलकर बीजेपी से मैदान में हैं। सपा ने लालजी वर्मा को अपना उम्मीदवार बना कर पिछड़ों की राजनीति साधने का प्रयास किया। इस बार सपा ने पूरे चुनाव को ही अगड़ा बनाम पिछड़ा कर दिया है। बसपा इस बार चुनाव में निष्क्रिय है और एक ऐसे मुस्लिम चेहरे को अपना उम्मीदवार बनाया है जो एक दम अनजान है। जिले में इस बार लोकसभा चुनाव काफी रोचक होने की उम्मीद है। अम्बेडकरनगर लोकसभा सीट में पांच विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इसमें अम्बेडकरनगर की चार विधानसभा सीट जलालपुर, अकबरपुर,टांडा और कटेहरी शामिल है,जबकि अयोध्या जिले की एक सीट गोसाईगंज शामिल है। अम्बेडकरनगर में 26444 युवा पहली बार मतदान करेंगे। अम्बेडकरनगर में कुल मतदाताओं की संख्या 18 लाख 52 हजार 627 है। जिसमें 9 लाख 64 हजार 663 पुरुष और 8 लाख 87 हजार 946 महिला मतदाता शामिल हैं। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है।

जातिगत समीकरणों की बात करें तो अम्बेडकरनगर लोकसभा सीट पर दलित और मुस्लिम वोटों की अधिकता है। इस लोकसभा सीट पर तकरीबन 3 लाख से अधिक दलित और लगभग इतने ही मुस्लिम मतदाता हैं। इस सीट पर कुर्मी मतदाताओं की भी अधिकता है। कुर्मी मतदाताओं की संख्या लगभग 2 लाख है। इस सीट पर तकरीबन 1 लाख ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या है। इस सीट पर ठाकुर मतदाताओं की संख्या लगभग एक लाख है।

राजा भैया का कहीं कोई प्रभाव नहीं: राजभर

-संजय सक्सेना

त्तर प्रदेश में छठवें चरण के लोकसभा चुनाव के बीच कुंडा के राजा और विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अचानक काफी चर्चा में आ गये हैं। राजा-रानी राजनीति खत्म होने का नाम नहीं हो रही है।राजा भैया और अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल के बीच वार-पलटवार के बीच अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओमप्रकाश राजभर ने भी एंट्री कर दी है। उन्होंने राजा भैया के दबदबे वाले जिला प्रतापगढ़ में राजा भैया पर कई गंभीर सवाल खड़े किये और कहा राजा भैया का अब कहीं कोई प्रभाव नहीं रह गया है। इसी के साथ राजभर ने अनुप्रिया के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने देश की सभी रानियों का ऑपरेशन कर दिया है। योगी सरकार में मंत्री और सुभासपा नेता राजभर ने मीडिया से बातचीत करते हुए मिजार्पुर से बीजेपी प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के राजा भैया को लेकर दिए गए बयान के समर्थन किया है। ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने देश की सभी रानियों का ऑपरेशन कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब राजा रानियों के पेट से नहीं बल्कि ईवीएम मशीन से पैदा होता है। राजभर यहीं नहीं रुके और आगे कहा कि मैं अनुप्रिया पटेल की बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि सच कड़वा होता है। अनुप्रिया ने कहा था कि लोकतंत्र में राजा अब रानी की पेट से नहीं बल्कि ईवीएम मशीन से तय होता है। इसके बाद से बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं पूर्वांचल में राजा भैया का चुनाव में प्रभाव को लेकर राजभर ने कहा कि राजा भैया का कहीं कोई प्रभाव नहीं है। वो अगर खुद लड़ते हैं तो बात अलग होती लेकिन वो अगर यह कहें कि बलिया में आकर नीरज शेखर को हरा देंगे या गाजीपुर में पारसनाथ राय को हरा देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। सबकी अपनी जाति है और जनता जाकर कमल को ही वोट कर रही है।

गौरतलब हो, कुछ दिन पहले कौशांबी में एक चुनाव प्रचार के दौरान अपना दल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बिना राजा भैया का नाम लिए उन पर कई हमले किए। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि लोकतंत्र में राजा, रानी की पेट से पैदा नहीं होता है। अब राजा ईवीएम की बटन से पैदा होता है। स्वघोषित राजाओं को लगता है कि कुंडा उनकी जागीर है। उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास बहुत बड़ा और सुनहरा अवसर है। दस पर राजा भैया ने पलटवार करते हुए कहा था कि अब राजा या रानी पैदा होना बंद हो गए हैं। ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है। ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है। जनता का प्रतिनिधि पैदा होता है। ईवीएम से पैदा होने वाले अगर अपने को राज मान लेंगे तो लोकतंत्र की मूल भावना हार जाएगी। जनता जनार्दन ईवीएम का बटन दबाकर आपको ये मौका देती है कि आप मेरी सेवा करें, क्षेत्र की सेवा करें। राजतंत्र तो कबका खत्म हो गया। कुछ कुंठित लोग हैं जो इस बात को करते हैं।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के सामने नई चुनौतियाँ ?

संजीव ठाकुर

ब्रिटेन की समाचार न्यूज एजेंसी के अनुसार ब्रिटिश इतिहास के 127 सालों में 42 वर्षीय ऋषि सुनक सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं और उन्हें बोरिस जॉनसन तथा लीज ट्रस के इस्तीफे के बाद विरासत में प्रधानमंत्री का पद प्राप्त हुआ है। कोविड-19 के समय ऋषि सुनक ने वित्त मंत्री रहते हुए ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को वहां के उद्योगपतियों तथा पर्यटन, होटल एजेंसी के साथ मिलकर काफी हद तक संभाल कर रखा था। अब ब्रिटेन की खराब अर्थव्यवस्था का भारी-भरकम बोझ ऋषि सुनक के कंधे पर आ गया है। खराब अर्थव्यवस्था ऋषि सुनक के लिए आगामी आने वाले जनवरी 2025 को आम चुनाव में बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। ऋषि सुनक को आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ट्रबल शूटर की हैसियत से प्रधानमंत्री बनाया गया था। ब्रिटेन की एक सर्वे न्यूज एजेंसी द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार अपनी कंजरवेटिव पार्टी को वर्तमान में मजबूत बनाने के लिए काफी कवायद करनी पड़ सकती है क्योंकि सर्वे ने बताया है कि सुनक अपनी ब्रिटेन की संसदीय सीट को आम चुनाव में गंवा सकते हैं क्योंकि कुछ महीने पहले की घटनाक्रम में पहले लिस ट्रस से पिछड़ने और फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ऋषि सुनक के सामने नई नई मुसीबतें सामने आई है। ब्रिटेन में आम चुनाव 2025 में आयोजित हैं और कंजरवेटिव पार्टी की छवि बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है। सर्वे एजेंसी के अनुसार यह सर्वे में ऋषि सुनक अपनी ब्रिटेन की संसदीय सीट को आम चुनाव में कमजोर हो सकती हैं क्योंकि विपक्ष की लेबर पार्टी को प्रधानमंत्री के सत्तारूढ़ कंजरवेटरी से बहुत ज्यादा अंक प्राप्त हुए हैं। सावंत के प्रवक्ता के अनुसार लेबर पार्टी 314 सीटों के बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हो सकती है। यार्कशायर ऋषि सुनक का निर्वाचन क्षेत्र है अपनी निर्वाचन सीट तथा लिंकनशायर के उत्तर में अन्य सभी सीटों सहित रूढ़िवादी लगभग 300 सीटें गंवा सकते हैं। ब्रिटेन की न्यूज एजेंसी सावंता के विगत समय तक किए गए सर्वे के अनुसार 7 हजार नागरिकों बातचीत के आधार पर एक विस्तृत डाटा तैयार किया गया है। सर्वे में लेबर पार्टी कंजरवेटिव पार्टी पर बढ़त दिखाई गई है जिसके परिणाम स्वरूप ऋषि सुनक को आने वाले समय में सत्ताधारी दल की बढ़त को बढ़ाएं रखने में और कंजरवेटिव पार्टी की किस्मत को बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। उल्लेखनीय है कि सत्तारूढ़ कंजरवेटिव यानी टोरी पार्टी की लोकप्रियता धीरे धीरे कम होते जा रही है। ऋषि सुनक को खराब अर्थव्यवस्था विरासत में मिलना भी एक बड़ा कारण भी है। हालांकि ब्रिटेन में कंजरवेटिव पार्टी यानी टोरी पार्टी वर्ष 2010 ब्रिटेन की सत्ता में काबिज है और 4 बार आम चुनाव में जीत हासिल कर चुकी है। 4 बार जीतने के बाद भी अब कंजरवेटिव पार्टी की पकड़ ब्रिटिश नागरिकों पर कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। ऋषि सुनक युवा है और अच्छे अर्थशास्त्री भी, अब देखना यह है कि ऋषि सुनक चुनाव की चुनौती को किस तरह अपनी पार्टी के हक में दिशा दे पाते हैं कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बहुत निचले स्तर पर पहुंच गई है बेरोजगारी तथा महंगाई तथा पेट्रोल, डीजल, बिजली के दाम तब तक की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बैलेंस आफ ट्रेड और उत्पादन को 2 साल में तेजी से विकसित करना होगा। कोविड-19 के काल में ब्रिटेन को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था पर अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने वहां के उद्योगपतियों, पर्यटन तथा होटल उद्योग को विकसित कर कोविड-19 काल में वित्तीय स्थिति को काफी सहारा दिया था। अब ऋषि सुनक के सामने अनेक चुनौतियां आ गई है ऋषि सुनक को न सिर्फ लेबर पार्टी से चुनौती मिल रही है बल्कि उन्हें अपनी पार्टी के सांसदों का 100% समर्थन भी प्राप्त नहीं हो रहा है। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बने रहने के साथ-साथ उन्हें अपनी पार्टी की लोकप्रियता को बढ़ाने में अपनी पार्टी के सांसदों का विश्वास मत भी हासिल करना होगा तब जाकर आगामी 2025 जनवरी को सत्तारूढ़ पार्टी यानी कंजरवेटिव पार्टी चुनाव में जीत हासिल कर सकेगी। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी और सर्वे एजेंसी सावंत के अनुसार कंजरवेटिव पार्टी धीरे-धीरे लोकप्रियता में कमजोर होती जा रही है और लेबर पार्टी ने अभी से चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है, फल स्वरूप ऋषि सुनक के सामने आर्थिक व्यवस्था बेरोजगारी महंगाई और चुनाव की बड़ी चुनौती सामने आ गई है ऐसे में ऋषि सुनक ब्रिटेन के शक्तिशाली जुझारू और संघर्षशील प्रधानमंत्री रहकर अपनी पार्टी का सही नेतृत्व कर जीत दिला पाते हैं या नहीं यह भविष्य तय करेगा। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध मैं यूक्रेन का साथ देना इसराइल हमास युद्ध में इजराइल का साथ देना भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। इसमें ब्रिटेन को यूक्रेन को आर्थिक मदद के साथ सामरिक मदद भी करनी होगी। क्योंकि ब्रिटिश जनता यूक्रेन के साथ हमदर्दी अब तक रखते आई है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक इबादत
सम्पादकीय

सत्ता पाने की होड़ में लोकसभा चुनाव के बदलते ढंग !

अलग ढंग से इस बार हो रहे लोकसभा चुनाव में सत्ता के लिये चुनावी दौर में अनेक रंग उड़ते दिखाई दे रहे है। जो लोकतंत्र को बदरंग न कर दे। चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच प्रहार होते तो देखा जा सकता पर सत्ता पाने की राजनीति का स्तर इस तरह गिरता जा रहा है जहां लोकतंत्र के वास्तविक स्वरूप के अस्तित्व बदलने की स्थितियां नजर आने लगी है। इस बार चुनाव में धर्म, आतंकवाद, देशद्रोह, जैसी बात ज्यादा जोर पकड़ती नजर आने लगी है। विपक्ष को कमजोर करने की दिशा में सत्ता प्रभावी दिखाई दे रही है। इस चुनाव में धार्मिक उन्माद कुछ ज्यादा ही जोर पकड़ता नजर आ रहा है। चुनाव से पूर्व राम मंदिर का मुद्दा जिसके उद्घाटन के बीच राजनीति समा गई। राम सभी के है पर चुनावी समीकरण ने राम को भी बांट दिया। देश के सर्वश्रेष्ठ धर्माचार्य चारों शंकराचार्यो ने राम मंदिर उद्घाटन के समय को उचित समय नहीं बताते हुये अपना विरोध जताया पर चुनावी राजनीति के आगे उनका सुझाव अमान्य रहा। विपक्ष राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल नहीं हुआ। देश में हिन्दू - मुस्लिम अंतराल भी राजनीति में नजर आने लगा।

इस बार के चुनाव में सत्ता विपक्ष दोनों हीं सत्ता पाने की दिशा में एक दूसरे पर प्रहार करते नजर आ रहे है। चुनाव के दौरान जांच एजेंसियों की सक्रियता भी देखी जा सकती। भ्रष्टाचार के मामले में जेल में डालने, राजनीति चाल में फंसाकर बदनाम करने की प्रक्रिया, अपने को सही दूरे को गलत बताकर असली मुद्दों से आम जन को भटकाने की भरपूर कोशिश सत्ता के परिणाम को कौन सा रंग दे पायेगी, आने वाला चुनाव परिणाम ही बता पायेगा। स्वाति महीवाल एवं कन्हैया की राजनीतिक घटना दिल्ली चुनाव को कौन सा मोड़ दे पायेगी, जहां छठे चरण में चुनाव होने है। देश में पांच चरण के चुनाव हो चुके, दो चरणों के चुनाव होने है। चुनाव पर अलग अलग प्रतिक्रिया आनी शुरु हो गई है। सत्ता पक्ष अपनी वास्तविक स्थिति से भलीभांति परिचित है। सत्ता जाने का डर मन में समाया हुआ है पर चार सौ पार का राग उसी तरह अलाप रहा है जैसे इन्हें इस बार प्रत्याशी अपनी हार जानते हुये भी जीत की बात करता नजर आता है। इस बार लोकसभा के चुनावी चरण पूर्व लोकसभा चुनावों से अलग हटकर है जहां कई राज्यों में जहां चुनाव एक दो चरणों में हुआ करते वहां कई चरण में कराये जा रहे है। इस बार के लोकसभा चुनाव में पूर्व की तरह सत्ता पक्ष को जनादेश मिलने के कम आसार बन रहे है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में सत्ता पक्ष को पूर्व की तरह सीट आने के आसार कम नजर आ रहे है। चुनाव के दौरान पहले से गिरता मतदान प्रतिशत भी सत्ता पक्ष के सत्ता पाने के आकड़े को कम करता नजर आ रहा है। सत्ता पाने की होड़ ने आज लोकसभा चुनाव के ढंग को ही बदल रहा है जो लोकतंत्र हित में कदापि नहीं।

अदालत के फैसले से प्रेशर में ममता, नहीं मानेंगी फैसला

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत पूर्व में ही वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार वर्तमान स्तर 3.50 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2031 तक 7.5 ला अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच जाएगा और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिका एवं चीन के

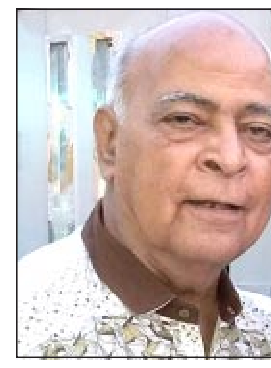

- अशोक भाटिया

2024 के आम चुनाव के पांच चरण पूरे हो चुके है। एक- एक सीट के लिए कशमकश लगी हुई है क्योंकि अभी छठे व सातवें चरण का चुनाव बाकी है। बता दें कि बंगाल में लोकसभा चुनाव जारी हैं। 42 लोकसभा सीटों में से 26 सीटों पर मतदान हुआ है और 16 सीटों पर अगले दो चरणों में मतदान होने बाकी है। ये सीटें कोलकाता और कोलकाता से आसपास और दक्षिण बंगाल की हैं। इन इलाकों में मुस्लिमों की बड़ी संख्या है। इस बीच कलकत्ता हाई कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जिससे ममता प्रेशर में है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद तैयार की गई सभी ओबीसी सूची को रद्द कर दिया है। इस फैसले की वजह से पांच लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द हो जाएंगे। अदालत ने कहा कि 2010 से पहले के ओबीसी के व्यक्तियों के सर्टिफिकेट वैध माने जाएंगे। 2010 के बाद जिन लोगों को ओबीसी आरक्षण की वजह से नौकरियां मिल गई है या भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, उनकी नौकरी जारी रहेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को विशेष रूप से तृणमूल सरकार का उल्लेख नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए जाएंगे। संयोग से तृणमूल कांग्रेस 2011 से राज्य में सत्ता में आई है। नतीजतन, अदालत का आदेश केवल तृणमूल सरकार द्वारा जारी ओबीसी प्रमाण पत्र पर प्रभावी होगा। पीठ ने कहा कि इसके बाद राज्य विधायिका यानी विधानसभा को यह तय करना है कि ओबीसी कौन होगा। पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ओबीसी की सूची निर्धारित करेगा। उस सूची को राज्य विधानमंडल या विधानसभा को भेजा जाना चाहिए। जिनके नाम विधानसभा द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे उन्हें भविष्य में ओबीसी माना जाएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना है कि 2010 के बाद जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए गए हैं, वे कानून के मुताबिक ठीक से नहीं बनाए गए हैं। इसलिए उस प्रमाणपत्र को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही हाई कोर्ट ने कहा है कि इस निर्देश का उन लोगों पर कोई असर नहीं होगा जो पहले ही इस सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पा चुके हैं या नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं। अन्य लोग अब इस प्रमाणपत्र का उपयोग रोजगार प्रक्रिया में नहीं कर सकेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने बुधवार को फैसला सुनाया। जिस मामले के आधार पर हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया, वह मामला 2012 में दायर किया गया था। वादियों की ओर से वकील सुदीप्त दासगुप्ता और विक्रम बनर्जी अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि वाम मोर्चा सरकार ने 2010 में एक अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर पश्चिम बंगाल में 'अन्य पिछड़ा वर्ग' बनाया। उस कैटेगरी को 'ओबीसी-ए' नाम दिया गया है। लेकिन अगले वर्ष, वाम मोर्चा बंगाल मसनद से हट गया। 2011 में तृणमूल सत्ता में आई। नई सरकार सत्ता में आई और उस वर्ष के अंतिम रिपोर्ट के बिना एक सूची बनाई और कानून बनाया। जिसके आधार पर तृणमूल सरकार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत गरमा गई है। इस फैसले के तुरंत बाद ही राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वह इस फैसले को नहीं मानती हैं। यह बीजेपी का फैसला है और इस फैसले खिलाफ वह अपील करेंगी। राज्य में ओबीसी को आरक्षण दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। लेकिन कोर्ट के इस फैसले को बीजेपी ने स्वागत किया और कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ओबीसी उप-श्रेणी के तहत मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर दिया है। इससे ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति खुलकर सामने आ गई है। इसके साथ ही देश के अन्य राज्यों में ओबीसी को कोटे से मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने के भाजपा के आरोप पर अब बंगाल में भी नया हथियार मिल गया है। भाजपा आरोप लगाती रही है कि ओबीसी के लोगों को वंचित कर मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया है। इसके पहले भाजपा ने कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार पर ओबीसी को वंचित कर मुस्लिमों को आरक्षण देने का आरोप लगाया था। अब इसी मुद्दे पर ममता बनर्जी भी भाजपा के निशाने पर हैं। इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है।

गौरतलब है कि साल 2011 में लेफ्ट फ्रंट को पराजित कर तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आयी थी। उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में संशोधन किया और नई सूची बनाई गई। उस समय राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ओबीसी में 42 समुदायों को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश की गई थी, जिनमें से 41 समुदाय मुस्लिम धर्म के थे। इसी तरह से 11 मई, 2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार 35 समुदायों की सिफारिश की गई, जिनमें से 30 समुदाय मुस्लिम धर्म के थे। इस तरह से 77 समुदाय (42+35) को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। इनमें 77 में से 71 समुदाय मुस्लिम समुदाय के थे। पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में 179 जातियां हैं। और इस लिस्ट को दो कैटेगरी में बांटा गया है। श्रेणी-ए और श्रेणी-बी। श्रेणी ए अति पिछड़ा है। और श्रेणी-बी पिछड़ा है। श्रेणी-ए में 81 जातियां शामिल हैं, जिनमें से 73 जातियां मुस्लिम हैं। इनमें वैद्य मुस्लिम, बबियारी मुस्लिम, मुस्लिम बढ़ई, मुस्लिम दफादार, गायेन मुस्लिम, मुस्लिम जमादार, मुस्लिम कलंदर, कसाई, माझी (मुस्लिम), खानसामा जैसी जातियां शामिल हैं। श्रेणी-बी में 98 में से 45 जातियां मुस्लिम हैं। श्रेणी-बी में वैश्य कपाली, बंशी बर्मन, बरुजीवी, चित्रकार, दीवान, कर्मकार, कुर्मी, मालाकार, मोइरा, गोला, तेली जैसी जातियां शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 17 प्रतिशत आरक्षण है। इनमें कैटेगरी ए के उम्मीदवारों को 10 फीसदी आरक्षण मिलता है। वहीं श्रेणी-बी के उम्मीदवारों को 7 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। ममता सरकार के इस फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला दायर किया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर मामले में कहा गया था कि साल 2010 में एक अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर वाम मोर्चा सरकार ने ओबीसी की एक सूची बनाई थी, लेकिन 2011 में तृणमूल सरकार के सत्ता में आने के बाद बिना अंतिम रिपोर्ट के उसने ओबीसी की जो सूची बनाई। वह पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के विपरीत थी। परिणामस्वरूप, जो लोग वास्तव में पिछड़े वर्ग के हैं, वे आरक्षण के लाभ से वंचित हैं।

इस मामले में 2012 के अधिनियम को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की गई है और 1993 के अधिनियम के अनुसार वास्तविक पिछड़े वर्गों की पहचान करके एक नई ओबीसी सूची तैयार के लिए अदालत से फरियाद की गई। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वास्तविक पिछड़ा वर्ग से आने वाले अल्पसंख्यकों को इस कार्य के लिए तृणमूल सरकार द्वारा ओबीसी सूची में शामिल करने से वंचित कर दिया गया है। बुधवार को न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा की पाठ ने याचियाकर्ता के तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि 2010 के बाद बनी सूची1993 के एक्ट के खिलाफ है। कोर्ट ने जिन लोगों को 2010 के बाद ओबीसी प्रमाणपत्र मिला था, वे सभी रद्द करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि नये अधिनियम 1993 के अनुसार पिछड़े वर्गों की सूची तैयार की जानी है। वह सूची विधानसभा में जायेगी और वहां से अनुमोदन लेना होगा, लेकिन कोर्ट ने यहां नौकरी पाने वाले उन लोगों को राहत दी, जिन्हें इस दौरान ओबीसी सर्टिफिकेट से नौकरियां मिली हैं। कोर्ट ने कहा कि इस फैसले से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाईकोर्ट द्वारा 2010 के बाद के ओबीसी सर्टिफेकेट को रद्द किए जाने के बाद ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया जताई। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू किया गया ओबीसी आरक्षण कोटा जारी रहेगा। हमने घर-घर सर्वेक्षण करने के बाद विधेयक का मसौदा तैयार किया था और इसे कैबिनेट और विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। उन्होंने इसे भाजपा का फैसला करार देते हुए कहा कि भाजपा ने केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके इसे रोकने की साजिश रची है। भगवा पार्टी इतना दुस्साहस कैसे दिखा सकती है? उन्होंने कह कि बंगाल में आरक्षण है और जारी रहेगा। दूसरी ओर, भाजपा नेता अमित मालवीय ने इसे लेकर ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की तुष्टिकरण की राजनीति को एक और झटका देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ओबीसी उप-श्रेणी के तहत मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर दिया है। इसने 2010-2024 के बीच जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को भी अमान्य कर दिया है। जिन लोगों को इसके तहत नौकरी दी गई है, यदि वे अपनी नौकरी बरकरार रखने में कामयाब होते हैं, तो वे किसी भी अन्य लाभ के हकदार नहीं होंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने पर, एनसीबीसी आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने कहा कि रपश्चिम बंगाल में 2010 के बाद सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने का कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला का हम स्वागत करते हैं। 2023 में हमारी समीक्षा के दौरान, हमने देखा 2010 के बाद 65 मुस्लिम जातियों और 6 हिंदू जातियों को ओबीसी सूची में जोड़ा गया, हमने इस संबंध में एक रिपोर्ट मांगी लेकिन राज्य सरकार ने हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी। अदालत का फैसला बिल्कुल सही है और हम स्वागत करते हैं।

पाकिस्तानी प्रेस में भारतीय चुनाव

- **सुभाष आनंद**

भारतीय चुनाव में पाकिस्तान के नागरिक विशेष रुचि ले रहे इसीलिए इस पर और पाकिस्तान के समाचार पत्रों में लंबे-लंबे लेख लिखे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर पाकिस्तान के समाचार पत्र बहुत सख्त है। उनका कहना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आती है तो भारत-पाकिस्तान के संबंधों में कुछ खास सुधार देखने को नहीं मिल सकता। इस्लामाबाद से प्रकाशित होने वाले उर्दू समाचार पत्र जंग में महिला पत्रकार करीना लोधी ने लिखा है कि पाकिस्तान मे हवाओं का रुख बदल गया है । पाकिस्तान सरकार भारत में मधुर संबंध बनाने की इच्छुक है। नई सरकार चाहे किसी भी पार्टी की बने, उन्हें भी मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, भारत-पाक पहले भी दो परतयज्ञ युद्ध लड़ चुके हैं। 1965 और 1971 के युद्ध में दोनों देशों का नुकसान हुआ था। जब से पाकिस्तान में नई सरकार बनी है तभी से पाकिस्तान के व्यापारी सरकार पर दबाव बना रहे है कि दोनों देशों के बीच व्यापार का रास्ता खोला जाए। एक अन्य पत्रकार नूर अकरम ने अपने समाचार पत्र में लिखा है कि दोनों देश आतंकवाद से पीड़ित है, दोनों सरकारों को मिल जुल कर आतंकवाद की समाप्ति के लिए कदम उठाने चाहिए। हालांकि पाकिस्तान सरकार को मालूम है कि भारत में आतंकवाद फैलाने और नशीले पदार्थ भेजने के लिए कौन-कौन से लोग सक्रिय है। पाकिस्तानी मीडिया ऐसे गिरोहों का पर्दा फाश करती है लेकिन पाकिस्तान सरकार इन पर कोई एक्शन नहीं लेती। डॉन समाचार पत्र के सिद्दीकी रहमान ने लिखा है कि यदि भारत में मोदी सरकार दोबारा रिपीट होती है तो हिंद पाक के संबंध सुधरने वाले नहीं है। क्योंकि मोदी हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मोदी सरकार ने मुस्लिम समाज का शोषण किया है और अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करके राम मंदिर का निर्माण किया है। मोदी सरकार संविधान में संशोधन करके मुसलमान को दूसरे दर्जे का नागरिक बना सकती है। यदि भारत में कांग्रेस सरकार आए तो मुस्लिम समाज को कुछ राहत मिल सकती है, मुस्लिम समाज सदा कांग्रेस के शासनकाल में सुरक्षित रहा है। गुजरात के दंगों से प्रभावित हुए मुसलमान आज भी मोदी को कसाई कहते हैं। मोदी के शासनकाल में मुस्लिम समाज सुरक्षित नहीं है। एक के बाद एक मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक चालें चल कर पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। पाकिस्तान के उर्दू समाचार पत्र भारतीय चुनाव से भरे पड़े हैं। उनका मानना है कि यदि हिंदुस्तान में दोबारा मोदी जीतता है तो वह पाकिस्तान के विकास में कांटे खड़े कर सकता है। यदि भारतीय जनता पार्टी ने 400 का आंकड़ा पार कर लिया तो मोदी पाकिस्तान के खिलाफ सख्त फैसले ले सकता है जिससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो सकता है। नवाए वक्त समाचार पत्र में हिमा कुरैशी ने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज से इतनी नफरत करती है कि उन्होंने भारतीय लोकसभा की 542 सीटों पर एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। पाकिस्तान के प्रसिद्ध पत्रकार हैदर हुमायूं ने अपने लेख में लिखा है कि मोदी की मुस्लिम विरोधी नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार के मुसलमान नेशनल एलायंस के पक्ष में खड़े हो गए हैं, उससे लगता है कि मुस्लिम बाहुल्य धनी आबादी वाले प्रदेशों में मोदी को बहुत नुकसान होने वाला है जिसके कारण वह तीसरी बार सत्ता में नहीं आ सकते। भारत की अन्य राजनीतिक पार्टियों जैसे कांग्रेस, एस.पी इत्यादि ने बड़े पैमाने पर मुसलमानों को टिकट दिए हैं जो आपसी भाईचारे का अच्छा प्रतीक है। पाकिस्तान सरकार के साथ-साथ पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की निगाहें भी भारतीय चुनाव पर लगी हुई है। मरियम नवाज भी चाहती हैं कि भारत के साथ खुला व्यापार खोला जाए, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था सुधर सके। पाकिस्तान के बड़े कालम नवीस डॉक्टर सुल्तान अहमद ने लिखा है कि जहां पाकिस्तान में हाल ही में नई सरकार का गठन हुआ है वहीं भारत में दो माह बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, देखना होगा कौन सी पार्टी सत्ता में आती है। दोनों बड़ी शक्तियां हैं युद्ध के बारे में कोई सोच नहीं सकता। एक तरफ पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है इसलिए वह युद्ध के बारे में सोच भी नहीं सकता। उधर भारत विश्व की चौथी महान शक्ति बनने के नजदीक पहुंच रहा है, भारत को चाहिए कि वह पाकिस्तान को अपने छोटे भाई की तरह व्यवहार करें ताकि दोनों देशों की गरीबी दूर हो सके। शिक्षा के क्षेत्र में पाकिस्तान बहुत कमजोर है वही आपसी संबंधों से शिक्षा स्तर का सुधार होना चाहिए, पाकिस्तान के दिल के रोगियों की आधुनिक सर्जरी को भारत में करवाने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मोदी को हिंदू-मुसलमान का नारा छोड़ एशिया में विकास का नारा बुलंद करना चाहिए। पाकिस्तान हिंदुस्तान से निकला हुआ एक राष्ट्र है, दोनों देशों के प्रतिनिधियों को आपसी दुश्मनी भुलाकर विकास के पथ पर चलना चाहिए।

कविता

आ जाओ अर्जुन गांडीव संग

आ जाओ अर्जुन गांडीव संग ले आओ तुम साथ गदाधारी भीम।
उथल पुथल यहां मचा है डरा हुआ है जनता बृंद।।

एक तरफ चौसर के पासे एक तरफ अब लक्षागृह।
पता नही कौन सकुनी है जो जला रहा है लक्षागृह।।

धर्मराज के हाथ बंधे हैं विवश खड़े हैं साधे मौन।
भीष्म प्रतिज्ञा में बंधकर गंगा पुत्र भी खड़े हैं मौन।।

धृतराष्ट्र तो आंख से अंधा है देख नही सकता हलचल।
पुत्र मोह में मन से भी अंधा अनीति के संग है चलकर।।

चारो तरफ भ्रष्टाचार फैला है विवश खड़ा है आम जन।
पता नही कब कौन छलेगा अपने स्वार्थ में इस आम जन।।

बंशीधर तो आप के सखा है चक्र सुदर्शन उनके हाथ।
कलाधारी से विनती कर लो ले आओ तुम उनको साथ।।

पाशुपत्र भी साथ में लाना धर्मरथ पर चढ़कर आना आप।
महावीर को रथ पर लाना धर्म पताका फहराना आज।।

जनता में संतोष दिलाना सम्मान दिलाना जनता को आप।
आर्यवर्त के शान शौकत में पुन: लिखवाना नवीन इतिहास।।

श्री कमलेश झा
(नगरपारा भागलपुर, बिहार)

खतरों के खिलाड़ी थे देवऋषि नारद

- **बाल मुकुन्द ओझा**

देवऋषि नारद को खतरों का खिलाडी मानने वालों की समाज में कमी नहीं है। वे ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार थे जो सूचनाओं की तह में जाते थे। देवताओं से लेकर असुरों तक उनका सम्मान करते थे। नारद जी कई बार खतरों से घिरे होने के बावजूद अपने पत्रकारिता कर्म को बखूबी निभाते थे। जो जन सामान्य को जरूरी सूचनाओं, समाचारों और ताजा जानकारियों को पहुंचाता है, उसे पत्रकार कहा जाता है। पत्रकारों का काम समाज को सच और निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराने में भी सहायता प्रदान करता है। महर्षि नारद तीनों लोको के समाचार निडर और निर्भीक होकर पहुंचाते थे। इसके लिए कई बार संकट से भी घिर जाते थे। सच बोलना तब भी खतरा था और आज भी। नारद साहसी थे और बिना झिझक और डरे अपना काम करते थे। देवऋषि नारद मुनि के जन्म दिवस के रूप में ज्येष्ठ महीने के कृष्ण की प्रतिपदा तिथि को नारद जन्मोत्सव मनाई जाती है। इस साल नारद जन्मोत्सव शुक्रवार, 24 मई मनाई जा रही है। शास्त्रों के अनुसार नारद को ब्रह्मा के सात मानस पुत्रों में से एक माना गया है। इसी वजह से उन्हें देवर्षि भी कहा जाता है। देवर्षि नारद को आदि काल का पत्रकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें पत्रकारिता के सारे गुण हैं। जो व्यक्ति अपनी बात निडरता से कहे वही सफल पत्रकार है। नारद ऊंचे दर्जे के पत्रकार थे और हमेशा सत्य को सामने लाते थे। वे एक स्थान से दूसरे का भ्रमण कर लोगों को सूचना देकर सचेत करते थे। लोक मंगल की कामना से जन जन में अपनी संवाद शैली एवं संपर्क कला से अलख जगाने वाले आदि पत्रकार नारद का संचार दर्शन भारतीय पत्रकारिता को लोक कल्याण की राह दिखा सकता है। नारद ने लोक कल्याण की भावना से अपने कार्यों को अंजाम दिया था इसीलिए उन्हें लोक कल्याण का रहनुमा भी कहा जाता है। नारद ने समाज की भलाई के लिए अपने सूचना श्रोतों का उपयोग किया था। कुछ लोग उन्हें चुगलखोर भी कहते है जो सही नहीं है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार नारद को ईश्वर का दूत माना जाता है। अनेकों टीवी सिरियल में उनका व्यक्तित्व एक पत्रकार एवं सूचनाओं के गजब के विशेषज्ञ के रूप में प्रकट किया गया है। किसी संवाददाता की भांति उनका घटनास्थल पर नारायण नारायण के उद्घोष के साथ अवतरित होना और खोजबीन के तथ्यों सहित अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करना वर्तमान टीवी बहसों के माफिक कहा जा सकता है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसा लगता है कहीं भटक गया है मगर नारद का चरित्र अपनी विषय वस्तु पर अडिग रह कर समाज और देश का मार्गदर्शन करता है। उन्हें दुनिया का प्रथम संदेशवाहक माना जाता है। संचार की दुनिया में नारद को माननेवाले उन्हें बेहद श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ पूजते है। आज के शासकों की तरह नारद भी भगवान विष्णु के साथ उनके विमान में यात्रा करते देखे जाते थे। ऐसा विवरण ऋग्वेद में मिलता है। वह मनुष्य, देवताओं एवं राक्षसों से सम्बंधित सभी घटनाओं से अवगत रहते हैं। नारद का व्यक्तित्व वाकई बेजोड़ है। उनकी तर्कशक्ति विलक्षण है। पुराणों एवं वेदों के महाज्ञाता और महान संत के रूप में वे सर्वविख्यात है।

देवर्षि नारद दुनिया के प्रथम पत्रकार थे जिन्होंने विभिन्न लोकों में परिक्रमा करते हुए संवादों के आदान-प्रदान द्वारा पत्रकारिता को प्रारंभ किया। इस प्रकार देवर्षि को प्रथम पत्रकार की मान्यता हासिल हुई। ऐतिहासिक ग्रंथों से मिली जानकारी के अनुसार नारद का तोड़ने में नहीं अपितु जोड़ने में दृढ़ विश्वास था। उन्होंने सृष्टि के विकास के बहुआयामी प्रयास किये और अपने संवादों के माध्यम से पत्रकारिता की नीवं रखी। नारद को मानव से लेकर दैत्य और देवताओं का समान रूप से विश्वास हासिल था और यही कारण था कि अपनी विश्वसनीयता के बूते उन्होंने सभी के मनों पर विजय प्राप्त की और पत्रकारिता धर्म को निभाया। नारद अपनी बात दृढ़ता से रखते थे। नारदजी का कार्य समाजहित मे होता था। उनका कार्य रामायण, महाभारत काल मे एकदम सकारात्मक है। नारदजी ने अत्याधिक जटिल समस्या का समाधान बहुत ही बुद्धिमतापूर्ण किया। हम उनसे बहुत कुछ ग्रहण कर सकते है। किसी भी प्रकार की शंका होने पर वे भगवान विष्णु से अवश्य परामर्श लेते थे। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि, ब्रह्मा के सात मानस पुत्रों में से एक हैं। उन्होंने कठिन तपस्या से देवर्षि पद प्राप्त किया है। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं। देवर्षि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने सर्वप्रथम यह तय किया था कि सम्पूर्ण देश में नारद जयंती पत्रकार दिवस के रूप में आयोजित कर नारद के कृतित्व और व्यक्तित्व को वृहद रूप से रेखांकित कर जन जन तक पहुँचाया जावे। संघ के इस निर्णय की पालना में उसके अनुषांगिक संगठन विश्व संवाद केंद्र की और से हर साल नारद जन्मोत्सव का आयोजन कर पत्रकारों को सम्मानित किया जाता है। देश की जनता को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व संवाद केंद्र का आभारी होना चाहिए जिन्होनें नारद जी और पत्रकारिता के बीच संबंध स्थापित कर यह विषय समाज तक पहुचाया।

(वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर)

महिलाओं का वोट 48%,फिर सीटें 14% ही क्यों? भारत की महिला मतदाता; एक ताकत है जिसे गिना जाना चाहिए। राजनीतिक दल कल्याणकारी योजनाओं और रियायतों के वादों के साथ महिलाओं के वोट हासिल करने की होड़ में हैं,लेकिन सच्चा सशक्तिकरण अभी भी मायावी है। जब तक राजनीतिक पार्टियां अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट नहीं देती,तब तक उनकी भागीदारी बढ़ाने की कल्पना तक नहीं की जा सकती। देश की मतदाता सूची में महिला वोटरों की तादाद लगातार बढ़ रही है।

वोटर लिस्ट में बढ़ती महिलाएं संसद में कब बढ़ेगी ?

- **प्रियंका सौरभ**

भारत में महिलाओं की स्थिति हमेशा एक समान नहीं रही है। इसमें समय-समय पर हमेशा बदलाव होता रहा है। यदि हम महिलाओं की स्थिति का आंकलन करें तो पता चलेगा कि वैदिक युग से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं की सामाजिक स्थिति में अनेक तरह के उतार-चढ़ाव आते रहे हैं और उसके अनुसार ही उनके अधिकारों में बदलाव भी होता रहा है। इन बदलावों का ही परिणाम है कि महिलाओं का योगदान भारतीय राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में दिनों-दिन बढ़ रहा है जो कि समावेशी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक सफल प्रयास है। चुनाव महिला उम्मीदवारों से जुड़े कई राजनैतिक पूर्वाग्रहों को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। साथ ही महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण करने भी कारगर सिद्ध होगा। तमाम प्रमुख राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में भारी फर्क है। जब तक राजनीतिक पार्टियां अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट नहीं देती, तब तक उनकी भागीदारी बढ़ाने की कल्पना तक नहीं की जा सकती। लेकिन टिकटों के बंटवारे के समय तमाम दल किसी न किसी बहाने महिलाओं को चुनाव लड़ने से दूर रखने का प्रयास करते रहे हैं। जब तक यह पुरुषवादी मानसिकता नहीं बदलती, महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बावजूद तस्वीर ज्यादा नहीं बदलेगी। महिला मतदाता इतनी महत्वपूर्ण कभी नहीं थी जितनी अब है। महिला मतदाताओं को तेजी से एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के रूप में पहचाना जा रहा है जो परिणामों को प्रभावित कर सकता है, महिला आरक्षण विधेयक के जल्दबाजी में पारित होने से बेहतर इसका कोई प्रतीक नहीं है। भाजपा द्वारा 'नारी शक्ति' पर किए गए सभी बड़े दावों के बावजूद, नवंबर में पांच राज्यों के चुनावों में उसके केवल 10 से 15 प्रतिशत उम्मीदवार महिलाएं थीं। यही बात उन अन्य पार्टियों पर भी लागू होती है जिनकी अखिल भारतीय उपस्थिति है। भारत की महिला मतदाता, एक ताकत है जिसे गिना जाना चाहिए। राजनीतिक दल कल्याणकारी योजनाओं और रियायतों के वादों के साथ महिलाओं के वोट हासिल करने की होड़ में हैं, लेकिन सच्चा सशक्तिकरण अभी भी मायावी है। जब तक राजनीतिक पार्टियां अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट नहीं देती, तब तक उनकी भागीदारी बढ़ाने की कल्पना तक नहीं की जा सकती। देश की मतदाता सूची में महिला वोटरों की तादाद लगातार बढ़ रही है। लेकिन राजनीतिक दलों की ओर से टिकट नहीं मिलने के कारण वे इस अनुपात में संसद में नहीं पहुंच पातीं। मतदाताओं में आधी आबादी महिलाओं की है। पिछले 15 सालों में हिंदी बेल्ट राज्यों में उनकी संख्या में वृद्धि चुनाव परिणामों पर गहरा असर डाल रही है। इन सबके बीच एक सवाल यह भी उठता है कि भारत की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब भी कम क्यों है? क्यों अब भी लगभग सभी पार्टियां महिलाओं को टिकट देने से कतराती हैं?

बीते लोकसभा चुनाव में 542 सांसदों में से 78 महिलाएं थीं। इनमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 11-11 महिलाएं चुनाव जीती थीं। संसद में महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने वाली भाजपा ने 417 संसदीय सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। इनमें 68 महिलाएं हैं। यानी पार्टी ने सिर्फ 16 फीसदी महिलाओं पर ही भरोसा जताया है। बीजेपी ने 2009 में 45, 2014 में 38 और 2019 में 55 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। कांग्रेस ने अब तक 247 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसमें 35 उम्मीदवार यानी 14 फीसदी से कुछ ज्यादा महिलाएं हैं। वर्ष 2019 में कांग्रेस ने 54 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में जिन 42 उम्मीदवारों की घोषणा है उनमें 12 महिलाएं हैं। लोकसभा चुनाव में कुल 96.8 करोड़ मतदाताओं में से 68 करोड़ लोग मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 33 करोड़ यानी 49 फीसदी महिला मतदाता होंगी। 85.3 लाख महिलाएं पहली बार मतदान करेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक, 2047 तक (2049 में संभावित चुनाव) महिला मतदाताओं की संख्या बढ़कर 55 फीसदी (50.6 करोड़) और पुरुषों की संख्या घटकर 45 फीसदी (41.4 करोड़) हो जाएगी। भारत के राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पिछले दशक की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। महिला मतदाता अब चुनावों में पहले से कहीं अधिक बड़ी भूमिका निभा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब साक्षरता बढ़ने के कारण महिलाएं राजनीतिक फैसला लेने वाले एक अहम समूह के रूप में उभर रही हैं। महिला आरक्षण विधेयक, रसोई गैस सब्सिडी, सस्ते ऋण और नकद राशि के वितरण जैसे कदमों से महिला मतदाताओं को लुभाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से बीजेपी के वोटों में वृद्धि में मदद मिली है। महिला वोटरों की संख्या बढ़ी है क्योंकि उनकी आबादी और शिक्षा भी बढ़ी है। राजनीतिक दलों ने भी जागरूकता फैलाने में योगदान दिया है। यह उनके भी हित में था की वो महिलाओं को जागरुक करें और मतदान के लिए प्रोत्साहित करें ताकि उनका वोट प्रतिशत बढ़ सके। महिलाओं की तरफ फोकस इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि पुरुष कई बार काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं और ऐसे में वो मतदान के लिए अपने क्षेत्र में नहींआते हैं।' चुनाव आयोग ने भी इस दिशा में काम किया और महिलाओं के लिए बूथ तक पहुंचना और वोट डालना आसान बनाया। बूथों पर गर्भवती महिलाओं के लिए भी अलग इंतजाम किए जाते हैं। पर यह प्रगति इतनी धीमी है कि भारत अब भी कई बड़े देशों से इस मामले में पीछे है। महिला वोटर्स की संख्या में तो इजाफा हुआ है पर कैंडीडेटडे और सांसदों के तौर पर उनकी संख्या अभी भी बहुत कम है। तमाम राजनीतिक दल महिलाओं को कई स्पेशल स्कीम से लुभाने की कोशिश करते हैं। जैसे फ्री बस राइड, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर आदि पर ज़्यादातर पार्टियांउन्हें टिकट देने के मामले में कंजूसी करती हैं।

छतीसगढ़ और त्रिपुरा को छोड़ दें तो ज्यादातर राज्यों में महिला सांसदों की संख्या बहुत कम है। स्वामी विवेकानन्द का मानना है - कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है, वहाँ की महिलाओं की स्थिति। हमें महिलाओं को ऐसी स्थिति में पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, जहाँ वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से खुद सुलझा सकें। हमारी भूमिका महिलाओं की ज़िंदगी में उनका उद्धार करने वाले की न होकर उनका साथी बनने और सहयोगी की होनी चाहिए। क्योंकि भारत की महिला इतनी सक्षम है कि वे अपनी समस्याओं को खुद सुलझा सकें। कमी अगर कहीं है तो बस इस बात की, हम एक समाज के तौर पर उनकी क़ाबलियत पर भरोसा करना सीखें। ऐसा करके ही हम भारत को उन्नति के रास्ते पर ले जा पाएंगे।

(रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, उब्बा भवन, आर्यनगर, हिसार (हरियाणा))

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

एक हादसा, सौ-सवाल

पुणे में अमीर बाप के बिगड़ैल अल्पवयस्क बेटे ने शराब के नशे में दो युवा इंजीनियरों को रौंदने के बाद जिस तरह आनन-फानन में जमानत हासिल की, उस घटना ने तमाम सवालों को भी जन्म दिया। दुस्साहस देखिये कि दो करोड़ रुपये से अधिक महंगी विदेशी कार को सड़क पर यह किशोर दो सौ किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ा रहा था। उस धनी बाप के नशेड़ी बेटे को पुणे की सड़कों में रोकने वाला कोई नहीं था। उसने कई जगह दोस्तों के साथ शराब पार्टियां निबटाने के बाद अपनी पोर्श कार को इतनी अनियंत्रित गति से दौड़ाया कि मोटरसाइकिल सवार दो इंजीनियरों को मौत की नींद सुला दिया। संयोग से दोनों इंजीनियर जबलपुर, मध्यप्रदेश के ही थे। इस मामले में सोशल मीडिया पर आक्रोश का लावा तब फूटा जब 17 साल कुछ महीनों की उम्र वाले अभियुक्त को किशोर होने के नाते कुछ ही घंटों में जमानत दे दी गई। दो परिवारों के उम्मीदों के चिराग बुझ गए और किशोर न्यायालय ने अभियुक्त को कुछ निर्देश देकर ही छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर यह विषय रोष का विषय बना रहा है कि किशोर न्याय बोर्ड ने जमानत देते वक्त उसे महज दुर्घटना पर निबंध लिखने, 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने तथा मनोचिकित्सक से शराब की लत का इलाज कराने को कहा। इन शर्तों को सुनकर सोशल मीडिया पर गंभीर अपराधों में लिप्त किशोरों को वयस्कों की तरह दंड देने की मांग तेज हुई। फिर जब इस मामले में राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हुई तो अभियुक्त किशोर के अरबपति बिल्डर पिता और नाबालिगों को शराब परोसने वाले होटल के अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। सामाजिक जागरूकता की पहल रंग लायी और चुनावी माहौल में तुरत-फुरत कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री की सख्त कार्रवाई के निर्देश से लोगों में सकारात्मक संदेश गया। साथ ही पीड़ित पक्ष में भी विश्वास जगा कि कानून काम करता है चाहे आरोपी कितना भी ताकतवर क्यों न हो। निस्संदेह, ऐसे मामलों में अभियुक्तों के साथ शून्य सहिष्णुता का संदेश जाना ही चाहिए।

बहरहाल, इस घातक दुर्घटना के बाद सार्वजनिक विमर्श में यह सवाल फिर उठा कि गंभीर अपराधों में किशोरों की संलिप्तता होने पर वयस्कों के कानून के हिसाब से उन्हें सजा क्यों नहीं मिलती। सवाल यह है कि धनाढ्य बिल्डर ने क्यों किशोर पुत्र को बिना लाइसेंस के कार चलाने की अनुमति दी? क्यों बेटे को शराब पार्टी करने की इजाजत दी? क्यों होटल वालों ने किशोरों को शराब पीने की सुविधा दी? जब किशोर ने बार-बार जानबूझकर तमाम कानूनों का उल्लंघन किया तो उसे सामान्य कानून के तहत दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए? बहरहाल नये सिरे से किशोर न्याय अधिनियम में सुधार की बहस तेज हुई। एक गंभीर आपराधिक घटना के बाद किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोर को मामूली परामर्श के बाद छोड़ना भी विवाद का विषय बना। सामाजिक व राजनीतिक दबाव के बाद पुणे पुलिस द्वारा की गई तुरंत कार्रवाई समय की जरूरत थी। जो कालांतर भविष्य में ऐसी त्रासदियों को टालने में मददगार हो सकती है। कहा जाने लगा कि अपराध के अनुपात में दंड का निर्धारण किया जाना चाहिए। दरअसल, देश के विभिन्न भागों में भी किशोरों द्वारा तेज रफ्तार वाहन चलाने के तमाम मामले प्रकाश में आते रहते हैं, जिसमें खतरनाक ड्राइविंग के चलते कई किशोरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ये घटनाएं यातायात कानूनों को सख्ती से लागू करने और किशोर अपराधियों को दंडित करने के लिये कानूनी ढांचे की समीक्षा की आवश्यकता पर बल देती हैं। निस्संदेह, देश की न्यायिक प्रणाली को इस तरह के मामलों में उचित प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सही मायनों में अपराधी की उम्र की परवाह किये बिना ऐसे घातक कृत्यों में कड़े दंड के जरिये मिसाल कायम की जानी चाहिए। इससे जहां जनता का विश्वास बहाल होगा, वहीं हमारी सड़कों पर किशोरों की लापरवाह ड्राइविंग से होने वाली मौतों को भी रोका जा सकेगा।

सिख मर्यादा में रुमाला साहिब का कोई औचित्य नहीं है

हमें अगर सरकारों से सिखों की भलाई के कार्य करवाने हैं तो हमारी आवाज बुलंद करने के लिए सिख ब्यूरोक्रेटस का होना बहुत जरुरी है, सरकारों को राजनीतिक पार्टियां नहीं बल्कि यही लोग चलाते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्य आयोग के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा के द्वारा इसका गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए सभी सिख जत्थेबंदीयों को अपील की है कि पार्टीवाद से उपर उठकर ऐसे संस्थान बनाने के लिए आगे आएं।

आम तौर पर देखा जाता है कि गुरुद्वारा साहिब में रोजाना हजारों की गिनती में रुमाला साहिब संगत के द्वारा चढ़ाए जाते हैं ऐतिहासिक गुरुद्वारों और तख्त साहिबान पर चढ़ाए गये रुमालों की कीमत लाखों में होती है। आज तक किसी ने भी यह विचार ही नहीं किया कि रुमाला साहिब को चढ़ाने के पीछे क्या कारण है। सालों से परिवार के बड़े बुजुर्गों की देखा देखी हर कोई जब भी गुरुद्वारा साहिब में पाठ रखवाता है, या फिर मुराद पूरी होने पर शुकराना करने जाता है तो वह प्रशादि के साथ रुमाला साहिब भी चढ़ाता है। इतना ही नहीं गुरुद्वारों के समीप बनी दुकानदारों के द्वारा भी यह अंधविश्वास फैलाया जाता है कि अगर दर्शनों के लिए आप सैकड़ों मील का सफर तय करके आ रहे हैं तो रुमाला चढ़ाए बिना आपकी यात्रा सफल नहीं होगी जिसके चलते संगत रुमाला साहिब लेकर दर्शनों के लिए पहुंचती है, गैर सिख इन लोगों के बहकावे में जल्दी आ जाते हैं और उनसे रुमाला साहिब के बदले मुंहमांगी कीमत भी वसूली जाती है। अगर अकेले दरबार साहिब की ही बात करें तो वहां लाखों की गिनती में श्रद्धालु रोजाना देश विदेश से पहुंचते है और उनमें से ज्यादातर रुमाला साहिब भी भेंट करते हैं। छोटी सिंह सभा से लेकर ऐतिहासिक गुरुद्वारों और तख्त साहिबानों पर रुमालों के भण्डार भरे रहते हैं। दरबार साहिब में तो ज्यादातर चढ़ाए जाने वाले रुमालों को खोला तक नहीं जाता केवल गुरु ग्रन्थ साहिब से छुआ कर उसे साईड में रख दिया जाता है। खबर यह भी है कि कई जगहों पर तो रुमाला साहिब को पुनः पैक कर दुकानों पर वापिस भेज दिया जाता है और सदस्यों सहित सभी लोग मिलकर इसकी कीमत की बंदरबांट कर लेते हैं। बीते कुछ साल पहले दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी में भी रुमालों के गोरखधन्धे की बात सामने आई थी और ट्रक भरकर रुमाला साहिब रात के अन्धेरे में गुरुद्वारा परिसर से बाहर भेजे जा रहे थे, मगर खुलासा होने पर मामले को दबाकर निपटारा कर दिया गया था। इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी अक्सर ऐसा ही होता रहता है क्योंकि इतनी अधिक गिनती में रुमाला साहिब की संभाल करना भी मुश्किल हो जाता है और रुमाला साहिब के कपड़े को किसी का तन ढकने के काम में भी नहीं लाया जा सकता।

श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह ने रुमाला साहिब पर नोटिस लेते हुए संगत को जागरूक करते हुए अपील की है कि रुमाला साहिब पर होने वाले खर्च के बजाए संगत गुरु के लंगर और बिल्डिंग के लिए फण्ड दे सकती है। जत्थेदार साहिब के इस फैसले का जहां स्वागत हो रहा है वहीं कुछ लोगों के द्वारा इस पर भी जत्थेदार जी से सवाल किए जा रहे हैं कि अच्छा होता अगर जत्थेदार साहिब संगत को बिल्डिंग के बजाए जरूरतमंदों की मदद, बच्चों की एजुकेशन और मैडिकल सुविधाएं मुहैया करवाने की अपील करते। आज भी अनेक सिख परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही। रोजगार के साधन नहीं है, परिवार में किसी व्यक्ति के बीमार होने पर उसका इलाज तक के पैसे नहीं होते ऐसे परिवारों की पहचान कर उनकी मदद के लिए सिखों को आगे आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सिख कौम बिल्डिंगों को तोड़-तोड़ कर आलीशान बनाने के चक्कर में ही लगी रहे और सिखी का स्तर दिन प्रतिदिन कम होता चला जाए। इसलिए सभी धार्मिक नेताओं को पहले सिखी का स्तर उपर ले जाने के लिए कार्य करना होगा। सिख कौम की बदकिस्मतीसिख कौम पर गुरु साहिबान की पूरी बख्शिश है जिसके चलते सिख दुनिया के हर कोने में जाकर सिखी का झण्डा बुलंद करता आया है। मगर दूसरी ओर सिख कौम की बदकिस्मती भी है कि आज तक सिखों का अपना कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं मिला है जहां पर गरीब सिख का इलाज बिना पैसों के हो सके। ऐसा कोई विधयक संस्थान नहीं है जहां पर सिख परिवारों के बच्चों को वकालत, डाक्टरी की पढ़ाई बिना किसी शुल्क के करवाई जा सके, सिविल सर्विसिज परीक्षा के लिए बच्चों को तैयार किया जा सके। इसका नुकसान यह होने वाला है कि आने वाले समय में ना तो कोई सिख जज देखने को मिलेगा और ना ही ब्यूरोक्रेट।

हमें अगर सरकारों से सिखों की भलाई के कार्य करवाने हैं तो हमारी आवाज बुलंद करने के लिए सिख ब्यूरोक्रेटस का होना बहुत जरुरी है, सरकारों को राजनीतिक पार्टियां नहीं बल्कि यही लोग चलाते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्य आयोग के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा के द्वारा इसका गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए सभी सिख जत्थेबंदीयों को अपील की है कि पार्टीवाद से उपर उठकर ऐसे संस्थान बनाने के लिए आगे आएं। वह स्वयं इसमें पूर्ण योगदान देने को तैयार हैं। उनकी संस्थाओं से भी बात चल रही है जो इसकी पढ़ाई करवाने के लिए तैयार हैं मगर शुरूआत तो सिखों को स्वयं ही करनी होगी। जब भी सिविल सर्विसिज परीक्षा का परिणाम घोषित होता है तो सिखों के नेताओ के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए जमकर बयानबाजी करके चिन्ता जताई जाती है कि सिखों के बजाए गैर सिख बच्चे बाजी मार जाते हैं मगर इसे अमलीजामा पहनाने के लिए कोई आगे नहीं आता। अगर हम ऐसा प्लेटफार्म तैयार कर दें जहां सिख बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार किया जाए तो वह दिन दूर नहीं जब सिख बच्चे भी इन परीक्षाओं में पास होकर अच्छे जज, आईपीएस, आईएएस बन सकते हैं। स. इकबाल सिंह लालपुरा ने रिटायर्ड सिख अफसरों से भी आगे आकर इस कार्य में सहयोग देने की अपील की है। सिख राजनीति का चमकता सितारा इन्द्रपाल सिंह खालसा दिल्ली की सिख राजनीति का चमकता सितारा इन्द्रपाल सिंह खालसा जिन्होंने दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में बतौर धर्म प्रचार के चेयरमैन की सेवा निभाते हुए धर्म के प्रचार प्रचार के लिए अनेक कार्य किये जिसके चलते लोग उन्हें सदैव याद करते रहेंगे।

गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में स्थित प्रिन्टिंग प्रैस जहां गुरु साहिब के स्वरूप और अन्य धार्मिक साम्रगी प्रकाशित होकर देश विदेश में प्रचार के लिए भेजी जाती है। कार सेवा वाले बाबा हरबंस सिंह जी की मदद से उसे लगवाने का श्रेय भी इन्द्रपाल सिंह खालसा को जाता है। अमृतसंचार और खासतौर पर पंजाबी अखबारों को बढ़ावा देते हुए उन्होंने दिल्ली और दूसरे राज्यों में सिखी का जमकर प्रचार किया। इन्द्रपाल सिंह खालसा का जन्म 1936 में पाकिस्तान के रावलपिन्डी में हुआ। पिता अमर सिंह जिन्होंने आजादी से पहले लगे गुरु का बाग और जैतो के मोर्चे में जेल काटी। उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलते हुए इन्द्रपाल सिंह खालसा ने पंजाबी सूबे के लिए लगे मोर्चे में पहले ही दिन गिरफ्तारी दी और उसके बाद से जितने भी मोर्चे लगे सबमें हिस्सा लिया। उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर शिरोमणि अकाली दल में उन्हें अहम जिम्मेवा?रियां दी गई। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के 2 बार सदस्य चुने गये। उनका चित्र शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय कार्यालय में लगाया गया है और आने वाले दिनों में श्री अमृतसर साहिब संग्रहालय में भी लगाने का प्रस्ताव है।

खालसा जी के पुत्र भुपिन्दर सिंह खालसा भी पिता और दादा के दिखाए रास्ते पर चलते हुए देश और कौम की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने नुमाईंदो की कदर उनके जीवित रहते तो डालती नहीं, मगर उनके इस संसार से जाने के बाद उनके चित्र जरुर पार्टी कार्यालयों में लगाए जाते हैं।मलेशिया की पहली सिख कप्तान सिखों पर गुरु साहिबान की ऐसी बख्शिश है कि वह संसार के किसी भी देश में चले जाएं अपनी काबलियत के दम पर हर उंचाई छूहने की क्षमता रखते हैं।

आज का इतिहास

- जर्मन संसद ने फर्डिनेंड द्वितीय को 1653 में ऑस्ट्रिया का राजा घोषित किया।
- ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितिय ने 1660 में नीदरलैंड का दौरा किया।
- ब्रिटिश संसद ने 1689 में प्रोटेस्टेंट इसाइयों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी।
- यूनाइटेड आयरिशमैन ने 1798 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की।
- अमेरिका में 1830 में पहली बार यात्री रेलरोड सेवा की शुरुआत हुई।
- सैय्यद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मुहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है।
- ब्रुकलिन और मैनहट्टन को जोड़ने वाले ब्रुकलिन ब्रिज को 1883 में यातायात के लिए खोला गया।
- थॉमस अल्वा एडिशन ने 1915 में टेलीस्क्राइब का अविष्कार किया।
- एमी जॉनसन नामक महिला ने 1930 में अकेले विमान उड़ाकर लंदन से ऑस्ट्रेलिया पहुंची।
- बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की 2500 वीं जयंती 1956 में धूमधाम से मनायी गयी।
- कोलंबिया में 1957 में आये भूकंप के झटके महसूस किए गए।
- बांग्लादेश में 1985 में आये चक्रवाती तूफान से दस हजार लोग मरे।
- मार्गरेट थैचर 1986 में इजरायल का दौरा करने वाली ब्रिटेन की पहली प्रधानमंत्री बनी।
- रूस और अमेरिका ने 2002 में मास्को संधि पर हस्ताक्षर किया।
- इस्रायल के प्रधानमंत्री एरियल शैरोन ने 2003 में पश्चिम एशिया शांति योजना को स्वीकार किया।
- उत्तर कोरिया ने 2004 में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाया।
- एनबी इंकबेयर 2005 में मंगोलिया के राष्टपति चुने गये।
- राफेल कोरेया ने 2013 में तीसरी बार इक्काडोर के राष्टपति पद की शपथ ली।
- ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैण्ड की महारानी विक्टोरिया का जन्म 1819 में हुआ।
- भारत के प्रसिद्ध क्रान्तिकारियों में से एक करतार सिंह सराभा का जन्म 1896 में हुआ।
- प्रसिद्ध बांग्ला कवि, संगीत सम्राट, संगीतज्ञ और दा- र्शनिक काज़ी नज़रुल इस्लाम का जन्म 1899 में हुआ।
- भारत के पूर्व 'भारतीय विदेश सचिव' रंजन मथाई का जन्म 1952 में हुआ।
- माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल का जन्म 1954 में हुआ।
- भारतीय निर्देशक, संपादक, निर्माता और पटकथा लेखक शिरीष कुंदर का जन्म 1973 में हुआ।
- प्रसिद्ध यूरोपिय खगोलशास्त्री व गणितज्ञ निकोलस कॉपरनिकस का निधन 1543 में हुआ।
- अमेरीकी दासता विरोधी आंदोलन के नेता विलियम लायड गैरिसन निधन 1879 में हुआ।
- ब्रह्मसमाज के प्रसिद्ध नेता प्रतापचंद्र मजूमदार का निधन 1905 में हुआ।

राष्ट्रीय हित में नहीं चीन से कारोबारी असंतुलन

यकीनन इस समय चीन से आयात बढ़ने से कारोबार असंतुलन का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर वस्तुओं के चीन से आयात को नियंत्रित करने के मद्देनजर शुरू की गई ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के बावजूद नवंबर, 2023 से मार्च, 2024 के 5 महीनों में चीन से लैपटॉप एवं टैबलेट सहित कंप्यूटरों की आवक 47.1 प्रतिशत बढ़ गई है। इस अवधि में भारत ने चीन से 27.36 करोड़ डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर आयात किए हैं। यद्यपि इन उत्पादों के ताइवान और हांगकांग से भी आयात किए गए हैं, लेकिन उनकी तुलना में चीन से किए गए आयात का मूल्य कई गुना अधिक है।

हाल ही में 17 मई को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने उद्योग चैंबर सीआईआई के सालाना वार्षिक सम्मेलन में उद्योग जगत को संबोधित करते हुए कहा कि चीन के साथ कारोबार असंतुलन एक बड़ा मुद्दा है। यह पिछले 20 वर्षों में पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 के बाद से चीन से होने वाले आयात में लगातार वृद्धि हुई है और आयात में 44 फीसदी का इजाफा हो चुका है जबकि चीन को होने वाला निर्यात तकरीबन स्थिर है। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बावजूद वहां से आयात में हो रही लगातार वृद्धि पर पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री ने भारतीय उद्योग जगत को भी आड़े हाथों लिया और सम्मेलन में उपस्थित भारत के उद्योग जगत के सैकड़ों प्रतिनिधियों की तरफ चीन से हुई घुसपैठ के मद्देनजर इशारा करते हुए उन्होंने पूछा कि, क्या आप उसके साथ कारोबार करेंगे जो आपके ड्राइंग रूम में घुस कर आपके घर को नुकसान पहुंचा रहा है।

विदेशमंत्री एस. जयशंकर ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से यह सीख दी कि उद्यमियों को राष्ट्रीय हितों से जुड़ी संवेदनाओं का ख्याल रखना होगा। उन्होंने कहा कि, हमें चीन के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखना होगा। जहां तक संभव हो भारत में बनायें, भारत में खरीदें। जो राष्ट्रीय हित में है वह लंबी अवधि में कारोबार के हित में भी होगा। उन्होंने कहा कि कारोबार की अपनी जरूरतें हैं लेकिन लंबी अवधि के लिए हमें घरेलू सोर्सिंग व उत्पादन को बढ़ावा देना होगा और इसी आधार पर हमें फैसला करना होगा।

उल्लेखनीय है कि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में चीन से आयात 44.7 प्रतिशत बढ़कर 70.32 अरब डॉलर से 101.75 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में चीन को भारत का निर्यात 16.66 अरब डॉलर रहा। चीन बीते वित्त वर्ष 2023-24 में 118.41 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार के मामले में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है।

चीन से आयात में वृद्धि के कारण चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ गया है। चीन के साथ व्यापार घाटा 2018-19 में 53.57 अरब डॉलर था, वह बढ़ते हुए 2023-24 में 85.09 अरब डॉलर हो गया। विश्लेषण करें तो पाते हैं कि चीन से आयात में कमी नहीं आने के कई कारण हैं। भारत आवश्यक व रणनीतिक तौर पर बेहद जरूरी सेक्टर में भी चीन से आयातित उत्पादों पर काफी निर्भर है। यद्यपि चीन पर निर्भरता कम करने के जो रणनीतिक कदम उठाए गए, उनका अभी जमीनी तौर पर कोई विशेष असर नहीं दिखा है।

इसमें कोई दो मत नहीं है कि पिछले एक दशक से स्वदेशी उत्पादों को हरसंभव तरीके से प्रोत्साहित करके चीन से आयात घटाने के प्रयास हुए हैं। वर्ष 2019 और 2020 में चीन से तनाव के कारण जैसे-जैसे चीन की भारत के प्रति आक्रामकता और विस्तारवादी नीति सामने आई, वैसे-वैसे स्थानीय उत्पादों के उपयोग की लहर देश भर में बढ़ती हुई दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बार-बार स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और वोकल फॉर लोकल मुहिम के प्रसार ने स्थानीय उत्पादों की खरीदी को पहले की तुलना में अधिक समर्थन दिया है। चीन से आयात किए जाने वाले दवाई, रसायन और अन्य कच्चे माल का विकल्प तैयार करने के लिए पिछले दो वर्ष में सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव (पीएलआई) स्कीम के तहत 14 उद्योगों को करीब दो लाख करोड़ रुपये आवंटन के साथ प्रोत्साहन सुनिश्चित किए हैं।

ऐसे में हमें चीन से कारोबार असंतुलन को कम करने के लिए नए कारगर प्रयासों से देश को नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने और चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बाहर निकल रहे विदेशी निवेश को भारत की ओर मोड़ने के अधिक प्रयास करने होंगे। निश्चित रूप से चीन से व्यापार घाटा कम करने के लिए सरकार द्वारा और अधिक कारगर प्रयास करने होंगे।

अब एक बार फिर से देश के करोड़ों लोगों को चीनी उत्पादों की जगह स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। इस बात को भी समझा जाना होगा कि चीन से व्यापारिक असंतुलन की गंभीर चुनौती के लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, चीन के साथ व्यापार असंतुलन के लिए सीधे तौर पर देश का उद्योग-कारोबार और देश की कंपनियां भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कलपुर्जे सहित संसाधनों के विभिन्न स्रोत और मध्यस्थ विकसित करने में अपनी प्रभावी भूमिका नहीं निभाई है। साथ ही देश की बड़ी कंपनियां शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में भी बहुत पीछे हैं।

अब देश को वैश्विक प्राइज सीरीज में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने और रोजगार अवसरों में वृद्धि के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में तेजी लाने की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग को हर हाल में बढ़ाया जाना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग होने वाले हमारे उत्पादों की गुणवत्ता का भी ध्यान रखे जाने की जरूरत है।

हमें संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (यूएन डीईएसए) के आर्थिक विश्लेषण एवं नीति प्रभाग द्वारा हाल ही में की गई इस टिप्पणी पर भी ध्यान देना होगा कि भारत का आर्थिक विकास प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और यह कई पश्चिमी देशों की कंपनियों के लिए निवेश करने का एक वैकल्पिक गंतव्य बन गया है। इसी कारण चीन में विदेशी निवेश भी कम होता जा रहा है जहां वर्ष 2024-25 में चीन की विकास दर महज 4.8 फीसदी ही संभावित है वहीं भारत की विकास दर 6.9 प्रतिशत की ऊंचाई पर रह सकती है। साथ ही भारत 2027-28 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तथा 2031 तक भारत के उपभोक्ता बाजार के दोगुना होने की संभावनाएं हैं।

संविधान की मूल भावना हो आरक्षण की कसौटी

आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान संविधान में चार अलग-अलग स्थानों पर वर्णित हैं। अनुच्छेद 330 से 335 तक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए लोकसभा, विधानसभाओं तथा सरकारी नौकरी में आरक्षण के प्रावधान हैं। एंग्लो-इंडियन समुदाय के दो सदस्यों का लोकसभा में मनोनयन और रेलवे तथा डाक विभाग में दस वर्षों तक आरक्षण का आधार भी इन्हीं अनुच्छेदों में है।

वर्तमान लोकसभा चुनावों के प्रचार में आरक्षण को लेकर, विशेषकर एक समुदाय के आरक्षण पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्षी दल कह रहे हैं कि सत्तासीन पार्टी यदि पुनः सरकार बनाने में सफल हो गई तो आरक्षण समाप्त कर देगी। वहीं सत्ता-पक्ष कुछ राज्यों में मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण पर सवाल खड़ा करके उसे संविधान विरुद्ध बता रहा है। राजनीति को दरकिनार करके यदि देखा जाए तो आरक्षण ऐसी संविधान प्रदत्त गारंटी है जिसके सहारे एक समतामूलक और समावेशी समाज की परिकल्पना की गई थी, और यह तब तक प्रासंगिक रहेगा जब तक सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विषमताएं और भेद-भाव जनित परिस्थितियां दूर नहीं होतीं।

आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान संविधान में चार अलग-अलग स्थानों पर वर्णित हैं। अनुच्छेद 330 से 335 तक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए लोकसभा, विधानसभाओं तथा सरकारी नौकरी में आरक्षण के प्रावधान हैं। एंग्लो-इंडियन समुदाय के दो सदस्यों का लोकसभा में मनोनयन और रेलवे तथा डाक विभाग में दस वर्षों तक आरक्षण का आधार भी इन्हीं अनुच्छेदों में है। यहां महत्वपूर्ण है कि अनुसूचित जातियों के लिए छुआ-छूत जनित भेदभाव, जनजातियों के भौगोलिक एक सांस्कृतिक अलगाव तथा एंग्लो-इंडियन स मुदाय की सीमित संख्या उन्हें आरक्षण एवं मनोनयन का आधार प्रदान करती है। दूसरे, संविधान के अनुच्छेद 15(3), 15(4) एवं 15(5) में महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों में दाखिला पाने को आरक्षण दिया है। वर्ष 2019 में संविधान संशोधन कर आर्थिक पिछड़ेपन को मान्यता देकर इस वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया। तीसरे, ऐसे पिछड़े वर्गों, जिनका सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं, के लिए संविधान के अनुच्छेद 16(4), 16(4ए) एवं 16(4बी) में पद आरक्षित किए गए हैं। वर्ष 2019 में संविधान में नया अनुच्छेद 16(5) जोड़कर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए भी दस फीसदी नौकरियां आरक्षित की गईं। चौथे, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए आरक्षण प्रावधान अनु. 243डी तथा 243टी में दिए हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के राजनीतिक आरक्षण का आधार मूलतः कुछ वर्गों के प्रति छुआछूत बरतना और नागरिक अधिकारों का हनन बना था, सरकार और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के माध्यम से पीड़ित वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके इन सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन की अवधारणा संविधान में स्थापित की गई। क्योंकि छुआ-छूत का प्रसार केवल हिन्दू समाज में ही है, इसलिए अनुसूचित जातियों में मुसलमानों का उल्लेख नहीं है।

शुरुआत में आरक्षण के प्रावधान केवल अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए थे। पिछड़े वर्गों का आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय में श्रीमती चम्पक दोराईराजन प्रकरण (1951) के दौरान केन्द्र बिन्दु में आया, अदालत ने कहा कि यद्यपि अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण का उल्लेख करता है, अनुच्छेद 15 में इसका जिक्र तक नहीं है। इसके बाद संविधान में पहला संशोधन किया गया और अनुच्छेद 15(4) जोड़कर सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश संबंधी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। वर्ष 1953 में पिछड़े वर्गों की दशा का अध्ययन करने के लिए पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में बनाया गया। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बीपी मंडल की अध्यक्षता में वर्ष 1979 में गठित किया गया जिसकी रिपोर्ट 1990 में लागू की गई थी। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी। मंडल आयोग की रिपोर्ट ही मुसलमानों को पिछड़े वर्गों में सम्मिलित कराती है। रिपोर्ट में कहा गया था कि दो प्रकार की मुसलमान जातियां पिछड़ी जाति मानी जाएंगी, पहली, वे जो धर्म परिवर्तन से पहले हिन्दू अछूत जातियां थी और, दूसरी, वे हिन्दू पिछड़ी जातियां जिन्होंने धर्म परिवर्तन के बाद भी अपना परम्परागत व्यवसाय जारी रखा हो। इसके बाद अनेक राज्यों ने मुसलमानों की कुछ पिछड़ी जातियों को आरक्षण लाभ देना शुरू कर दिया था।

आरक्षण की संवैधानिक व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर की जाती रही है। इंदिरा साहनी प्रकरण (1992) में न्यायालय द्वारा व्याख्या दी गयी थी कि पिछड़े वर्ग की 'क्रीमी लेयर' को आरक्षण लाभ नहीं मिलना चाहिए, पदोन्नति में आरक्षण नहीं हो और 50 प्रतिशत से अधिक भी नहीं होना चाहिए।

चुनाव परिणाम का जवाब 4 जून को ही मिलेगा

पाकिस्तान तो मुद्दा ही नहीं रहा चाहे कुछ नेता उठाने की कोशिश करते रहते हैं। स्थानीय फ़ैक्टर भी उतार चढ़ाव को प्रभावित कर रहे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी और अंतरिम रिहाई, झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव सब अलग-अलग तरह से चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं।

चुनाव परिणाम क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसा मैंने एक महीने पहले अपने लेख में भी लिखा था। यह नहीं कि लोगों को दिलचस्पी नहीं है। गली, मोहल्लें, चौपालों, बैठकों, रेलों, बसों में सब जगह चर्चा चुनाव की ही है। उत्साह नहीं है, न किसी के पक्ष में, न किसी के विपक्ष में। 2014 और 2019 वाला जोश ग़ायब है। 2014 में जनता यूपीए सरकार के घपलों से परेशान थी, और 2019 में बालाकोट पर कार्यवाही ने लहर पैदा कर दी थी। पाकिस्तान तो मुद्दा ही नहीं रहा चाहे कुछ नेता उठाने की कोशिश करते रहते हैं। स्थानीय फ़ैक्टर भी उतार चढ़ाव को प्रभावित कर रहे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी और अंतरिम रिहाई, झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव सब अलग-अलग तरह से चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पार्टियों में इतनी टूट हो चुकी है कि कोई निश्चय से नहीं कह सकता कि क्या होगा। चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद और दूसरे चरण के मतदान के 4 दिन बाद डेटा जारी किया है। इस देर से आयोग ने अपनी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट भी सवाल कर रहा है। इन 5 चरण के मतदान से 5 बातें निकलती हैं।

भाजपा द्वारा शुरूआत विकसित भारत से की गई। 2047 की बात कही गई। इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी वृद्धि, डिजिटल इकॉनिमी का विस्तार, मिडलमैन को हटाना, करप्शन में कमी, आदि बहुत कुछ बताने को है। रोज़ 35 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं, 100 नए एयरपोर्ट बने हैं, हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ घर बने हैं, 'हर घर नल से जल'योजना से 14 करोड़ घरों को नल से पानी मिला है। 'प्रधानमंत्री की उज्व्वल योजना' के अंतर्गत 9.6 करोड़ घरों को गैस कनेक्शन मिले हैं, 12 करोड़ टॉयलेट बनाए गए हैं। यह सब योजनाएं बिना किसी भेदभाव के बराबर सबको पहुंच रही हैं। धारा 370 जिसे पिछली कोई सरकार नहीं हटा सकी, को हटाना भी कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। श्रीनगर में 38 प्रतिशत शांतिमय मतदान जो पिछली बार से 14 प्रतिशत अधिक है, बताता है कि सरकार के कदम कितने सफल रहे हैं। बारामूला में भारी 58.17 प्रतिशत वोट पड़ा है जो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से अधिक है। सरकार इन उपलब्धियों पर जायज़ नाज कर सकती है पर हैरानी है कि संवाद को मंगलसूत्र, भैंस, मुर्ग़ा-मछली, मटन, लैंड जिहाद आदि की तरफ़ मोड़ने का प्रयास किया गया। पर यह चुनाव बता रहें हैं कि यह कहानी पसंद नहीं की जा रही। राजस्थान में सरकार ने कांग्रेस पर हमला करते वक्त कह दिया, ÷पहले जब उनकी सरकार थी। देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का हैज जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेगे÷। फिर यह कहते हुए भरपाई करने की कोशिश की गई। यह राष्ट्रीय हित में नहीं है कि देश के सबसे अधिक 20 करोड़ अल्पसंख्यकों को इशारों से अलग थलग कर दिया जाए और वह समझने लगे कि उन्हें यहां न्याय नहीं मिलेगा। पर फिर कह दिया गया कि यूपीए सरकार मुसलमानों के लिए देश के 15 प्रतिशत साधन रखना चाहती थी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के अनुसार, ÷हमें यह निश्चित करना है कि बाबरी मस्जिद देश में फिर न बनेज्हमने भारत का हर मंदिर मुक्त करवाना है÷। अर्थात् भविष्य के टकराव की विधि बता रहें है। कब समझ आएगी कि अगर यह मुद्दे पसंद किए जाते तो रोज़ मुद्दा बदलने की ज़रूरत न होती।

विपक्ष की लहर भी नहीं है। जहां यह तो स्पष्ट है कि भाजपा के लिए पिछली वाली बात नहीं है पर यह भी साफ़ है कि विपक्ष को सत्ता में स्थापित करने का माहौल भी नज़र नहीं आता। देश भर में कहीं भी यह नज़र नहीं आता कि भाजपा को उखाड़ फेंकने का लोगों में संकल्प है। निराशा जरूर है। भाजपा के लगभग 25 प्रतिशत उम्मीदवार दल बदलू हैं, अधिकतर कांग्रेस से हैं। इनकी हिन्दुत्व की विचारधारा में कोई आस्था नहीं। सोशल मीडिया का बड़ा वर्ग भी भाजपा विरोधी है। यूट्यूब पर भाजपा विरोधी चैनलों को लाखों लोग देखते हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले चुनाव में भाजपा ने 105 सीटें तीन लाख से अधिक वोट से जीती थीं और 125 सीटों पर 50 प्रतिशत से अधिक वोट मिले थे। 2019 में भाजपा को 37 प्रतिशत और एनडीए को 45 प्रतिशत वोट मिला था जबकि कांग्रेस को 19 प्रतिशत और यूपीए को 38 प्रतिशत वोट मिला था। अर्थात वोट दो गुना और सीटें लगभग छ्ह गुना।

संपादकीय

देश की आजादी की रक्षा करना केवल सैनिकों का काम नहीं, बल्कि यह पूरे देश का कर्तव्य है।
-लाल बहादुर शास्त्री

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य में 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द कर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को करारा झटका दिया है। मामले को शीर्ष अदालत में ले जाना उसका अधिकार है, लेकिन मनोनुकूल फैसला न मिलने पर दीदी जो रवैया दिखा रही हैं, क्या वह जायज है?

यह कैसी जिद

आठ वर्ष पुराने शिक्षक भर्ती घोटाले पर हाल ही में कड़ा फैसला सुनाने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अब राज्य में 2010 के बाद जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाणपत्रों को रद्द कर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को एक और बड़ा झटका दिया है। इस फैसले में अप्रैल से सितंबर, 2010 तक ओबीसी के तहत मुस्लिमों को 77 श्रेणियों में दिए गए आरक्षण को निरस्त कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 77 समुदायों में से, 42 को 2010 में तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार द्वारा ओबीसी का दर्जा दिया गया था, जिनमें से, अदालत के अनुसार 41 मुस्लिम थे। वहीं 2011 में सत्ता में आने वाली तृणमूल सरकार ने 35 समुदायों को ओबीसी का दर्जा दिया, जिनमें से 34 मुस्लिम थे। ध्यान देने वाली बात है कि पश्चिम बंगाल 17 फीसदी ओबीसी आरक्षण प्रदान करता है, जिसे दो भागों में विभाजित किया गया है। ओबीसी 'ए' (अति पिछड़े) को 10 फीसदी, जिसमें शामिल 81 समुदायों में से 73 मुस्लिम हैं, और ओबीसी 'बी' (पिछड़े) को सात फीसदी, जिसमें शामिल 98 समुदायों में से 45 मुस्लिम हैं। इन आंकड़ों से अदालत द्वारा जताए गए संदेह कि समुदाय विशेष को राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन बनाया गया, की पुष्टि तो होती ही है, इसके साथ यह पश्चिम बंगाल की राजनीति की विडंबनाओं को भी दर्शाता है। अब ममता बनर्जी बेशक यह कह रही हों कि घर-घर सर्वेक्षण करने के बाद विधेयक का मसौदा तैयार कर फिर इसे पारित किया गया था, लेकिन अदालत का यह कहना गंभीर है किसी वर्ग को ओबीसी में शामिल करने की जो वर्तमान व्यवस्था है, उसमें विधायी नीति का अभाव है, जिसे बदला जाना चाहिए। बावजूद इसके कि जिन व्यक्तियों ने पहले ही इन प्रमाणपत्रों का उपयोग करके रोजगार हासिल कर लिया है, वे इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे, ऐसा माना जा रहा है कि इस फैसले से 2010 के बाद जारी किए गए करीब पांच लाख प्रमाणपत्र प्राप्तकर्ता जरूर प्रभावित होंगे। लोकसभा चुनाव के छठे

और सातवें चरण में बंगाल में जिन 17 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, उनमें मुस्लिम आबादी ज्यादा है और जिनमें से 12 पर टीएमसी, तो पांच पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में, यह आदेश तृणमूल कांग्रेस के लिए एक झटका है, जो मुसलमानों को एक प्रमुख वोट बैंक के रूप में गिनती है। शिक्षक भर्ती घोटाले की तरह उच्च न्यायालय के इस फैसले को लेकर भी दीदी जरूरत पड़ने पर शीर्ष अदालत में जाने की बात कर रही हैं, जिसमें किसी को भी हर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन मनोनुकूल फैसला न होने पर वह जिस तरह सार्वजनिक तौर पर फैसले की अवहेलना करती दिख रही हैं, वह कहां तक जायज है?

दिव्यांग सैनिकों के हक में

नौकरशाही की अड़ंगेबाजी के कारण अपना कर्तव्य निभाते हुए विकलांग हुए जवानों को काफी कष्ट भोगने पड़ते हैं। दुर्भाग्य से वे पेंशन और उचित इलाज सहित कई सुविधाओं के लिए संघर्ष करने के लिए मजबूर हैं और अंततः उन्हें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की शरण लेनी पड़ती है।

मारूफ रजा
सामरिक मामलों के विशेषज्ञ

हमारे सैनिक हमारे देश भारत के लिए गर्व हैं, जो न सिर्फ बाहरी सुरक्षा, बल्कि आंतरिक उथल-पुथल के समय में भी देश के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आजादी के बाद से ही हमारे सैनिक लगातार युद्ध जैसी स्थितियों को झेल रहे हैं। दुश्मन के खिलाफ सैन्य अभियानों में या खतरनाक मौसमी स्थितियों-बाढ़, भूस्खलन आदि में आम नागरिकों की मदद करते हुए हमारे जवान कभी-कभी जीवन भर के लिए विकलांगता के भी शिकार हो जाते हैं। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि देशसेवा की पुकार पर अपना जीवन दांव पर लगाने वाले हमारे जवानों के परिजनों को अपना बकाया पाने के लिए कभी-कभी दर-दर भटकना पड़ता है, खासकर ऐसे मामलों में, जिनमें सैनिकों को बलिदान के बदले उनकी वीरता के लिए भूखंड, पेट्रोल पंप आदि जैसी चीजें पुरस्कार स्वरूप दी जाती हैं।

लेकिन इससे भी बदतर स्थिति उन जवानों की होती है, जो अपना कर्तव्य निभाते हुए विकलांग हो गए हैं तथा जिन्हें न केवल नौकरशाही की अड़ंगेबाजी के कारण विकलांगता पेंशन एवं अन्य लाभों से वंचित कर दिया गया है। बल्कि दिल्ली स्थित उनके संबंधित मुख्यालय में बैठे उनके अपने ही तथाकथित सैन्य बंधुओं तथा कानूनी निकायों की वजह से भी उनकी स्थिति बदहाल हो जाती है।

वर्ष 2020 में राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के आधिकारिक जवाब में बताया गया था कि वर्ष 2020 में ऐसे कानूनी मामलों पर 26 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए थे। यह उस प्रवृत्ति का हिस्सा है, जो पिछले कुछ वर्षों से चली आ रही है। रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2013-2014 में ही, भारतीय वायुसेना के पास सबसे अधिक मामले (2,683) थे, जिसकी कानूनी सुनवाई पर सात करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए थे, जबकि नौसेना ने उत्तर भारत में अपने ही कर्मियों के खिलाफ

मुकदमा लड़ने के लिए 69 लाख रुपये खर्च किए थे और थल सेना ने 11.50 लाख रुपये खर्च किए थे। यह पैसा उन लोगों को लाभ से रोकने के लिए वकीलों को दिया गया, जिन्होंने विकलांगता लाभ या पेंशन के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) का द्वार खटखटाया था।

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उच्चतम न्यायालय ने हमारे सैन्य कर्मियों को उनका उचित हक देने से वंचित रखने की खातिर अत्यधिक मुकदमेबाजी का सहारा लेने के लिए सैन्य सेवा मुख्यालय को फटकार लगाई है। इसके अलावा, रक्षा मंत्री द्वारा संसद में दिए गए एक लिखित बयान के अनुसार, कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में लगभग 60 सिविल अपीलें वापस ले ली गईं, जिनमें से 17 विकलांगता पेंशन के लिए थीं। ये तथ्य दर्शाते हैं कि कानूनी विभागों (जैसे सेना के मामले में जज एडवोकेट जनरल शाखा) ने रक्षा मंत्रालय का पैसा बचाने का निर्णय लिया है। वे किसी सैनिक को उन लाभों से वंचित करना चाहते हैं, जो उन्हें सैन्य जीवन के बाद विकलांगता से उबरने में मदद कर सकते हैं, जिसका शिकार वे अक्सर कठिन परिस्थितियों में सैन्य अभियान या सेवा शर्तों से गुजरते हुए हो जाते हैं।

रक्षा मंत्रालय इन न्यायिक निकायों के माध्यम से उच्च अदालतों में मुकदमा लड़ने के लिए, कानूनी फीस के भुगतान के लिए, विकलांग लोगों को सेवा के दौरान विकलांग होने के कारण उनके हक से वंचित करने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च करता है। और इससे भी बुरी बात यह है कि घायल सैनिक इस बारे में बहुत कम जानते हैं कि चिकित्सा अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उनके बारे में क्या लिखते हैं, क्योंकि वे अपनी चोटों से उबरने के लिए किसी क्षेत्रीय अस्पताल में अर्ध-चेतन अवस्था में पड़े होते हैं। ऐसी रिपोर्टें हैं कि बाद के वर्षों में उन्हें विकलांगता का लाभ पाने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपनी अक्षमताओं को साबित करने के लिए एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में दर-दर भटकना पड़ता है! दुख की बात है कि विचित्र कानूनी पेच का शिकार हुए लोगों के अलावा केवल कुछ ही सैनिक इस तरह के अन्याय के बारे में जानते हैं। यह तो और भी दुखद है कि सैन्य मुख्यालय और सेना के उच्च अधिकारियों ने इस व्यवस्था को बदलने में जरा भी रुचि नहीं दिखाई है।

क्या इस तरह का व्यवहार देश के उन वीर सपूतों के लिए उचित है, जो देश के हित में अपना जीवन और अंग दांव पर लगा देते हैं? और इसी तरह की एक विचित्र पहल के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 24 जून, 2019 को एक अधिसूचना जारी की थी कि यदि किसी सेवारत व्यक्ति को सैन्य सेवा के दौरान सेवा से हटाया नहीं गया है, तो उन्हें मिलने वाली विकलांगता पेंशन को आयकर से छूट नहीं दी जाएगी।

इसके बारे में वर्ष 2020 में लेफ्टिनेंट जनरल विजय ओबेराय ने लिखा, 'आयकर छूट की यह वापसी संभवतः सेना के सबसे कमजोर वर्ग, विकलांग कर्मियों के खिलाफ एक और नासमझी भरी कवायद है।' जबकि विशेष रूप से कुछ बहुत वरिष्ठ अधिकारियों के ऐसे मामले हैं, जो सर्वोच्च रैंक तक पहुंच गए हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद का लाभ प्राप्त करने के लिए, अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले खुद को आंशिक रूप से विकलांग घोषित करवा लेते हैं। यह वास्तव में सैनिक और राज्य के बीच होने वाले 'अनुबंध' के खिलाफ है, जिसने वर्दी पहनने वाले सैनिकों को आश्वासन दिया था कि यदि ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है या वे घायल हो जाते हैं, तो उनकी देखभाल की जाएगी।

गौरतलब है कि हमारे देश में तीनों सेनाओं एवं अर्ध-सैनिक बलों के करीब पंद्रह से बीस लाख जवान अभी कार्यरत हैं और इनके लगभग तीन गुना सेवानिवृत लोग हैं। हमारे सैनिक हमेशा देश के लिए जान देने को तत्पर रहते हैं, लेकिन वे सेवानिवृत्ति के बाद गरिमामय जीवन और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की अपेक्षा सरकार से करते हैं। हालांकि सरकार ने पूर्व सैनिकों के इलाज के लिए भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) चलाई है, लेकिन उसमें विभिन्न श्रेणियों के आधार पर सैनिकों से भेदभाव होता है। उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी देश का पैसा बचाने के लिए विकलांगता का लाभ लेने से उन्हें करते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि जवानों का अगर मनोबल टूट जाएगा, तो इसका देश की सुरक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है।

जीवन धारा

फ्रेडरिक नीत्शे

महानता के विकास के लिए पीड़ा आवश्यक है। वास्तव में महान लोग बड़ी मुश्किलों से गुजरे हैं। यह पीड़ा ही है, जो हमें अपनी क्षमता विकसित करने और खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने में मदद कर सकती है।

मुश्किलें ही मनुष्य को महान बनाती हैं

पीड़ा मानवीय जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जीवन कष्टों से भरा होता है। दुख-पीड़ा से हर कोई कभी न कभी तो अपने जीवन में गुजरता ही है। दुख कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसे खत्म किया या टाला जा सके, बल्कि इसे शक्ति के विकास के स्रोत के रूप में भी देखना चाहिए। कष्टों की स्थितियां ही जीवन को लचीला बनाने और चरित्र विकसित करने का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। जीवन का कोई अंतर्निहित अर्थ या उद्देश्य नहीं होता। और जो भी अर्थ या उद्देश्य हम पाते हैं, उसे हमें ही बनाना होता है। इस अर्थ में, दुख हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि यह हमें अस्तित्व की कठोर वास्तविकताओं का सामना करने और उनके सामने अपने को अर्थपूर्ण बनाने के लिए मजबूत बनाता है। इसलिए हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं, जिनमें दर्दनाक क्षण भी शामिल हो सकते हैं, को अपने व्यक्तिगत विकास के एक आवश्यक हिस्से के रूप में अपनाना चाहिए। हमें अपने भाग्य को स्वीकार करके जीवन से प्यार करना सीखना चाहिए, यहां तक कि सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में भी।

हम जीवन से दुख को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि यह भी सुख की तरह साथ चलता है। इसलिए इसे अपनाकर व्यक्तिगत विकास के साधन के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहिए। हम अपनी पीड़ा का डटकर मुकाबला करके खुद को बदल सकते हैं और अपने को पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत, लचीला और जीवंत बना सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि 'जो मुझे नहीं मारता, वह मुझे और मजबूत बनाता है।' महानता के विकास के लिए पीड़ा आवश्यक है। वास्तव में महान लोग बड़ी मुश्किलों से गुजरे हैं। यह पीड़ा ही है, जो हमें अपनी क्षमता विकसित करने और खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने में मदद कर सकती है। दर्द और परेशानी से बचना आकर्षक हो सकता है, लेकिन यह हमें कमजोर भी करता है। दूसरी ओर, पीड़ा का अनुभव व्यक्तिगत विकास और बदलाव के अवसर सामने रखता है और उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रतिकूल परिस्थितियां ही होती हैं, जो मनुष्य को अधिक लचीला और ताकतवर बना सकती हैं। दुख ऐसी चीज नहीं है, जिसे खत्म कर दिया जाए, क्योंकि यह तो आपके जीवन में किसी न किसी रूप में बना ही रहेगा। इसलिए दुख, पीड़ा, संकट आदि को गले लगाना और इसे विकास के उत्प्रेरक के रूप में देखना चाहिए। तभी हम अधिक इससे दूर रह पाएंगे। और ऐसा सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं है। संस्कृति और समाज के विकास का मार्ग भी कष्टों से ही गुजरता है। कला, साहित्य और संगीत सभी का जन्म पीड़ा से ही हुआ है, क्योंकि मनुष्य के दर्द और कठिनाई को व्यक्त करने और संसाधित करने के यही तो साधन रहे हैं। अपनी पीड़ा के माध्यम से ही हम दूसरों से जुड़ सकते हैं और उन्हें अपने से जोड़ सकते हैं। जब हम अपना दर्द और संघर्ष दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हम सहानुभूति और समझ के लिए जगह बनाते हैं। इसी से सामाजिक एकजुटता और सामूहिक कार्रवाई की नींव तैयार होती है।

दूसरों का दर्द भी समझें

सूत्र

जब हम अपना दर्द और संघर्ष दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हम सहानुभूति और समझ के लिए जगह बनाते हैं। इसी से सामाजिक एकजुटता और सामूहिक कार्रवाई की नींव तैयार होती है। पीड़ा के इन साझा अनुभवों के माध्यम से ही हम साझा उद्देश्य और अर्थ की भावना पैदा कर सकते हैं।

दूसरा पहलू

जर्मनी की लेखिका एर्पेनबेक के उपन्यास *कैरोस* को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, 2024 का विजेता घोषित किया गया है।

बर्लिन की दीवार की तरह ढह गई वह प्रेम कहानी

दर्द और खुशी के मनोरंजक संयोजन से तैयार एर्पेनबेक का उपन्यास *कैरोस* बर्लिन की दीवार गिरने से ठीक पहले और बाद के घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में पनपते प्रेम की एक कहानी है या यों कहें कि प्रेम के खो जाने की कहानी है। कैथरीना को जब अपने पूर्व प्रेमी की मौत की खबर मिलती है, तो वह दुखी नहीं होती। एक बक्सा उसके घर पहुंचता है, जिसमें मृतक के पुराने कागज व पत्रादि रखे थे। जब वह उसे खोलती है, तो अतीत उसके सामने ताश के पत्तों के महल की तरह भरभराकर गिरने लगता है। यह उन दिनों की बात है, जब बहुत कुछ होना बचा हुआ था। 'कैथरीना' इस कहानी की नायिका है, तो 'हान्स' नायक। 11 जुलाई, 1986 को बर्लिन में दोनों संयोग से एक बस में मिलते हैं। कैथरीना 19 साल की एक युवा छात्रा है, जबकि हान्स पचास साल का विवाहित पुरुष है, जिसका किशोर उम्र का एक बेटा है। हान्स पेशे से लेखक है। कला और संगीत के प्रति साझा जुनून उन्हें नजदीक ले आता है। वे दोनों इस प्रेम की गोपनीयता को बरकरार रखते हैं। लेकिन एक रात के बाद चीजें बदल जाती हैं। उस रात कुछ ऐसा हुआ, जिसके लिए हान्स ने उसे माफ नहीं किया और यहीं से उन दोनों के रिश्ते में एक खतरनाक दरार बन जाती है। इधर बर्लिन की दीवार ढहनी शुरू होती है, तो उधर दोनों के रिश्तों में क्रूरता की गुंजाइश पैदा होने लगती है। वफादारियां बदलने लगती हैं। दैनिक जीवन के तनावों के बीच भी अंतरंगता बनी रहना, संबंधों की जटिलता को दिखाता है। लेकिन इन्हें शब्दों में इस तरह गूंथ देना कि पढ़ने वाले की आंखों के सामने दृश्य नाचने लगे, यही लेखिका की खूबी है, जिसकी तारीफ बुकर पुरस्कार की जूरी ने भी की। कहानी की शुरुआत बेशक प्रेम और जुनून से हुई हो, लेकिन यह कला, ताकत और संस्कृति के बारे में भी है, जो तत्कालीन पूर्वी जर्मनी के इतिहास से जुड़ी है। माइकल हॉफमैन का अनुवाद एर्पेनबेक के लेखन की विलक्षणता, वाक्यों की लय और भावनात्मक शब्दावली के विस्तार को दर्शाता है। उपन्यास की खासियत यह है कि यह एक साथ सुंदर और असुविधाजनक, व्यक्तिगत और राजनीतिक, दोनों है। एर्पेनबेक इसमें पाठकों को राजनीतिक घटनाओं एवं विनाशकारी व क्रूर प्रेम संबंध से जुड़ने के लिए आमंत्रित करती हैं। पूर्वी जर्मनी की तरह उपन्यास की कहानी भी उम्मीद व भरोसे से शुरू होती है, और बिखराव पर आकर खत्म हो जाती है।

जेनी एर्पेनबेक

उपन्यास में 19 साल की छात्रा कैथरीना और 50 वर्ष के विवाहित पुरुष हान्स के प्रेम और उनके रिश्तों के बीच आई दरार के साथ ही कला और संस्कृति की कहानी है।

दैनिक जीवन के तनावों के बीच भी अंतरंगता बनी रहना, संबंधों की जटिलता को दिखाता है। इन्हें शब्दों में ऐसे गूंथना कि पढ़ने वाले की आंखों के सामने दृश्य नाचने लगे, यही लेखिका की खूबी है, जिसकी तारीफ जूरी ने भी की।

आंकड़े

जापानी येन सबसे कमजोर

पिछले एक साल में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले विभिन्न मुद्राओं का ह्रास हुआ है। इनमें जापानी येन सबसे ज्यादा 28.39 फीसदी कमजोर हुआ।

मुद्रा	गिरावट
भारतीय रुपया	-9.64%
चीनी रेंबिनी	-12.49%
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर	-15.78%
यूरो	-16.27%
पाकिस्तानी रुपया	-25.46%
जापानी येन	-28.39%

अन्य देशों की तुलना में भारतीय रुपये की स्थिति ठीक है। | स्रोत : II Research

अंतर्यात्रा

उपबर्हण गंधर्व को अपने रूप पर घमंड था, जिन्हें ब्रह्मा ने शाप दिया। अगले जन्म में उन्होंने भगवान की आराधना की। बाद में वह ब्रह्मा के मानस पुत्र बने।

गंधर्व से बने नारद

अंतर्यात्रा
संकलित

ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को नारद जयंती भी कहते हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने नारद मुनि का जिक्र *श्रीमद्भगवद्गीता* में करते हुए कहा था कि *देवर्षीणाम च नारदः* अर्थात देवर्षियों में मैं नारद हूं।

शास्त्रों के अनुसार, नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, पर ब्रह्मा के पुत्र रूप में पैदा होने का संबंध नारद मुनि के पूर्व जन्म से भी है। मान्यता है कि पूर्व जन्म में वह गंधर्व थे। उनका नाम उपबर्हण था और उन्हें अपने रूप पर घमंड था। एक बार कुछ अप्सराएं और गंधर्व गीत और नृत्य से ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे थे, तब उपबर्हण स्त्रियों के साथ वहां आए और रासलीला में लग गए। इससे कुपित होकर ब्रह्मा ने उपबर्हण को शाप दिया कि अगले जन्म में वह एक दासी के घर जन्म लेंगे। ब्रह्मा के शाप से उपबर्हण का जन्म दासी के यहां हुआ, लेकिन बालक उपबर्हण बचपन से भगवान की आराधना करने लगे। यह देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और अगले जन्म में उन्हें ब्रह्मा पुत्र होने का वरदान दिया। समय आने पर इनका जन्म ब्रह्मदेव के मानस पुत्र के रूप में हुआ।

नारद मुनि उन देवताओं में से हैं, जिनके हाथ में कोई अस्त्र नहीं है। इनके एक हाथ में वीणा है और एक हाथ में वाद्य यंत्र है। नारद मुनि को समस्त देवताओं और असुरों के बीच संदेशवाहक का स्थान प्राप्त है। इसलिए नारद जयंती को कई जगहों पर पत्रकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।

आज का इतिहास

दस हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी

24 मई का दिन किसी तबाही के दिन से कम नहीं है। इसी दिन बांग्लादेश में विनाशकारी चक्रवाती तूफान आया था जिसमें दस हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। भारत की बात करें तो यह दिन इसलिए अहम है कि देश में मुस्लिम शिक्षा का सबसे बड़ा और मुख्य केन्द्र माने जाने वाले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में 24 मई के दिन हुई थी। अपने समय के महान समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने की जरूरत को महसूस करते हुए 1877 में एक स्कूल की स्थापना की थी जो बाद में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कालेज बना। यही कॉलेज आगे जाकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। यह आजादी के बाद देश के चार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से एक था।

यह तिनका है, जो तूफान ला सकता है

फलस्तीन को तीन यूरोपीय देशों के समर्थन को कमतर आंकने वाले न भूलें कि अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन ऐसे ही शुरू हुआ था।

थॉमस एल. फ्रीडमैन | कूटनीति

एक तरफ इस्राइल की सरकार पूरी दुनिया से गाजा में हमास को नष्ट करने के उसके संघर्ष में साथ देने का आह्वान कर रही है, तो दूसरी तरफ वह गैर-हमास फलस्तीनियों के साथ किसी भी तरह के सहयोग से इन्कार भी कर रही है। ठीक ऐसे समय में यूरोप के तीन देश स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने जिस तरह फलस्तीन को स्वतंत्र व संप्रभु देश के तौर पर मान्यता देने का फैसला किया है, उससे यही लगता है कि यूरोप में इस्राइल विरोध का दायरा व्यापक होने लगा है।

उल्लेखनीय है कि आज 140 से ज्यादा देश एक राष्ट्र के रूप में फलस्तीनियों के अधिकार को वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी येरुशलम में मान्यता दे चुके हैं। हालांकि, तीन यूरोपीय देशों के हालिया कदम में गौर

करने वाली बात यह है कि अब तक प्रमुख पश्चिमी यूरोपीय देश और अमेरिका ऐसा करने से पीछे ही हटे हैं। दरअसल, इनका मानना है कि पहले दोनों देशों में शांति की स्थापना होनी चाहिए। यह दीगर बात है कि ऐसा अब तक हो नहीं सका है। मेरा ध्यान हमेशा व्यावहारिक बातों पर रहता है। क्या बिना पूर्व निर्धारित सीमाओं और बिना अस्तित्व वाले फलस्तीनी देश को मान्यता देने भर से स्थायी समाधान हो जाएगा? दो देसज समुदायों-यहूदी और फलस्तीनियों के लिए दोनों देशों के बीच वास्तविक जीवन में शांति आएगी? इसका जवाब हां भी है और नहीं भी। इस्राइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष योहानन प्लेसनर ने मुझे बताया कि साथी लोकतंत्रों द्वारा ये अल्पकालिक राजनयिक मान्यताएं इस्राइली जनता को प्रभावित नहीं कर पाएंगी। पिछले वर्ष सात अक्तूबर को हमास द्वारा की गई हत्याओं, दुष्कर्मों एवं अपहरण की भयावह घटनाओं के मद्देनजर उन्होंने कहा कि यूरोपीय लोग इस्राइल से कह रहे हैं कि उसे फलस्तीन राष्ट्र को स्वीकार कर लेना चाहिए। वे इसका उल्लेख भी नहीं करते कि वहां से सेना हटाई जानी चाहिए या हमास को नकारना फलस्तीनियों का भी कोई दायित्व है। ऐसे में इस प्रस्ताव को इस्राइल मौन बहुमत से खारिज कर देगा। हालांकि दीर्घकाल में यह बिल्कुल इस्राइल के लिए रणनीतिक झटके से कम नहीं होगा। इससे इस्राइल के विपक्षी नेताओं को नेतन्याहू को घेरने का मौका मिलेगा। वह नेतन्याहू पर फलस्तीन में चल रहे युद्ध को रोकने और इस्राइल द्वारा फलस्तीन को मान्यता देने के लिए दबाव भी बना सकते हैं। हालांकि फिलहाल यह कहना दूर की कौड़ी होगा, क्योंकि अभी तो यही स्थिति है कि इन विषयों पर क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, सब कुछ नेतन्याहू ही तय करते हैं। जाहिर है, स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड की ओर से फलस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने से तनाव बढ़ेगा, क्योंकि इस्राइल ने इस पर नाराजगी जताई है। इस्राइल की नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि उसने नॉर्वे व आयरलैंड से अपने राजदूतों को वापस बुलाने का आदेश दिया है। इस्राइल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम के गंभीर नतीजे होंगे। सबसे पहले नॉर्वे ने मान्यता देने के फैसले की घोषणा की। नॉर्वे के पीएम जोनस गार स्तूर ने कहा, यदि मान्यता नहीं दी गई, तो पश्चिम एशिया में शांति नहीं हो सकती। नॉर्वे आगामी 28 मई तक फलस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दे देगा। यूरोपीय संघ के कई देशों ने पिछले दिनों संकेत दिया है कि फलस्तीन को मान्यता देने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र में शांति के लिए द्वि-राष्ट्र समाधान जरूरी है। इस निर्णय से एक तरफ इस्राइल नाराज है, तो फलस्तीन ने खुशी जताई है। 1990 के दशक में नेल्सन मंडेला की पोलिंग टीम के सदस्य रहे एक सर्वेक्षणकर्ता क्रेग चार्नी ने मुझसे कहा कि इस्राइल ने यदि अपना रास्ता नहीं बदला, तो यूरोपीय देशों का फलस्तीन को राष्ट्र की मान्यता देना-'हवा में उड़े एक बड़े तिनके की तरह है, जो तूफान में बदल जाएगा।'

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 65 ■ अंक 98 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2022-24 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

https://t.me/AllNewsPaperPaid

सबक सिखाने वाली घटना

पुणे में एक किशोर की ओर से अपने पिता की बिना लाइसेंस और नंबर प्लेट वाली पोर्श कार से दो लोगों को कुचलकर मार डालने की घटना के बाद जो कुछ देखने को मिला, वह कानून एवं व्यवस्था का उपहास ही है। इस किशोर को जिस तरह चंद घंटे में जमानत दे दी गई और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने भी राहत प्रदान कर दी, वह यही बताता है कि अपने देश में प्रभावशाली लोगों के सामने न्याय कितना असहाय और निरुपाय साबित होता है। यह घटना यह भी बताती है कि लोग किस तरह नियम-कानून को धता बताकर वाहन लेकर निकलते हैं और किस प्रकार कोई भी उन्हें रोकने वाला नहीं होता। कार से दो लोगों को कुचलकर मारने वाले किशोर के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था और वह नशे में भी था। स्पष्ट है कि उसे और उसके स्वजनों को इसका कहीं कोई भय नहीं था कि इस तरह नियम-कानून की अनदेखी करने के कारण उन्हें दंड का भागीदार बनना पड़ सकता है। इस किशोर ने जिन जगहों पर जाकर शराब पी, वहां भी वह उसे बेरोकटोक उपलब्ध करा दी गई, जबकि महाराष्ट्र में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। लापरवाही का सिलसिला यहीं नहीं थमा। दुर्घटना के बाद आरोपित किशोर को जमानत मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से आग्रह किया था कि शराब पीकर गाड़ी चलाने और दो लोगों को मार डालने के इस गंभीर मामले में किशोर के साथ बालिग की तरह व्यवहार किया जाए, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसे जमानत देना उचित समझा और दंड के रूप में हादसे पर 300 शब्दों का निबंध लिखने और 15 दिनों तक यातायात पुलिस की सहायता करने का निर्देश दिया। इस विचित्र और परेशान करने वाले निर्णय पर देश भर में यह सवाल उठना ही था कि क्या इस तरह की विशेष सुविधा जानलेवा दुर्घटनाओं को अंजाम देने वाले अन्य लोगों को भी मिल सकती है? यह तो गनीमत रही कि पुणे की घटना को अंजाम देने वाले आरोपित किशोर के प्रति जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के रवैये को लेकर देश भर में जो आक्रोश उपजा, उसके चलते किशोर को सुधारगृह भेजा गया और उसके पिता के साथ कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। इस मामले में सभी दोषी लोगों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। यह सजा जितनी जल्दी मिले, उतना ही अच्छा, क्योंकि तभी कोई नजीर कायम होगी। यह मामला ऐसा है, जिसमें नजीर कायम होनी ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो इस तरह की घटनाएं आगे भी होती रहेंगी। यह घटना केवल पुलिस एवं प्रशासन और न्याय तंत्र को ही सबक सिखाने वाली नहीं, बल्कि उन अभिभावकों को भी सीख देने वाली है, जो किशोरवय के अपने बेटे-बेटियों को वाहन चलाने देते हैं।

भ्रष्टाचार की भेंट

राज्य के ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक केंद्रों की श्रृंखला तैयार कर तस्वीर बदलने के पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दावों की हवा निकल चुकी है। ग्रामीण औद्योगिक केंद्र (रीपा) के निर्माण से लेकर उनके उपयोग की पूरी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। राज्य शासन ने रीपा मामले की प्रशासनिक जांच शुरू कर दी है। राज्य के तीन सौ रीपा केंद्रों की जांच के लिए बिंदु तय कर दिए गए हैं। केंद्रों की जांच के लिए अधिकारियों की टीम भी तैयार कर दी गई है। जांच टीम योजना के डीपीआर निर्माण से लेकर, अधोसरंचना विकसित किए जाने के तौर-तरीके और तय नियमों की पालना के विषय को भी कसौटी पर कसेगी। चूंकि ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक विकास की इस योजना में राज्य शासन ने राशि भी खर्च की है, इसलिए उसका भी हिसाब-किताब जांचा जाएगा। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही रीपा केंद्रों के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठता रहा है। भाजपा सरकार ने बीते नवंबर में सत्ता संभालने के बाद इस फरवरी में रीपा केंद्रों की जांच कराने की घोषणा की थी। जांच की धीमी गति तब सामने आई, जब तीन महीने के बाद केवल जांच के बिंदु ही तय किए जा सके। अब जब जांच के बिंदु तय हो गए हैं, जांच अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है तो इस बात की उम्मीद जागी है कि पूर्ववर्ती सरकार की ओर से दिखाए गए सब्जबाग की असलियत सामने आएगी। अपेक्षा की जाती है कि अफसरशाही पूर्ववर्ती सरकार की ओर से दिखाए गए उजाले स्वप्न के स्याह पक्ष को भी सामने लाएगी। जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर मनमाने निर्णय लेने वाले भी कठघरे में खड़े कराए जाएंगे। ऐसा तभी होगा, जब प्रभावशाली राजनेताओं और अफसरों का खतरनाक गठजोड़ खत्म होगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक केंद्र स्थापित करने की साफ-सुथरी, भ्रष्टाचार-मुक्त योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन के रास्ते में आने वाली अड़चनों को भी दूर करने में गंभीरता दिखानी होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक केंद्र स्थापित करने की साफ-सुथरी, भ्रष्टाचार-मुक्त योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन के रास्ते में आने वाली अड़चनों को भी दूर करने में गंभीरता दिखानी होगी।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

नईदुनिया जनमत — कल का परिणाम

क्या बीएसई के बाजार पूंजीकरण का पांच ट्रिलियन डालर पर पहुंचना भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों के बढ़ते भरोसे का प्रतीक है?

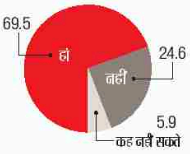

आज का सवाल
क्या स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के पीछे उन पर राज्यसभा से इस्तीफा देने का दबाव रहा होगा?

परिणाम इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

हाथ के कितने बदलेंगे हालात

राहुल वर्मा

पिछले चुनावों की तुलना में इस बार शायद कांग्रेस की सीटें कुछ बढ़ें, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वह सीटों का सैकड़ा लगा पाएगी?

लोकसभा चुनावों के लिए पांच चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और इस दौरान करीब 80 प्रतिशत सीटों पर चुनाव निपट गया। इस चुनावी कवायद में बहस के तमाम मुद्दे छाए रहे और सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा 400 पार का दावा ही मुख्य रूप से चर्चा में रहा। भाजपा के कई नेता इस दावे पर टिके हुए हैं तो दूसरी ओर आइएनडीआइए के नेता अपने लिए 300 सीटों का दावा करने में लगे हैं। शेष दो चरणों में 115 सीटों की लड़ाई का ही खेल बचा है। ऐसा लगता है कि भाजपा ने अपने चार सौ का ऐसा विमर्श बुना कि विपक्षी खेमा भी इसी में फंसकर रह गया। विपक्षी खेमा अपनी सीटों से ज्यादा हर चरण के साथ भाजपा की संभावित सीटों की संख्या घटाने में लगा हुआ है। ऐसे में, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी अपनी सीटों से ज्यादा भाजपा को कितनी सीटें आएंगी, इसे लेकर उत्सुकता बनाए हुए है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस 2019 के अपने प्रदर्शन को क्या बेहतर कर पाती है और यदि कर पाती है तो कितना बेहतर। ऐसा इसलिए, क्योंकि देश की लगभग 200 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होता है। पिछले दो लोकसभा चुनावों में भाजपा ने इनमें से 90 से 95 प्रतिशत सीटों पर जीत दर्ज की है। इसलिए जब तक कांग्रेस की ओर से इन सीटों पर भाजपा को कड़ी चुनौती नहीं मिलती तब तक उसकी सीटों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी की कोई संभावना नहीं बनेगी। पिछले दो चुनावों की बात करें तो 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें मिली थीं तो 2019 में उसे 52 सीटें हासिल हुईं। पिछले चुनाव में उसकी कुछ सीटें भले ही बढ़ गई हों, लेकिन उसके लिए चिंतित करने वाला पहलू यही था कि दूसरे स्थान पर रहने वाले कांग्रेस प्रत्याशियों की संख्या 2019 में काफी घट गई थी। यानी कांग्रेस कई सीटों पर तीसरे या उससे भी निचले स्थान पर फिसल गई। केरल के अलावा किसी राज्य में वह दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाई। ऐसे में यह देखना होगा कि इस स्थिति में कांग्रेस कहां तक सुधार लाने में सक्षम हो सकेगी।

आसार ऐसे दिखते हैं कि पिछले दोनों चुनाव की तुलना में शायद कांग्रेस की सीटें कुछ बढ़ेंगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी सैकड़ा लगा पाएगी? कांग्रेस की कुछ उम्मीदें मोदी सरकार के खिलाफ थोड़े-बहुत सत्ता विरोधी रुझान से भी परवान चढ़ रही हैं। इसके अतिरिक्त पिछले चुनाव से अब तक के बीच में उसने चुनावी चुनौती के लिए खुद को बेहतर ढंग से तैयार करने पर काम भी किया है। इसमें सबसे पहली कड़ी तो आइएनडीआइए जैसे मोर्चे की है, जो भले ही साझा नेतृत्व समेत कई पहलुओं का समाधान न निकाल पाया हो, लेकिन भाजपा के खिलाफ एक संयुक्त गठबंधन के रूप में अवश्य उपस्थित है। उसके सूत्रधार रहे नीतीश कुमार भले ही पाला बदलकर भाजपा के खेमे में चले गए हों या ममता बनर्जी साथ मिलकर चुनाव न लड़ रही हों, लेकिन आइएनडीआइए एक साझा विपक्षी चुनौती के रूप में आकार जरूर ले सका। दूसरी बात यह कि इस दौरान राहुल गांधी ने दो बड़ी राजनीतिक यात्राएं निकालकर देश के एक बड़े हिस्से तक अपनी पहुंच बढ़ाई। सवाल यही है कि क्या उनकी ये यात्राएं वोटों के मोर्चे पर कुछ करिश्मा कर पाएंगी या नहीं। वंशवाद के आरोपों से जूझने वाली कांग्रेस ने इसे लेकर किए जाने वाले हमले की हवा निकालने के लिए परिवार से बाहर के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को अध्यक्ष भी बनाया। भले ही खरगे को कुछ लोग दिखावटी मुखिया मानते हों, लेकिन कई मौकों पर उन्होंने यह दिखाया कि पार्टी में उनका एक बड़ा कद है। एक प्रकार से कांग्रेस ने पार्टी का सांगठनिक ढांचा खरगे के जिम्मे सौंपकर राहुल को वैचारिक एवं नेतृत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ाने का काम किया है। पता नहीं यह दांव मतदाताओं को कितना प्रभावित कर पाएगा, लेकिन इसके माध्यम से कांग्रेस ने खुद को एक वैचारिक दृष्टिकोण देने का प्रयास किया है। अतीत में यही देखने को मिला है कि कांग्रेस ने जब भी मोदी को निशाना बनाया तो उसे मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में इस चुनाव में कांग्रेस मोदी को सीधे निशाना बनाने की अपनी पुरानी गलती से सबक लेते हुए आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसका प्रचार अभियान सकारात्मक बिंदुओं पर केंद्रित है। उसने कुछ जरूरी सवालों को समस्या के रूप में उभारकर उनके समाधान के लिए 'हाथ बदलेगा हालात' जैसा नारा गढ़ा है।

अवधेश राजपूत

पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कांग्रेस की कुछ बेहतर संभावनाओं के तार दक्षिण भारत में उसके प्रदर्शन से भी जुड़े हैं। पिछली बार पार्टी ने सिर्फ केरल में अच्छा प्रदर्शन किया था और उसे इस बार भी वहां प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद है। तमिलनाडु में वह द्रमुक के साथ मजबूत गठबंधन का हिस्सा बनी हुई है। तेलंगाना और कर्नाटक में उसकी सरकारें हैं तो वह दोनों ही राज्यों से अपनी सीटों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की आस लगाए हुए है। आंध्र प्रदेश में भी वह वाईएसआर कांग्रेस, तेदेपा-जनसेना और भाजपा गठबंधन के साथ त्रिकोणीय मुकाबले में अपने लिए अच्छी संभावनाएं देख रही है। पार्टी ने यहां मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला को कमान सौंपकर आक्रामक अभियान चलाया। पार्टी को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी अपनी स्थिति पहले से बेहतर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में सपा, बिहार में राजद और झारखंड में झामुमो तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे एवं शरद पवार की पार्टियों के भरोसे उसे पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।

इन स्थितियों के बावजूद यदि कांग्रेस सौ सीटों का आंकड़ा नहीं छू पाती तो फिर उसके लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। यदि उसकी सीटों की संख्या नहीं बढ़ी तो उसके समक्ष अपने आप को एक राष्ट्रीय दर्जे की पार्टी के रूप में बनाए रखने का संकट और गहराता जाएगा। दस वर्षों से केंद्र और तमाम राज्यों की सत्ता से बाहर कांग्रेस के कितने नेता तब पार्टी में टिक पाएंगे यह एक बड़ा सवाल बन जाएगा। बीते पांच वर्षों के दौरान कई दिग्गज पार्टी से पहले ही किनारा कर चुके हैं। ऐसे में यह चुनाव कांग्रेस के भविष्य के लिए बहुत निर्णायक हो गया है।

(लेखक सेंटर फार पालिसी रिसर्च में फेलो एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

आर्थिक भविष्य का प्रवेश द्वार चाबहार

डा. सुरजीत सिंह

चाबहार बंदरगाह समझौता वैश्विक भू-राजनीति में भारत को बढ़त दिलाने के साथ विदेशी व्यापार और निवेश भी बढ़ाएगा

चुनावी सरगर्मी के बीच मोदी सरकार ने विकास प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देते हुए गत दिनों चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन एवं परिचालन के लिए समझौता किया। ईरान में स्थित चाबहार पहला ऐसा बंदरगाह है, जो विदेशी धरती पर होने के बावजूद भारतीय नियंत्रण में रहेगा। यह समझौता वैश्विक भू-राजनीति में ही भारत को बढ़त नहीं दिलाएगा, बल्कि विदेश व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए एक नई पृष्ठभूमि भी तैयार करेगा। चाबहार बंदरगाह के परिचालन से एक तरफ पाकिस्तान के अस्थिर व्यापार मार्गों पर निर्भरता कम होगी तो दूसरी ओर भारत के व्यापार को नई ऊंचाइयां मिलने से सतत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

वर्ष 2002 में पहली बार तत्कालीन ईरानी राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद खातमी एवं भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह को बनाने पर सहमति व्यक्त की गई थी। भारत के लिए इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे। पहला, चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना एवं दूसरा, पाकिस्तान के व्यापार मार्गों के विकल्प की तलाश करना। इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति 2016 में मोदी सरकार में हुई जब चाबहार में शहीद बेहिश्ती टर्मिनल को विकसित करने के लिए भारत ने ईरान और अफगानिस्तान के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया। चाबहार बंदरगाह विकसित करने में भारत के निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके कारण 2019 में भारत को चाबहार बंदरगाह के प्रयोग का अधिकार मिल गया, जिसका भारत को प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराना होता था। हालांकि इसके कारण भारत स्थायी तौर पर कोई आर्थिक रणनीति बनाने एवं उसके प्रयोग के लिए आश्वस्त नहीं था। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कूटनीतिक सफलता ही है कि अब इस समझौते का नवीनीकरण प्रत्येक 10 साल बाद होगा। इस संदर्भ में भारत अब व्यापार की दीर्घकालिक नीतियों को क्रियान्वित कर सकेगा। चाबहार बंदरगाह में भारत के निवेश से अरब देशों में यह संदेश भी गया है कि भारत एक बदलता हुआ बड़ा निवेशक देश है, जो आधारिक संरचना का निर्माण करने में भी सक्षम है।

भारत के सभी बंदरगाहों से चाबहार बंदरगाह तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इससे आगे

चाबहार में भारत और ईरान के अधिकारी ● प्रेट्र

सड़क एवं रेलवे ट्रैक द्वारा कैस्पियन सागर से होते हुए रूस और उससे आगे यूरोपीय देशों तक पहुंचने का विकल्प मिलता है। इस बंदरगाह के माध्यम से ईरान के प्रमुख शहर तेहरान से गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। मध्य एशिया के लैंडलाक देशों के लिए 7,200 किमी लंबा यह कारिडोर हिंद महासागर तक पहुंचने का सुरक्षित एवं सुगम मार्ग है। यह एक बहुदेशीय परिवहन मार्ग है, जिसके द्वारा तुर्किए, इस्तांबुल, बुल्गारिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान से आगे चीन तक पहुंचा जा सकता है। वास्तव में चाबहार बंदरगाह का व्यापार मार्ग सिल्क रूट का विकल्प भी देता है, जो स्वेज नहर की तुलना में 40 प्रतिशत दूरी कम करता है। इससे होने वाले व्यापार में न केवल 15 दिन का कम समय लगेगा, बल्कि 30 प्रतिशत सस्ता होने से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भी भारत को मिलेगा। इस मार्ग का प्रयोग कर भारत अपनी व्यापार क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ इस क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक संबंधों को भी मजबूत कर सकता है। इस जुड़ाव से भारत के लिए व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे और पूरे क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी। मध्य एशिया के संसाधन-संपन्न नए बाजारों तक भारत की पहुंच भी बनेगी। ईरान सहित मध्य एशिया के देशों से हमारा व्यापार आनुपातिक रूप से बहुत कम होता है। तुर्कमेनिस्तान से प्राकृतिक गैस, कजाखस्तान से यूरेनियम सहित यह क्षेत्र जीवाश्म ईंधन और जल विद्युत के माध्यम से भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान कर सकता है और कई महत्वपूर्ण खनिजों और धातुओं की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। भारत भी दवा, मांस, यांत्रिक उपकरण, प्रसाधन सामग्री, गारमेंट्स, रसायन, कीटनाशक दवाएं, इंजीनियरिंग उत्पाद, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा पर्यटन और आइटी आदि के निर्यात को बढ़ा सकता है। इन क्षेत्रों में भारत रुपये में व्यापार को बढ़ावा देकर अंतरराष्ट्रीय स्वीकृत मुद्राओं पर निर्भरता कम कर सकता है। चाबहार बंदरगाह से ईरान को भी लाभ होगा, जो पहले से ही अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों को झेल रहा है। भारत क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान करते हुए अफगानिस्तान को विभिन्न तरह की सहायता पहुंचाने के लिए इसी बंदरगाह का उपयोग करता है। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण बदलती परिस्थितियों में भारत का रूस से तेल आयात काफी बढ़ा है। भारत ने अमेरिकी दबाव को न मानते हुए रूस से होने वाले तेल आयात से 25 से 30 अरब डालर बचाए हैं। चाबहार बंदरगाह समझौते के बाद रूस और भारत के व्यापार में और बढ़ोतरी होगी। चाबहार बंदरगाह द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का सामरिक प्रभाव बढ़ने से भू-राजनीतिक स्थिति भी मजबूत होगी। बदलते समय में आर्थिकी अब राजनीति पर भारी पड़ रही है। चीन भी भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहा है। इसे देखते हुए अमेरिका भी कठोर रुख अपनाकर भारत की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगा। अब मध्य एशियाई एवं यूरोपीय देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त लाजिस्टिक्स नीति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिससे इन देशों एवं भारत के बीच संबंध और मजबूत हो सकें। कुल मिलाकर चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, यह एक ऐसे भविष्य का प्रवेश द्वार है, जो भारत की आर्थिक क्षमता को बल देने के साथ उसके अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को मजबूत करेगा। इससे क्षेत्रीय समृद्धि और आर्थिक विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आत्मविश्वास की शक्ति

सफलता के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है। अच्छे से अच्छा तैराक भी आत्मविश्वास के अभाव में किसी नदी को पार नहीं कर सकता। वह बीच में ही फंस जाएगा। नदी के प्रवाह में बह जाएगा। एक सामर्थ्यवान व्यक्ति के मन से जब आत्मविश्वास नष्ट होने लगता है तो संसार में उसके जमे हुए पैर भी उखड़ने लगते हैं। आत्मविश्वास मनुष्य को तुच्छता से महानता की ओर अग्रसर करता है। उसे सामान्य से उत्कृष्ट बना देता है। हममें आत्मविश्वास जितना अधिक होगा अनंत शक्ति के साथ हमारा संबंध उतना ही गहरा होता जाता है।

आत्मविश्वास संपूर्ण शक्तियों को संगठित करके उन्हें एक दिशा में लगाता है। शारीरिक और मानसिक क्षमताएं आत्मविश्वासी व्यक्ति के इशारे पर काम करती हैं। जो अपनी शक्तियों का नियंत्रक है, उसे संसार में कोई भी नहीं हरा सकता। संगठित शक्तियों को मनुष्य जिस क्षेत्र में भी केंद्रित करता है तो उसमें उसे भारी सफलता मिलती है। जैसे कोलंबस जब पृथ्वी की परिक्रमा करने चले तो उनके कुछ दुर्बल साथियों ने उन्हें वापस लौट जाने की सलाह दी, लेकिन उनका आत्मविश्वास नहीं डिगा। आत्मविश्वास मनुष्य के कार्यकलाप, उसके जीवन व्यवहार आदि में एक प्रकार से चैतन्यता भर देता है। उसके समस्त जीवन को प्राणवान बना देता है। ऐसे व्यक्ति पर लोग विश्वास करने लगते हैं। उसमें एक प्रकार की दिव्यता का अहसास होने लगता है। यह और कुछ नहीं, बल्कि उसका अपना अपार आत्मविश्वास ही होता है।

अतः जीवन में सफल होना है। विजयी बनकर जीवन बिताना है। समाज को नई दिशा देने वाला बनकर जीना है। संसार पर अपनी छाप छोड़नी है। इस जीवन के उतार-चढ़ाव, हार-जीत के द्वंद्वों, कठिनाइयों, उलझनों में भी स्थिर रहना है। आशा और उमंग के साथ जीवन बिताना है तो अपने आत्मविश्वास को जगाना होगा। ध्यान, योग, कठिन परिश्रम और सत्य के रास्ते पर चलकर हम अपनी आत्मविश्वास की शक्ति जगा सकते हैं।

समराज चौहान

पाठकनामा

letter@naidunia.com

क्षेत्रीयता का भंवरजाल

'संकुचित दृष्टिकोण वाले क्षेत्रीय दल' शीर्षक से लिखे आलेख में प्रो. निरंजन कुमार ने क्षेत्रीय दलों की चाल, चरित्र एवं चेहरे को दिखाया है। ये क्षेत्रीय दल केवल क्षेत्रीयता के भंवरजाल में उलझकर रह जाते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 जैसी किसी व्यावहारिक राष्ट्रीय योजना का बंगाल सरकार द्वारा लागू न किया जाना इसका उदाहरण है। यह दिखाता है कि किसी योजना का विरोध मात्र इस आधार पर किया जा रहा है कि वह योजना एक विरोधी दल द्वारा बनाई गई है। संविधान, एकता, अखंडता, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि आदि संकल्पनाओं को बखूबी प्रस्तुत करते लेखक ने दिखाया है कि क्षेत्रीय दल किस प्रकार से परिवारवाद, जातिवाद एवं स्वार्थ की गिरफ्त में हैं। एक तरफ तो हम संविधान की प्रथम पंक्ति 'हम भारत के लोग भारत की एकता और अखंडता...' का यशोगान करते हैं तो वहीं ये क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय एकता और अखंडता की संकल्पना को मुंह चिढ़ा देते हैं। इसका अर्थ यह भी नहीं हो जाता कि क्षेत्रीय दल समाप्त ही कर दिए जाएं। असहमति भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग है, लेकिन समय रहते हमें स्वार्थपरक उद्देश्यों को पहचानकर उनका यथाशीघ्र निराकरण करने पर विचार करना चाहिए और प्रवृत्ति को रोकना चाहिए।

-अजय कुमावत, दिल्ली विश्वविद्यालय

माफिया से मिले मुक्ति

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि माफिया को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे। बंगाल ही नहीं पूरे देश में नाना प्रकार के माफिया बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी तो ठीक पुलिस व प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं हैं। माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह पुलिस के जवानों, अधिकारियों व कर्मचारियों को मारने में गुरेज नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश में भी पुलिस के अधिकारी व तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी को पीटने, जानलेवा हमले की घटनाएं हो चुकी हैं। माफिया के हौसलों को नेस्तनाबूद करने की आवश्यकता है। हर तरह के माफिया से मुक्ति प्रदेश की जनता चाहती है और इसमें देरी नहीं होनी चाहिए।

– **हेमा हरि उपाध्याय 'अक्षत'**, खाचरौद, उज्जैन

बहुत देर कर दी

समाचार : चुनाव आयोग ने मतदान के दिन जारी होने वाले आंकड़ों और अपडेट आंकड़ों में एक-दो प्रतिशत का अंतर होने पर कहा ये कोई असामान्य बात नहीं।

टिप्पणी: लोकसभा के पांच चरणों के चुनाव पूरे होने के बाद चुनाव आयोग की सख्ती पर वह गीत याद आ गया 'बहुत देर कर दी हुजूर आते-आते।'

–**भगवानदास छारिया**, सोमानी नगर, इंदौर

पाठ्यक्रम में शामिल करें स्वच्छता अभियान

नए शिक्षण सत्र में स्कूलों में शासन स्वच्छता अभियान को भी शामिल किया जाए। इसमें छात्रों को अन्य विषयों के साथ साफ-सफाई व स्वच्छता अभियान संबंधी जानकारी दिए जाए। छात्रों को सफाई का महत्व भी बताया जाए। साथ ही स्वच्छता न होने के कारण गंदगी के कारण होने वाली बीमारी संबंधी जानकारी छात्रों को दी जाए। इसके लिए स्कूलों में एक अलग कालखंड बनाया जाए। जिसमें छात्रों को शरीर व अपने घर के आसपास साफ-सफाई न होने के कारण होने वाली बीमारियों की जानकारी दी जाए। इसके लिए स्कूल में होने वाले पेरेंट मीटिंग (पीटीएम) भी अभिभावकों को स्वच्छता संबंधी जानकारी देकर उन्हें अपने बच्चों को साफ-सफाई के लिए प्रेरित करें। इसके लिए बच्चों को स्वयं अपने स्कूल ड्रेस, मोजे, जूते की साफ-सफाई करें। साथ ही एनसीसी, स्काउट, एनएसएस के स्वयंसेवकों से भी सहयोग लेकर गांवों में कैंप लगाकर स्वच्छता अभियान चलाकर ग्रामीणों को भी जागरूक करें। इसमें उन्हें साफ-सफाई न होने से मलेरिया, डायरिया, डेंगू के प्रकोप की जानकारी देकर उन्हें सफाई के लिए प्रेरित करें। साथ ही मितानिनों से भी सहयोग लेकर गांवों में स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करें। इसके लिए शिक्षा विभाग को पहल करनी चाहिए।

-**ऋषभ विश्वकर्मा (गोल्डी),** करबला चौक बिलासपुर

X पोस्ट

सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन राष्ट्र सबसे बड़ा है। राष्ट्र की एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं। भारतीय होना हमारी पहली पहचान है। यही बाबा साहब की शिक्षा है। दिलीप मंडल@Profdilipmandal

पूर्व पीएम चंद्रशेखर ने एक बार जेपी से कहा था कि आज आप जिन नेताओं के बल पर संपूर्ण क्रांति की बात कर रहे हैं, कालांतर में वही नेता अपनी-अपनी जातियों के नेता बनकर रह जाएंगे। उनकी बात एकदम प्रासंगिक रही। चुनाव में सफलता के सूत्र जातिगत गुणा-गणित में ही तलाशे जाते हैं। राजेश शुक्ला@astroraj

भारत में कुछ लोगों का झुकाव इजरायल की ओर है तो कुछ लोग फलस्तीन का भी समर्थन करते हैं। विश्व के प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में कमोबेश यही स्थिति है। इसके उलट पश्चिमी देशों में बसे पाकिस्तानी भी इजरायल के प्रति एकतरफा दुराव रखते हैं। सदानंद धूमे@dhume

धन अपराधों को दबा देता है। पुणे का 17 वर्षीय किशोर, जिसे एक बाइक को टक्कर मारकर दो लोगों की जान लेने वाली पोर्श गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद जमानत पर बाहर आ गया। जमानत की शर्त कहती है कि 300 शब्दों का निबंध लिखें। अतुल्य। प्रिया तंवर@Priya_Tanwr

आर.एन.आई. रजि. क्र. CHHHIN/2007/19457 जागरण प्रकाशन लि.के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक संजय शुक्ला द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के प्रेस सेक्टर 1, प्लॉट नं 12,13 एवं 14 सिरगिट्टी, बिलासपुर से मुद्रित एवं 2री मंजिल, महिमा ट्रेड सेंटर, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर से प्रकाशित
फोन नं. : 07752-471100 फैक्स : 07752-471130 इंटरनेट संस्करण : http://www.naidunia.com, **संपादक** : सद्गुरु शरण * *समाचार चयन के लिए पीआरबी. एक्ट के तहत जिम्मेदार।

****

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शुक्रवार • 24 मई • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

कांच का कटोरा, नेत्रों का जन, मोती और मन, यह एक बार टूटने पर पहले जैसी स्थिति नहीं होती, अतः पहले ही सावधानी बरतनी चाहिए

-लोकोक्ति

भ्रष्ट पूंजी का पालना

पुणे में पिछले दिनों जिस तरह की घटना हुई वह न तो अपनी तरह की पहली घटना थी और न अंतिम घटना। एक अरबपति बिल्डर का 17 वर्षीय यानी नाबालिग बेटा नशे में धुत अपने बाप की 2 करोड़ की महंगी पोर्श कार अनियंत्रित रफ्तार से दौड़ाता है और दो मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारकर उन्हें वीभत्स मौत के हवाले कर देता है। अगर घटना केवल इतनी ही होती तो शायद किसी का ध्यान नहीं खिंचती क्योंकि भ्रष्ट पूंजी की गोद में पले उच्छृंखल लड़के-लड़कियां इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। थोड़ी-बहुत खानापूर्ति के बाद अपने पैसे और अपने बाप के दबदबे के कारण कानून के शिंकजे से मुक्त भी होते रहते हैं। पुणे की घटना के मामले में भी दो

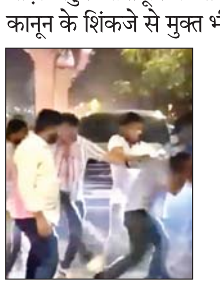

व्यक्तियों को मार देने वाला उद्दंड किशोर को भी कानून के शिकंजे से बाहर ले आया गया। लेकिन जिस तर्ज पर ले आया गया यह तर्ज सुनने वालों के गले के नीचे नहीं उतरी। एक निहायत ही गैर-जिम्मेदार पूंजीपति के गैर-जिम्मेदार और अनुशासनहीन बेटे को चंद घंटों में ही जमानत दे दी गई और शर्त यह रखी गई कि वह सड़क दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का निबंध लिखेगा। यह न्याय व्यवस्था पर पैसे के प्रभाव की इंतिहा थी। जैसे ही यह खबर प्रसारित हुई लोगों की यदा-कदा आहत होने वाली चेतना आहत हो गई। इस पर शोर-शराबा हुआ। बहरहाल, पुलिस और न्यायालय की आगे की कार्रवाइयों के तहत नाबालिग मनचले लड़के की जमानत रद्द कर दी गई। उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। उसके गैर-जिम्मेदार पिता को भी गिरफ्तार किया गया और जिन्होंने लड़के के नाबालिग होने के बावजूद उसे शराब पिलाई उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हो सकता है कि कानून और न्याय की इस कार्रवाई से लोगों की आहत चेतना को कुछ राहत मिले, लेकिन इस सवाल का उत्तर तो खोजना ही होगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। वस्तुतः भ्रष्ट पूंजी के मालिक तमाम तरह की भ्रष्ट प्रक्रियाओं को अपनाकर तमाम प्रशासनिक और नियामक संस्थाओं के भ्रष्ट चरित्र के अधिकारियों के साथ गठजोड़ करके अपने संततियों को सौंप देते हैं। पुणे कांड इसी का मानक उदाहरण है। आखिर में सवाल उनसे भी है जिन लोगों ने इस घटना को लेकर राजनीति की या आरोप-प्रत्यारोप उछाले हैं। क्या वे ऐसा कोई समाधान भी सुझाएंगे जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

चुनाव आयोग को सुनें

लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिक आधार पर वोटों की अपील करने और सुरक्षाबलों के नाम पर मतदाताओं को रिझाने पर चुनाव आयोग का एतराज जताना बिल्कुल उचित है। आयोग ने भाजपा व कांग्रेस दोंनों को नसीहत दी है कि वे ऐसा करने से बचें। जाति, समुदाय, भाषा व धर्म के आधार पर भी बचने को कहा है। आयोग ने सख्ती से कहा कि चुनावों में देश के सामाजिक-सांस्कृतिक को नुकसान पहुंचाने की किसी को अनुमति नहीं दी जा सकती। कांग्रेस से सीधा कहा कि यह सुनिश्चित करने को कहा कि उसके स्टार प्रचारक और उम्मीदवार ऐसे बयान न दें, जिससे यह गलत धारणा बनें कि संविधान को समाप्त किया जा सकता है। साथ ही भाजपा से समाज को बांटने

वाले प्रचार पर रोक लगाने को कहा। आयोग ने यह टिप्पणी इन राजनीतिक दलों की शिकायतों के मद्देनजर दिए गए जवाब पर आयी। भाषणों की गुणवत्ता, दलों के बयानों की तकनीकी खामियां, अतिवादी व्याख्या की जिम्मेदारी से दल मुक्त नहीं हो सकते। निर्वाचन आयोग स्वायत्त संवैधानिक प्राधीकरण है। जो देश में संघ व राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। कहना गलत नहीं होगा कि आयोग का यह एतराज बहुत देर से आया है। अब पांचवें चरण के चुनाव हो चुके हैं। मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से धर्म, समुदाय व सेना को लेकर सभी दल लगातार तरह-तरह के चुनावी भाषण देते रहे हैं। ये दल एक-दूसरे की शिकायतें भी खूब करते हैं। आयोग ने निःसंदेह यह फैसला लेने में बहुत देर कर दी। वास्तव में चुनाव आयोग पहले भी इन राजनीतिक दलों को नोटिस देता रहा है, जिसको किसी ने उस गंभीरता से नहीं लिया। जैसे लेना चाहिए, परंतु इसके लिए भी स्वयं आयोग ही जिम्मेदार है। उसे निष्पक्ष और कड़े निर्णय लेने के प्रति सतर्क रहना चाहिए ताकि मतदाताओं के अधिकारों का हनन न हो। यह किसी से छिपा नहीं है कि प्रचारक व उम्मीदवार अपने पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कराने के लोभ में इन खास विषयों का प्रयोग करने से संकोच नहीं करते। देर से ही सही आयोग की नसीहतें सभी राजनीतिक दलों को गंभीरतापूर्वक स्वीकारनी चाहिए और भविष्य में ऐसी बातों के प्रयोग के प्रति विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए।

चिंता/डॉ. नन्दकिशोर साह

पर्यावरण और महिलाएं

पर्यावरण शब्द का चलन नया है, पर इसमें जुड़ी चिंता नई नहीं है। वह भारतीय संस्कृति के मूल में रही है। आज पर्यावरण बचाने के नाम पर बाघ, शेर, हाथी आदि जानवरों, नदियों, पक्षियों, वनों आदि सबको बचाने के लिए विश्वव्यापी स्वर उठ रहे हैं। भारत में प्राचीन काल से पर्यावरण की तत्वों को धार्मिक कलेवर में समेत कर उनके संरक्षण एवं संवर्धन को एक सुनिश्चित आधार प्रदान किया गया है। महाभारत में कहा गया है कि वृक्ष रोपने वाला उनके प्रति पुत्रवत आत्मीयता रखता है। एक वृक्ष अनेक पुत्रों के बराबर होता है।

प्राचीन मूर्तियों में अशोक वृक्ष की पूजा क्रिया अंकित मिलती है। अथर्वेद के अनुसार जहां पीपल और बरगद के पेड़ होते हैं वहां प्रबुद्ध लोग रहते हैं। पीपल मानव जीवन से जुड़ा वृक्ष है। लंबे जीवन का प्रतीक है, क्योंकि यह दीर्घायु होता है। बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य हिंदीभाषी राज्यों में उपनयन संस्कार के समय इसकी भी पूजा होती है। सामाजिक प्रथाओं और रीति-रिवाजों को देखें तो यह पता चलता है कि प्राचीन काल से ही महिलाएं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रही हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज भी महिलाओं द्वारा पर्व-त्योहार के अवसर पर पूजा अर्चना में अनेक वृक्षों यथा- पीपल, तुलसी, अमला, बेर, नीम आदि वृक्षों एवं विभिन्न पशु तथा गाय, बैल, चूहा, घोड़ा, शेर, बंदर, उल्लू आदि को सम्मिलित करना एवं उनकी पूजा-अर्चना के माध्यम से संरक्षण प्रदान करना देखने को मिल जाता है। सुहागिनी वट अमावस्या व्रत की पूजा के बाद वटवृक्ष की पूजा करती हैं। आदिवासियों में विवाह के समय महुआ के पेड़ पर सिंदूर लगाकर वधू अटल सुहाग का वरदान लेती है और आम के पेड़ को प्रणाम कर सफल वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। इस प्रकार, महिलाएं विभिन्न रूपों में पर्यावरण की संरक्षण करती आ रही हैं। जंगलों के विनाश के विरुद्ध सफल आंदोलन के रूप में पूरी दुनिया में 'चिपको आंदोलन' सराह जा चुका है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस आंदोलन का संचालन करने वाली महिलाएं पहाड़ी व ग्रामीण क्षेत्रों की रहने वाली निरीक्षर एवं अनपढ़ महिलाएं थीं। आज पढ़े-लिखे लोग भी पूर्वजों के लगाए पेड़ पौधों को काटने से नहीं हिचकिचाते हैं। यह गंभीर पर्यावरणीय मुद्दा है। जिंदगी भर मनुष्य लकड़ी से बने समानों का उपयोग करता है, किंतु पेड़ नहीं लगता है। यह चिंतनीय है। पेड़ लगाएंगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा।

लापरवाही से बिगड़ी बात

चार धाम यात्रा

डॉ. सुरजीत सिंह गांधी

किसी भी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन तभी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब पर्यटक नीति में स्पष्टता हो, पारदर्शिता हो एवं आधुनिक तकनीकी के साथ उसका समंवय हो। पर्यटक राज्य के बारे में तभी अच्छी छवि लेकर जाते हैं जब आप आवश्यक सुविधाएं और आधारिक संरचना उपलब्ध करवाने में सक्षम रहते हैं। इन संदर्भो में उत्तराखंड सरकार की चार धाम यात्रा अपने पहले चरण में असफल प्रतीत होती दिखाई दे रही है। चार धाम यात्रा की अव्यवस्थाओं ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है।

उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट खुलने के पहले दिन ही उमड़ने वाली भीड़ को संभालने में शासन-प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए थे। सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर चारों धामों में इतने यात्री किस प्रकार से पहुंच गए? बद्रीनाथ मंदिर के खुलने के दिन दर्शन के लिए लाइन लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित माणा गांव तक फैली हुई थी। यमुनोत्री मंदिर की ओर जाने वाले 5 किलोमीटर के बेहद संकरे खतरनाक पहाड़ी मार्ग पर भक्तों की भारी भीड़ थी। आधी-अधूरी तैयारियों के कारण यात्री करीब 22 घंटे जाम में फंसे रहे। कई लोगों को सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर होना पड़ रहा है।

चारों धामों के तीर्थ, पुरोहित और पंडे सरकार की अस्पष्ट नीति से नाराज हैं। सीमित संसाधनों के कारण लोग अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार के सिर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। पहले से ही बुकिंग करवा कर आए हुए लोग भी ट्रैफिक जाम में फंसने के कारण समय पर होटल आदि स्थानों पर न पहुंच पाने से उनका समय और पैसा दोनों ही व्यर्थ जाने से व्यय बहुत बढ़ गया है। सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए चिकित्सा सुविधाएं, संचार नेटवर्क और आपातकालीन सुविधाओं के लिए सराहनीय प्रयास किए थे। तीर्थयात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन ने मोबाइल टीम बनाकर पानी, बिस्कुट, फल और भोजन के पैकेट बांटने की भी व्यवस्था की थी परंतु आने वाली भीड़ के समक्ष यह सब प्रयास बौने ही साबित हुए। इसका प्रमुख कारण सरकार के पास समुचित आंकड़ों का अभाव ही कहा जाएगा। उत्तराखंड सरकार के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष 15 लाख से अधिक लोग चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आए थे। इस वर्ष 25 लाख लोगों के आने का अनुमान सरकार द्वारा व्यक्त किया गया था, जबकि गैर सरकारी आंकड़ों की माने तो पिछले वर्ष 50 लाख से अधिक लोग चार धाम यात्रा पर आए

थे, जिसकी संख्या इस वर्ष 80 लाख से अधिक होने का अनुमान है। सरकार के पास जब आंकड़ें ही सही नहीं हैं तो पर्यटन नीति, आधारिक संरचना, रजिस्ट्रेशन आदि व्यवस्थाएं कसौटी पर खरी कैसे उतर सकती है? कपाट खुलने के 10 दिनों में ही 10 लाख से अधिक यात्री चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं।

यात्रा के शुरू के 10 दिनों में ही 26 लाख से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। सरकार ने जब चार धाम यात्रा के लिए ऐप के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था की थी तो उसका प्रचार-प्रसार भी किया जाना चाहिए था। जो लोग जागरूकता के अभाव में हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच रहे हैं, उनका भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही किया जाना चाहिए है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की कमी का लाभ उठाकर होटल वाले और ट्रैवल कंपनियों की मिलीभगत से यात्रियों को रजिस्ट्रेशन के बिना या फिर फर्जी रजिस्ट्रेशन द्वारा धामों के लिए रवाना कर दिया जाता है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का यह फर्जीवाड़ा हरिद्वार और ऋषिकेश से ही शुरू हो जाता है। उल्लेखनीय है कि केदारनाथ में प्रतिदिन लगभग 18 हजार लोगों के लिए दर्शन निर्धारित की गई थी, तो धाम खुलने के पहले ही दिन 30 हजार से अधिक लोग कैसे पहुंच गए थे? चारधाम परियोजना के बाद यह यात्रा आसान और सुगम हो जाने से आने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। अलबत्ता, सरकार के उचित इंतजाम न होने से पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। उल्लेखनीय है कि हिमालय की प्राकृतिक प्रकियाएं निरंतर जारी हैं। ऐसे में मानवीय गतिविधियों का भार इन पर उतना ही डाला जाना चाहिए जितना वह वहन कर सकती है। जून 2013 में केदारनाथ में होने वाली त्रासदी की पुनरावृत्ति से बचने के लिए हमें प्राकृति से समंवय स्थापित कर ही चलना होगा।

उत्तराखंड भूकंपीय क्षेत्र की दृष्टि से भी एक संवेदनशील क्षेत्र है। उत्तराखंड सरकार अपने पहाड़ों की पारिस्थितिकी और उसकी संरचना को अच्छी से समझती है, इसके बाद भी बेहताशा गाड़ियों की लंबी लाइन धुआं छोड़ते हुए पहाड़ों पर चढ़ती जा रही है। लोग आध्यात्मिक शांति के लिए चारों धाम की यात्रा करते थे। इन स्थानों पर शोर करना वर्जित माना जाता था कि इससे समाधिस्त देवता नाराज हो जाते हैं। इसका प्रमुख वैज्ञानिक कारण यह था कि हिमालय के संवेदनशील पहाड़ ध्वनि प्रदूषण से बचे रहे, परंतु इस बार की चार धाम यात्रा में सिर्फ शोर ही शोर है-चाहे वह नगाड़ों का हो, लोगों के हो, माइक से दहाड़ने वाली आवाजों का हो, दिन भर गरजने वाले हेलिकाप्टरों का हो या फिर रील बनाने वाले यूट्यूबर का हो। हालांकि अत्यधिक भीड़ के लिए समुचित प्रबंध न होने से पहाड़ कचरे का ढेर बन जाते हैं। चार धाम यात्रा के प्रारंभिक चरण में आने वाली अव्यवस्थाओं से सबक लेते हुए उत्तराखंड सरकार ने अनेक सख्त कदम उठाए हैं। जैसे-सरकार ने 31 मई तक वीआईपी दर्शनों पर रोक लगा दी है और मंदिरों के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी प्रतिबंधित करने एवं बिना पंजीकरण किए आने वाले लोगों को वापस भेजने जैसे कई आवश्यक और महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

चारधाम यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार जहां संभव हो वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी जा सकती है। भीड़ को कम करने के लिए उत्तराखंड सरकार को पर्यटन टैक्स आरोपित करने पर भी विचार करना चाहिए। हिमालयी पर्वतों में स्थित मंदिरों की प्रबंधन व्यवस्था से भी भीड़ प्रबंधन सीखा जा सकता है। अभी चार धाम यात्रा का प्रथम चरण ही चल रहा है। जागने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। सरकार को इस दिशा में गंभीरता से कार्य करते हुए यात्रा प्रणाली को सुखद बनाने पर कार्य करना होगा, जिससे वह उत्तराखंड की अच्छी छवि साथ लेकर जाएं।

> चारधाम यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार जहां संभव हो वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी जा सकती है। भीड़ को कम करने के लिए उत्तराखंड सरकार को पर्यटन टैक्स आरोपित करने पर भी विचार करना चाहिए। हिमालयी पर्वतों में स्थित मंदिरों की प्रबंधन व्यवस्था से भी भीड़ प्रबंधन सीखा जा सकता है। अभी चार धाम यात्रा का प्रथम चरण ही चल रहा है। जागने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है

विकराल होता गर्मी और लू का प्रकोप

- ग्रीनपीस इंडिया के मुताबिक, साल 1992 से 2015 के बीच 24,223 लोगों की मौत अत्यधिक गर्मी की वजह से हुई। एक्सपर्ट के मुताबिक, अब भविष्य में ऐसा बार-बार होगा और लंबे समय तक ऐसा ही रहेगा
- ग्रीनपीस के मुताबिक, देश में लू की घटनाएं पिछले तीन दशकों में दोगुनी हो गई हैं
- भारत में आधे से ज्यादा लोग बाहर काम कर रहे हैं, जिन्हें गर्मी का सबसे अधिक जोखिम है। इसलिए सरकार को आधिकारिक रूप से लू को गंभीर समस्या के रूप में चिन्हित करना चाहिए

(मीडिया इन्पुट्स)

भारत ही अकेला ऐसा क्वाड देश है, जिसका वास्तव में पीएलए से आमना-सामना है : भारत-चीन सैन्य झड़प के पांच साल पूरे हो चुके हैं, दक्षिण चीन सागर में चीन की पश्चिमी नौसेना की बढ़त को थामने में भी भारत मुख्य भूमिका निभा सकता है।

ब्रह्म चेलानी, सामरिक चिंतक
@Chellaney

बिगड़े रईसजादों पर सख्ती हो

मुद्दा | **रजनीश कपूर**

जब कभी कोई ऐसा हादसा होता है जिसमें किसी बड़े नेता, उद्योगपति या किसी मशहूर हस्ती के परिवार का कोई सदस्य शामिल होता है तो वो मामला काफी तूल पकड़ लेता है। ऐसे में अक्सर देखा गया है कि स्थानीय पुलिस भी दबाव में आ जाती है। पुलिस की मजबूरी ऐसी होती है कि उसे दोहरा दबाव झेलना पड़ता है। परंतु यदि पुलिस अपना काम कानून के दायरे में रहकर करे तो यह एक कड़ा संदेश भी देता है कि चाहे आप आम हों या खास कानून सबके लिए बराबर है। इसके साथ ही यदि न्यायपालिका भी पुलिस पर सही कार्यवाही करने का दबाव बनाए रखे तो कोई भी मशहूर हस्ती कानून तोड़ने से पहले कई बार सोचेगा, लेकिन ऐसा क्या है कि ऐसे हादसे रुकते नहीं हैं? आए दिन हमें किसी न किसी नामी व्यक्ति के परिवार के सदस्य द्वारा की गई दुर्घटनाओं के नए-नए मामले पता चलते हैं।

क्या इन बड़े व रईस परिवारों में संस्कारों की कमी है या संवेदनशीलता की जो ये कानून तोड़ने में जरा भी संकोच नहीं करते? ताजा मामला पुणे के एक बड़े बिल्डर के नाबालिग बेटे का है जिसने नशे की हालत में अपनी महंगी व तेज रफ्तार 'पोर्श' कार के रास्ते में आने वाले बाइक सवार दो युवाओं को मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही मामले की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे तो पुलिस भी कार्रवाई करती नजर आई। इतना ही नहीं पुणे के पुलिस आयुक्त को स्वयं ही इस मामले में प्रेस वार्ता कर पुलिस की कार्रवाई की जानकारी देनी पड़ी, जो कि सराहनीय है। यहां सवाल उठता है कि इस हादसे में जिन प्रमुख नियमों का उल्लंघन हुआ है वह तो संवैधानिक चेतावनी के तहत ही आते हैं। जैसे कि 18 वर्ष की आयु से कम होने पर वाहन चलाना। रेस्टोरेंट या पब द्वारा 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को नशीले पदार्थ देना। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के किसी भी कार डीलर द्वारा गाड़ी को सड़क पर आने देना। यह कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन हर देशवासी को करना चाहिए। फिर वो चाहे ग्राहक हो या बिक्री करने वाला व्यापारी। ये एक ऐसा उदाहरण हैं जिससे पता चलता है कि हमारा 'सभ्य और कुलीन' समाज किस ओर जा रहा है। इस समाज में पैसे वाले या बड़े कहे जाने वाले लोगों की नैतिकता व समाज के प्रति जिम्मेदारी का क्या

हाल है? इस वर्ग के लोगों में सिर्फ अपनी खाल बचाने की चिंता किस कदर हावी हो चुकी है? ये कोई मामूली लोग नहीं हैं जो रोजी-रोटी के जुगाड़ में ही परेशान रहते हैं। बड़े लोगों को अपने बिगड़ैल बच्चों को ही बचाने की फिक्र रहती है। उन परिवारों की कोई भी फिक्र नहीं होती जिनके घरों में इनके कारण मातम का माहौल बन गया। महंगाई और गरीबी की मार से सताए हुए एक तरफ वे आम लोग हैं जिनमें आज भी नैतिकता और सामाजिक सरोकार बाकी है और दूसरी तरफ ऐसे रईसजादे हैं जो पांच सितारा मस्ती में इतना खोए हैं कि आम लोगों को कीड़े-मकौड़े समझते हैं। गनीमत है कि इस दुर्घटना के बाद वहां की भीड़ ने उस बिगड़े रईसजादे को घटनास्थल से भागने नहीं दिया। वरना कर्नाटक की हसन लोक सभा से उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना की तरह ये बिगड़ैल लाड़ला भी देश छोड़ कर भाग जाता, परंतु सोचने वाली बात यह है कि ऐसी मानसिकता एक दिन में तो पैदा नहीं होती। उसकी एक लंबी पृष्ठभूमि होती है। जैसे संस्कार वे अपने परिवार और परिवेश में देखते हैं वैसा ही बर्ताव फिर वे समाज में करते हैं। ऐसे हादसों में जमानत लेते समय अदालत में बचाव पक्ष भले ही उसे बच्चा कहे, पर यदि उसके मां-बाप उसे बच्चा मानते तो इतनी महंगी कार से पार्टी में नहीं जाने देते। यदि जाना जरूरी होता तो कम से कम इस 'बच्चे' की हिफजत के लिए ड्राइवर तो साथ भेजते। पर रातों-रात रईस बनने वाले लोग आज इस बात पर गर्व करते हैं कि उनका बच्चा कौन सी गाड़ी चलाता है? किस 'ब्रांड' के कपड़े पहनता है? कैसी डांस पार्टियां आयोजित करता है आदि। एक ऐसी ही धनाढ्य महिला अपनी मित्र को बता रहीं थी कि उनका 16 साल का बेटा उनकी सातों गाड़ियां चला लेता है। इससे उनकी मानसिकता का परिचय मिल जाता है। गाड़ी एक चलाए या सातों, क्या फर्क पड़ता है? हां, इस तरह यह जरूर पता चलता है कि कानून के पालन के प्रति इस वर्ग में कितनी अरुचि है।

कानून तोड़ने की इस संस्कृति से ही पनप रहे ये रईस लोग भारत में उसी मानसिकता से रहते हैं जैसे औपनिवेशिक शासक देश लूटने के लालच में भीषण गर्मी की मजबूरी झेलकर भी यहां पड़े रहते थे। जब तक उन्हें भारत से आर्थिक फायदा मिला, वे यहां टिके रहे। जब भारत उन पर भार बनने लगा, तो इसे छोड़ भागे। कानून के प्रति जिम्मेदारी तो मध्यम और निम्न वर्ग के उन युवाओं की है जिन्हें इसी भारत भूमि पर जीना और मरना है। उन्हें चाहिए कि इन रईसजादों के भड़काऊ जीवन की चकाचौंध से भ्रमित न हों बल्कि इनके कारनामों, इनकी जिंदगी और रवैए पर कड़ी निगाह रखें, ताकि भौंडे उपभोक्तावाद के इस नासूर को बढ़ने से पहले ही कुचल दिया जाए। वरना पुणे जैसे हादसे अन्य शहरों में भी होते रहेंगे।

प्रतिभा संवर्धन | **श्रीराम शर्मा आचार्य**

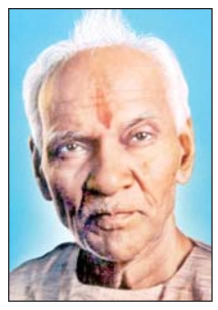

गांधी युग में जो सत्याग्रही उभरकर आगे आए वे स्वतंत्रता सेनानी कहलाए, यशस्वी बने। ताम्रपत्र, पेंशन और आवागमन के मुफ्त पास प्राप्त करने के लाभों से गौरवान्वित हुए। जो उनमें वरिष्ठ और विशिष्ट थे, वे देश का शासन सूत्र संचालन करने वाले मूर्धन्य बने। बापू के संपर्क में रहे नेहरू, पटेल जैसे अनेकों रत्न ऐसे हैं जिनके स्मारकों को नमन किया जाता है। इतिहास के पृष्ठों पर यशोगाथा पढ़कर भाव-विभोर हुआ जाता है। यह उनकी प्रचंड प्रतिभा का प्रतिफल मात्र है। यदि वे संकीर्ण स्वार्थ परायणों की तरह अपने मतलब से ही मतलब रखते, तो मात्र कुछ सुख-साधनों से मन बहला पाते, प्रकाश स्तंभ बनने के सुयोग सौभाग्य से तो उन्हें वंचित ही रहना पड़ता। जो उन दिनों कृपणता धारण किए रहे वे अग्रगामियों के साथ अपनी तुलना करने पर 'माया मिली न राम' वाली अपनी मूर्खता पर पश्चाताप ही करते रहते है, पर बीता हुआ समय पुनः लौटता कहां है? बुद्ध, गांधी, दयानंद, विवेकानंद, बिनोवा जैसों की महान उपलब्धियां स्मरण करके हर विचारशील का अंतःकरण उमंगता है कि यदि उन्हें ऐसा ही श्रेय मिल सका होता तो कितना अच्छा होता। उस अवसर को गंवाकर वे जिस ललक-लिप्सा की पूर्ति का दिवा-स्वप्न देखते रहते हैं, उसे भी कौन साकार कर पाता है? तृष्णा मरते समय तक प्रौढ़ ही बनी रहती है। शेखिचल्लियों का समुदाय कुबेर जैसा धनाढ्य और इंद्र जैसा प्रतापी बनने के सपने देखता है, पर अब निष्कर्ष की बेला में मात्र इतना ही प्रतीत होता है कि कोल्हू के बैल की तरह पिलते और पिसते हुए समय बीतता गया। श्मशान के भूत-पलीत की तरह डरते और डराते रहने के अतिरिक्त और कुछ हाथ न लगा। भाग्यवान वे हैं, जिन्होंने आदर्शें के साथ रिश्ता जोड़ा, महानता का मार्ग अपनाया और ऐसा कुछ कर दिखाया, जिसका अनुकरण करते हुए असंख्यों को गौरव-गरिमा का लक्ष्य प्रदान करने वाला ऊर्जा भरा प्रकाश उपलब्ध होता रहे। मूर्खता और बुद्धिमत्ता के चयन के लिए इसी चौराहे पर सही निर्णय करने का अवसर है। वैसा अवसर सुयोग भी इन्हीं दिनों है, जिसका लाभ भगीरथ और अर्जुन ने अपनी उदात्त साहसिकता के बदले खरीदा था। वरदान अनायास ही किसी को कहां मिलते हैं?

रीडर्स मेल

समाधान निकाले सरकार

ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई मौत ने हमें भी अपनी हवाई सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सोचने पर विवश कर दिया है। हवाई दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पायलटों को नियमित और आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें विमान के टेक ऑफ, लैंडिंग और उड़ान के दौरान आपात स्थिति में सुरक्षा उपायों के लिए बेहतर मार्गदर्शन देना चाहिए। साथ ही उनके प्रदर्शन और सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन की सख्त निगरानी होनी चाहिए, जो मानवीय त्रुटि रोकने में महत्त्वपूर्ण है। इसके लिए हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एविएशन सेक्टर जीरो टॉलरेंस का सेक्टर है। इसलिए सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप कर समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए।

अंकित सोनी 'आदित्य', मप्र

चुनाव आयोग कार्रवाई करे

धर्म, जाति और परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय दलों की ही भूमिका मुख्य नहीं होती, बल्कि यह भी सच है कि यह रूढ़िवादी परंपरा राष्ट्रीय दलों में भी कोई कम नहीं है। राष्ट्रीय दल धर्म और जातिगत वोट बैंक पाने के खातिर ही उन दलों से भी हाथ मिलाने में देरी नहीं करते जिन क्षेत्रीय दलों का जन्म किसी धर्म या जाति के आधार पर ही हुआ होता है। यह सच भी है कि आज भी हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो देश और जनहित के मुद्दों के आधार पर नहीं, बल्कि धर्म-जाति की भावनाओं में आकर अपने कीमती वोट का प्रयोग करते हैं। यहां यह कहना भी उचित होगा कि अपने धर्म, जाति के समाज को इंसाफ दिलाने के लिए और अपने पूर्वजों की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए परिवारवाद की राजनीति में तो कोई गलत काम नहीं है, लेकिन जब इन सबका प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए किया जाने लगे तो यह सरासर गलत और लोकतंत्र को कमजोर करने वाला काम है। क्षेत्रीय दलों के स्वार्थ और अवसरवाद के कदमों में बेड़ी डालने के उपाय चुनाव आयोग को तलाशने चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

जुर्माना लगे

भारत में पर्व -त्योहार चलते रहते हैं। उसके प्रति लोगों में गहरी आस्था है। तीर्थ स्थलों या अन्य पर्यटन स्थलों पर भी लोगों का जमावड़ा रहता है। जब से आने-जाने के साधन विकसित हुए हैं लोग अब घुमक्कड़ी के हिसाब से ज्यादा जाते हैं। प्राय गर्मी का मौसम ऐसे लोगों के लिए ज्यादा मुफीद रहता है। अब तो लोग अपने फोर व्हीलर से भी दुर्गम पहाड़ियों पर पहुंच जाते हैं। अपने लोगों के साथ जर्नी करने का एन्जॉय का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। फुर्सत के ये पल आदमी जी भर जीना चाहता है। लोग अपनी आस्था का प्रदर्शन कर नदियों में स्नान करते हैं। कहा जाता है मां गंगा में डुबकी लगाने से पाप धूल जाते हैं। खैर ये तो आस्था है और इसमें कोई रोक टोक नहीं। यहां लोग खरीदारी करते हैं, खाते-पीते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है। क्या आपने इसका दूसरा पक्ष भी देखा है। लोग वहां जाते हैं गंदगी छोड़ आते हैं। नदियां भी मैली है वहां भी लोग गंदगी छोड़ कर आ जाते हैं। तो क्यों ना ऐसी जगहों पर गंदगी छोड़ने पर जुर्माना लगे। या स्थानीय निकाय निकाय हर यात्री से इन स्थलों को साफ-सुथरा रखने का शुल्क ले।

दिलीप कुमार गुप्ता, बरेली

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-33, अंक 280
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। **–वाल्तेयर**

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

समाज व सिस्टम में सुधार से ही बढ़ेंगे सजा के मामले

पहले गैंगरेप का शिकार होने की अमानवीय त्रासदी, इसके बाद बिन ब्याही मां बनने का दर्द और लोकलाज का डर। उत्तरप्रदेश के शाहजहांपुर में नाबालिग अवस्था में गैंगरेप का शिकार हुई महिला की कहानी समाज में मौजूद राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों की घिनौनी करतूत का आईना है। ऐसे हादसे के बाद कम उम्र में ही मां बनने का दर्द झेलने वाली इस महिला को निश्चित ही दरिंदों को सजा दिलवाकर संतोष मिला होगा जिन्होंने उसके साथ यह दुष्कर्म किया। बड़ी बात उस बेटे के साहस की भी है जिसने हकीकत से रूबरू होने के बाद घटना के सत्ताईस बरस बाद गैंगरेप करने वालों के खिलाफ न केवल मामला दर्ज कराया बल्कि डीएनए परीक्षण के जरिए मां को न्याय दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

समाज के लिए कलंक साबित होने वालों को जेल के सींखचों में जाना ही चाहिए। अपनी बिन ब्याही मां की दर्दनाक कहानी सुनने के बाद बेटे ने मां के दर्द को जिस तरह से महसूस किया, वह स्तुत्य है। ऐसा इसलिए कि आम तौर पर बिन ब्याही मां व अनचाहे शिशु का जन्म होने पर समाज की नजरें भी अलग तरह की हो जाती हैं। इस घटनाक्रम में भी गैंगरेप पीड़िता को कम संकट नहीं झेलने पड़े। चिकित्सकीय बाध्यता की वजह से पहले बच्चे का जन्म देने की विवशता, लोकलाज के डर से अपनी ही संतान को रिश्तेदारों के यहां छोड़ने की मजबूरी व विवाह बाद अपने पति से ठुकराए जाने का दोहरा संकट किसी भी महिला को तोड़ने के लिए काफी होता है। समाज में ऐसी विवशताओं का सामना करने वाली सभी महिलाएं न तो इतना साहस जुटा पातीं कि बिन ब्याही मां बनने की कहानी उस बेटे को सुना सकें, जिसका जन्म भी इसी दरिंदगी का नतीजा था। न ही ऐसा कभी देखने -सुनने को मिलता कि कोई बेटा सब कुछ जानकार भी दुष्कर्मियों को सजा दिलाने के लिए हर जतन करने की हद तक पहुंच गया हो। इस मां ने अपने बालक को जो संस्कार दिए होंगे, उसी की परिणति इस साहस के रूप में सामने आई। कोर्ट ने समूचे प्रकरण की संवेदनशीलता समझते हुए सुनवाई के बाद गैंगरेप के दोनों दोषियों को दस-दस साल की सजा सुना दी है।

दुर्भाग्यजनक तथ्य यह है कि कई ऐसे मामलों में रेप व गैंगरेप के आरोपियों का कुछ नहीं बिगड़ पाता। कुछ तो हमारा सामाजिक ताना-बाना ही ऐसा है जिसमें कई बार पीड़िता या परिजन अदालतों की चौखट तक पहुंचने का साहस ही नहीं जुटा पाते। वहीं कई बार पुलिस की जांच प्रक्रिया ही न्याय में बाधक बनती रही है। जरूरत इस बात की है कि समाज व सिस्टम दोनों में सुधार हो।

उत्तरप्रदेश : विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ क्षेत्र की सभी 5 विधानसभा सीटों पर सपा जीती थीं

आजमगढ़ में अखिलेश की परीक्षा, बसपा की अंबेडकरनगर में पकड़ लग रही ढीली

आजमगढ़ से
शादाब अहमद

समाजवादियों यानी समाजवादी पार्टी के मजबूत किले के रूप में पहचान रखने वाला आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र है, वहां सपा और भाजपा के बीच मुकाबला हो रहा है। वहीं पूर्व सीएम मायावती की कर्मस्थली रहे बसपा के गढ़ अंबेडकर नगर में इस बार 'हाथी' की चाल सुस्त दिख रही है।

पहले बात आजमगढ़ की। यह समाजवाद का ऐसा मजबूत किला है, जिसे 2014 में मुलायम सिंह यादव और 2019 में अखिलेश यादव ने मोदी लहर की चपेट में आने से बचाया। हालांकि अखिलेश के विधायक बनने के बाद 2022 में हुए उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर भोजपुरी फिल्म कलाकार दिनेश लाल यादव 'निरूहआ' ने जीत हासिल की थी।

अब दिनेश लाल यादव 'निरूहआ' फिर से भाजपा के टिकट पर हैं, जबकि उनके सामने अखिलेश के चचेरे भाई धमेन्द्र यादव चुनाव मैदान में हैं। मुस्लिम-यादव (एमवाई) फैक्टर वाले इस क्षेत्र में अखिलेश ने बसपा नेता रहे गुड्डू जमाली को सपा में लाकर धमेन्द्र यादव की राह आसान की है। हालांकि बसपा ने मुस्लिम चेहरे मसूद साबिहा अंसारी को उम्मीदवार बनाकर सपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है।

आजमगढ़ में अखिलेश ने मोर्चा संभाल रखा है, वहीं भाजपा की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी डटे हैं। भाजपा ने राम मंदिर निर्माण, कारसेवकों पर गोलीकांड व परिवारवाद के मुद्दों से सपा पर हमला बोल रखा है। आजमगढ़ की जमीनी हकीकत तलाशने के लिए जूस की दुकान संचालक ममता सोनगर से बातचीत का दौर शुरू किया। कहने लगी कि महंगाई बहुत है और कमाई कम होती है। आजमगढ़ में तो अखिलेश भैया का ही जोर है।

ऑटो चालक राजू यादव से बात करते ही कहने लगे कि महंगाई और बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर का मुद्दा पूछा तो राजू ने कहा, मंदिर अपनी जगह है और वोट देने का आधार अपनी जगह है। राजू की बात काटते हुए पास ही खड़े रमाकांत तिवारी कहने लगे कि राम मंदिर निर्माण, विकास कराने और गुंडई खत्म करने के नाम पर वोट दिया जाएगा। तिवारी ने चुटकी ली- साइकिल पंचर हो गई है। भाजपा ने पूर्वांचल एक्सप्रेस जैसे कई काम करवाए। अखिलेश बस जातिवाद करते हैं।रोडवेज बस कंडक्टर मुन्ना वाल्मीकि से सामना हुआ। मुन्ना कहने लगे कि दस साल बहुत होते हैं।

अम्बेडकरनगर में जनमानस को टटोलता हुआ मैं अखिलेश यादव की विधानसभा सीट मुबारकपुर पहुंचा। छोटा सा कस्बा होने के बावजूद यहां अच्छी सड़कें, डिवाइडर और उन पर हेरीटेज रोड लाइट्स से विकास का सहज ही अंदाजा हो गया।

किराने की दुकान चलाने वाले उमाशंकर शर्मा ने कहा कि विकास में यहां कोई कमी नहीं है। कॉलेज, स्कूल जैसे काम करवाए गए हैं। सागरी में राजू निषाद कहने लगे कि बेरोजगारी और महंगाई है, जिसकी वजह से टेंपो लेकर दौड़ा रहे हैं। राम मंदिर बनाने से हमें भोजन नहीं मिल सकता है। पहले की सरकार में 400 रुपए का गैस सिलेंडर था। यह 1200 रुपए तक में हो गया था।

सपा का मजबूत किला

भाजपा की प्रचंड लहर के बावजूद 2022 के विधानसभा चुनावों में भी आजमगढ़ की सभी पांचों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता था और 2017 में चार सीटें जीती थीं।

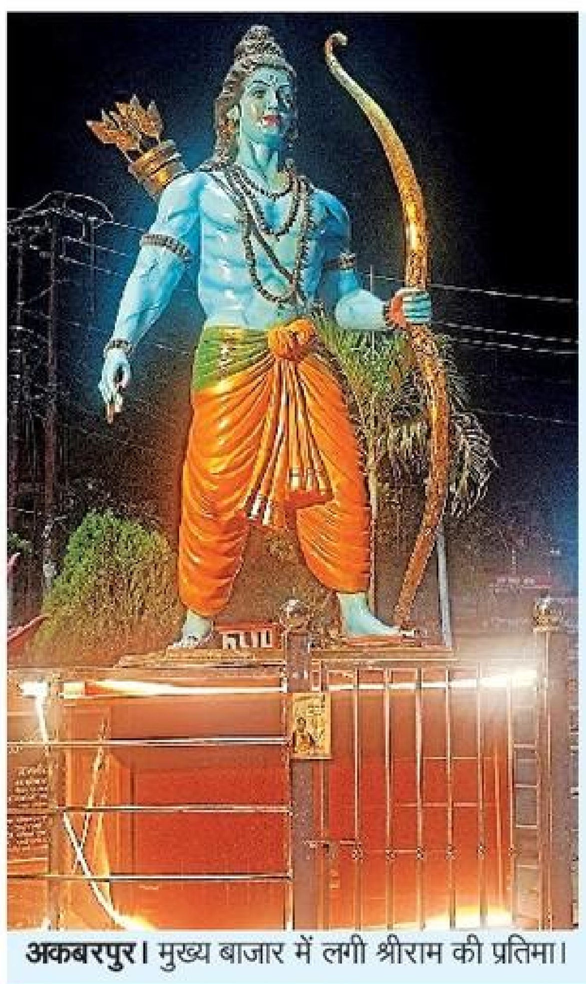

अकबरपुर। मुख्य बाजार में लगी श्रीराम की प्रतिमा।

अंबेडकरनगर

अगड़े-पिछड़ों की सियासी लड़ाई में बदला चुनाव

मायावती इस इलाके से तीन बार सांसद चुनी गईं । 2019 में बसपा के टिकट पर सांसद बने रितेश पांडे ने हाथी से उतरकर भाजपा का दामन थाम लिया है। इससे बसपा को झटका लगा। ब्राह्मण बहुल इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने कुर्मी जाति के बड़े नेता लालजी वर्मा को चुनाव में उतारकर पिछड़ों का कार्ड चला है। लोगों से बातचीत में साफ लग रहा है कि यहां चुनाव अगड़े और पिछड़ों की सियासी लड़ाई बनकर रह गया है। हालांकि बसपा ने अपने वजूद को बचाने के लिए दलित-मुस्लिम के समीकरण साधने के लिए कमर हयात को चुनाव में उतारा है।

जौनपुर : त्रिकोणीय मुकाबले में उलझी सीट

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से लगी हुई है जौनपुर सीट। फिलहाल इस सीट पर भाजपा, सपा और बसपा में त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। जौनपुर में बड़े ही दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम हुए, जिसकी वजह से इसकी चर्चा देश में हो रही है। दरअसल, बसपा के दिग्गज नेता धनंजय सिंह इसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अदालत से उन्हें एक मामले में सात साल की सजा हो गई, जिसके चलते वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बसपा ने उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को पहले टिकट दिया, लेकिन बाद में वर्तमान सांसद श्याम सिंह को ही उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके चलते धनंजय सिंह नाराज होकर भाजपा के साथ खुलकर आ गए और बसपा की राह में अवरोध खड़े कर दिए हैं। इसका असर क्षेत्र में दिख रहा है। भाजपा ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री कृष्ण पाल सिंह और सपा ने बाबूसिंह कुशवाह को उम्मीदवार बनाया है। सपा ने बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा उठा रखा है।

मनुष्य और वन्यजीवों के बीच बढ़ता संघर्ष

समावेशी और पर्यावरण अनुकूल विकास पर देना होगा ध्यान

मनुष्य एवं वन्यजीव आदिकाल से एक दूसरे के पूरक व आपसी सामंजस्य बनाते हुए सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व का अनूठा उदाहरण भी प्रस्तुत करते रहे हैं। मुश्किल यह है कि आधुनिक काल में इन दोनों के मध्य संघर्ष बढ़ गया है, जो कि दोनों के लिए ही नुकसानदेह है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले पांच वर्ष में लगभग तीन हजार लोग जंगली जानवरों की चपेट में आने से काल कलवित हो गए हैं। अकेले केरल राज्य में ही पिछले वर्ष करीब सौ से अधिक लोग वन्यजीव संघर्ष की भेंट चढ़ चुके हैं। यह उल्लेखनीय है कि केरल ने इसके चलते वन्यजीव व स्थानीय समुदाय के मध्य इस संघर्ष को राज्यस्तरीय विपदा घोषित किया है। स्थानीय जनजातियों व समुदायों का वन्यजीवों के प्रति बढ़ता आक्रोश अत्यंत चिंतनीय विषय है।

यह यथोचित होगा कि समस्त हितधारकों द्वारा इस बढ़ते मनुष्य वन्यजीव संघर्ष के कारणों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या व शहरीकरण के कारण वनों पर दबाव बढ़ रहा है और उनके घनत्व में कमी आ रही है। तथाकथित विकास परियोजनाओं के अंतर्गत वृक्षों को अनियंत्रित रूप से ध्वस्त किया जा रहा है, जिससे वन्यजीवों के प्राकृतिक वास विखंडित हो रहे हैं। वनों एवं अभयारण्यों में अनियंत्रित रूप से बढ़ता पर्यटन भी वन्यजीवों की स्वच्छंदता पर अनवरत प्रहार कर रहा है। संरक्षित वनों में इको टूरिस्म, वन्यजीव सफारी, रिसोर्ट व होटल खोलने की नीतियों का वन्यजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कानूनी एवं नियामक शिथिलता भी इस संघर्ष को बल दे रही है। उदाहरणार्थ, हाल ही में पारित किया गया वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के अंतर्गत वनों की परिभाषा को संशोधित कर एक विशाल भूभाग को संरक्षण के दायरे से पृथक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सौ किलोमीटर के भीतर अवसंरचना निर्माण के लिए वृक्षों को काटने पर किसी प्रकार की अनुमति आवश्यक नही होगी। वस्तुतः आधुनिक विकास शैली ने स्थानीय जनजातियों को वनों पर उनके अधिकार से वंचित कर विस्थापित किया है। परिणामस्वरूप वन्यजीव संरक्षण के लिए अपनाए जाने वाली पारंपरिक व सांस्कृतिक प्रथाएं भी लुप्त होती जा रही है ।

मिलिंद कुमार शर्मा
प्रोफेसर, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विभाग, एमबीएम विश्वविद्यालय, जोधपुर
@patrika.com

वन्यजीवों के आवागमन पर निगरानी एवं स्थानीय समुदायों को उचित समय पर सावधान करने की प्रणाली को स्थापित करना होगा।

समस्या के समाधान के लिए समय रहते गंभीर प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। लघुकाल में, वनों की सीमाओं की बाड़ाबंदी करना, वन्यजीवों के आवागमन पर निगरानी एवं स्थानीय समुदायों को उचित समय पर सावधान करने की प्रणाली को स्थापित करना होगा ।

स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षण देने एवं जागरूक करने की दिशा में भी उचित कदम उठाने होंगे। उदाहरणार्थ, स्थानीय लोगों को 'बाघ मित्र', 'हाथी मित्र' आदि के रूप में प्रशिक्षित कर वन्यजीवों से उचित प्रकार से निपटने के लिए तैयार किया जा सकता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी यथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर, ड्रोन आदि के उपयोग से वन्यजीवों के आवागमन पर नियंत्रण रखा जा सकता है एवं सामाजिक मीडिया द्वारा स्थानीय लोगों को त्वरित सूचना प्रदान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण से सम्बन्धित कानूनी एवं संस्थागत ढांचे को दृढ़ता प्रदान करना भी आवश्यक है। वन एवं वन्यजीव संरक्षण के कानूनों को पुख्ता कर इनकी अवहेलना पर अंकुश लगाना होगा। साथ ही किसी भी विकास परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व उससे होने वाले पारिस्थितिकी एवं सामाजिक दुष्परिणामों का समुचित आकलन होना अत्यंत आवश्यक है। दीर्घकालीन दृष्टिकोण से आर्थिक विकास की परिभाषा में आमूलचूल परिवर्तन लाने की भी महत्ती आवश्यकता है। विकास एवं पर्यावरण संरक्षण को भिन्न नहीं अपितु एक ही सिक्के के दो पहलुओं के रूप में देखा जाना चाहिए। समावेशी और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान देना होगा।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

कमल खिलावन **POLI नोक-झोंक** पंजा सिंह

अपराध...पश्चाताप व निबंध लेखन

(**छठे** चरण का प्रचार थमा। वोटिंग की तैयारी। तैयार हैं संवाद के लिए कमल खिलावन और पंजा सिंह भैया। चलिए सुनते हैं)

कमल खिलावन : बस दो कदम और...।
पंजा सिंह : झोला उठाने में..।
कमल खिलावन : नहीं तुमसे देश मुक्त कराने में...।
पंजा सिंह : भूल जाओ.. हम सरकार बना रहे हैं...।
कमल खिलावन : ड्रीम इलेवन पर टीम बना लो... वो ही संभव है तुम्हारे लिए।
पंजा सिंह : तुम 400 पार तो भूल ही जाओ...।
कमल खिलावन : तुम अब तक उसी में अटके हो, वो तो ट्रैप था हमारा।
पंजा सिंह : मतलब क्या है?
कमल खिलावन : मतलब ये कि तुम जीतने की तरफ ध्यान मत दो, बस इसी कैलकुलेशन में अटके रहो कि हम 400 पार जाएंगे कैसे। हम तो 300 प्लस लाकर ही सरकार बना जाएंगे... सिंपल।
पंजा सिंह : अरे दइया...।
कमल खिलावन : पॉलेटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर का इंटरव्यू ही सुन लेते। वे तो कब से ही कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष कमल के ट्रैप में है।
पंजा सिंह : उनकी तो पहले ही सुन लिए होते तो.. हाल ये न होते। आए थे वो तो पूरा प्रजेंटेशन लेकर। हमारे बड़े वालों ने भाव ही नहीं दिया।
कमल खिलावन : पर मम्मी तो चाहती थीं, वो रणनीति बनाएं।
पंजा सिंह : मम्मी की भी कोई कहां ही सुन रहा है !
कमल खिलावन : फिर तुम्हारे कौन किसकी सुन रहा है। जिज्जा जी को भी टिकट नहीं दिया।
पंजा सिंह : हमारे यहां यही तो नहीं पता। इस मामले में तुम्हारेयहां ठीक है। एक ही बोल रहे हैं। उन्हीं की बात सुनी जा रही है। माननीय, आदरणीय, सम्बोधन लगा कर उन्हीं की बात सुनाई जा रही है।

कमल खिलावन : इसी में तो दिक्कत है। पार्टी से सब हैं। किसी एक से पार्टी नहीं।
पंजा सिंह : पर तुम तो देश में यही नियम लागू करने पर तुले हो, बस एक ही सुनो।
कमल खिलावन : जो है सो है...।
पंजा सिंह : भाई, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे।
कमल खिलावन : क्या..।
पंजा सिंह : भाई, मैं तो हमारे यहां की कमियां गिना रहा हूं। तुम भी कम नहीं हो। तुम्हारे यहां के लीक पोल्स पर हां में हां मिला रहे हो। ये गलत है।
कमल खिलावन : हां भाई गलत है। घोर अपराध है।
पंजा सिंह : अब क्या करें।
कमल खिलावन : पश्चाताप करते हैं।
पंजा सिंह : कैसे ?
कमल खिलावन : निबंध लिखते हैं। एक निबंध तुम लिखो, एक निबंध हम लिखें।
पंजा सिंह : अपराध से मुक्ति। चलो गुरु हो जाओ शुरू।
(दोनों निबंध लिखने लगते हैं। आप भी एक आध निबंध लिख ही लीजिए।)

-सुप्रिया शर्मा

हरियाणा : वर्ष 2014 में मोदी की आंधी में भी रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा अपना किला बचाने में कामयाब रहे थे

अपने गढ़ को फिर से हासिल करने की कोशिश में हुड्डा, 2019 दोहराने की तैयारी में भाजपा

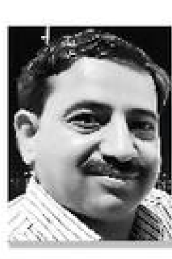

रोहतक से
रमेश शर्मा

हरियाणा की सियासत के सबसे रोचक और रोमांचक रण से रूबरू होना है तो रोहतक बेहतर जगह है। मतदाताओं से सियासी चर्चा में यही समझ आता है कि इस सीट पर हुड्डा परिवार का प्रभाव है। तभी तो वर्ष 2014 में मोदी की आंधी में भी रोहतक से कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा अपना किला बचाने में कामयाब रहे थे। बीजेपी पहली बार 2019 में इस सीट से खाता खोल पाई। जीती भी तो साढ़े सात हजार के बहुत मामूली अंतर से। भाजपा ने पिछली बार की तरह डॉ. अरविंद शर्मा पर विश्वास जताया है। हिसाब बराबर करने के लिए फिर दीपेंद्र हुड्डा मुकाबले में उतरे हैं। यहां से 26 उम्मीदवार मैदान में हैं। बसपा प्रत्याशी राजेश बैरागी दीपेन्द्र के समर्थन में अपना नाम वापस ले चुके हैं। इनेलो ने यहां से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा जबकि जननायक जनता पार्टी ने रविंद्र सांगवान को टिकट दिया है।

रोहतक को हुड्डा परिवार का गढ़ कहा जाता है। देश के पहले चुनाव वर्ष 1952 में दीपेंद्र हुड्डा के दादा रणबीर सिंह हुड्डा रोहतक से कांग्रेस के सांसद बनें और लगातार दो बार जीते। वर्ष 1991 के बाद लगभग इसी परिवार का दबदबा कायम है। भूपेन्द्र हुड्डा चार बार इसी सीट से जीत चुके हैं। उन्होंने तीन बार तो ताऊ देवीलाल को यहां से जबरदस्त शिकस्त दी। भूपेन्द्र हुड्डा 2004 में चौथी बार सांसद बनने के बाद विधानसभा चुनाव जीते और सीएम बने तो यह सीट बेटे के लिए छोड़ी। 2005 के उपचुनाव में दीपेन्द्र ने जीत दर्ज की। उसके बाद लगातार 2009 और 2014 में भी सांसद रहे।

रोहतक के अशोका चौक पर एक चाय की होटल पर सियासी चर्चाओं में व्यस्त लोग।

भाजपा को आ गया था पसीना

भाजपा ने पिछले दो चुनाव में प्रदेश में राजनीतिक ताकत बढ़ाई। भाजपा ने 2019 के चुनाव में रोहतक को छोड़ कर प्रदेश की सभी सीटें बड़े अंतर से जीतीं। रोहतक सीट जीतने में भाजपा को पसीने आ गए। फिर से हुड्डा परिवार अपने किले को फतह करने के लिए पूरी दमदारी के साथ खड़ा है। रोहतक लोकसभा में रोहतक जिले की महम, गढ़ी सांपला किलोई, रोहतक और कलानौर हैं। झज्जर जिले की बहादुरगढ़, बादली, झज्जर और बेरी तथा रेवाड़ी जिले की कोसली विधानसभा सीट आती हैं। रोहतक लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा साढ़े छह लाख जाट वोटर हैं। अनुसूचित जाति के ढाई लाख, ब्राह्मण मतदाता सवा दो लाख, अहीर 1.75 लाख और पंजाबी डेढ़ लाख वोटर हैं। कांग्रेस ने जाट तो भाजपा ने गैर-जाट पर दांव खेला है।

मुखर हैं मतदाता

रोहतक पहुंचने के बाद बसस्टेंड के आसपास, हुड्डा सिटी पार्क, भिवानी रोड, अशोका चौक, सुभाष चौक, शौर्य मार्केट आदि क्षेत्रों में आमजन से चर्चा में महसूस हुआ कि लोग मुद्दों को लेकर बहुत मुखर हैं। अशोक चौक पर चाय की एक होटल सियासी चकल्लसबाजी के लिए काफी चर्चित है। चालीस-पचास लोग तो यहां बैठे रहना आम बात है। यहां नितिन, संजय, राहुल और अमित ने बताया चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा शुरू से बढ़त बनाए हुए हैं। पिछला चुनाव हारने के बाद फिर से जुट गए। लोगों से नियमित संपर्क बनाए रखा। सांसद अरविंद शर्मा पर सबसे बड़ा आरोप यही है कि 5 साल संसद रहने के बाद भी आमजन के संपर्क में नहीं रहे। ओमप्रकाश ने बताया सांसद से कुछ विवाद जुड़े रहे। किसान विरोध का असर रोहतक में भी है। दीपेश बात काटते हुए कहते हैं गिनेचुने किसान ही एजेंडे के तहत विरोध कर रहे हैं। एडवोकेट मनीष गुप्ता तल्खी के साथ कहते हैं, सांसद के पास मोदी के चेहरे के अलावा जनता को बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। योगेन्द्र कुमार ने कहा, शहर में ही पानी और सीवरेज बड़ा मुद्दा है। माता दरवाजा और पहाड़ा मोहल्ला निवासी संदीप और सन्नी वाल्मिकी ने बताया, उनके क्षेत्र में दीपेंद्र लगातार संपर्क में रहते हैं। सामुदायिक भवन बनवाने में मदद भी की। सांसद कभी नहीं आए। लोगों का मानना है कि अग्निपथ योजना से सेना में सीधी भर्ती के रास्ते बंद करने का बड़ा नुकसान होगा। शहरी एरिया में मोदी के नाम पर वोट मिल सकते हैं लेकिन हुड्डा का पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव है।

कोसली क्षेत्र पर सबकी नजर

रोहतक लोकसभा की कोसली विधानसभा सीट रेवाड़ी जिले में है। यहां भाजपा सबसे अधिक प्रभावशाली रही है। पिछले चुनाव में अकेला कोसली ही भाजपा की नैया को पार लगा दिया था। यहां से डॉ. अरविंद शर्मा को थोक वोट मिले और दीपेन्द्र को यहां से 74,980 वोट से शिकस्त मिली। दूसरे क्षेत्रों की बढ़त पर यह अंतर भारी रहा और दीपेन्द्र मामूली अंतर से चुनाव हार गए। इस बार यहां के अहीर वोट बैंक में सेंध लगने की आशंका से भाजपा चिंतित है।

प्रत्याशियों को नफा-नुकसान

दीपेन्द्र हुड्डा का सबसे मजबूत पक्ष यह है वे हमेशा लोगों से मिलते रहे हैं। वे मिलनसार हैं और उन तक लोगों की पहुंच आसान है। उनके तीन कार्यकाल के काम की फेहरिस्त भी लम्बी है, जिससे कई लोग प्रभावित हैं। स्थानीय चेहरा हैं। गैर-जाट एक हुए तो इन्हें नुकसान हो सकता है। अरविन्द्र शर्मा को मोदी नाम का सहारा है। गैर-जाट वोटों की लामबंदी में उन्हें फायदा मिल सकता है। अहीरवाल क्षेत्र कोसली में उनका सम्पर्क बना रहा। हुड्डा के गढ़ को ध्वस्त करने का फायदा मिलेगा। गैर-जाट में कांग्रेस ने सेंध लगाई तो नुकसान होगा।

आज का सवाल

आइआइटी के प्लेसमेंट में कमी का क्या असर होगा?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

फेरबदल ठीक नहीं

अठारह वर्ष से कम आयु वाले नाबालिग ही माने जाने चाहिए।। इसमें फेरबदल उचित नहीं होगा। अपना भला-बुरा एवं सही-गलत को समझने में 16 वर्ष की आयु कम होती है।

-ललित महालकरी, इंदौर, मप्र

बदलनी होगी स्थिति

वर्तमान में किशोर-किशोरी 16 वर्ष की आयु में ही परिपक्व हो जाते हैं। वे अपराध करने के बावजूद 18 वर्ष से कम आयु की वजह से छूट जाते हैं। यह स्थिति बदलनी होगी।

-दिनेश कुमार भाटे, जयपुर

नहीं होता पूरा विकास

18 वर्ष से पूर्व किशोर या किशोरी का पूरा शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता। उनमें सही और गलत के बारे में निर्णय लेने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती।

-विक्रम सिंह राजपूत, दमोह, मप्र

परिवेश और अपराध

नाबालिग की उम्र सीमा 18 हो या 16 वर्ष, यह बात कोई मायने नहीं रखती है। पारिवारिक परिवेश और संगत की वजह से ही आपराधिक प्रवृत्ति विकसित होती है।

-सुनील माथुर, जोधपुर

patrika.com पर पढ़ें

इसे स्कैन करें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, ' क्या नाबालिग उम्र की सीमा 18 से घटाकर 16 वर्ष की जानी चाहिए ?' ऑनलाइन भी देखें।

rb.gy/qetwfs

रिकॉर्ड लाभांश

भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये अधिशेष या लाभांश हस्तांतरित करने की घोषणा की है. वर्ष 2022-23 की तुलना में यह लाभांश 141 प्रतिशत अधिक है. यह लाभांश वित्त वर्ष 2023-24 की अवधि में विदेशी और घरेलू परिसंपत्तियों से रिजर्व बैंक को हुई कमाई का हिस्सा है. उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट में अनुमान लगाया गया था कि रिजर्व बैंक, सरकारी वित्तीय संस्थाओं एवं गैर-वित्तीय कंपनियों से सरकार को कुल डेढ़ लाख करोड़ रुपये का लाभांश मिल सकता है. इस हिसाब से केवल रिजर्व बैंक का लाभांश ही अनुमानित राशि से 40 प्रतिशत अधिक है. यह सरकार को मिलने वाला सर्वाधिक लाभांश है. वर्ष 2022-23 में यह राशि 87,416 करोड़ रही थी. इससे पहले सबसे अधिक लाभांश 2018-19 में मिला था, जो 1.76 लाख करोड़ रुपये था. सरकार के खाते में यह राशि वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 की अवधि में दिखेगी, इसलिए अगली सरकार को अपने कल्याण कार्यक्रमों तथा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के खर्च में इससे बड़ी मदद मिलेगी. इसके साथ ही बजट घाटे को भी नियंत्रण में रखा जा सकेगा. अंतरिम बजट में वित्तीय घाटे को नॉमिनल जीडीपी के 5.1 प्रतिशत रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव की वजह से इस वर्ष फरवरी में पूर्ण बजट प्रस्तुत नहीं हो सका था. यह बजट जुलाई में नवनिर्वाचित सरकार के द्वारा पेश किया जायेगा. रिजर्व बैंक की भारी कमाई में विदेशी मुद्रा भंडार पर मिला अधिक ब्याज शामिल है. देश में भी परिसंपत्तियों से हुई अच्छी आमदनी की यही वजह है. मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए रिजर्व बैंक समेत दुनिया के अधिकतर केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों को बढ़ाया है. इस कमाई की एक वजह विदेशी मुद्रा भंडार के पुनर्मूल्यांकन से मिला फायदा भी है. मार्च के अंत में रिजर्व बैंक के पास 646 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था, जो अप्रैल में बढ़कर 648.56 अरब डॉलर हो गया. रिजर्व बैंक ने अपने बोर्ड बैठक में यह भी रेखांकित किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती बनी हुई है. ऐसे में केंद्रीय बैंक ने आकस्मिक जोखिम निधि छह प्रतिशत से बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत रखने का निर्णय लिया है. रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान के नेतृत्व में बनी समिति की सिफारिश के अनुसार रिजर्व बैंक की खाता-बही में इस निधि को साढ़े पांच से साढ़े छह प्रतिशत तक रखना होता है. बहरहाल, रिकॉर्ड लाभांश की प्राप्ति से सरकार को बजट प्रावधानों के लिए समुचित आवंटन करने में सहयोग मिलेगा.

अगली सरकार को अपने कल्याण कार्यक्रमों तथा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के खर्च में रिजर्व बैंक के लाभांश से बड़ी मदद मिलेगी.

भारत में फुटबॉल को समुचित प्रोत्साहन मिले

अनादि बरुआ
पूर्व भारतीय खिलाड़ी एवं पूर्व प्रशिक्षक, भारतीय महिला फुटबॉल टीम
anadibarua1@gmail.com

विश्व फुटबॉल दिवस (25 मई पर विशेष)

वैसे तो विभिन्न सभ्यताओं में फुटबॉल की तरह के खेलों का अस्तित्व प्राचीन काल से ही है, पर आधुनिक फुटबॉल का उद्भव उन्नीसवीं सदी में इंग्लैंड से माना जाता है, जो मध्यकालीन खेल का परिष्कृत रूप है. आज इसे दुनिया के सभी देशों में खेला जाता है तथा यह सर्वाधिक लोकप्रिय खेल भी है. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस वर्ष से हर 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने का जो निर्णय लिया है, वह बेहद सराहनीय है. इस अवसर से फुटबॉल को बेहतर बनाने में अवश्य मदद मिलेगी. इस खेल की स्वीकार्यता और इससे लगाव का पता इस तथ्य से भी मिलता है कि महासभा में लीबिया द्वारा लाये गये प्रस्ताव के साथ 160 से अधिक देश जुड़े तथा 193 देशों के समर्थन से इसे पारित किया गया. विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में 25 मई को चुनने का कारण यह है कि इसी दिन सौ साल पहले 1924 में पेरिस ओलिंपिक के फुटबॉल आयोजन में दुनिया के सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिला था. उल्लेखनीय है कि पेरिस में ही 1900 में हुए ओलिंपिक में पहली बार फुटबॉल को शामिल किया गया था, लेकिन लंबे समय तक केवल पुरुष टीम ही भाग लेती थी. वर्ष 1996 में अटलांटा ओलिंपिक में महिला फुटबॉल को शामिल किया गया. फीफा का गठन 1902 में हुआ था, जो धीरे-धीरे फुटबॉल की वैश्विक संस्था बन गयी. यह एक दिलचस्प तथ्य है कि फीफा में 211 सदस्य हैं. यह संख्या संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से अधिक है.

आधुनिक फुटबॉल की आधिकारिक नींव तब पड़ी, जब 1863 में इंग्लैंड में फुटबॉल एसोसिएशन का गठन हुआ, जिसने इस खेल के शुरुआती नियम बनाये. उसी दौर में भारत में तथा दुनिया के अनेक हिस्सों में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन अपनी जड़ें जमा रहा था. अंग्रेजों के साथ-साथ आधुनिक फुटबॉल भी भारत समेत कई देशों में आया तथा जल्दी ही एक लोकप्रिय खेल बन गया. हमारे देश में डूरंड कप सबसे पुराना टूर्नामेंट है, जो एशिया का भी सबसे पुराना फुटबॉल आयोजन है. पहली बार इसका आयोजन शिमला में 1888 में हुआ था. इसके पुराने होने की बात करें, तो यह दुनिया का पांचवां सबसे पुराना राष्ट्रीय आयोजन है. इसके संस्थापक तत्कालीन भारत सचिव सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड थे. लेकिन फुटबॉल की मजबूत शुरुआत कोलकाता से होने के कारण उसे भारत में फुटबॉल की राजधानी भी कहा जाता है. यह स्वाभाविक भी था क्योंकि अंग्रेजों की राजधानी भी वहीं थी. कोलकाता से मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, मोहम्मडन स्पोर्टिंग जैसे क्लब शुरू हुए, जिनसे बड़े-बड़े खिलाड़ी निकलते रहे. आज छोटे-बड़े फुटबॉल क्लबों और अकादमियों की संख्या हमारे देश में 50 हजार से अधिक है. मशहूर पुराने खिलाड़ियों में पीके बनर्जी, अरुण घोष, सैलेन मन्ना, तुलसीदास बलराम, मोहम्मद सलीम, पीटर थंगराज, मेवालाल, करीम, जरनैल सिंह जैसे नाम शामिल हैं. नयी पीढ़ी के खिलाड़ियों में सुनील छेत्री, सुब्रत पाल, बाइचुंग भूटिया, लालपेखलुआ, गुरप्रीत संधु, संदेश झींगन, टेलम सिंह, धीरज सिंह, प्रणय हलदर, कुमाम सिंह, आशिक कुरुनिया ने अपनी प्रतिभा से बड़ी लोकप्रियता हासिल की है. आजादी से कुछ पहले और कुछ बाद में हमारे देश में फुटबॉल की स्थिति अच्छी थी और हमारी राष्ट्रीय टीम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ती थी. साल 1952 में हमने एशियाई खेलों में जीत हासिल की. देश में कई टूर्नामेंट होते थे और देशभर से प्रतिभाएं आगे आती थीं. लेकिन सत्तर के दशक से हम पीछे होते गये. हालांकि अब बहुत तरह के आयोजन हो रहे हैं और नयी प्रतिभाएं सामने आ रही हैं, पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम पीछे हैं.

ओलिंपिक में नहीं जा सकने और विश्व कप के लिए लगातार क्वालिफाई नहीं कर पाने से हमारे मनोबल और आत्मविश्वास को झटका लगता चला गया. इसी के साथ-साथ क्रिकेट में विश्व कप जीतने और निरंतर उपलब्धियां हासिल करते जाने से क्रिकेट को अभूतपूर्व लोकप्रियता मिली और किशोरों-युवाओं का रुझान उस तरफ अधिक होने लगा. जो फुटबॉल के साथ हुआ, लगभग वैसा ही हॉकी के साथ हुआ. उसमें भी हम धीरे-धीरे पीछे होने लगे, जबकि एक लंबे समय तक हम हॉकी में अग्रणी देशों में होते थे. फुटबॉल ही नहीं, कई खेलों में वैश्विक स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता भारत में है. लेकिन अगर फुटबॉल के मैदान में हमें अपने गौरव को वापस लाना है, तो योजनाबद्ध तरीके से व्यापक प्रयास की आवश्यकता होगी. देश में वैसे तो फुटबॉल क्लबों और अकादमियों की अच्छी-खासी संख्या है, पर इन्हें संगठित करने और परस्पर सहयोग बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए. जिलों और राज्यों के स्तर पर अकादमियों की स्थापना करना बहुत जरूरी है ताकि नयी प्रतिभाओं की पहचान हो सके और उन्हें समुचित प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन मिल सके. जिन पुराने खिलाड़ियों ने अपने राज्यों के लिए कभी अच्छा खेला है, उनकी सेवाएं ली जानी चाहिए. मशहूर खिलाड़ियों से नये खिलाड़ियों की भेंट कराने के आयोजन होने चाहिए. इससे उन्हें प्रेरणा मिलेगी. फुटबॉल के विकास में एक बड़ी चुनौती यह है कि हमारे देश में प्रशिक्षकों (कोच) की बड़ी कमी है. इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है. यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि भले ही हमारे देश में विभिन्न खेलों में पैसा आया है, लोकप्रियता मिली है, पर समाज में खेल संस्कृति का अभाव है. इसके लिए सबसे जरूरी है कि खेल के मैदान पर्याप्त संख्या में हों. कई स्कूलों में खेल के मैदान और बुनियादी संसाधन नहीं हैं. पढ़ाई की बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने बच्चों से खेल का समय छीन लिया है. अभिभावकों एवं शिक्षकों को इस ओर ध्यान देना चाहिए. खेल-कूद केवल करियर नहीं होते, वे स्वस्थ रहने के लिए भी जरूरी हैं तथा खेलों से जीवन के लिए आवश्यक मूल्य एवं सीख हासिल होती है.

राष्ट्रीय और राज्यों के स्तर पर फुटबॉल एसोसिएशन हैं. कुछ अकादमियों को कॉरपोरेट जगत से भी सहयोग मिलता है. अक्सर देखा गया है कि निम्न आय वर्ग के परिवारों से आये बच्चे फुटबॉल खेलते हैं. उनके लिए समुचित स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो, तो वे प्रोत्साहित होंगे और खेल में अधिक मन लगा सकेंगे. शिक्षा और खेल से संबंधित सरकारी अधिकारियों को बचपन और किशोरावस्था में ही प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए कार्यक्रम बनाने चाहिए. ऐसी प्रतिभाएं अक्सर गांवों और दूर-दराज के इलाकों में होती हैं. खेल नीति में भी इस पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है. इन प्रयासों में कॉरपोरेट जगत को भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए. **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

राष्ट्रीय और राज्यों के स्तर पर फुटबॉल एसोसिएशन हैं. कुछ अकादमियों को कॉरपोरेट जगत से भी सहयोग मिलता है. अक्सर देखा गया है कि निम्न आय वर्ग के परिवारों से आये बच्चे फुटबॉल खेलते हैं. उनके लिए समुचित स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो, तो वे प्रोत्साहित होंगे और खेल में अधिक मन लगा सकेंगे. शिक्षा और खेल से संबंधित सरकारी अधिकारियों को बचपन और किशोरावस्था में ही प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए कार्यक्रम बनाने चाहिए.

धीमी है जलवायु परिवर्तन के समाधान की गति

अरुण मैरा
पूर्व सदस्य, योजना आयोग
editor@thebillionpress.org

जलवायु परिवर्तन का वैश्विक संकट गंभीर होता जा रहा है. वैज्ञानिक तापमान वृद्धि रोकने के लिए कार्बन उत्सर्जन घटाने पर अड़े हुए हैं. समस्या बढ़ने की तुलना में समाधान की गति धीमी है क्योंकि आधुनिक जलवायु विज्ञान एक अपूर्ण विज्ञान है. भौतिक एवं रासायनिक प्रणाली पर वैज्ञानिकों का अत्यधिक ध्यान है, जिसमें वे ऊर्जा एवं तत्वों के संचरण को बेहतर करना चाहते हैं. इसके साथ-साथ आर्थिक एवं राजनीतिक तंत्र में भी बदलाव आवश्यक है ताकि धन एवं शक्ति का संचरण बेहतर हो सके. पिछली सदी में उत्पादकता, विकास और जीवन स्तर में बेहतरी ऊर्जा के कार्बन एवं हाइड्रोकार्बन स्रोतों पर लगातार निर्भर होती गयी. इसलिए अन्य ऊर्जा स्रोतों को खोजना और हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल कम करने के उपाय करना बहुत जरूरी है. उत्सर्जन घटाने के लिए जीवनशैली और उत्पादन तंत्रों में बदलाव की दरकार है. साथ ही, सौर ऊर्जा जैसे नवीनीकृत स्रोतों को अपनाया जाना चाहिए. जलीय एवं पवन ऊर्जा से भी धरती के संसाधनों का क्षरण नहीं होता. परमाणु ऊर्जा के साथ घातक कचरे के निपटान से जुड़े जोखिम हैं. हाइड्रोकार्बन ऊर्जा वातावरण में जहर घोलती है, तो परमाणु ऊर्जा सदियों तक भूमि को प्रदूषित बनाये रख सकती है.

ऊर्जा के स्वरूप में बदलाव के लिए आर्थिक संरचनाओं में बदलाव भी आवश्यक हैं. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सबसे बड़े और सर्वाधिक लाभ कमाने वाले उद्योग हैं, वे राजनीतिक रूप से भी सबसे शक्तिशाली हैं. अमेरिका जैसे देश, जिनकी जीवनशैली और उत्पादन प्रक्रिया हाइड्रोकार्बन पर आधारित हैं, बदलाव का प्रतिरोध करने में आगे हैं. विलासितापूर्ण जीवन जी रहे धनी लोगों को प्रकृति के साथ साहचर्य में रहने की तात्कालिक आवश्यकता का आभास नहीं है. वे प्रदूषण कम करने व अपने घर को ठंडा रखने के लिए और सामान खरीद सकते हैं. उन सामानों को बनाने और चलाने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत है. इस प्रकार, धरती और उसके वातावरण पर गरीबों की तुलना में धनी लोग कहीं अधिक दबाव बनाते हैं, जबकि सबके लिए उपलब्ध संसाधनों में सबकी न्यायपूर्ण साझेदारी होनी चाहिए. बैंकों एवं वित्तीय सेवाओं समेत सभी उद्योगों के उत्तरोत्तर निजीकरण के कारण अधिक पैसे वाले लोग सार्वजनिक नीतियों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं. जलवायु परिवर्तन के मामले में तकनीक के चयन की शक्ति धनी निवेशकों के हाथ में है, जो इस समस्या से सबसे कम प्रभावित हैं तथा उनकी मुख्य चिंता निवेश की कमाई से जुड़ी होती है. इस तरह संपत्ति का प्रवाह शीर्ष की ओर बना रहता है. धनी और धनी हो रहे हैं, आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है. इससे जलवायु परिवर्तन का समुचित समाधान खोजने में और भी देरी हो रही है.

कार्बन कटौती पर केंद्रित वैज्ञानिक समझ संकीर्ण है, इसका विस्तार किया जाना चाहिए. पहला विस्तार तत्वों एवं ऊर्जा के संबंध में होना चाहिए. इस जलवायु मॉडल में पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में प्रवाहित हो रहे जल का महत्व बहुत अधिक होना चाहिए. इस सदी में जलवायु विज्ञान एवं नीति में कार्बन के केंद्रीय चिंता बनने से बहुत पहले से अरबों लोग पानी की कमी और जल प्रदूषण से जूझ रहे हैं. दूसरी बात यह है कि समाधान सुझाने से पहले वैज्ञानिकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों को पृथ्वी के प्राकृतिक तंत्रों की समझ को बेहतर करना चाहिए. सीमेंट और इस्पात के इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रकृति के जलीय इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया गया है. पहाड़ियों को समतल बना दिया गया है तथा सड़क बनाने एवं शहर बसाने के लिए जलाशयों को पाट दिया गया है. कथित वैज्ञानिक तरीके से पानी के भंडारण और बहाव के प्रबंधन के लिए बड़े-बड़े बांध बना दिये गये हैं. पर्यावरण पर इनका गंभीर असर पड़ा है. जब प्राकृतिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह मानव-निर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाता है, तब जीडीपी बढ़ जाती है. लेकिन जीवन के बने रहने की स्थिति कमतर हो जाती है. तीसरी बात यह है कि वैश्विक जलवायु समस्या के समाधान के लिए स्थानीय समुदायों द्वारा विकसित और लागू होने वाले समाधान की आवश्यकता है. हर जगह पर्यावरण की समस्याएं जीवनयापन और आर्थिक समस्याओं से जुड़ी हुई हैं, पर इनके रूप अलग-अलग हैं. इसलिए कोई एक समाधान हर जगह लागू नहीं हो सकता है.

चौथी अहम बात यह है कि जो अपनी मेहनत से धन पैदा करते हैं, उनके पास ही उसका संग्रहण होना चाहिए, न कि उसे बाहरी निवेशकों के हाथ में दे देना चाहिए. निवेशक अधिकांश धन वित्तीय कारोबारों में निवेश करते हैं. जलवायु परिवर्तन जैसी मानवीय अस्तित्व से जुड़ी समस्या के समुचित समाधान के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक शक्ति के स्वरूप में उल्लेखनीय बदलाव हो. तकनीकी रूप से आकर्षक और निवेशकों को लाभ पहुंचाने वाले जलवायु समाधान सत्ता के स्वरूप में बदलाव नहीं ला सकते हैं. समाज के निचले तल के लोगों के पास अधिक धन और शक्ति होना आवश्यक है. आर्थिक उद्यम के सहकारी रूपों, जिनमें स्थानीय उत्पादक मालिक भी होता है, को अपनाया जाना चाहिए ताकि स्थानीय स्तर पर धन का संचरण और समुदाय के लाभ के लिए उसका पुनर्निवेश सुनिश्चित किया जा सके. **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

वैज्ञानिकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों को पृथ्वी के प्राकृतिक तंत्रों की समझ को बेहतर करना चाहिए. सीमेंट और इस्पात के इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रकृति के जलीय इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया गया है. पहाड़ियों को समतल बना दिया गया है तथा सड़क बनाने एवं शहर बसाने के लिए जलाशयों को पाट दिया गया है.

देश दुनिया

ताइवान की स्वतंत्रता की मांग क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा

बीस मई को लाई चिंग-ते द्वारा दिये गये उद्घाटन भाषण में 'लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और समृद्ध नये ताइवान के निर्माण' का जो दिखावटी नारा लगाया गया था, वह वास्तव में 'दो देशों' के सिद्धांत का एक उत्तेजक नया संस्करण था. जिसने ताइवान जलडमरूमध्य और दुनियाभर में शांति के लिए गंभीर खतरा, एक चीन सिद्धांत तथा वर्तमान अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न कर दी है. ताइवान चीन का अविभाज्य अंग है. यह तथ्य अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त है और अलगाववादी शक्तियों द्वारा इसे बदलने का कोई भी प्रयास अस्वीकार्य है. लाई ताइवान की तथाकथित अंतरराष्ट्रीय स्थिति को बेहद बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं. यह दुनियाभर के अधिकांश देशों द्वारा समर्थित एक चीन सिद्धांत के विरुद्ध है, इससे ताइवान जलडमरूमध्य में तनाव और अस्थिरता बढ़ रही है और क्षेत्रीय स्थिरता एवं वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है. 'वैश्विक प्रकाश स्तंभ के रूप में लोकतांत्रिक ताइवान' और 'ताइवान एक नयी दुनिया का स्वागत कर रहा है, दुनिया एक नये ताइवान का स्वागत कर रही है' जैसे लाई के बयान सतही तौर पर लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत करते हैं, परंतु वास्तव में वे 'ताइवान की स्वतंत्रता के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन की मांग है. यह महत्वाकांक्षा एक चीन के अंतरराष्ट्रीय पैटर्न को चुनौती देते हुए, अपने छिपे हुए राजनीतिक एजेंडे को प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय और यहां तक कि वैश्विक शांति व स्थिरता को त्यागने का जोखिम उठा रही है. ताइवान की समृद्धि और सुरक्षा एक चीन सिद्धांत को मान्यता देने और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सर्वसम्मति पर आधारित होनी चाहिए. ताइवान को चीन के साथ मिलकर काम करना चाहिए. लाई के गुमराह करने वाले शब्द और कार्य न केवल ताइवान में सुरक्षा और समृद्धि लाने में विफल हैं, बल्कि वे ताइवान को खतरनाक स्थिति में ले जा सकते हैं, जिससे ताइवान के निवासियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं.

-बेई पिंगफेंग

बोधि वृक्ष

प्रार्थना और पवित्र प्रेम

समुद्र किनारे किसी वन में भोले-भाले, भावनाशील आदिवासियों का एक समूह रहता था. उस क्षेत्र में दो साधु पहुंच गये, उन्होंने सोचा ये लोग न तो सभ्यता से जुड़े हैं, न ही इन्हें ईश्वर का पता है. क्यों न इन्हें भगवान को पाने की कुछ प्रार्थनाएं सिखाई जाएं. इस भाव से वे दोनों उन आदिवासियों के बीच गये और उन्हें मंत्र और प्रार्थनाएं सिखाईं. आदिवासियों ने उन साधुओं का अहसान मानते हुए, उन्हें भावना के साथ विदा किया. वे नाव पर बैठकर समुद्र में अभी कुछ ही दूर गये होंगे कि आदिवासियों के समूह ने सोचा क्यों न प्रार्थना याद कर ली जाए. परंतु वे मंत्र और प्रार्थनाएं पूरी बोल ही नहीं पा रहे थे, भूल चुके थे. तब इस समूह ने सोचा अभी साधु समुद्र में सामने जा ही रहे हैं, चलें फिर से पूछ लें. वे आधी-अधूरी प्रार्थनाएं दोहराते हुए समुद्र पर ही दौड़ने लगे. साधु अपनी ओर समुद्र के पानी पर दौड़ती चली आ रही भीड़ देख आश्चर्य में पड़ गये. पास आकर आदिवासी समूह बोलने लगा कि आप ने जो प्रार्थनाएं रटायी थीं, उनमें से किसी को भी पूरी याद नहीं हुई, इसलिए दौड़े चले आये. कृपा करके हमें फिर से बता दीजिए. साधु ने उन पवित्र आत्माओं की ओर देखा और कहा, तुम्हें किसी प्रार्थना की जरूरत नहीं है. तुम लोगों को जिसके लिए प्रार्थनाएं सिखानी चाही थी, तुम सब उससे भी आगे की साधना में सफल हो. बस इसी तरह भावना से ईश्वर को पुकारते रहना, इससे बढ़कर तुम्हारे लिए किसी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है. प्रार्थना कोई सिद्धांत नहीं है, अपने अंतःकरण के पवित्र प्रेम को भगवान के प्रति अर्पित करने का सरलतम प्रयोग है. जिससे जीवन की संघर्ष भरी राहों पर चलने की हिम्मत मिलती है. अपनी भावनाओं को पूर्ण पवित्रता के साथ समर्पित करने का साधन है प्रार्थना. वेदों-उपनिषदों की प्रार्थनाएं, ऋषियों के हृदय से प्रकट हुई प्रार्थनाएं, संत साधक, सिद्ध के हृदय से प्रकट हुई प्रार्थनाएं, उनके शब्दों के कारण नहीं, उनमें स्थित भावना भरी दूसरों की पीड़ा दूर करने के लिए की गयी करुण पुकार होती है, इसीलिए उनकी सर्वाधिक प्रार्थनाएं स्वीकार हुई हैं.

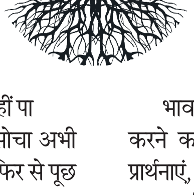

-डॉ अर्चिका दीदी

कुछ अलग

मलखंब : अनूठी है यह भारतीय कला

डॉ दर्शनी प्रिय
टिप्पणीकार
darshanipriya99@gmail.com

भारत ने अपने खजाने में असंख्य कलात्मक अशर्फियों को सहेजा है. विभिन्न परंपराएं, कौशल और कला इसके सांस्कृतिक वैभव का भाल उन्नत करते रहे हैं. चालुक्य से लेकर कलिंग तक और कुरु से लेकर चोल साम्राज्य तक इनका इतना विस्तार हुआ है कि आज भी सांस्कृतिक थाती के रूप में ये हमारी अद्वितीय संपदा हैं. चालुक्य राजाओं के जमाने में पहलवानों की चपलता और शारीरिक फुर्ती बनाये रखने की कला मलखंब कहलायी, जो कालक्रम में पेशवाओं से होती हुई आज मार्शल आर्ट के रूप में भारत ही नहीं समूचे विश्व में ट्रेंड कर रही है.

हवा में किसी रस्सी या उर्धवाकार खंभे के सहारे जब मलखंब कलाकार योग और आसन की अलग-अलग क्रिया करते हैं, तब देखने वाले उनकी चपलता पर मोहित हुए बिना नहीं रहते. मार्शल आर्ट की इस जबरदस्त तकनीक को उम्र के किसी भी पड़ाव पर सीखा जा सकता है. आरंभ में यह खेल लड़कियों के लिए वर्जित माना जाता था. परंतु बदलते समय के साथ यह सभी वर्ग के लिए प्राप्य हो गया. हैंगिंग फिक्स्ड और रोप प्रकार के मलखंब अधिक प्रयोग में है. हैंगिंग या फिक्स्ड में प्रायः लड़कों की अधिकता है, वहीं रोप स्टाइल में लड़कियों का दम देखा जा सकता है. पुणे के आसपास अमरावती और अन्य जिलों में इसका विस्तार अधिक हुआ है. अनुशासन, समर्पण और ध्यान केंद्रित करने के इस खेल में चूक और लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं. प्रशिक्षुओं को नियमबद्ध होकर दत्त-चित्त भाव से एक-एक क्रिया पर पैनी नजर रखनी होती है, तभी एक कुशल मलखंब प्रैक्टिशनर तैयार होता है. छह से सात घंटे के नियमित अभ्यास से इसे आसानी से साधा जा सकता है.

राष्ट्रीय खेलों में शामिल करने के उद्देश्य से भले ही इसे 1958 में राष्ट्रीय जिम्नास्टिक चैंपियनशिप से जोड़ा गया. बाद में जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसे वार्षिक चैंपियनशिप में शामिल करने का निर्देश दिया. पर दुर्भाग्य से यह अपनी पहचान बनाने में सफल नहीं हो सका और जल्द ही खेलों की सूची से बाहर हो गया. वर्ष 1981 में, मध्य प्रदेश के कुछ उत्साही लोगों ने मलखंब फेडरेशन ऑफ इंडिया नामक अखिल भारतीय स्तर के संगठन की स्थापना की. सतत प्रयासों के बाद मलखंब को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त मिल चुकी है. इसके लिए विभिन्न स्तरों पर आधिकारिक संगठनों का गठन किया गया है, जो इसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं. महाराष्ट्र में पुणे और आसपास के शहर इस भारतीय मार्शल आर्ट का केंद्र बन रहे हैं. आजकल मुंबई में कुछ मलखंब क्लब भी खुल गये हैं, जहां से इसे सीखा जा सकता है.

आपके पत्र

घट रही है मिट्टी की उर्वरा शक्ति

मिट्टी की घटती उर्वरा शक्ति चिंताजनक है. आज बासमती व कतरनी चावल से सुगंध गायब हो गया है. इन सभी के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं. पॉलीथिन व प्लास्टिक का उपयोग धरती के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है. पॉलीथिन की वजह पर्यावरण का नुकसान हो रहा है. कीटनाशक दवाओं और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को तेजी से कम कर रहा है. रासायनिक खाद की जगह किसानों को जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए. इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बची रहेगी.

हिमांशु शेखर, केसपा (गया)

राज्यपाल की सलाह पर करें अमल

राजपाल ने सलाह दी है कि अब गर्मी की छुट्टी किश्तों में दी जानी चाहिए. इस पर अमल करने की आवश्यकता है. ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है. अब मार्च महीने से ही गर्मी पड़ने लगती है. ऐसे में गर्मी छुट्टी को अगर किश्तों में दिया जाये, तो बेहतर होगा. गर्मी की छुट्टी मौसम के अनुसार दी जाए, तो बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी. हालांकि, इससे अन्य प्रदेश से आये शिक्षकों को परेशानी हो सकती है. लेकिन, बच्चों के हित में ठीक रहेगा.

आनंद पांडेय, समस्तीपुर

पोस्ट करें : प्रभात खबर, प्लॉट संख्या डी-9-10, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, पटना (बिहार) - 800013, ■ **मेल करें :** patna @prabhatkhabar .in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

संपादकीय

45 से 60 करोड़ श्रमिक भीषण गर्मी में काम कर रहे

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की ताजा रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के 350 करोड़ श्रमिकों में से 250 करोड़ पर्यावरण-जनित भीषण तापमान वृद्धि के शिकार हो सकते हैं। आज भारत के कार्यबल का 90% हिस्सा यानी 45 से 60 करोड़ असंगठित क्षेत्र में मजदूर हैं। इस रिपोर्ट के बाद केंद्र ने राज्यों को मजदूरों के लिए पानी और छाया का प्रबंध करने को कहा है, लेकिन चुनाव के वातावरण में ये श्रमिक गौण हो जाते हैं। भारत जैसे मुल्कों में तापमान-वृद्धि का सबसे ज्यादा प्रभाव गरीबों, खासकर किसानों और दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ता है। मुश्किल यह है कि हीटवेव चिकित्सा विज्ञान में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि रोग का कारण है। आग उगलते मौसम में सड़कों पर रेहड़ी लगाने वाला या बोझा ढोने वाला या कृषि कार्य करने वाला सूर्य के रौद्र रूप का सामना करता है। यह बढ़ी हुई तपिश प्रकृति के दोहन का परिणाम है, जिसकी सजा गरीबों को भुगतनी पड़ती है। देश के पिछड़े राज्यों से आजीविका के लिए आए करोड़ों प्रवासी श्रमिक असंगठित क्षेत्र में ईंट-गारा ढोने, ठेला चलाने, रेहड़ी लगाने का काम करते हैं। ये कब बीमार हुए और कब मौत ने इन्हें शिकार बना दिया, यह सरकारी रिपोर्ट में नहीं दिखाई देता। पानी या अनिवार्य तत्वों की कमी कब इन मजदूरों को शिकार बना लेती है, इसका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं होता। कुछ वैसे ही, जैसे भूख से हुई मौतों को मेडिकल साइंस किसी बीमारी का नाम दे देता है।

प्रेरणा

इस दुनिया में कितनी दुनियाएं खाली पड़ी रहती हैं, जबकि लोग गलत जगह रहकर जिंदगी गंवा देते हैं। - **निर्मल वर्मा**

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
ptvijayshankarmehta.com

जीवन में छवि की पूंजी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है

इस समय सार्वजनिक जीवन में एक पूंजी बड़ी महत्वपूर्ण है और वो है छवि की पूंजी। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, धन, प्रतिष्ठा अर्जित करना चाहते हैं, तो अपनी छवि के प्रति अत्यधिक सावधान रहिए। फिर आने वाले दौर में तो छवि का छल एआई द्वारा सबसे अधिक होगा। आगे हमारा देश दो चुनौतियों का सामना करने वाला है- डेटा सुरक्षा और डिजिटल इंडिया की नई छवि। चुनावों के दौर में सारा खेल इमेज का चला, लेकिन जिन्हें राजनीति न करना हो, जिनका करियर परिवार और राष्ट्र सेवा हो, वो अपनी छवि को बहुत बारीकी से निखारें। जब मुश्किलें आएं, दुर्गुणों से मुकाबला करना हो, तो दहाड़कर करें। गर्जना से दुर्गुण डरते हैं। और यदि आप चूक गए, तो दुर्गुण हावी हो जाएंगे। राम और रावण के युद्ध में राम दहाड़ते थे और रावण चीखता था। कोशिश करें कि हमारा निजी जीवन 24 घंटे में दो बार आत्मा की ओर गति जरूर करे। इसमें बाधा बनेंगे दुर्गुण, लेकिन अपने निजी प्रयासों से दुर्गुणों को दूर करें। जेसे प्रयास करें कि हमारे बच्चे दुर्गुणों से बचे रहें।

• Facebook: Pt. Vijayshankar Mehta

नजरिया • दोनों भव्य आयोजन देश को जोड़ते हैं...

आम चुनाव और आईपीएल में बहुत सारी समानताएं हैं

हर्ष गोयनका
चेयरमैन, आरपीजी ग्रुप

22 फरवरी 2024 : बीसीसीआई ने 22 मार्च से 26 मई 2024 के बीच होने वाले आईपीएल के कार्यक्रम की घोषणा की। यह वो टूर्नामेंट है, जो देशभर के क्रिकेट प्रशंसकों को स्टेडियमों, घरों, सड़कों और अपने फोन पर एक साथ जोड़ देता है और वे भारतीय क्रिकेट की सबसे चमकदार ट्रॉफी के लिए अपनी पसंद की फ्रेंचाइजी का पूरी लगन से समर्थन करते हैं। 16 मार्च 2024 : भारत के चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच देश भर में लोकसभा चुनाव की घोषणा की। राजनीति की दुनिया पर कौन राज करेगा, यह तय करने के लिए देश अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। देश के दो सबसे चर्चित मुद्दे- आम चुनाव और आईपीएल- देश के ध्यान और उत्साह को अपनी ओर खींचते हुए एक साथ सामने आए हैं। इन दोनों विशाल आयोजनों की समानताएं और रोमांचकारी हैं।

आम तौर पर आम चुनाव दो या तीन चरणों में होते हैं। लेकिन हमारे इतिहास में पहली बार ये सात चरणों में चुनाव हो रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि चुनावों की अवधि कमोबेश आईपीएल की टाइमिंग से मेल खाती है। भारत में 97 करोड़ से अधिक लोग मतदान करने के पात्र हैं, जो इसके चुनावों को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक समारोह बनाता है। वहीं आईपीएल के पहले बीस दिनों के भीतर ही स्टेडियम, टीवी और डिजिटल माध्यमों में उसके दर्शकों की संख्या 1 अरब से अधिक हो गई थी। आईपीएल और चुनाव भारत में त्योहारों के समान हैं। चुनावों पर चैनलों, अखबारों और डिजिटल मीडिया द्वारा विस्तृत कवरेज दिया जाता है। आईपीएल में भी लाइव मैच, प्री-मैच और मैच के बाद विश्लेषण, विशेष साक्षात्कार और प्रशंसकों की प्रतिक्रियाएं सभी को बांधे रखती हैं। एक तरफ रोहित, विराट, धोनी, बुमराह और हार्दिक के पोस्टर हैं तो दूसरी तरफ मोदी, शाह, राहुल और केजरीवाल के बड़े-बड़े होर्डिंग। यह विशाल कल्पनाशीलता एक ध्रुवीकृत भीड़ को मुग्ध करती है। गर्मागर्म बहसें और जिरहें होती रहती हैं। दूर से कोई टिप्पणीकार कभी नहीं बता सकता कि वे 250 पार रनों पर बहस कर रहे हैं या 400 पार सीटों पर।

इस आईपीएल सीजन के दौरान फैंटसी लीग जोरों पर है। लेकिन सुनने में आता है कि पूरे देश में चल रहे विभिन्न सट्टा बाजारों के माध्यम से चुनावों पर भी खासा दांव लगाया जाता है। और दोनों ही मामलों में सट्टेबाजी किसी भी टीम या पार्टी से निरपेक्ष रहती है। आईपीएल हो या चुनाव, कोई भी नतीजा संभव है। दोनों में ग्लैमर भी कम नहीं। हर आईपीएल मैच में, स्टेडियम में मुस्तैद कैमरे शाहरुख खान, नीता अंबानी, प्रिटी जिंटा जैसे सेलेब्रिटी-ओनर्स और अन्य सितारों पर फोकस करते हैं। दर्शकों को ये क्षणिक डिस्ट्रैक्शन पसंद आते हैं। उन्हें लगता है ये मशहूर हस्तियां उनकी चिंताओं, दर्द और खुशी को साझा कर रही हैं। गंभीर चुनावों में भी कंगना रनौत, हेमा मालिनी, अरुण गोविल, पवन कल्याण, रवि किशन, सुरेश गोपी जैसे सितारों की मौजूदगी है।

आईपीएल का प्रत्येक सीजन नए खिलाड़ियों, टीमों के भीतर नए समीकरणों और चौंका देने वाले परिणामों को सामने लाता है, जिससे उसका कंटेंट हमेशा फ्रेश लगता है। उसकी यह अप्रत्याशितता दूसरे टीवी-शो या धारावाहिकों की तुलना में दर्शकों को बांधे रखती है, जो कुछ ही सीजन के बाद फॉर्मूलाबद्ध हो जाते हैं। चुनावों में भी, नए चेहरों की भरमार है, जो अनिश्चितता का माहौल पैदा करते हैं। दोनों ही घटनाओं को एक साथ पूरे देश में खेला जा रहा है। जहां चुनाव भारत की संघीय-संरचना और विविधतापूर्ण परिदृश्य को उजागर करते हैं, वहीं

क्रिकेट आज भी सज्जनों के खेल की तरह खेला जाता है, जबकि आम चुनावों में चौतरफा जुबानी जंग छिड़ी है। राजनीति के उलट, क्रिकेट धार्मिक या जातिगत पूर्वाग्रहों से रहित है। मैदान पर खिलाड़ियों का कौशल ही मायने रखता है।

आईपीएल भारत और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से खिलाड़ियों को एक साथ लाता है और राष्ट्रीय गौरव के साथ ही अंतरराष्ट्रीय सौहार्द की भावना को भी बढ़ावा देता है। दोनों में लॉजिस्टिक्स, मर्केंडाइज और विज्ञापनों पर पर्याप्त खर्च किया जा रहा है। दोनों लाखों लोगों के लिए अस्थायी रोजगार पैदा करते हैं और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बढ़ावा देते हैं। दोनों में तकनीक पर जोर है। दोनों सोशल-मीडिया पर छाए रहते हैं।

आईपीएल और चुनाव भारत के सामाजिक ताने-बाने में एक विशेष स्थान रखते हैं। भाषाओं, संस्कृतियों और धर्मों के मामले में अपनी विशाल विविधता से चिह्नित देश में, क्रिकेट और राजनीति सबसे महत्वपूर्ण एक-दूसरे से जोड़ने वाले फैक्टर्स हैं। आईपीएल और चुनाव दोनों ही अब अपने अंतिम दौर में हैं। जल्द ही इनका समापन हो जाएगा और हमारे पास दोनों के विजेताओं के नाम और चेहरे होंगे। 2024 की चिलचिलाती गर्मी के समापन का इससे बेहतर और क्या तरीका हो सकता है!

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

टु द पीपुल • पिछला दशक बहुत चुनौतीपूर्ण रहा

महिलाओं की स्थिति में सुधार के क्या प्रयास किए गए हैं?

डेरेक ओ ब्रायन
लेखक सांसद और राज्यसभा में टीएमसी के नेता हैं
office@derek.in

यूएन जनसंख्या कोष द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट- जिसका शीर्षक 'विश्व की जनसंख्या की स्थिति' है- ने संकेत दिया कि 2020 में लापता महिलाओं की संख्या लगभग 14 करोड़ थी। चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया भर में 'लापता' फीमेल-बर्थ का लगभग 95% चीन और भारत में है। इसमें भी अकेले भारत की हिस्सेदारी 4.6 करोड़ होने का अनुमान है। अनुमान है कि अवैध लिंग-चयन के माध्यम से गर्भपात के परिणामस्वरूप 2030 तक भारत में 68 लाख कम लड़कियां जन्म लेंगी। वहीं 2017 और 2030 के बीच बीस लाख कन्या भ्रूण के 'लापता' होने का अंदेशा है।

भारत में लिंगानुपात पहले ही 1,000 पुरुषों पर 900 से 930 महिलाओं की चिंताजनक सीमा पर चला गया है। अनुमान है कि भारत की 27 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 साल की कानूनी उम्र से पहले ही कर दी जाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि बाल विवाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2015 में 293 से बढ़कर 2021 में 1050 हो गई है। जबकि वास्तविक संख्या इससे बहुत अधिक है।

प्रधानमंत्री ने अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना के तहत बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देकर की थी। महिला सशक्तीकरण पर एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2016-19 के बीच बीबीबीपी के तहत लगभग 80 प्रतिशत धनराशि प्रचार पर ही खर्च कर दी गई। संसद में एक प्रश्न के उत्तर में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पुष्टि की कि 2016-17 और 2019-20 के बीच उसके 555 करोड़ के कुल व्यय में से कुल 351.5 करोड़ (लगभग 63 प्रतिशत) केवल मीडिया-अभियानों पर खर्च किए गए थे।

विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत की श्रम-शक्ति में महिलाओं की भागीदारी की दर दुनिया में सबसे कम में से एक है। भारत में एक-तिहाई से भी कम महिलाएं कार्यरत हैं या सक्रिय रूप से काम की तलाश में हैं। आकस्मिक मजदूरी के काम में, महिलाएं पुरुषों की तुलना में केवल 60% कमाती हैं। 80% से अधिक ग्रामीण महिलाएं खेती-बाड़ी के काम में हाथ बंटाती हैं लेकिन 13% से भी कम के पास खुद की जमीन है।

एनसीआरबी डेटा से पता चलता है कि आत्महत्या करने वाले किसानों में से लगभग 10% महिलाएं थीं।

केंद्र सरकार ने उस पुराने दृष्टिकोण को खत्म करने के लिए भी कुछ नहीं किया है, जो महिलाओं को केवल मातृत्व से जोड़ता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना द्वारा इस्तेमाल किया गया नारा 'मातृ शक्ति, राष्ट्र शक्ति' इसका एक उदाहरण है। इस मातृत्व लाभ कार्यक्रम का लाभ पहले बच्चे के जन्म तक ही सीमित है। भारत की महिला-श्रमिकों में से 95% अनौपचारिक क्षेत्र में हैं और इस कार्यक्रम के किसी भी प्रावधान तक उनकी पहुंच नहीं है। 2024 के घोषणा-पत्र में भाजपा ने जिन 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभान्वित करने का दावा किया है, उसमें कई महिलाएं शामिल नहीं।

केंद्र सरकार की एक और प्रमुख योजना- जिसे महिलाओं के लिए गेम चेंजर के रूप में प्रचारित किया गया है- 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। 2024 के घोषणा-पत्र में दावा किया गया है कि इसने महिलाओं के जीवन को बदल दिया है। लेकिन जरा हकीकत देखें। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त रसोई

श्रम-शक्ति में महिलाओं की भागीदारी की दर दुनिया में सबसे कम में से है। मजदूरी में महिलाएं पुरुषों की तुलना में 60% ही कमाती हैं। ग्रामीण महिलाएं खेती के काम में हाथ बंटाती हैं लेकिन 13% से भी कम के पास खुद की जमीन है।

गैस कनेक्शन देने का वादा करती है, लेकिन दूसरे सिलेंडर के रिफिल के लिए कोई सब्सिडी नहीं देती। एलपीजी की आसमान छूती कीमतें उनकी सामर्थ्य को दोगुना कठिन बना देती हैं। ऐसे में भाजपा किस परिवर्तन का दावा कर रही है?

महिलाओं के खिलाफ अपराध तो आज अभूतपूर्व रूप से ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं और सजा की दर अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ चुकी है। अकेले वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ 4,45,256 अपराध हुए। यानी हर घंटे 51 एफआईआर कायम की गईं। भारत की राजधानी दिल्ली में हर दिन तीन महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते हैं।

2014 के घोषणा-पत्र में भाजपा ने कहा था, 'वह समाज और राष्ट्र के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानती है और महिलाओं के सशक्तीकरण व कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है।' पर हकीकत क्या है? पिछला दशक महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल ही रहा है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

भास्कर खास

ब्रांड सक्सेस स्टोरी

लक्स | ब्यूटी सोप (यूनिलीवर का हिस्सा), कब बनी- 1924, ब्रांड वैल्यू- 10 हजार करोड़ रुपए

लक्स के 100 साल, सेलिब्रिटी विज्ञापनों का ट्रेंड बनाया, 100 देशों में इसकी बिक्री

एक सदी पहले सोप यानी साबुन को लग्जरी उत्पाद माना जाता था। लेकिन आज यही साबुन एफएमसीजी (फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स) में सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पादों में शुमार है। सौ साल पहले जब ब्रिटेन में दो भाइयों ने लक्स साबुन बाजार में पेश किया तो वह तुरंत समझ गए थे कि इसकी मांग दुनियाभर में रहने वाली है। यह एक उत्पाद दुनिया की नामचीन कंपनी यूनिलीवर की नींव बना। लक्स को बाजार में आए इस साल सौ बरस पूरे हो चुके हैं। भारत में टॉयलेट सोप के लगभग 25 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के बाजार में लक्स, पियर्स और डव की संयुक्त हिस्सेदारी (हिंदुस्तान यूनिलीवर के उत्पाद हैं) सबसे ज्यादा है। सेलिब्रिटी से विज्ञापन कराने का ट्रेंड बनाने वाला यह ब्रांड आज सौ देशों में बिकता है। इस हफ्ते की ब्रांड स्टोरी में लक्स की कहानी पढ़ते हैं।

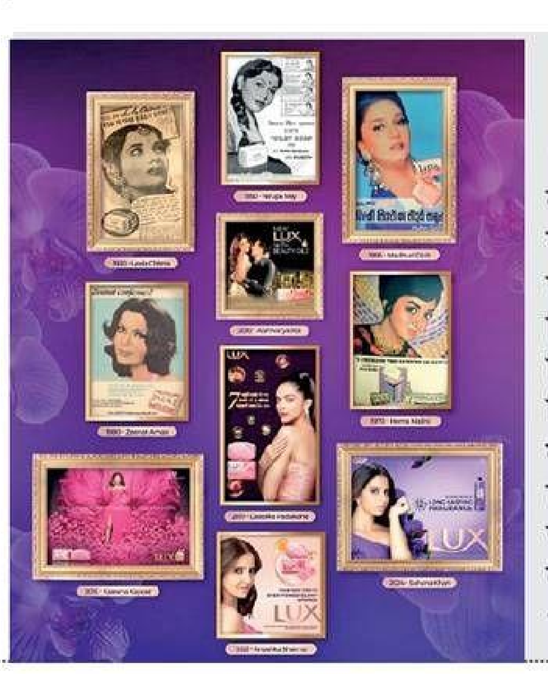

चेहरे जो लक्स की पहचान बने

'फिल्मी सितारों का सौंदर्य साबुन' के तौर पर लक्स को बाजार में पेश हुए 100 साल हो चुके हैं। इस मौके पर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने यह पोस्टर प्रकाशित किया, जिसमें लीला चिटनिस (1941), निरुपा रॉय (1950) से लेकर अब साल 2024 में विज्ञापनों का चेहरा बनी सुहाना खान को फीचर किया गया है। लक्स का विज्ञापन करने वालों में करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, शाहरुख खान भी रहे। कभी लक्स के विज्ञापनों में हॉलीवुड के चेहरों को प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के बाद भारतीय अभिनेत्रियों को ब्रांड एंबेसडर बनाया।

शुरुआत : दो भाइयों ने मिलकर बनाया सोप, नाम दिया लक्स

साल 1885 में विलियम और जेम्स लीवर ने इंग्लैंड में लीवर ब्रदर्स (अब यूनिलीवर) के नाम से साबुन बनाने की एक छोटी-सी कंपनी स्थापित की। इन्होंने सबसे पहले सनलाइट फ्लैक्स नाम से लॉन्ड्री सोप पेश किया। इसकी मार्केटिंग के दौरान उन्हें पता चला कि जो साबुन उन्होंने कपड़े धोने के लिए बनाया था उससे महिलाएं नहाती भी हैं। इसके बाद लीवर ब्रदर्स ने एक केमिस्ट विलियम हॉफ वॉटसन के साथ मिलकर ग्लिसरीन और पाम ऑइल की मदद से खुशबूदार टॉयलेट सोप बनाया। इसे हनी सोप नाम से लॉन्च किया और नया नाम दिया सनलाइट। इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली तो फिर से नाम बदलकर लक्स कर दिया।

▪ **लैटिन शब्द लक्स का मतलब है रोशनी। लीवर ब्रदर्स ने यह नाम इसलिए भी चुना क्योंकि लक्स नाम के उच्चारण में लग्जरी का भी अहसास होता है।**

बिजनेस : अमेरिका में मार्केट बनाया, फिर दुनियाभर में फैला

लक्स सोप साल 1925 में अमेरिका पहुंचा। यहां सफलता मिलने के बाद लीवर ब्रदर्स ने लक्स के नाम से एक साथ तीन और उत्पाद बाजार में पेश किया- लक्स हैंड वॉश, शॉवर जेल और क्रीम बाथ सोप। इससे लक्स के उत्पादों की रीच और मांग दोनों बढ़ी, कंपनी ने तब पंच लाइन दी- 'फ्रेंच सोप की तरह बनाया गया टॉयलेट सोप'। शुरुआती दो वर्ष तक लीवर ब्रदर्स ने इसे ब्यूटी सोप के रूप में स्थापित और प्रचारित किया। सन् 1929 में लीवर ब्रदर्स और एक डच कंपनी मारजरीन यूनि के विलय से यूनिलीवर का जन्म हुआ। इस विलय के बाद लक्स ब्रांड का मार्केट भी फैलने लगा।

▪ **भारत में लक्स बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटिश कंपनी यूनिलीवर की सब्सिडरी है। लक्स प्रोडक्ट अभी 100 से ज्यादा देशों में बिकता हैं।**

रणनीति : उत्पाद स्थानीयता से प्रेरित, प्रचार नीति एक जैसी

लक्स ने दुनिया के अलग-अलग देशों के हिसाब से साबुन के फ्रेंगरेंस लॉन्च किए, लेकिन विज्ञापन और प्रचार की रणनीति दुनियाभर में एक जैसी रही। भारतीय सेलिब्रिटी के साथ लक्स के विज्ञापन पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के अखबार और मैग्जीन भी लोकप्रिय हुआ करते थे। लक्स ने शुरुआत में मेट्रो शहरों में सोप की कीमत ज्यादा रखी , ताकि बाकी उत्पादों से होने वाला घाटा मैनेज किया जा सके। इसी तरह कंपनी ने मार्केटिंग और विज्ञापन पर खर्च शुरू किया। 1950 के दौर में विज्ञापन बजट दोगुना कर दिया गया। लक्स आज चीन, ब्राजील जैसे देशों में सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्यूटी सोप है।

▪ **बीते साल लक्स का टर्नओवर दो हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा। वहीं, इसकी ब्रांड वैल्यू 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा बनी हुई है।**

रोचक : एक साथ 26 सेलिब्रिटी के साथ विज्ञापन अभियान लॉन्च किया था

साल 1929 में लक्स के विज्ञापनों के लिए एक वैश्विक अभियान लॉन्च किया गया। उस समय की विख्यात 26 अभिनेत्रियां अखबार-मैग्जीन में प्रकाशित इन विज्ञापनों में नजर आईं। और फिर यहीं से लक्स के विज्ञापनों में सेलिब्रिटी के इस्तेमाल का दौर शुरू हुआ। 1937 तक भारत में प्रकाशित विज्ञापनों में हॉलीवुड के चेहरे इस्तेमाल किए गए, लेकिन फिर साल 1941 में अभिनेत्री लीला चिटनिस भारत में लक्स विज्ञापन का चेहरा बनीं। जब बाकी ब्रांड्स ने भी सेलिब्रिटी से विज्ञापन कराना शुरू कर दिया तो लक्स ने विज्ञापनों से मैसेज देने का ट्रेंड शुरू किया। रोचक बात है कि लक्स अभी भी डिजिटल मीडिया की तुलना में टीवी और अखबार में विज्ञापनों को प्राथमिकता देता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर देश के सबसे बड़े टीवी विज्ञापनदाताओं में शामिल रहा है। इस तरह लक्स के विज्ञापन भी इस सूची में टॉप पर हैं।

पीपुल भास्कर

चर्चा में | टेलर स्विफ्ट, अमेरिकी गायिका, संगीतकार

म्यूजिक से अरबपति बनने वाली पहली संगीतकार, 14 ग्रैमी अवॉर्ड जीत चुकी हैं

पेरिस में शो करने जा रही हैं। उनके हालिया एल्बम ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं।

जन्म: 3 दिसंबर 1989, अमेरिका
शिक्षा: पेंसिलवेनिया के व्योमिसिंग एरिया जूनियर/सीनियर हाई स्कूल से पढ़ाई।
परिवार: पिता-स्कॉट किंग्स्ले स्विफ्ट, मां-एंड्रिया गार्डनर, भाई-एस्टिन स्विफ्ट।
नेट वर्थ : लगभग 9153 करोड़
(फोर्ब्स के अनुसार)

वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट का एल्बम 'द टॉर्चर्ड पोएट्स डिपार्टमेंट' पिछले माह अप्रैल में रिलीज हुआ था। रिलीज के साथ ही इसने कई रिकॉर्ड बना दिए हैं। चाहे म्यूजिक ऐप स्पोटीफाई पर एक दिन में 38 करोड़ स्ट्रीमिंग हो या फिर 48 घंटे से कम समय में साल का नंबर वन एल्बम बनने का। एल्बम की समीक्षा करते हुए मैगजीन रोलिंग स्टोन ने लिखा है कि यह टेलर के करियर का अब तक का सबसे व्यक्तिगत एल्बम है, जिसमे उनके जीवन के दर्द को समाहित किया गया है।

भले ही टेलर आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉप स्टार हों, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उन्हें रिजेक्शन झेलना पड़ा। जब वे 11 साल की थी तब उन्होंने अमेरिकी सिंगर डॉली पार्टन और प्रसिद्ध बैंड डिक्सी चिक्स के गीत गाकर रिकॉर्डिंग कंपनियों को दिए, लेकिन सभी को रिजेक्ट कर दिया गया था। फोर्ब्स ने 2024 की अरबपतियों की सूची में उन्हें शामिल किया है। फोर्ब्स के अनुसार टेलर पहली ऐसी संगीतकार हैं जिन्होंने केवल संगीत और परफॉर्मेंस से 1.1 अरब डॉलर यानी करीब 9153 करोड़ रुपए कमाए हैं।

उनके 2023 के टूर ने अभी तक 8654 करोड़ रु. की कमाई की है

शुरुआत : 9 साल की उम्र में लिखने लगी थीं गाने

टेलर स्विफ्ट का जन्म अमेरिका के पेंसिल्वेनिया शहर में हुआ था। पिता फाइनेंशियल एडवाइजर और मां गृहणी (पहले म्यूचुअल फंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रहीं) थीं। शुरूआती पढ़ाई पेंसिल्वेनिया के अलवेरनिया मोंटेसरी स्कूल से की। बाद में व्योमिसिंग एरिया जूनियर/सीनियर हाई स्कूल से पढ़ाई की। उनके नाम को लेकर एक किस्सा है। उनकी मां के पसंदीदा कलाकार थे जेम्स टेलर। जब बेटी हुई तो उन्होंने नाम रख दिया टेलर स्विफ्ट। टेलर ने 9 की उम्र में न्यूयॉर्क में संगीत और एक्टिंग की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। तभी से उन्होंने गीत लिखने शुरू कर दिए थे। उनका छोटा भाई एस्टिन एक्टर है।

करियर : डेब्यू एल्बम ने ही बना दिया था रिकॉर्ड

2003 में माता-पिता उन्हें टैलेंट मैनेजर डैन डिमट्रो के पास लेकर गए, जिनकी मदद से लिखे गए गाने को आरसीए रिकॉर्ड्स में शोकेस किया गया, जिसके बाद उन्हें आर्टिस्ट डेवलपमेंट करार मिला। 2004 में अमेरिका के नैशविले शहर के ब्लूबर्ड कैफे में रिकॉर्डिंग कंपनी ड्रीमवर्क्स के एग्जिक्यूटिव स्कॉट बोरचेटा की नजर उन पर पड़ी। स्कॉट उस समय खुद की रिकॉर्डिंग कंपनी बिग मशीन रिकॉर्ड्स शुरू कर रहे थे। दोनों ने साथ काम करना शुरू किया। इस तरह 2006 में उनका पहला एल्बम 'टेलर स्विफ्ट' रिलीज हुआ। एल्बम यूएस बिलबोर्ड 200 में 5वें नंबर तक पहुंचा। टेलर अमेरिका की ऐसी पहली महिला संगीतकार बनीं जिन्होंने अमेरिका के प्लैटिनम सर्टिफाइड डेब्यू एल्बम के सारे गाने लिखे हों या सह-लेखका रही हों। इसके बाद आए उनके एल्बम में एरा जोड़ा जाने लगा। जैसे- फियरलेस एरा, स्पीक नाउ एरा, रेड एरा, लवर एरा, मिडनाइट एरा आदि।

रोचक/उपलब्धि : उनके 54% प्रशंसक गानों की सीडी खरीदते हैं

- मात्र 14 साल की उम्र में नॉवेल लिखा था, जिसका नाम 'अ गर्ल नेम्ड गर्ल' था। ▪
- उनके 54% प्रशंसक आज भी गानों की सीडी और कैसेट खरीदते हैं। खुद के बायो में स्विफ्टी लिखते हैं
- टेलर स्विफ्ट को उनके प्रशंसक मॉडर्न डे डायना मानते हैं। पौराणिक कथाओं में डायना को जंगल और संप्रभुता की देवी कहा जाता है।
- वे इतिहास की इकलौती गायिका हैं जिसने एल्बम ऑफ द ईयर का ग्रैमी अवॉर्ड चार बार जीता है। 14 ग्रैमी अवॉर्ड जीत चुकी हैं।
- गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मार्च 2023 से शुरू होकर दिसंबर 2024 तक चलने वाला उनका म्यूजिक टूर दिसंबर 2023 तक करीब 8654 करोड़ रुपए की कमाई कर चुका है।
- प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम ने उन्हें दो बार पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में कवर पर छापा है। वे दो बार पर्सन ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली इकलौती गायिका हैं।
- फरवरी 2024 में अमेरिका के कैनसस में गोलीबारी में मारी गई महिला के परिवार को 80 लाख रुपए दान किए थे।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

उद्भव परियोजना

सैन्य रणनीति शिक्षण

उद्भव परियोजना भारत की सैनिक रणनीति संबंधी समृद्ध विरासत का सम्मान कर इसे नागरिकों से जोड़ना चाहती है। कहावत है कि 'यदि आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें।' यह भारत में लंबे समय से व्याप्त दर्शन की अभिव्यक्ति है। ऐतिहासिक रूप से भारत ने मजबूत रहने के साथ शांति बनाए रखी है तथा बिना उकसावे के कभी युद्धोन्माद नहीं पैदा किया है। यह दृष्टिकोण प्राचीन भारतीय विवेक से आया है जिसमें किसी संभावित खतरे से निपटने के लिए युद्धकला में प्रगति के महत्व पर जोर दिया गया था। महत्वपूर्ण समझी जाने वाली सैन्य रणनीति में भारत की समृद्ध व प्राचीन विरासत की जड़ें वेदों, पुराणों तथा महाभारत में निहित हैं, लेकिन अक्सर सांस्कृतिक विरासत के इस आयाम की अनदेखी हुई है। सेना की 'उद्भव परियोजना' का उद्देश्य यह ऐतिहासिक संपदा जनता के सामने लाना तथा नागरिकों को रक्षा के क्षेत्र में शामिल कर भारत की रणनीतिक व सैनिक परंपराओं की गहरी समझदारी प्रोत्साहित करना है। सर्वाधिक प्राचीन पवित्र रचनाओं में शामिल वेदों में युद्धकला, रणनीति तथा युद्ध के नैतिक आयामों के प्रारंभिक संदर्भ मिलते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य के ज्ञान भंडार पुराणों में राजनय और युद्धनीति सिद्धान्तों को विस्तार दिया गया है। 'विष्णु पुराण' तथा 'अग्नि पुराण' में सैनिक संगठन की गहन जानकारी देते हुए सैनिकों की भूमिका व दायित्वों तथा संसाधनों के रणनीतिक प्रयोग पर जोर दिया गया है। विश्व साहित्य के एक महानतम महाकाव्य 'महाभारत' में सैनिक विवेक का भंडार है। यह न केवल कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध का, बल्कि रणनीति, युद्धकला तथा सैनिकों के नैतिक द्वंद्व का वर्णन भी करता है।

अन्य प्राचीन भारतीय रचनाओं में असीम विवेक समाहित है जिसे आधुनिक

रक्षा रणनीतियों, जैसे खुफिया व्यवस्था, मनोवैज्ञानिक युद्ध व नैतिक व्यवहार में प्रयोग किया जा सकता है। पिछले साल शुरू की गई उद्भव परियोजना इन प्राचीन रचनाओं पर गहराई से गौर करती है। इसका उद्देश्य सेना में स्वदेशी विमर्श को प्रोत्साहित कर भारत की प्राचीन रणनीतिक विरासत को समकालीन युद्धकला क्षेत्र में समाहित करना है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सैन्यबल भविष्य के लिए तैयार रहेंगे। इस पहल का उद्देश्य हमारे नागरिकों को शिक्षित कर किसी संभावित भावी युद्ध के लिए तैयार करना है। इसका उद्देश्य नागरिकों में युद्धकला की समझदारी विकसित करने के साथ ही उनको अनेक अवसरों में शामिल करना है। भारत की बौद्धिक व रणनीतिक उपलब्धियों का वर्णन नागरिकों में राष्ट्रीय गौरव व पहचान की भावना मजबूत करेगा। इससे इतिहास के एकपक्षीय वर्णन से भी मुक्ति मिलेगी। उद्भव परियोजना के अंतर्गत कार्यशालाओं, सेमिनारों तथा आनलाइन पाठ्यक्रमों को शामिल कर नागरिकों को प्राचीन भारतीय सैन्य रचनाओं तथा उनकी आधुनिक प्रासांगिकता की शिक्षा दी जाएगी। विश्वविद्यालयों व शोध संस्थानों के सहयोग से अकादमिक खोज व पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही अनेक पुस्तकों, वृत्तचित्रों तथा लेखों के माध्यम से भारतीय सैन्य रणनीति के विभिन्न आयामों को उजागर किया जाएगा। इसे व्यापक बनाने के लिए प्रमुख रचनाओं के अनुवाद व उन पर टिप्पणियों को भी महत्व दिया जाएगा। भारत की दार्शनिक व सांस्कृतिक विरासत में शामिल अवधारणात्मक ढांचों तथा रणनीतिक शब्दावली को प्रस्तुत करने वाली 'उद्भव परियोजना' प्रशंसनीय है। यह पहल समृद्ध सैनिक विरासत समझने की पहल है जिसने भारत की रणनीतिक संस्कृति विकसित की है तथा वर्तमान व भावी रक्षा रणनीतियों के लिए अमूल्य सबक देती है।

लोकसभा चुनाव का निर्णायक चरण

उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण है। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट व प्रभावी नेतृत्व भाजपा को अपना गढ़ बचाने में उल्लेखनीय भूमिका अदा करेगा।

सिद्धार्थ मिश्रा
(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

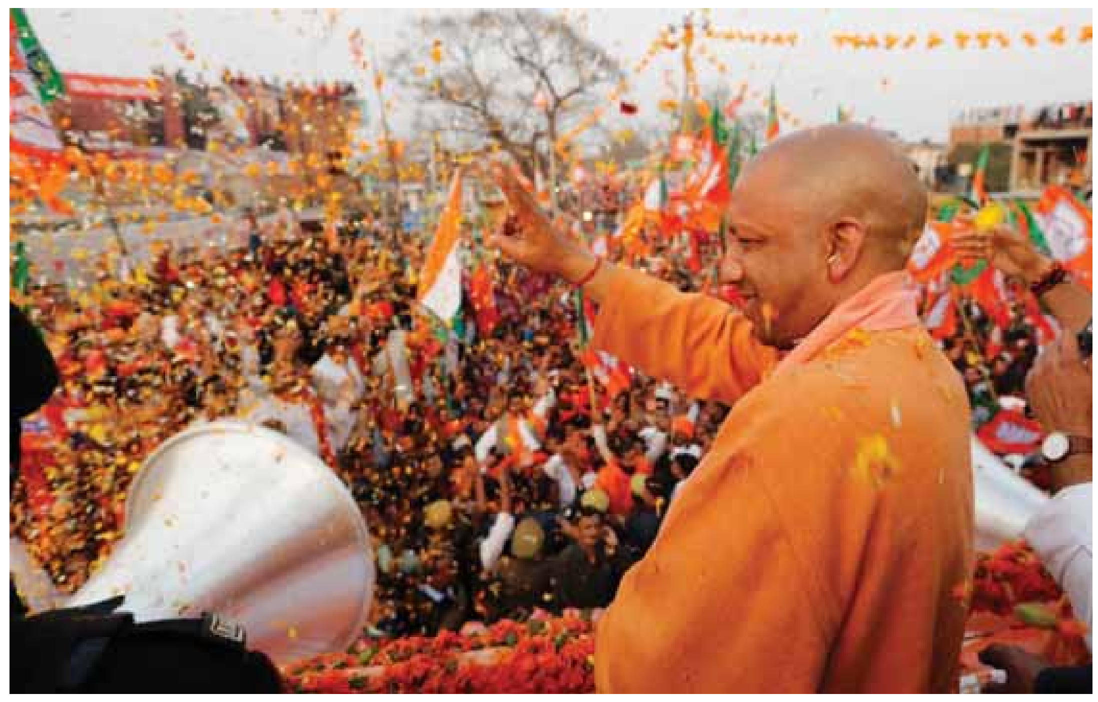

सात चरणों में मतदान वाले लोकसभा के अंतिम चरण महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण स्थान है। यहां योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट व प्रभावी नेतृत्व भाजपा को अपना गढ़ बचाने में उल्लेखनीय भूमिका अदा करेगा। अभी दस दिन और बाकी हैं जिसके बाद दो महीने लंबी चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। लोकसभा चुनाव को इसलिए याद रखा जाएगा कि जहां सत्तारूढ़ पार्टी का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी भयानक गरमी और धूल का सामना करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जान्वित कर रहे हैं। भारत में इस समय गरमी का प्रकोप अपने चरम पर है ऐसे में चुनाव प्रचार आसान नहीं है। राष्ट्रीय मीडिया में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तथा भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा का प्रचार अभियान सुर्खियों में है जो लगभग समान ऊर्जा के साथ मैदान में डटे हैं। विपक्ष की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष वयोवृद्ध मल्लिार्जुन खड़गे ने यह सुनिश्चित किया है कि चुनाव अभियान का बोझ अकेले 'गांधी परिवार' के कंधों पर न पड़े। लोकसभा चुनाव भी एक युद्ध की तरह है जिसमें कठोर संघर्ष के बाद यह तय होता है कि कौन जीता और कौन पराजित हुआ। अतीत पर गौर करें तो द्वितीय विश्वयुद्ध में बर्लिन की लड़ाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई थी। उस समय सोवियत सैनिकों का वह चित्र सुर्खियों में छाया था जिसमें वे बर्लिन के राइखस्टाग पर सोवियत संघ का झंडा फहरा रहे थे। मई, 1945 में बर्लिन में हुई इस घटना ने निर्णायक रूप से एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व वाली जर्मनी की पराजय की घोषणा कर दी थी।

इसी प्रकार 2024 के लोकसभा चुनाव को हमेशा इसलिए याद किया जाएगा कि 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में किस पक्ष की विजय हुई। वर्तमान समय में लोकसभा में 80 सांसद भेजने वाला उत्तर प्रदेश भाजपा का गढ़ है। उत्तर प्रदेश का हिंदी हृदय प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा शामिल हैं। लेकन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के उलट उत्तर प्रदेश में भाजपा का कांग्रेस से सीधा मुकाबला नहीं है। उत्तर प्रदेश में मजबूत क्षेत्रीय पार्टी-समाजवादी पार्टी-सपा से भाजपा का मुख्य मुकाबला है जहां कांग्रेस ने उसके साथ चुनाव समझौता किया है। सपा विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन में शामिल है। उत्तर प्रदेश की तुलना बिहार से भी नहीं की जा सकती है जहां भाजपा मजबूत क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय जनता दल-राजद से मुकाबला कर रही है। हालांकि, यहां भाजपा के साथ एक और मजबूत क्षेत्रीय दल-जनता दल युनाईटेड-जदयू का गठबंधन है।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश में भाजपा पूरी तरह अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, भले ही उसके एक-दो छोटे सहयोगी दल हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बल पर चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाजपा ने 2017 में प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना कर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया था। योगी के नेतृत्व में भाजपा 2022 में पुनः प्रबल बहुमत से विधानसभा चुनाव में विजय पाने में सफल हुई थी। योगी आदित्यनाथ 2022 से ही भाजपा का संगठन मजबूत कर उसे चुनाव के लिए तैयार करने में लगे हुए हैं।

योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवा कर भाजपा का एक वादा पूरा किया। इस वर्ष जनवरी में अयोध्या मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन देश में भाजपा की एक सबसे बड़ी उपलब्धि रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने न केवल अयोध्या में मंदिर परिसर, बल्कि पूरे अयोध्या शहर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में विकास का व्यापक रोडमैप तैयार कर उसे लागू किया। मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ सुनिश्चित किया कि निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा हो।

योगी आदित्यनाथ ने पूरे दो महीने तक भाजपा कार्यकर्ताओं को ऊर्जान्वित रखते हुए यह सुनिश्चित किया कि वे लगातार काम करते हुए विरोधियों पर वरीयता प्राप्त करने तथा उनके प्रति निर्णायक आक्रमण करने में सफल हों। उन्होंने 27 मार्च को 'प्रबुद्ध जन सम्मेलन' के आयोजन के साथ ही चुनाव अभियान शुरू कर दिया था और वे इसे मई के अंत में चुनाव प्रचार अभियान जारी रखने तक बनाए रखेंगे। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान के मामले में भाजपा अपने विरोधियों से बहुत आगे है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार प्रधानमंत्री के प्रचार अभियान में कभी-कभी थोड़ी ढिलाई दिखी। उनके अनुसार मोदी सरकार ने पिछले दस साल की उपलब्धियों को एक अत्यधिक ध्रुवीकरण वाले एजेंडे की तुलना में शायद पृष्ठभूमि में डाल दिया था जिससे कुछ समर्थकों को भी थोड़ी चिन्ता हुई। उनको लगता था कि प्रधानमंत्री के लक्ष्य वाक्य-'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' को शायद समुचित महत्व नहीं मिल रहा है। इस लक्ष्य वाक्य या नारे का अर्थ देश की आर्थिक प्रगति तथा सामाजिक एकजुटता के प्रति समावेशी दृष्टिकोण अपनाना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पिछले दस साल के शासनकाल में 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' और 'स्वच्छ भारत अभियान' जैसी अनोखी पहलें कीं। इनके माध्यम से उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने तथा ढांचागत संरचना को विश्वस्तरीय बनाने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। लेकिन संभवतः इन पहलों को उनके चुनावी भाषणों में तुलनात्मक रूप से वरीयता नहीं मिली। इससे विपक्ष को सरकार पर हमले का थोड़ा बहुत मौका मिल गया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले सात सालों में अपने दृष्टिकोण में मजबूत कानून व्यवस्था के साथ ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या 'हिंदुत्व' पर बहुत जोर दिया है। वे अपना चुनाव प्रचार अभियान लगातार इसी रास्ते पर चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व की पहचान सांस्कृतिक विरासतों की पहचान बहाल करने तथा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण समाप्त करने से बनी है। योगी आदित्यनाथ के इस दृष्टिकोण का प्रमाण अयोध्या में अत्यन्त व्यापक स्तर पर दीपावली के भव्य आयोजन तथा ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हिंदू स्थलों का पुराने नाम छोड़ कर पुनः नामकरण रहा है। हालांकि, उत्तर प्रदेश का आर्थिक व ढांचागत विकास किसी से छिपा नहीं है। उनके शासनकाल से पहले जहां प्रदेश को विभिन्न विकास मानकों के आधार पर देश के सबसे गरीब 'बीमारू' राज्यों में रखा जाता था, वहीं पिछले सात साल में यह देश में अनेक मानकों में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इससे योगी आदित्यनाथ की छवि हिंदुत्व के प्रबल नेता के साथ ही विकास पुरुष वाली भी बनी है। इसका कारण प्रदेश की मजबूत कानून व्यवस्था है जिसके कारण वह पिछले वर्षों में भारी मात्रा में देशी-विदेशी निवेश आकर्षित करने में सफल रहा है।

योगी प्रशासन का प्रमुख आधार कानूनों का कठोर क्रियान्वयन, सुरक्षा की स्थिति में सुधार तथा अपराध घटाने पर रहा है। प्रदेश की सारी जनता योगी सरकार की इन उपलब्धियों को स्वीकार करती है और इनमें अनेकानेक गैर-हिंदू भी शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ के प्रतिबद्ध अपराध-विरोधी अभियानों के कारण उनके प्रशंसकों की संख्या पिछले सालों में बहुत बढ़ी है और यह उनके परंपरागत हिंदुत्व प्रशंसकों से आगे जाती है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व भाजपा की राष्ट्रीय राजधानी तक सुरक्षित यात्रा संभव बनाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी राजनेता हैं।

भले ही उनके तरीके अलग-अलग रहे हों, पर मोदी और योगी ने भारतीय राजनीति और प्रशासन पर काफी व्यापक प्रभाव डाला है। 4 जून को जब भारतीय जनता पार्टी-भाजपा अपनी विजय पताका फहराएगी तो इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का योगदान महत्वपूर्ण होगा।

कृत्रिम बुद्धि के प्रभावों को लेकर उठते सवाल

चैतन्य के प्रसाद
(लेखक, पूर्व सिविल सेवक हैं)

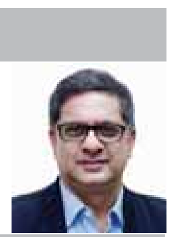

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आधुनिक जगत में विभिन्न प्रकार की जटिल दुविधाओं को जन्म दिया है, डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि को मानवीय सरलता के साथ संतुलित किया है और विभिन्न क्षेत्रों को काफी गहराई से प्रभावित किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते हुए प्रभाव आज हम जिस सीमाहीन दुनिया में रह रहे हैं, उसमें बदलाव, नवाचार और व्यवधान के लिए एक प्रेरक कारक बन गए हैं।

एआई उपकरण, प्रक्रियाएं और इसकी विशाल वास्तुकला को गेम चेंजर के रूप में बिल किया गया है, जो नीति निर्माताओं, सरकारों, बहुपक्षीय निकायों, एजेंसियों और संस्थानों सहित हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रभावित करता है, जो आगे की राह बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। आज बहस इस बात पर मंडरा रही है कि क्या एआई एक विघटनकारी या एक परिवर्तनकारी उत्प्रेरक बन गया है जो एक नए सामान्य की ओर ले जाता है, जो अप्रत्याशित, तकनीक-संचालित और आवश्यक मानवीय कनेक्शन से रहित है। इसने नए सामान्य को बाधित कर दिया है और संचार जुड़ाव मैट्रिक्स को ऐसे क्षेत्र में ले गया है जो कभी-कभी चुनौतीपूर्ण, अप्रत्याशित, सहज और तत्काल होता है। दिए गए संदर्भ में, यह समझना महत्वपूर्ण है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वास्तव में दुविधा की परतें बनाई हैं, विचारों, सामग्री, डेटा विश्लेषण और मानव मन और डेटा-संचालित मानसिकता के बीच संघर्ष से संबंधित रस्साकशी।

हम शायद ऐसी स्थिति में हैं जहां हम मशीनों, उनके सीखने के साधनों और पूर्वानुमान पर अत्यधिक निर्भर हैं, जिसके कारण एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बन रहा है जो प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूक है, हितधारकों का व्यवहार डेटा मेट्रिक्स और संबंधित मॉडलों द्वारा संचालित होता है और पूर्वानुमान की शक्ति से प्रभावित होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव कई क्षेत्रों में गहरा रहा है, क्योंकि अज्ञात की खोज बड़ी हो गई है। रीइनवेंटिन 2024 द्वारा प्रकाशित भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र पर एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2027 तक भारतीय एमई क्षेत्र को 450 बिलियन रुपये का बढ़ावा दे सकता है। रिपोर्ट में और विशेष रूप से जन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उल्लेख किया गया है।

यह इसे ऐसे उपकरण देता है जिसका इस क्षेत्र ने हमेशा सपना देखा है और इसके परिणामस्वरूप 10 प्रतिशत राजस्व वृद्धि और 15 प्रतिशत लागत दक्षता हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग अब अभियानों की प्रभावशीलता को मापने, मुद्दों को संबोधित करने के लिए अनुकूलित समाधानों की वृद्धि, डेटा-संचालित कथाओं और हितधारक जुड़ाव के लिए डेटा का विश्लेषण करने और क्लाइंट-एजेंसी संबंधों के संदर्भ में समीकरणों को बदलने के लिए किया जाता है।

भविष्य में तकनीकी उपकरणों और अज्ञात के डर के साथ मानवीय क्षमता को संतुलित करने की आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सफलता के लिए इसके प्रदर्शन संकेतक खुले, पारदर्शी और समावेशी होने चाहिए। इसके औजारों को एकता और विश्व एक परिवार है, की भावना को प्रतिबिंबित करने के लिए फिर से तैयार किया जाता है और सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है।

जहां तक आउटरीच का सवाल है, जरूरत है कि एआई की परिचालन दक्षता और मानव की रचनात्मक क्षमता को रेखांकित करने वाली प्रौद्योगिकी के बीच संतुलन बनाया जाए। आउटरीच के लिए एक उपकरण के रूप में एआई डेटा-केंद्रित ऑडियंस अंतर्दृष्टि के साथ आउटरीच को पूरक बनाता है जो चिकित्सकों को ऑडियंस की प्राथमिकताओं और व्यवहारों का एहसास कराता है जिससे केंद्रित और लक्षित संचार रणनीतियों का निर्माण होता है।

माध्यम के डेटा प्रोसेसिंग से हितधारक जनसांख्यिकी, गतिशीलता, रणनीति प्रोटोकॉल और ऑडियंस व्यवहार की बेहतर और अधिक व्यापक समझ भी बनती है।

दोनों वर्टिकल के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए संचार मैट्रिक्स को व्यापक विषयों के साथ एकीकृत करने की तत्काल आवश्यकता है। भविष्यवादी होने के कारण एआई एआई आर्किटेक्चर की सकारात्मक धारणा बनाने के साधनों का आदेश देता है। चर्चा किए जाने वाले कुछ विषय हैं संचार नेटवर्क में एआई और मशीन लर्निंग, एआई-संचालित संचार नेटवर्क- हरित डिजिटल भविष्य को आकार देना और स्वास्थ्य, पर्यावरण और शिक्षा जैसे अन्य क्षेत्रों को शामिल करना। ऐसी सभी चर्चाओं में, विषय को संप्रेषित करने की प्रक्रिया नीति निर्माताओं और चिकित्सकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगी। यह भी महत्वपूर्ण है कि परिवर्तन के युग में, प्रौद्योगिकी की निरंतरता को खुली और लोकतांत्रिक पहुंच के साथ बुना जाए।

ओपन सोर्सिंग के सिद्धांत के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन के लाभ आवश्यक रूप से सभी के लिए फायदेमंद होने चाहिए जिनमें उपकरण, प्रक्रियाएं, अवसर और सामुदायिक भागीदारी शामिल है। ऐसी मानक संचालन प्रक्रियाएं और प्रक्रियाएं होनी चाहिए जो एल्गोरिदम के मानकीकरण को सुनिश्चित करें, मानव व्यवहार की कमजोरियों को दूर करें और मशीन और मानव मन को एकीकृत करें।

तकनीकी उन्नति तभी संभव है जब अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटा जाए। नीति निर्माण और सूचना प्रसार के लिए एक उपकरण के रूप में एआई अनुकूलनशीलता, सामंजस्य, समावेशिता, पहुंच और जटिल और विविध सामाजिक पारिस्थितिकी तंत्र की उचित समझ की मजबूत नींव पर आधारित होना चाहिए, जिसके हम प्रमुख घटक हैं।

जैसे-जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ता है, विकास को मानवीय क्षमताओं और आउटरीच की विशेषता वाले अपूरणीय मानवीय गुण के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। एक स्थायी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को आउटरीच संचार के पांच मंत्रों का पालन करने की आवश्यकता है: ग्रहणशील, उत्तरदायी, जिम्मेदार और पारस्परिक होना और एक पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकताओं और आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना जो समानता, समान भागीदारी, पारस्परिक मान्यता और सहयोग में विश्वास करता है।

संचार की सफलता धारणा, उपकरण और विश्वास के बीच संतुलन पर निर्भर करती है, यानी विभिन्न प्लेटफार्मों और क्षेत्रों में स्थित है। इस प्रकृति का एक मॉडल निश्चित रूप से एआई और संचार परिदृश्य के बीच एक परिपूर्ण सिम्फनी सुनिश्चित करेगा जो एक प्रभावी और स्थायी संचार प्रक्रिया को सामने लाएगा।

आप की बात

मोबाइल का अति प्रयोग

जयपुर में माँ के मना करने पर भी मोबाईल पर 22 वर्षीय बेटी द्वारा अधिक समय तक बात करने पर गुस्से में माँ ने लोहे की रॉड सिर पर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। बेटी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती थी, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही मोबाईल पर बात करने में तल्लीन रहती थी। इस वजह से उसे छुपा दिया गया था जो दो महीने बाद फिर दे दिया किन्तु उसने अति बात करना नहीं छोड़ा जिससे हादसा हो गया। हालांकि मोबाईल आज की जरुरत हो गया है, किन्तु उसका दुरुपयोग भी तेजी बढ़ता जा रहा है। बड़ों की बात तो छोड़िये, छोटे-छोटे बच्चे तक आजकल मोबाईल के दीवाने बन गए हैं। नए-नए गेम्स की लत ने बच्चों को और ज्यादा व्यस्त कर दिया है। बच्चों पर तो नियंत्रण माता-पिता रख सकते हैं, किन्तु समझदार को कैसे समझाया जाए जो वाहन चलाते समय बात करने में इतने मशगूल रहते हैं कि हमेशा दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। इसके कारण वे खुद तो परेशानी मोल लेते ही हैं दूसरों को बेवजह भारी दिक्कत में भी उलझा देते हैं। सेल्फी लेने वाले तो जैसे अपने आपको खतरों के खिलाड़ी से कम नहीं समझते। इनमें से अनेक अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। वर्तमान समय में मोबाइल जरूरी हो गया है, पर इसके दुरुपयोग व अति प्रयोग से बचना भी बहुत जरूरी है।

-शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

प्रशांत की भविष्यवाणी

इन दिनों विपक्षी दल पूरे देश भर में यह भ्रम फैला रहा है कि भाजपा इस बार 250 से भी कम सीटों पर रहेगी एवं मोदी सरकार का यह आखिरी कार्यकाल है तब ऐसे में पॉलीटिकल थिंकर प्रशांत किशोर का कहना है कि भाजपा को इस बार लोकसभा चुनाव में 300 सीट मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। उनका कहना है कि देशभर में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति कोई व्यापक गुस्सा नहीं है पर इन्होंने 400 पार नारे की कोई भी वकालत नहीं की है। उनका अनुमान है कि वर्तमान में पूर्व एवं दक्षिण में भाजपा के पास लोकसभा में 50 सीट हैं इसलिए पूर्व एवं दक्षिण में भाजपा की हिस्सेदारी 15-20 सीटों पर बढ़ने की उम्मीद है, जबकि उत्तर दक्षिण में इसे कोई खासा नुकसान भी नहीं हो रहा है। अतः अबकी बार 400 पार का नारा चाहे सक्सेस ना हो पर फिर एक बार मोदी सरकार नारा तो अवश्य ही सफल होने जा रहा है। प्रशांत किशोर की यह भविष्यवाणी उन विपक्षी नेताओं के लिए कड़ा सबक है जो अतार्किक रूप से मोदी की विदाई की घोषणायें पूरी बेशर्मी के साथ कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की भविष्यवाणियां अतीत में सटीक सिद्ध हुई हैं और एक्ज़िट पोल आने के पहले उस पर विश्वास किया जा सकता है।

- एमएम राजावत, शाजापुर

वंशवाद का प्रकोप

गांधी-नेहरू परिवार ने देश की राजनीति में वंशवाद की नींव रखी जिसे देश के अन्य राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों ने भी आत्मसात किया। जब भी भाजपा राजनीति में वंशवाद पर आघात करती है तो वंशवादी दलों के कुतर्क सामने आते हैं। वे कहते हैं कि एनडीए के दलों में भी अनेक सांसदों के पुत्र, पुत्री या पत्नी सांसद, विधायक या अन्य राजनीतिक पदों पर हैं तो फिर कांग्रेस पर ही निशाना क्यों? भाजपा से पूर्व जनसंघ और भाजपा के जन्म से लेकर आज तक के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं वे सभी एक परिवार तो दूर की बात है, एक जाति या एक क्षेत्र के भी नहीं हुए। भाजपा सरकार के दो शासन कालों में दो प्रधानमंत्री हुए उनके परिवार से एक भी व्यक्ति राजनीति के उच्च पद पर तो क्या उनके परिवार के किसी सदस्य का नाम तक भी देश नहीं जानता। कुछ महीने पहले उत्तराखण्ड में दो महिलाओं का एक चित्र सोशल मीडिया में प्रचारित हुआ जिसमें देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बहनें मिलती दिख रही हैं। इसे किसी भी संचार माध्यम में स्थान नहीं मिला, जबकि यही घटना यदि गांधी परिवार के किसी भी सदस्य के साथ घटी होती तो इसे व्यापक प्रचार मिलता। यह भाजपा और बाकी के बीच का अंतर है।

-नरेन्द्र टोंक, मेरठ

दुनिया की राजनीति

रूस-चीन संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर पेइचिंग पहुंचकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन ने वर्तमान को इतिहास की ओर मोड़ने की एक कोशिश की। चीन, रुस और अमेरिका कितनी ही विश्व के प्रति चिंता जाहिर करें, यह महाशक्तियां शुद्ध रूप से सिर्फअपना हित साधने में लगी रहती हैं । उनके आपसी सहयोग भी विशुद्ध रूप से व्यावसायिक होकर अपना भला देखते हैं। ऐसी मानसिकता के चलते यदि चीन को हथियार बेचने से भरपूर फायदा मिल रहा है और उसके अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के हित भी सध रहे हैं तो वह रूस को हथियार क्यों नहीं बचेगा? अमेरिका कौन सा दूध का धुला हुआ है क्योंकि वह भी तो यूक्रेन और इज़राइल को हथियारों की भरपूर सप्लाई कर रहा है। इन बड़े देशों की अधिनायकवादी मंशा के चलते पूरा विश्व कई तरह के संकटों से जूझ रहा है। तीसरे विश्वयुद्ध और विश्वव्यापी भुखमरी की समस्याएं पैदा होने जा रही है। मगर यह लोग युद्धरत देशों को अपने प्रभाव से युद्ध बंद करनें के प्रयासों के बजाय युद्ध करने के लिए उकसा रहे हैं। ऐसे में इन देशों से शांति की अपेक्षा व्यर्थ है।

-सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 84

राजकोष के लिए हो लाभांश का उपयोग

भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को ऐलान किया कि उसके बोर्ड ने भारत सरकार को लाभांश के तौर पर दी जाने वाली राशि तय कर ली है। इसके बाद आया 2.11 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा चौंकाने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा इस साल पेश वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में रिजर्व बैंक से लाभांश के रूप में सिर्फ 1.02 लाख करोड़ रुपये मिलने का अनुमान लगाया गया था। इस तरह सरकार के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में यह 1.09 लाख करोड़ रुपये के अप्रत्याशित लाभ जैसा है। यह इसके बावजूद है कि रिजर्व बैंक के बोर्ड ने आकस्मिक जोखिम बफर को बढ़ाकर बहीखाते के 6.5 फीसदी तक करने का फैसला किया है जो कि कुछ साल पहले घोषित दिशानिर्देशों के तहत उच्चतम स्तर है। ऐसा उच्च धन हस्तांतरण सतह पर तो सुरक्षित लगता है। फिलहाल भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता को लेकर कोई वास्तविक चिंता भी नहीं है।

अतिरिक्त लाभांश से निश्चित रूप से अगली सरकार के लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा। जब जुलाई महीने में पूर्ण बजट पेश होगा तो यह उम्मीद है कि वित्त मंत्रालय इस अवसर का इस्तेमाल अपनी राजकोषीय मजबूती की प्रक्रिया को तेज करने के लिए करेगा। सरकार के वित्त व्यवस्था पर अब भी कोरोना महामारी के कुछ प्रभाव दिख जाते हैं। महामारी आने से पहले राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.6 फीसदी था जो किसी भी लिहाज से 'सामान्य समय' के लिए काफी ज्यादा है। महामारी के वर्ष में जीडीपी में कमी और कुछ असाधारण कदम उठाने की मजबूरी की वजह से यह बढ़कर जीडीपी के 9 फीसदी से ज्यादा हो गया। हालांकि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में यह अब भी 5 फीसदी से ज्यादा है।

इसलिए समझदारी इसी में है कि रिजर्व बैंक के इस धन हस्तांतरण का, जो कि जीडीपी के 0.3 फीसदी तक हो सकता है, इस्तेमाल राजकोषीय घाटे को 5 फीसदी से नीचे लाने के लिए किया जाए। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार की सकल बाजार उधारी 14.13 लाख करोड़ रुपये तय की गई है और शुद्ध बाजार उधारी 11.75 लाख करोड़ रुपये होगी। अगर इस आंकड़े में कुछ कमी होती है इससे कर्ज प्रबंधन में मदद मिलेगी और सरकारी प्रतिभूतियों की यील्ड में गिरावट आएगी जो कि स्वागत योग्य बात होगी।

हालांकि, राजकोषीय टिकाऊपन के बड़े सवाल का समाधान होना चाहिए। सरकार लगातार केंद्रीय बैंक से हस्तांतरण या सार्वजनिक उद्यमों से मिलने वाले लाभांश पर निर्भर नहीं रह सकती। समुचित राजकोषीय प्रबंधन के लिए जरूरत इस बात की है कि सरकार देश में कर-जीडीपी अनुपात को बढ़ाए। यह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को सुव्यवस्थित करने से हो सकता है। तो जीएसटी परिषद में जीएसटी दरों और स्लैब को वाजिब बनाने के लिए अगली सरकार को तत्काल कदम बढ़ाने होंगे। अपरिपक्व तरीके से दरों में कटौती और कई स्लैब होने के कारण जीएसटी प्रणाली का प्रदर्शन कमजोर रहा है। प्रत्यक्ष कर सुधार के विचार पर भी नए सिरे से विचार होना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) लाने की योजना में खास प्रगति नहीं हो पाई। व्यय की बात करें तो सरकार ने ऊंची उधारी के दम पर पूंजीगत व्यय को बढ़ावा दिया है। लेकिन इस तरीके को बनाए रखने की भी एक सीमा है क्योंकि सरकार के आम बजट का घाटा और सार्वजनिक ऋण काफी ऊंचा है। इसके लिए ज्यादा उपयुक्त तरीका यह होगा कि मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र का विनिवेश किया जाए। अब जबकि एयर इंडिया की सफल तरीके से बिक्री हो चुकी है, थोक में निजीकरण को वापस लाना होगा। अगले पांच वर्षों में सरकार के लिए यह अच्छा रहेगा कि विनिवेश पर जोर दिया जाए। रिजर्व बैंक के धन हस्तांतरण का तात्कालिक प्रभाव यह होगा कि वित्त मंत्रालय के राजकोषीय गणित को सरल बनाया जाए लेकिन दीर्घकालिक प्राथमिकताएं पहले जैसी ही रहेंगी।

बिनय सिन्हा

मनरेगा से जुड़ी समस्याएं और उनका समाधान

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जुड़ी समस्याओं का निदान कड़ी निगरानी से किया जा सकता है, न कि वित्तीय बोझ साझा करने से। बता रहे हैं ए के भट्टाचार्य

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) समीक्षा के चरण से गुजरती प्रतीत हो रही है। समाचार माध्यमों में प्रकाशित खबरों के अनुसार मनरेगा में बड़े बदलाव भी किए जा सकते हैं। वर्ष 2005 में संसद में एक विधेयक पारित कर तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। मनरेगा में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार एक निश्चित पारिश्रमिक पर सुनिश्चित करने का प्रावधान है।

पिछले कई वर्षों में मनरेगा के सफल होने पर संदेह जताने के साथ ही इस पर सवाल भी खड़े हुए हैं। हालांकि, इन तमाम किंतु-परंतु के बावजूद मनरेगा ने संकट के समय अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। विशेषकर, कोविड-19 महामारी के दौरान इस योजना से ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार पाने में काफी सहायता मिली। मनरेगा कोष का इस्तेमाल और भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव के बीच सीधा संबंध दिखा है। तालिका में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि मनरेगा की शुरुआत के दो वर्षों बाद ही देश की आर्थिक वृद्धि कम होकर 2008-09 में 3.1 प्रतिशत रह गई। वैश्विक वित्तीय संकट इसका एक बड़ा कारण रहा था। वित्त वर्ष 2007-08 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत थी परंतु इसकी धार कुंद पड़ गई। बाद के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सुधार अवश्य हुआ परंतु देश में रोजगार की उपलब्धता पर गहरी चोट पड़ी। इसका परिणाम यह हुआ कि मनरेगा के अंतर्गत रोजगार की मांग और आवंटित रकम दोनों में भारी बढ़ोतरी हुई।

कोविड-19 महामारी के समय भी ऐसा देखा गया। कोविड से बिगड़ी परिस्थितियों के बीच नीति निर्धारक अर्थव्यवस्था को संभालने की जद्दोजहद कर रहे थे और इस बीच ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने की यह योजना एक ताकतवर माध्यम बन गई। वर्ष 2020-21 में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार खोजने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई।

यह बात भी विचारणीय है कि मनरेगा की

मनरेगा में खर्च

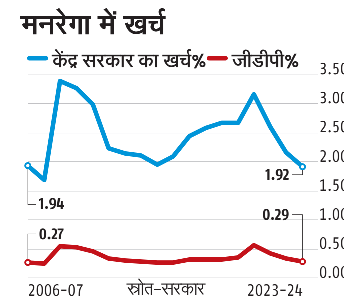

शुरुआत के बाद जब वैश्विक वित्तीय संकट या कोविड से प्रभावित वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था कराह रही थी तब इस योजना के लिए वित्तीय आवंटन बढ़कर केंद्र सरकार के कुल का 3 प्रतिशत (सकल घरेलू उत्पाद का 0.5 प्रतिशत) से अधिक हो गया। अब स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि अगर मनरेगा आर्थिक चुनौतियों के समय मददगार साबित हुई है तो फिर इसकी समीक्षा या इसमें बदलाव की आवश्यकता क्यों आन पड़ी है? जैसा तालिका में दर्शाया गया है, देश में आर्थिक चुनौतियां कम होती हैं तो सरकार के खजाने पर बोझ भी कम हो जाता है और रोजगार तलाशने वाले लोगों की संख्या घट जाती है। उदाहरण के लिए वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार के कुल व्यय में मनरेगा का हिस्सा मात्र 1.9 प्रतिशत था। वर्ष 2014-15 और इससे भी पहले 2006-07 में मनरेगा का केंद्रीय व्यय में लगभग इतना ही हिस्सा रहा था। उन वर्षों में रोजगार की मांग कम थी और अर्थव्यवस्था चुस्त-दुरुस्त थी।

संकट के वर्ष गुजरने के बाद भी लोग नौकरियों की तलाश में भटकते हैं तो यह इस बात का सीधा संकेत है कि अर्थव्यवस्था, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के लिए हालात अनुकूल नहीं हैं। इसी तरह, मनरेगा के अंतर्गत रोजगार की मांग नीति निर्धारकों को यह संकेत भी देती है कि देश के ग्रामीण क्षेत्र आर्थिक दबाव कहीं न कहीं से गुजर रहे हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में मांग को ताकत देने में ग्रामीण क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परंतु, ऐसा आभास हो रहा है कि मनरेगा को लेकर सरकार कुछ चिंतित है, इसलिए दो विशेष कारणों से वह इसकी समीक्षा करना चाहती है। पहला कारण तो यह है कि मनरेगा उन योजनाओं में एक है जिनमें केंद्र सरकार पूरा वित्तीय दायित्व उठाती है मगर इनके तहत होने वाले कार्य की निगरानी राज्य सरकारें करती हैं। तर्क दिया जा रहा है कि अगर राज्य मनरेगा में वित्तीय अंशदान दें तो इसके तहत संपादित कार्य की गुणवत्ता में काफी सुधार होगा। इसके सकारात्मक प्रभाव यह होंगे कि अधिक उत्पादकता वाली एवं उपयोगी संसाधन तैयार होंगे।

कुछ राज्य मनरेगा के प्रावधानों का अपने विशेष हितों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यह मनरेगा की समीक्षा का दूसरा कारण है। मनरेगा का ढांचा मांग आधारित है जिसमें परियोजनाओं पर रकम उसी स्थिति में खर्च की जानी चाहिए जब परेशान श्रमिक रोजगार की तलाश में इधर-उधर भटक रहे होते हैं। जिन परियोजनाओं के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है उनके लिए मनरेगा की रकम का उपयोग नहीं होना चाहिए। राज्य सरकारों को अपने बजट से इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। वर्तमान स्थिति में निगरानी के अभाव में मनरेगा के कोष का दूसरे मदों में इस्तेमाल हो रहा होगा। खबरों के अनुसार उन राज्यों में ऐसा अधिक हो रहा है जहां पारिश्रमिक तुलनात्मक रूप से अधिक है। ऐसे राज्य मनरेगा की रकम अपनी कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने में खपा रहे होंगे।

एक और रुझान सामने आ रहा है जो चिंता का कारण हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े कह रहे हैं कि वर्ष 2018 से 2020 के बीच पश्चिम बंगाल ने मनरेगा के अंतर्गत आवंटित रकम का सर्वाधिक इस्तेमाल किया था। इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक रहे। इतना ही नहीं, वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार केंद्र द्वारा मनरेगा पर किए गए कुल व्यय में पांच दक्षिणी राज्यों- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना- की हिस्सेदारी एक तिहाई से अधिक रही। वर्ष 2022-23 और 2023-24 में पश्चिम बंगाल को मनरेगा अधिनियम, 2005 के प्रावधान 27 के अंतर्गत रकम रोक दी गई। केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए राज्य को रकम से वंचित किया गया था। अतः स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि अगर नियमों का पालन नहीं करने वाले राज्यों को रकम से वंचित किया जा सकता है तो मनरेगा कोष का बेजा इस्तेमाल रोकने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत क्यों नहीं बनाया जा सकता? मनरेगा के संचालन में राज्यों को वित्तीय अंशदान देने के लिए कहना आसान है मगर इससे योजना के बेजा इस्तेमाल से उठने वाली चिंता एवं समस्याएं दूर नहीं होंगी। अगर प्रत्येक राज्य को उनके यहां मनरेगा के संचालन पर होने वाले व्यय में 20 या 40 प्रतिशत हिस्सा देने के लिए कहा जाए तो इससे केंद्र पर राजकोषीय बोझ अवश्य कम होगा परंतु मनरेगा कोष के अनुचित इस्तेमाल की समस्या दूर नहीं होगी। किसी भी सूरत में, अगर राज्यों को मनरेगा के बजट में योगदान देने के लिए कहा जाता है तो इससे संबंधित कानून में संशोधन की आवश्यकता होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार संकट दूर करने में काम आने वाले तात्कालिक उपायों में मनरेगा भी एक है। सरकार को केवल स्वयं पर वित्तीय बोझ कम करने में उलझने के बजाय साझा निगरानी व्यवस्था के माध्यम से इसके क्रियान्वयन से जुड़ी दिक्कतों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

चुनावों के लिए कितना अहम रोजगार का मुद्दा

देश में चुनाव प्रचार अभियान के अब चंद दिन ही बचे हैं। पिछले कई चुनावों के मुकाबले इस बार का चुनाव बेहद नीरस सा लग रहा है और चुनावी मुद्दों को लेकर भी कोई खासा जोर नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री की निजी लोकप्रियता ने शायद कई लोगों को यह मानने के लिए प्रेरित किया है कि विपक्ष की तरफ से कोई वास्तविक चुनौती नहीं है। ऐसे में पूरी चुनाव प्रक्रिया में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। हालांकि हाल में जो दावा किया जा रहा है कि यह चुनाव काफी प्रतिस्पर्द्धी हो गया है और इस कारण बाजार और मीडिया से जुड़े विमर्श पर भी इसका प्रभाव देखा गया लेकिन इसका कोई ठोस आधार नहीं है।

भले ही यह हमारे दौर का सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्द्धी आम चुनाव न हो लेकिन कुछ कथ्यों (नैरेटिव) पर गौर करना जरूरी होगा ताकि यह पहचान की जा सके कि आखिर किन आर्थिक मुद्दों को लोकतांत्रिक बहस के योग्य माना जा रहा है। कांग्रेस के घोषणापत्र में यह उम्मीद दिखी कि इस तरह की चर्चा की गुंजाइश बनी रहे। यह पार्टी के पहले के घोषणापत्र के मुकाबले काफी लोकलुभावन है।

इसमें बड़े बदलावों के दावे किए गए हैं, मिसाल के तौर पर नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन किया जा सकता है, आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा हटाई जा सकती है और समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए अतिरिक्त कोटा मौजूद है। सरकारी क्षेत्र की नौकरियों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रहेगा और पार्टी ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार की करीब 30 लाख रिक्तियां भरी जाएंगी और राज्य में धीरे-धीरे अनुबंध वाली प्रक्रिया भी खत्म की जाएगी। सरकार ने सेना की भर्तियों में सुधार के तहत अतिरिक्त मानव संसाधन को घटाने का फैसला किया उसे भी कांग्रेस ने खत्म करने का वादा किया है।

यह उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह के मुद्दों के चलते भारत में रोजगार सृजन में वृद्धि को लेकर चर्चा हो सकती है कि इस तरह की वृद्धि का लाभ सबके लिए समावेशी है या नहीं। हाल के अध्ययन से यह अंदाजा मिलता है कि भारत में नौकरी और वेतन वृद्धि थम सी गई है जिस पर समसामयिक और प्रासंगिक चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस जिस तरह से रोजगार वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए जिस तरह की प्रणाली को तरजीह दे रही है उसके खिलाफ पर्याप्त तर्क दिए जा सकते हैं।

नीति नियम

मिहिर शर्मा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले हफ्ते एक साक्षात्कार में इस मुद्दे पर चर्चा की। उनका कहना था कि सरकारी नौकरियां, रोजगार सृजन के समान नहीं है और उन्होंने सुझाव दिया कि लघु पैमाने वाले 'मुद्रा लोन' और बुनियादी ढांचे में निवेश से भी नौकरियों के मौके बने हैं और उनका दावा था कि इन नौकरियों की तादाद करीब 6 करोड़ थी। उन्होंने सरकारी क्षेत्र की नौकरियों की भर्ती में किए गए बदलाव पर अपनी सरकार का बचाव किया। लेकिन यह तर्क इसलिए दमदार नहीं है कि पर्चे लीक होने, परीक्षा टाले जाने की वजह से आवेदकों के लिए भर्ती की पूरी प्रक्रिया ही बुरा सपना साबित हो रहा है।

इस पर ध्यान देना जरूरी हो सकता है लेकिन इस रणनीति का प्रभाव साफतौर पर कम हो रहा है। बुनियादी ढांचे का निवेश खासतौर पर अगर यह निर्माण से जुड़ा है तब यह अकुशल मजदूरों के लिए अपार मौके ला सकता है। कुछ शोध से यह भी अंदाजा मिलता है कि निर्माण एक ऐसा क्षेत्र है जहां मौके बनना संभव हुआ है और इसकी वजह से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन भी हुआ है और उदाहरण के तौर पर यह गैर-आनुपातिक तरीके से इस क्षेत्र की स्थिति पर भी निर्भर है। देश के कई हिस्से से इस तरह की कहानियां आती है कि कई युवा जिन्होंने ऑनलाइन कोचिंग क्लास या प्रवेश परीक्षा में पैसे लगाए हैं वे पत्थर तोड़ने वाले काम में जुट गए या फिर ठेकेदारों के लिए निर्माण कार्य करने लगे।

नए रोजगार में वृद्धि के विषय को सरकार और विपक्ष दोनों ने ही नजरअंदाज किया है। वर्ष 2019 में जब आखिरी आम चुनाव लड़े गए थे तब कुछ हद तक आर्थिक मुद्दों की भूमिका रही और यह जनकल्याण से जुड़े सवालों पर भी केंद्रित रही। कांग्रेस ने देश के 20 फीसदी सबसे गरीब लोगों को एक वर्ष में 72,000 रुपये की बुनियादी आय योजना का वादा किया था। हालांकि सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रसोई गैस की उपलब्धता के जरिये जनकल्याण के लिए डिलिवरी में सुधार पर जोर दिया है। 2019 के चुनाव के बाद किए गए विश्लेषण में इस बात पर जोर दिया गया है कि 'लाभार्थी वर्ग' की तादाद 20 करोड़ से ज्यादा है और यही वर्ग मौजूदा सरकार के लिए सुरक्षित वोट में तब्दील हुआ।

उस वक्त के बाद से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस कथ्य पर पूरा जोर देना जारी रखा है। पिछले विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में हुई जीत को लेकर यह तर्क दिया गया कि यह 'मोदी की गारंटी' नारे का नतीजा है जो जन कल्याण के प्रभाव पर केंद्रित है और यहां तक कि राज्य स्तर पर भी प्रधानमंत्री का निजी हस्तक्षेप है। कांग्रेस ने तब से सरकार को चुनौती देते हुए मुफ्त दोगुना खाद्य राशन देने का वादा किया है जो एक महीने में करीब 10 किलोग्राम होगा। लेकिन इस मुद्दे को लेकर भी चुनौतियां हैं।

प्रचार अभियान के दौरान ही जमीनी स्तर पर 'मोदी की गारंटी' विज्ञापन को धीरे-धीरे हटा दिया गया है। वर्ष 2019 की तरह ही 2024 के चुनाव के विश्लेषण में कल्याणकारी प्रचार अभियान एक बड़ा थीम बनकर उभरेगा इसकी संभावना कम है।

सरकार और बड़े कारोबारी घराने के रिश्ते का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी बड़े उद्योगपतियों पर हमला नहीं कर रहे हैं क्योंकि नोटों से भरा टेंपो कांग्रेस पार्टी के पास पहुंच रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने सरकार और देश के अमीर लोगों के बीच करीबी रिश्ते को लेकर हमला तेज करते हुए कहा, 'पूरा सरकारी क्षेत्र ही खत्म हो जाएगा और देश 22-25 लोग ही चलाएंगे। वे लोग कौन हैं? वे देश के अरबपति हैं और उनकी आंखें आपकी जमीन, जंगल और जल पर है। सभी हवाईअड्डे, पावर स्टेशनों, बंदरगाहों, बुनियादी ढांचे को प्रधानमंत्री मोदी ने इन 22-25 लोगों को दिया है। उन्होंने आपका कर्ज माफ नहीं किया लेकिन उन्होंने देश के 22 अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपये का ऋण माफ कर दिया।'

प्रधानमंत्री ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के तरीके में भी बदलाव किया है। माओवादी हिंसा के लंबे इतिहास वाले राज्य, झारखंड में दिए गए अपने भाषण में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने माओवादी भाषा का इस्तेमाल किया है और इसके चलते कांग्रेस शासित राज्यों में निवेश करने से पहले निवेशक 50 बार सोचेंगे। क्या यहां कोई स्पष्ट अंतर बताने की कोशिश की गई है? कांग्रेस ने निश्चित रूप से अलग रास्ता अख्तियार किया है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री ने भी निवेश के अनुकूल अपनी साख पर पूरे उत्साह से जोर देना शुरू किया है। पिछले 10 सालों में निजी निवेश में तेजी नहीं आई है और विपक्ष ने भी इसको मुद्दा नहीं बनाया है।

इस चुनाव में आर्थिक नीति भले ही प्रमुख मुद्दा नहीं हो सकता है लेकिन निजीकरण जैसे मुद्दे पर अंतर, काफी हद तक पिछले वर्षों के मुकाबले ज्यादा है। वहीं दूसरी विपक्ष को मतदाताओं के लिए रोजगार सृजन जैसे अहम मुद्दे पर ज्यादा सफलता नहीं मिली है।

आपका पक्ष

पर्यावरण और पहाड़ों का संरक्षण बनाम विकास

चाहे नैनीताल हो या शिमला अथवा अल्मोड़ा या उखीमठ, सभी की समस्या बेतरतीब विकास का ढांचा है। इसकी मूल वजह व्यापारीकरण है। हमें उन यूरोपीय देशों का उदाहरण देखना चाहिए जिन्होंने पर्वतीय जीवन को आधुनिकता से परिपूर्ण करते हुए अपनी सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण रखा है। इसके लिए स्विट्जरलैंड का उदाहरण सबसे मुखर रूप से दिया जा सकता है। पहाड़ों पर यदि हम विज्ञान की आधुनिक परियोजनाओं के प्रयोग करते हैं तो मैदानी इलाकों के पर्यावरण संतुलन से भी छेड़छाड़ का खतरा मोल लेते हैं। जिस प्रकार जोशीमठ के पास ही कुछ वर्ष पहले धौली गंगा में बाढ़ आई थी, उससे हमें सबक सीखने की जरूरत थी। हालांकि सरकारी कंपनी एनटीपीसी ने दावा किया कि उसकी जल बिजली परियोजना से जोशीमठ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है क्योंकि उसका काम जोशीमठ के पहाड़ों से दूर चल रहा है मगर हकीकत तो यही है कि पूरी हिमालय पर्वतीय श्रृंखला आपस में गुंथी हुई है। सचाई यह है कि हमारे देश में विकास के नाम पर पहाड़ों से होने वाली छेड़छाड़ के कारण उत्पन्न खतरों से न सिर्फ इन पहाड़ों का बल्कि इनके गर्भ में पलने वाले प्राकृतिक ऊर्जा और जैव संपदा के असीम स्रोतों और इन पहाड़ों से निकलने वाली नदियों का अस्तित्व भी संकट में पड़ गया है।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

उत्तराखंड के चमोली जिले में बदरीनाथ मंदिर के पास अलकनंदा नदी में गुरुवार को जमी बर्फ की मोटी परत

जैव विविधता का महत्त्व समझें लोग

22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस दुनिया के बहुत से देशों में मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण और प्रकृति के बीच संतुलन बना कर रखना भी है। वर्ष 1992 में केन्या के नैरोबी में जैव विविधता सम्मेलन हुआ था जहां इस दिवस को मनाने का फैसला लिया गया। धरती पर अनेक जीव-जंतु और पेड़-पौधे हैं। ये लगभग सभी एक दूसरे से अलग अलग हैं अर्थात इनमें भिन्नता है और यह विभिन्नता ही जैव विविधता है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि इनमें बेशक विभिन्नता हो लेकिन ये एक दूसरे पर किसी न किसी रूप में निर्भर भी हैं। हमारा देश जैव विविधता प्रधान है। यहां विभिन्न प्रजातियों के जीव और पेड़-पौधे पाए जाते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी है लेकिन हम आधुनिकता और भौतिकता की चकाचौंध में अंधे हो गए हैं और पर्यावरण का संरक्षण करना भी भूल गए हैं। माना जाता है कि धरती पर लगभग 3,00,000 वनस्पतियां और जीव-जंतु हैं। लेकिन पर्यावरण बिगड़ने से बहुत से जीव-जंतु विलुप्त हो गए और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। यह जैव विविधता के लिए खतरे का संकेत है। अपनी सुख- सुविधाओं की खातिर मनुष्य ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया। साथ ही वन्य जीवों और पशु-पक्षियों की रक्षा करना भूल गया। आज इंसान ने आधुनिकता और भौतिकता की अंधी दौड़ में अपने स्वास्थ्य के साथ-साथ पशु, पक्षियों और अन्य सभी प्राणियों के जीवन के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

सऊदी अरब के राजदूत सालेह बिन ईद अल-हुसैनी (बाएं) ने गुरुवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। हुसैनी की जयशंकर से यह विदाई मुलाकात थी।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक जागरण

प्रत्येक परिवर्तन अपने साथ नया अवसर लेकर आता है

सबक सिखाने वाली घटना

पुणे में एक किशोर की ओर से अपने पिता की बिना लाइसेंस और नंबर प्लेट वाली पोर्श कार से दो लोगों को कुचलकर मार डालने की घटना के बाद जो कुछ देखने को मिला, वह कानून एवं व्यवस्था का उपहास ही है। इस किशोर को जिस तरह चंद घंटे में जमानत दे दी गई और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने भी राहत प्रदान कर दी, वह यही बताता है कि अपने देश में प्रभावशाली लोगों के सामने न्याय कितना असहाय और निरुपाय साबित होता है। यह घटना यह भी बताती है कि लोग किस तरह नियम-कानून को धता बताकर वाहन लेकर निकलते हैं और किस प्रकार कोई भी उन्हें रोकने वाला नहीं होता। कार से दो लोगों को कुचलकर मारने वाले किशोर के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था और वह नशे में भी था। स्पष्ट है कि उसे और उसके स्वजनों को इसका कहीं कोई भय नहीं था कि इस तरह नियम-कानून की अनदेखी करने के कारण उन्हें दंड का भागीदार बनना पड़ सकता है। इस किशोर ने जिन जगहों पर जाकर शराब पी, वहां भी वह उसे बेरोकटोक उपलब्ध करा दी गई, जबकि महाराष्ट्र में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। लापरवाही का सिलसिला यहीं नहीं थमा। दुर्घटना के बाद आरोपित किशोर को जमानत मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से आग्रह किया था कि शराब पीकर गाड़ी चलाने और दो लोगों को मार डालने के इस गंभीर मामले में किशोर के साथ बालिग की तरह व्यवहार किया जाए, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसे जमानत देना उचित समझा और दंड के रूप में हादसे पर 300 शब्दों का निबंध लिखने और 15 दिनों तक यातायात पुलिस की सहायता करने का निर्देश दिया। इस विचित्र और परेशान करने वाले निर्णय पर देश भर में यह सवाल उठना ही था कि क्या इस तरह की विशेष सुविधा जानलेवा दुर्घटनाओं को अंजाम देने वाले अन्य लोगों को भी मिल सकती है?

यह तो गनीमत रही कि पुणे की घटना को अंजाम देने वाले आरोपित किशोर के प्रति जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के रवैये को लेकर देश भर में जो आक्रोश उपजा, उसके चलते किशोर को सुधारगृह भेजा गया और उसके पिता के साथ कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। इस मामले में सभी दोषी लोगों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। यह सजा जितनी जल्दी मिले, उतना ही अच्छा, क्योंकि तभी कोई नजीर कायम होगी। यह मामला ऐसा है, जिसमें नजीर कायम होनी ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो इस तरह की घटनाएं आगे भी होती रहेंगी। यह घटना केवल पुलिस एवं प्रशासन और न्याय तंत्र को ही सबक सिखाने वाली नहीं, बल्कि उन अभिभावकों को भी सीख देने वाली है, जो किशोरवय के अपने बेटे-बेटियों को वाहन चलाने देते हैं।

वर्षाकाल की चुनौती

वन्यजीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला उत्तराखंड वन्यजीवों के हमले की समस्या से भी जूझ रहा है। राज्य का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा, जहां वन्यजीवों ने नाक में दम न किया हो। इस दृष्टिकोण से वर्षाकाल में यह चुनौती अधिक बढ़ने वाली है। पिछले अनुभव बताते हैं कि वर्षाकाल के चार महीनों में गुलदार, बाघ, सांप जैसे वन्यजीवों के हमलों की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए वर्षाकाल को सर्वाधिक संवेदनशील कहा जाता है। असल में इस दौरान गांव, घरों के आसपास और आवाजाही के पैदल रास्तों पर झाड़ियां उग आती हैं। ये गुलदार समेत दूसरे वन्यजीवों के छिपने का स्थान बन जाती हैं और अवसर मिलते ही वन्यजीव मनुष्य पर हमला कर देते हैं। रही-सही कसर पूरी कर दी है पलायन के चलते खाली हुए गांवों के कारण बंजर में तब्दील होती खेती ने। खेतों में उगी झाड़ियां वन्यजीवों की शरणस्थली बन रही हैं। यही नहीं, मई से सितंबर तक सांपों के डसने की घटनाएं भी सबसे अधिक होती हैं। कई बार कोहरे के कारण आसपास छिपे वन्यजीव नजर नहीं आते और उनका मनुष्य से सामना हो जाता है। अच्छी बात ये है कि इस संवेदनशील अवधि में सामने आने वाली चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने समय रहते कमर कसी है। इसी क्रम में सभी वन प्रभागों के प्रभागीय वनाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। वन्यजीवों के हमले की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र भी चिह्नित कर लिए गए हैं। वहां फील्डकर्मियों को आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता, क्विक रिस्पांस टीमों का गठन, गांवों में रास्तों और विशेषकर स्कूलों को जोड़ने वाले रास्तों एवं बटियाओं के आसपास सफाई, वन्यजीवों के हमले की किसी भी घटना में प्रतिक्रिया का समय न्यूनतम करने जैसे कदम उठाने को कहा गया है। साथ ही 15 दिन में इसकी आख्या देने को भी कहा गया है। उम्मीद की जानी चाहिए आमजन की सुरक्षा के मद्देनजर सभी प्रभाग पूरी सक्रियता के साथ इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

हाथ के कितने बदलेंगे हालात

राहुल वर्मा

पिछले चुनावों की तुलना में इस बार शायद कांग्रेस की सीटें कुछ बढ़ें, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वह सीटों का सैकड़ा लगा पाएगी?

अवधेश राजपूत

लोकसभा चुनावों के लिए पांच चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और इस दौरान करीब 80 प्रतिशत सीटों पर चुनाव निपट गया। इस चुनावी कवायद में बहस के तमाम मुद्दे छाए रहे और सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा 400 पार का दावा ही मुख्य रूप से चर्चा में रहा। भाजपा के कई नेता इस दावे पर टिके हुए हैं तो दूसरी ओर आइएनडीआइए के नेता अपने लिए 300 सीटों का दावा करने में लगे हैं। शेष दो चरणों में 115 सीटों की लड़ाई का ही खेल बचा है। ऐसा लगता है कि भाजपा ने अपने चार सौ का ऐसा विमर्श बुना कि विपक्षी खेमा भी इसी में फंसकर रह गया। विपक्षी खेमा अपनी सीटों से ज्यादा हर चरण के साथ भाजपा की संभावित सीटों की संख्या घटाने में लगा हुआ है। ऐसे में, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी अपनी सीटों से ज्यादा भाजपा को कितनी सीटें आएंगी, इसे लेकर उत्सुकता बनाए हुए है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस 2019 के अपने प्रदर्शन को क्या बेहतर कर पाती है और यदि कर पाती है तो कितना बेहतर। ऐसा इसलिए, क्योंकि देश की लगभग 200 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होता है। पिछले दो लोकसभा चुनावों में भाजपा ने इनमें से 90 से 95 प्रतिशत सीटों पर जीत दर्ज की है। इसलिए जब तक कांग्रेस की ओर से इन सीटों पर भाजपा को कड़ी चुनौती नहीं मिलती तब तक उसकी सीटों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी की कोई संभावना नहीं बनेगी। पिछले दो चुनावों की बात करें तो 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें मिली थीं तो 2019 में उसे 52 सीटें हासिल हुईं। पिछले चुनाव में उसकी कुछ सीटें भले ही बढ़ गई हों, लेकिन उसके लिए चिंतित करने वाला पहलू यही था कि दूसरे स्थान पर रहने वाले कांग्रेस प्रत्याशियों की संख्या 2019 में काफी घट गई थी। यानी कांग्रेस कई सीटों पर तीसरे या उससे भी निचले स्थान पर फिसल गई। केरल के अलावा किसी राज्य में वह दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाई। देखना होगा कि इस स्थिति में कांग्रेस कहां तक सुधार लाने में सक्षम हो सकेगी।

आसार ऐसे दिखते हैं कि पिछले दोनों चुनाव की तुलना में शायद कांग्रेस की सीटें कुछ बढ़ेंगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी सैकड़ा लगा पाएगी? कांग्रेस की कुछ उम्मीदें मोदी सरकार के खिलाफ थोड़े-बहुत सत्ता विरोधी रुझान से भी परवान चढ़ रही हैं। इसके अतिरिक्त पिछले चुनाव से अब तक के बीच में उसने चुनावी चुनौती के लिए खुद को बेहतर ढंग से तैयार करने पर काम भी किया है। इसमें सबसे पहली कड़ी तो आइएनडीआइए जैसे मोर्चे की है, जो भले ही साझा नेतृत्व समेत कई पहलुओं का समाधान न निकाल पाया हो, लेकिन भाजपा के खिलाफ एक संयुक्त गठबंधन के रूप में अवश्य उपस्थित है। उसके सूत्रधार रहे नीतीश कुमार भले ही पाला बदलकर भाजपा के खेमे में चले गए हों या ममता बनर्जी साथ मिलकर चुनाव न लड़ रही हों, लेकिन आइएनडीआइए एक साझा विपक्षी चुनौती के रूप में आकार जरूर ले सका। दूसरी बात यह कि इस दौरान राहुल गांधी ने दो बड़ी राजनीतिक यात्राएं निकालकर देश के एक बड़े हिस्से तक अपनी पहुंच बढ़ाई। सवाल यही है कि क्या उनकी ये यात्राएं वोटों के मोर्चे पर कुछ करिश्मा कर पाएंगी या नहीं। वंशवाद के आरोपों से जूझने वाली कांग्रेस ने इसे लेकर किए जाने वाले हमले की हवा निकालने के लिए परिवार से बाहर के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को अध्यक्ष भी बनाया। भले ही खरगे को कुछ लोग दिखावटी मुखिया मानते हों, लेकिन कई मौकों पर उन्होंने यह दिखाया कि पार्टी में उनका एक बड़ा कद है। एक प्रकार से कांग्रेस ने पार्टी का सांगठनिक ढांचा खरगे के जिम्मे सौंपकर राहुल को वैचारिक एवं नेतृत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ाने का काम किया है। पता नहीं यह दांव मतदाताओं को कितना प्रभावित कर पाएगा, लेकिन इसके माध्यम से कांग्रेस ने खुद को एक वैचारिक दृष्टिकोण देने का प्रयास किया है। अतीत में यही देखने को मिला है कि कांग्रेस ने जब भी मोदी को निशाना बनाया तो उसे मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में इस चुनाव में कांग्रेस मोदी को सीधे निशाना बनाने की अपनी पुरानी गलती से सबक लेते हुए आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसका प्रचार अभियान सकारात्मक बिंदुओं पर केंद्रित है। उसने कुछ जरूरी सवालों को समस्या के रूप में उभारकर उनके समाधान के लिए 'हाथ बदलेगा हालात' जैसा नारा गढ़ा है।

पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कांग्रेस की कुछ बेहतर संभावनाओं के तार दक्षिण भारत में उसके प्रदर्शन से भी जुड़े हैं। पिछली बार पार्टी ने सिर्फ केरल में अच्छा प्रदर्शन किया था और उसे इस बार भी वहां प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद है। तमिलनाडु में वह द्रमुक के साथ मजबूत गठबंधन का हिस्सा बनी हुई है। तेलंगाना और कर्नाटक में उसकी सरकारें हैं तो वह दोनों ही राज्यों से अपनी सीटों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की आस लगाए हुए है। आंध्र प्रदेश में भी वह वाईएसआर कांग्रेस, तेदेपा-जनसेना और भाजपा गठबंधन के साथ त्रिकोणीय मुकाबले में अपने लिए अच्छी संभावनाएं देख रही है। पार्टी ने यहां मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला को कमान सौंपकर आक्रामक अभियान चलाया। पार्टी को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी अपनी स्थिति पहले से बेहतर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में सपा, बिहार में राजद और झारखंड में झामुमो तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे एवं शरद पवार की पार्टियों के भरोसे उसे पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।

इन स्थितियों के बावजूद यदि कांग्रेस सौ सीटों का आंकड़ा नहीं छू पाती तो फिर उसके लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। यदि उसकी सीटों की संख्या नहीं बढ़ी तो उसके समक्ष अपने आप को एक राष्ट्रीय दर्जे की पार्टी के रूप में बनाए रखने का संकट और गहराता जाएगा। दस वर्षों से केंद्र और तमाम राज्यों की सत्ता से बाहर कांग्रेस के कितने नेता तब पार्टी में टिक पाएंगे यह एक बड़ा सवाल बन जाएगा। बीते पांच वर्षों के दौरान कई दिग्गज पार्टी से पहले ही किनारा कर चुके हैं। ऐसे में यह चुनाव कांग्रेस के भविष्य के लिए बहुत निर्णायक हो गया है।

(लेखक सेंटर फार पालिसी रिसर्च में फेलो एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

आर्थिक भविष्य का प्रवेश द्वार चाबहार

चाबहार समझौता वैश्विक भू-राजनीति में भारत को बढ़त दिलाने के साथ विदेशी व्यापार और निवेश भी बढ़ाएगा

डा. सुरजीत सिंह

चाबहार में भारत और ईरान के अधिकारी। प्रेट्र

चुनावी सरगर्मी के बीच मोदी सरकार ने विकास प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देते हुए गत दिनों चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन एवं परिचालन के लिए समझौता किया। ईरान में स्थित चाबहार पहला ऐसा बंदरगाह है, जो विदेशी धरती पर होने के बावजूद भारतीय नियंत्रण में रहेगा। यह समझौता वैश्विक भू-राजनीति में ही भारत को बढ़त नहीं दिलाएगा, बल्कि विदेश व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए एक नई पृष्ठभूमि भी तैयार करेगा। चाबहार बंदरगाह के परिचालन से एक तरफ पाकिस्तान के अस्थिर व्यापार मार्गों पर निर्भरता कम होगी तो दूसरी ओर भारत के व्यापार को नई ऊंचाइयां मिलने से सतत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

वर्ष 2002 में पहली बार तत्कालीन ईरानी राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद खातमी एवं भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह को बनाने पर सहमति व्यक्त की गई थी। भारत के लिए इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे। पहला, चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना एवं दूसरा, पाकिस्तान के व्यापार मार्गों के विकल्प की तलाश करना। इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति 2016 में मोदी सरकार में हुई जब चाबहार में शहीद बेहिश्ती टर्मिनल को विकसित करने के लिए भारत ने ईरान और अफगानिस्तान के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया। चाबहार बंदरगाह विकसित करने में भारत के निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके कारण 2019 में भारत को चाबहार बंदरगाह के प्रयोग का अधिकार मिल गया, जिसका भारत को प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराना होता था। हालांकि इसके कारण भारत स्थायी तौर पर कोई आर्थिक रणनीति बनाने एवं उसके प्रयोग के लिए आश्वस्त नहीं था। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कूटनीतिक सफलता ही है कि अब इस समझौते का नवीनीकरण प्रत्येक 10 साल बाद होगा। इस संदर्भ में भारत अब व्यापार की दीर्घकालिक नीतियों को क्रियान्वित कर सकेगा। चाबहार बंदरगाह में भारत के निवेश से अरब देशों में यह संदेश भी गया है कि भारत एक बदलता हुआ बड़ा निवेशक देश है, जो आधारिक संरचना का निर्माण करने में भी सक्षम है।

भारत के सभी बंदरगाहों से चाबहार बंदरगाह तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इससे आगे सड़क एवं रेलवे ट्रैक द्वारा कैस्पियन सागर से होते हुए रूस और उससे आगे यूरोपीय देशों तक पहुंचने का विकल्प मिलता है। इस बंदरगाह के माध्यम से ईरान के प्रमुख शहर तेहरान से गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। मध्य एशिया के लैंडलाक देशों के लिए 7,200 किमी लंबा यह कारिडोर हिंद महासागर तक पहुंचने का सुरक्षित एवं सुगम मार्ग है। यह एक बहुदेशीय परिवहन मार्ग है, जिसके द्वारा तुर्किए, इस्तांबुल, बुल्गारिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान से आगे चीन तक पहुंचा जा सकता है। वास्तव में चाबहार बंदरगाह का व्यापार मार्ग सिल्क रूट का विकल्प भी देता है, जो स्वेज नहर की तुलना में 40 प्रतिशत दूरी कम करता है। इससे होने वाले व्यापार में न केवल 15 दिन का कम समय लगेगा, बल्कि 30 प्रतिशत सस्ता होने से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भी भारत को मिलेगा। इस मार्ग का प्रयोग कर भारत अपनी व्यापार क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ इस क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक संबंधों को भी मजबूत कर सकता है। इस जुड़ाव से भारत के लिए व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे और पूरे क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी। मध्य एशिया के संसाधन-संपन्न नए बाजारों तक भारत की पहुंच भी बनेगी। ईरान सहित मध्य एशिया के देशों से हमारा व्यापार आनुपातिक रूप से बहुत कम होता है। तुर्कमेनिस्तान से प्राकृतिक गैस, कजाखस्तान से यूरेनियम सहित यह क्षेत्र जीवाश्म ईंधन और जल विद्युत के माध्यम से भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान कर सकता है और कई महत्वपूर्ण खनिजों और धातुओं की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। भारत भी दवा, मांस, यांत्रिक उपकरण, प्रसाधन सामग्री, गारमेंट्स, रसायन, कीटनाशक दवाएं, इंजीनियरिंग उत्पाद, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा पर्यटन और आइटी आदि के निर्यात को बढ़ा सकता है। इन क्षेत्रों में भारत रुपये में व्यापार को बढ़ावा देकर अंतरराष्ट्रीय स्वीकृत मुद्राओं पर निर्भरता कम कर सकता है।

चाबहार बंदरगाह से ईरान को भी लाभ होगा, जो पहले से ही अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों को झेल रहा है। भारत क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान करते हुए अफगानिस्तान को विभिन्न तरह की सहायता पहुंचाने के लिए इसी बंदरगाह का उपयोग करता है। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण बदलती परिस्थितियों में भारत का रूस से तेल आयात काफी बढ़ा है। भारत ने अमेरिकी दबाव को न मानते हुए रूस से होने वाले तेल आयात से 25 से 30 अरब डालर बचाए हैं। चाबहार बंदरगाह समझौते के बाद रूस और भारत के व्यापार में और बढ़ोतरी होगी। चाबहार बंदरगाह द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का सामरिक प्रभाव बढ़ने से भू-राजनीतिक स्थिति भी मजबूत होगी। बदलते समय में आर्थिकी अब राजनीति पर भारी पड़ रही है। चीन भी भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहा है। इसे देखते हुए अमेरिका भी कठोर रुख अपनाकर भारत की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगा। अब मध्य एशियाई एवं यूरोपीय देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त लाजिस्टिक्स नीति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिससे इन देशों एवं भारत के बीच संबंध और मजबूत हो सकें। कुल मिलाकर चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, यह एक ऐसे भविष्य का प्रवेश द्वार है, जो भारत की आर्थिक क्षमता को बल देने के साथ उसके अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को मजबूत करेगा।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)

response@jagran.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ऊर्जा

आत्मविश्वास की शक्ति

सफलता के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है। अच्छे से अच्छा तैराक भी आत्मविश्वास के अभाव में किसी नदी को पार नहीं कर सकता। वह बीच में ही फंस जाएगा। नदी के प्रवाह में बह जाएगा। एक सामर्थ्यवान व्यक्ति के मन से जब आत्मविश्वास नष्ट होने लगता है तो संसार में उसके जमे हुए पैर भी उखड़ने लगते हैं। आत्मविश्वास मनुष्य को तुच्छता से महानता की ओर अग्रसर करता है। उसे सामान्य से उत्कृष्ट बना देता है। हममें आत्मविश्वास जितना अधिक होगा अनंत शक्ति के साथ हमारा संबंध उतना ही गहरा होता जाता है।

आत्मविश्वास संपूर्ण शक्तियों को संगठित करके उन्हें एक दिशा में लगाता है। शारीरिक और मानसिक क्षमताएं आत्मविश्वासी व्यक्ति के इशारे पर काम करती हैं। जो अपनी शक्तियों का नियंत्रक है, उसे संसार में कोई भी नहीं हरा सकता। संगठित शक्तियों को मनुष्य जिस क्षेत्र में भी केंद्रित करता है तो उसमें उसे भारी सफलता मिलती है। आत्मविश्वास मनुष्य के कार्यकलाप, उसके जीवन व्यवहार आदि में एक प्रकार से चैतन्यता भर देता है। उसके समस्त जीवन को प्राणवान बना देता है। ऐसे व्यक्ति पर लोग विश्वास करने लगते हैं। उसमें एक प्रकार की दिव्यता का अहसास होने लगता है। यह और कुछ नहीं, बल्कि उसका अपना अपार आत्मविश्वास ही होता है।

अतः जीवन में सफल होना है। विजयी बनकर जीवन बिताना है। समाज को नई दिशा देने वाला बनकर जीना है। संसार पर अपनी छाप छोड़नी है। इस जीवन के उतार-चढ़ाव, हार-जीत के द्वंद्वों, कठिनाइयों, उलझनों में भी स्थिर रहना है। आशा और उमंग के साथ जीवन बिताना है तो अपने आत्मविश्वास को जगाना होगा। ध्यान, योग, कठिन परिश्रम और सत्य के रास्ते पर चलकर हम अपनी आत्मविश्वास की शक्ति जगा सकते हैं।

समराज चौहान

अवैध होर्डिंग की समस्या

अली खान

आज देश के कमोबेश सभी शहर अवैध होर्डिंग की समस्या का सामना कर रहे हैं। इनसे समय रहते निजात पाना होगा

देशभर में अवैध होर्डिंग की समस्या ने लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। मुंबई के घाटकोपर में गत दिनों एक होर्डिंग गिर गया। हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 74 लोग घायल हो गए। जांच में सामने आया कि ये होर्डिंग अवैध था। मुंबई में कई तरह की जमीन हैं, जैसे कलेक्टर लैंड, साल्ट पैन लैंड, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट लैंड, बीएमसी लैंड आदि। अगर कोई किसी जमीन पर होर्डिंग लगा रहा है तो उसे संबंधित लैंड अथारिटी से अनुमति लेनी पड़ती है। साथ ही बीएमसी की इजाजत भी जरूरी है।

आज देश के कमोबेश सभी शहर अवैध होर्डिंग की समस्या का सामना कर रहे हैं। शहरों का शायद ही ऐसा कोई प्रमुख स्थान हो जो होर्डिंग्स एवं बैनरों से अछूता हो। ये होर्डिंग ऐतिहासिक धरोहरों एवं इमारतों के सौंदर्य को ढक रहे हैं। लोगों के जान पर भी आफत बन रहे हैं। आज देश के सभी शहरों की सड़कें भी अवैध होर्डिंग से पटे हुए हैं। कई शहरों में इनको हटाने की कवायद की गई, लेकिन यह समस्या जस की तस बनी हुई है। ये अवैध होर्डिंग सड़क हादसों की वजह बन रहे हैं। सड़कों पर लगे होर्डिंग के चलते वाहन चालकों को साइड देखने में दिक्कत झेलनी पड़ती है। कई बार इनको फुटपाथ पर रख दिया जाता है जिसके चलते पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस कारण भी कई बार हादसे हो जाते हैं।

आखिर अवैध होर्डिंग के मकड़जाल से मुक्ति कैसे मिलेगी? सच्चाई यह है कि अगर सरकारी महकमा ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाए, तो इससे निपटा जा सकता है। हकीकत यह भी है कि राजनीतिक दल चुनावों में रैलियों एवं कार्यक्रमों के लिए जगह-जगह होर्डिंग एवं बैनर लगा देते हैं। होर्डिंग-बैनर बनाने एवं लगाने वाली कई एजेंसियों पर राजनीतिक दलों का हाथ होने से प्रशासन उनके आगे बेबस नजर आता है। यदि कोई भी एजेंसी बिना पंजीकरण के कोई होर्डिंग लगाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सड़कों के किनारे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शहरों की बिगड़ती सूरत को सुधारने के लिए होर्डिंग लगाने के लिए महानगरों की तर्ज पर एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। इस कमेटी की अनुशंसा या अनुमति के बाद ही होर्डिंग्स लगाए जाने चाहिए। आजकल शहरों में स्कूल, कोचिंग संस्थान और अन्य प्रतिष्ठान हर सरकारी और निजी भवनों को विज्ञापन स्थल का रूप दे रहे हैं। इनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि अब भी समय रहते नहीं चेते तो निकट भविष्य में मुंबई में घटित घटना की पुनरावृत्ति दूसरे शहरों में देखने के लिए बेशक हमें तैयार रहना होगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

क्षेत्रीयता का भंवरजाल

'संकुचित दृष्टिकोण वाले क्षेत्रीय दल' शीर्षक से लिखे आलेख में प्रो. निरंजन कुमार ने क्षेत्रीय दलों की चाल, चरित्र एवं चेहरे को दिखाया है। जातिवाद एवं परिवारवाद के उद्देश्यों को पूरा करने के निमित्त गठित इन क्षेत्रीय दलों का राष्ट्रीय निर्माण और राष्ट्रीय गौरव से कोई सरोकार नहीं होता। ये क्षेत्रीय दल केवल क्षेत्रीयता के भंवरजाल में उलझकर रह जाते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 जैसी किसी व्यावहारिक राष्ट्रीय योजना का बंगाल सरकार द्वारा लागू न किया जाना इसका उदाहरण है। यह दिखाता है कि किसी योजना का विरोध मात्र इस आधार पर किया जा रहा है कि वह योजना एक विरोधी दल द्वारा बनाई गई है। संविधान, एकता, अखंडता, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि आदि संकल्पनाओं को बखूबी प्रस्तुत करते लेखक ने दिखाया है कि क्षेत्रीय दल किस प्रकार से परिवारवाद, जातिवाद एवं स्वार्थ की गिरफ्त में हैं। एक तरफ तो हम संविधान की प्रथम पंक्ति 'हम भारत के लोग भारत की एकता और अखंडता...' का यशोगान करते हैं तो वहीं ये क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय एकता और अखंडता की संकल्पना को मुंह चिढ़ा देते हैं। इसका अर्थ यह भी नहीं हो जाता कि क्षेत्रीय दल समाप्त ही कर दिए जाएं। असहमति भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग है, लेकिन समय रहते हमें इस प्रकार के स्वार्थपरक उद्देश्यों को पहचानकर उनका यथाशीघ्र निराकरण करने पर विचार करना चाहिए और प्रवृत्ति को रोकना चाहिए।

अजय कुमार कुमावत, दिल्ली विश्वविद्यालय

मेलबाक्स

परिवारवाद की राजनीति घातक

धर्म, जाति और परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय दलों की ही भूमिका मुख्य नहीं होती, बल्कि यह रूढ़िवादी परंपरा राष्ट्रीय दलों में भी कोई कम नहीं है। राष्ट्रीय दल धर्म और जातिगत वोट पाने के खातिर ही उन दलों से भी हाथ मिलाने में देरी नहीं करते जिन क्षेत्रीय दलों का जन्म किसी धर्म या जाति के आधार पर ही हुआ होता है। हमारे देश के लोग बहुत जल्दी और आसानी से धर्म-जाति की भावनाओं में वहक जाते हैं। आज भी हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो देश और जनहित के मुद्दों के आधार पर नहीं, बल्कि धर्म-जाति की भावनाओं में आकर अपने कीमती वोट का प्रयोग करते हैं। अपने धर्म, जाति के समाज को इंसाफ दिलाने के लिए और अपने पूर्वजों की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए परिवारवाद की राजनीति में तो कोई गलत काम नहीं है, लेकिन जब इन सबका प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए किया जाने लगे तो यह सरासर गलत और लोकतंत्र को कमजोर करने वाला काम है। क्षेत्रीय दलों के भी स्वार्थ और अवसरवाद की ओर बढ़ते कदमों में बेड़ी डालने के कुछ उपाय चुनाव आयोग को करने चाहिए। देश में कुछ छोटी-छोटी राजनीतिक पार्टियों के अस्तित्व में आने का कारण कालेधन को खपाना भी हो सकता है। इसका निराकरण किया जाना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

सहयोग-सामंजस्य की भावना जरूरी

'कब खत्म होगी अंकों की अंधी दौड़' शीर्षक से लिखे आलेख में प्रणय कुमार ने बीते दिनों सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम के संदर्भ में अपनी बात रखी है। जिन छात्रों के परिणाम खराब आए हैं उन्हें सचेत किया है कि किसी एक परीक्षा परिणाम के आधार पर वे अपना आकलन-मूल्यांकन कतई न करें। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों पर कभी भी अच्छे अंक लाने के दबाव न डालें। इससे धीरे-धीरे उनमें प्रतिस्पर्धी भाव स्थायी तौर पर घर कर जाएंगे। नतीजतन वे जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को ही अंतिम सत्य मान लेंगे जबकि जीवन की गाड़ी तभी अच्छे तरीके से चलती है जब सहयोग-सामंजस्य की भावना हो। आज परिवार, समाज में कलह का जो वातावरण है वह इसी प्रतिस्पर्धी भाव की देन है। शिक्षा व्यवस्था के उस नकारात्मक पहलू को दूर करने की जरूरत है जो जीवन में दूसरे को हरदम पछाड़ने की सीख दे रहे हैं।

मुकेश कुमार मनन, पटना

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

संपादकीय जागरण

(12) शुक्रवार, 24 मई, 2024 : ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा वि. 2081

प्रत्येक परिवर्तन अपने साथ नया अवसर लेकर आता है

सबक सिखाने वाली घटना

पुणे में एक किशोर की ओर से अपने पिता की बिना लाइसेंस और नंबर प्लेट वाली पोर्श कार से दो लोगों को कुचलकर मार डालने की घटना के बाद जो कुछ देखने को मिला, वह कानून एवं व्यवस्था का उपहास ही है। इस किशोर को जिस तरह चंद घंटे में जमानत दे दी गई और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने भी राहत प्रदान कर दी, वह यही बताता है कि अपने देश में प्रभावशाली लोगों के सामने न्याय कितना असहाय और निरुपाय साबित होता है। यह घटना यह भी बताती है कि लोग किस तरह नियम-कानून को धता बताकर वाहन लेकर निकलते हैं और किस प्रकार कोई भी उन्हें रोकने वाला नहीं होता। कार से दो लोगों को कुचलकर मारने वाले किशोर के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था और वह नशे में भी था। स्पष्ट है कि उसे और उसके स्वजनों को इसका कहीं कोई भय नहीं था कि इस तरह नियम-कानून की अनदेखी करने के कारण उन्हें दंड का भागीदार बनना पड़ सकता है। इस किशोर ने जिन जगहों पर जाकर शराब पी, वहां भी वह उसे बेरोकटोक उपलब्ध करा दी गई, जबकि महाराष्ट्र में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। लापरवाही का सिलसिला यहीं नहीं थमा। दुर्घटना के बाद आरोपित किशोर को जमानत मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से आग्रह किया था कि शराब पीकर गाड़ी चलाने और दो लोगों को मार डालने के इस गंभीर मामले में किशोर के साथ बालिग की तरह व्यवहार किया जाए, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसे जमानत देना उचित समझा और दंड के रूप में हादसे पर 300 शब्दों का निबंध लिखने और 15 दिनों तक यातायात पुलिस की सहायता करने का निर्देश दिया। इस विचित्र और परेशान करने वाले निर्णय पर देश भर में यह सवाल उठना ही था कि क्या इस तरह की विशेष सुविधा जानलेवा दुर्घटनाओं को अंजाम देने वाले अन्य लोगों को भी मिल सकती है? यह तो गनीमत रही कि पुणे की घटना को अंजाम देने वाले आरोपित किशोर के प्रति जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के रवैये को लेकर देश भर में जो आक्रोश उपजा, उसके चलते किशोर को सुधारगृह भेजा गया और उसके पिता के साथ कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। इस मामले में सभी दोषी लोगों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। यह सजा जितनी जल्दी मिले, उतना ही अच्छा, क्योंकि तभी कोई नजीर कायम होगी। यह मामला ऐसा है, जिसमें नजीर कायम होनी ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो इस तरह की घटनाएं आगे भी होती रहेंगी। यह घटना केवल पुलिस एवं प्रशासन और न्याय तंत्र को ही सबक सिखाने वाली नहीं, बल्कि उन अभिभावकों को भी सीख देने वाली है, जो किशोरवय के अपने बेटे-बेटियों को वाहन चलाने देते हैं।

घटेगा प्रदूषण

प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। स्थिति यहां तक आ गई कि बेगूसराय जैसा शहर देश के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया। स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस कड़ी में सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही वजह है कि शहर से लेकर गांव तक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या काफी बढ़ी है। ग्रामीण इलाकों में तो ई-रिक्शा यातायात का प्रमुख साधन बन गया है। किंतु, ऐसे वाहन मालिकों को बैटरी चार्ज करने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहर हो या गांव, कई लोगों ने अवैध चार्जिंग स्टेशन बना रखे हैं और लोगों से मनमानी वसूली करते हैं। उनके द्वारा बिजली चोरी किए जाने की भी शिकायत मिलती रहती है। बैटरी चार्ज करने की सुविधा जगह-जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण इन वाहनों से लोग लंबी दूरी की यात्रा करने से कतराते हैं। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री भी अपेक्षित रफ्तार नहीं पकड़ सकी है। अच्छी बात है कि अब सरकार ने इस समस्या से निजात के लिए चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। अभी प्रदेश में तीन सौ से अधिक जगहों पर ईवी चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध जिसे बढ़ाकर एक हजार किया जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग, पेट्रोल पंप व मुख्य चौक-चौराहों पर लोगों को यह सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इससे वाहन मालिकों को लंबी दूरी की यात्रा करने में परेशानी नहीं होगी। चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के वक्त इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि उन्हें इसकी जानकारी आसानी से मिल सके। इससे ऐसे वाहनों का उपयोग बढ़ेगा, जो अंततः एक हद तक प्रदूषण को भी नियंत्रित करने में कारगर हो सकेगा।

> पेट्रोल-डीजल की तरह ही लोंगों को बैटरी चार्ज करने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, तब इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग काफी बढ़ जाएगा।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

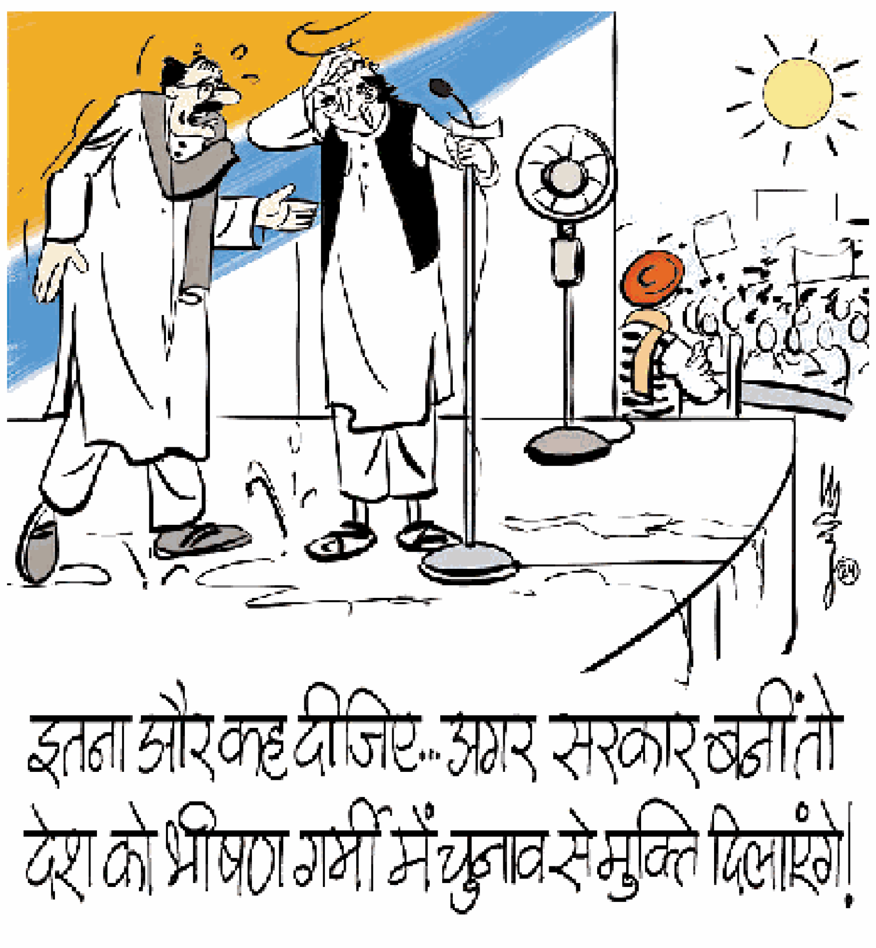

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या बीएसई के बाजार पूंजीकरण का पांच ट्रिलियन डालर पर पहुंचना भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों के बढ़ते भरोसे का प्रतीक है?

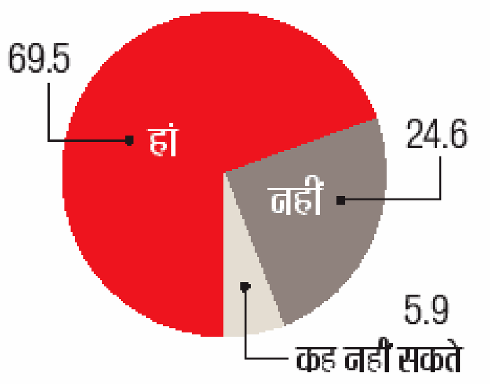

आज का सवाल

क्या स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के पीछे उन पर राज्यसभा से इस्तीफा देने का दबाव रहा होगा?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

हाथ के कितने बदलेंगे हालात

राहुल वर्मा

पिछले चुनावों की तुलना में इस बार शायद कांग्रेस की सीटें कुछ बढ़ें, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वह सीटों का सैकड़ा लगा पाएगी?

लोकसभा चुनावों के लिए पांच चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और इस दौरान करीब 80 प्रतिशत सीटों पर चुनाव निपट गया। इस चुनावी कवायद में बहस के तमाम मुद्दे छाए रहे और सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा 400 पार का दावा ही मुख्य रूप से चर्चा में रहा। भाजपा के कई नेता इस दावे पर टिके हुए हैं तो दूसरी ओर आइएनडीआइए के नेता अपने लिए 300 सीटों का दावा करने में लगे हैं। शेष दो चरणों में 115 सीटों की लड़ाई का ही खेल बचा है। ऐसा लगता है कि भाजपा ने अपने चार सौ का ऐसा विमर्श बुना कि विपक्षी खेमा भी इसी में फंसकर रह गया। विपक्षी खेमा अपनी सीटों से ज्यादा हर चरण के साथ भाजपा की संभावित सीटों की संख्या घटाने में लगा हुआ है। ऐसे में, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी अपनी सीटों से ज्यादा भाजपा को कितनी सीटें आएंगी, इसे लेकर उत्सुकता बनाए हुए है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस 2019 के अपने प्रदर्शन को क्या बेहतर कर पाती है और यदि कर पाती है तो कितना बेहतर। ऐसा इसलिए, क्योंकि देश की लगभग 200 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होता है। पिछले दो लोकसभा चुनावों में भाजपा ने इनमें से 90 से 95 प्रतिशत सीटों पर जीत दर्ज की है। इसलिए जब तक कांग्रेस की ओर से इन सीटों पर भाजपा को कड़ी चुनौती नहीं मिलती तब तक उसकी सीटों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी की कोई संभावना नहीं बनेगी। पिछले दो चुनावों की बात करें तो 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें मिली थीं तो 2019 में उसे 52 सीटें हासिल हुईं। पिछले चुनाव में उसकी कुछ सीटें भले ही बढ़ गई हों, लेकिन उसके लिए चिंतित करने वाला पहलू यही था कि दूसरे स्थान पर रहने वाले कांग्रेस प्रत्याशियों की संख्या 2019 में काफी घट गई थी। यानी कांग्रेस कई सीटों पर तीसरे या उससे भी निचले स्थान पर फिसल गई। केरल के अलावा किसी राज्य में वह दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाई। ऐसे में यह देखना होगा कि इस स्थिति में कांग्रेस कहां तक सुधार लाने में सक्षम हो सकेगी।

आसार ऐसे दिखते हैं कि पिछले दोनों चुनाव की तुलना में शायद कांग्रेस की सीटें कुछ बढ़ेंगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी सैकड़ा लगा पाएगी? कांग्रेस की कुछ उम्मीदें मोदी सरकार के खिलाफ थोड़े-बहुत सत्ता विरोधी रुझान से भी परवान चढ़ रही हैं। इसके अतिरिक्त पिछले चुनाव से अब तक के बीच में उसने चुनावी चुनौती के लिए खुद को बेहतर ढंग से तैयार करने पर काम भी किया है। इसमें सबसे पहली कड़ी तो आइएनडीआइए जैसे मोर्चे की है, जो भले ही साझा नेतृत्व समेत कई पहलुओं का समाधान न निकाल पाया हो, लेकिन भाजपा के खिलाफ एक संयुक्त गठबंधन के रूप में अवश्य उपस्थित है। उसके सूत्रधार रहे नीतीश कुमार भले ही पाला बदलकर भाजपा के खेमे में चले गए हों या ममता बनर्जी साथ मिलकर चुनाव न लड़ रही हों, लेकिन आइएनडीआइए एक साझा विपक्षी चुनौती के रूप में आकार जरूर ले सका। दूसरी बात यह कि इस दौरान राहुल गांधी ने दो बड़ी राजनीतिक यात्राएं निकालकर देश के एक बड़े हिस्से तक अपनी पहुंच बढ़ाई। सवाल यही है कि क्या उनकी ये यात्राएं वोटों के मोर्चे पर कुछ करिश्मा कर पाएंगी या नहीं। वंशवाद के आरोपों से जूझने वाली कांग्रेस ने इसे लेकर किए जाने वाले हमले की हवा निकालने के लिए परिवार से बाहर के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को अध्यक्ष भी बनाया। भले ही खरगे को कुछ लोग दिखावटी मुखिया मानते हों, लेकिन कई मौकों पर उन्होंने यह दिखाया कि पार्टी में उनका एक बड़ा कद है। एक प्रकार से कांग्रेस ने पार्टी का सांगठनिक ढांचा खरगे के जिम्मे सौंपकर राहुल को वैचारिक एवं नेतृत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ाने का काम किया है। पता नहीं यह दांव मतदाताओं को कितना प्रभावित कर पाएगा, लेकिन इसके माध्यम से कांग्रेस ने खुद को एक वैचारिक दृष्टिकोण देने का प्रयास किया है। अतीत में यही देखने को मिला है कि कांग्रेस ने जब भी मोदी को निशाना बनाया तो उसे मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में इस चुनाव में कांग्रेस मोदी को सीधे निशाना बनाने की अपनी पुरानी गलती से सबक लेते हुए आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसका प्रचार अभियान सकारात्मक बिंदुओं पर केंद्रित है। उसने कुछ जरूरी सवालों को समस्या के रूप में उभारकर उनके समाधान के लिए 'हाथ बदलेगा हालात' जैसा नारा गढ़ा है।

पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कांग्रेस की कुछ बेहतर संभावनाओं के तार दक्षिण भारत में उसके प्रदर्शन से भी जुड़े हैं। पिछली बार पार्टी ने सिर्फ केरल में अच्छा प्रदर्शन किया था और उसे इस बार भी वहां प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद है। तमिलनाडु में वह द्रमुक के साथ मजबूत गठबंधन का हिस्सा बनी हुई है। तेलंगाना और कर्नाटक में उसकी सरकारें हैं तो वह दोनों ही राज्यों से अपनी सीटों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की आस लगाए हुए है। आंध्र प्रदेश में भी वह वाईएसआर कांग्रेस, तेदेपा-जनसेना और भाजपा गठबंधन के साथ त्रिकोणीय मुकाबले में अपने लिए अच्छी संभावनाएं देख रही है। पार्टी ने यहां मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला को कमान सौंपकर आक्रामक अभियान चलाया। पार्टी को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी अपनी स्थिति पहले से बेहतर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में सपा, बिहार में राजद और झारखंड में झामुमो तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे एवं शरद पवार की पार्टियों के भरोसे उसे पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।

इन स्थितियों के बावजूद यदि कांग्रेस सौ सीटों का आंकड़ा नहीं छू पाती तो फिर उसके लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। यदि उसकी सीटों की संख्या नहीं बढ़ी तो उसके समक्ष अपने आप को एक राष्ट्रीय दर्जे की पार्टी के रूप में बनाए रखने का संकट और गहराता जाएगा। दस वर्षों से केंद्र और तमाम राज्यों की सत्ता से बाहर कांग्रेस के कितने नेता तब पार्टी में टिक पाएंगे यह एक बड़ा सवाल बन जाएगा। बीते पांच वर्षों के दौरान कई दिग्गज पार्टी से पहले ही किनारा कर चुके हैं। ऐसे में यह चुनाव कांग्रेस के भविष्य के लिए बहुत निर्णायक हो गया है।

(लेखक सेंटर फार पालिसी रिसर्च में फेलो एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

अवधेश राजपूत

आर्थिक भविष्य का प्रवेश द्वार चाबहार

डा. सुरजीत सिंह

चाबहार बंदरगाह समझौता वैश्विक भू-राजनीति में भारत को बढ़त दिलाने के साथ विदेशी व्यापार और निवेश भी बढ़ाएगा

चुनावी सरगर्मी के बीच मोदी सरकार ने विकास प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देते हुए गत दिनों चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन एवं परिचालन के लिए समझौता किया। ईरान में स्थित चाबहार पहला ऐसा बंदरगाह है, जो विदेशी धरती पर होने के बावजूद भारतीय नियंत्रण में रहेगा। यह समझौता वैश्विक भू-राजनीति में ही भारत को बढ़त नहीं दिलाएगा, बल्कि विदेश व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए एक नई पृष्ठभूमि भी तैयार करेगा। चाबहार बंदरगाह के परिचालन से एक तरफ पाकिस्तान के अस्थिर व्यापार मार्गों पर निर्भरता कम होगी तो दूसरी ओर भारत के व्यापार को नई ऊंचाइयां मिलने से सतत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

वर्ष 2002 में पहली बार तत्कालीन ईरानी राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद खातमी एवं भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह को बनाने पर सहमति व्यक्त की गई थी। भारत के लिए इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे। पहला, चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना एवं दूसरा, पाकिस्तान के व्यापार मार्गों के विकल्प की तलाश करना। इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति 2016 में मोदी सरकार में हुई जब चाबहार में शहीद बेहिश्ती टर्मिनल को विकसित करने के लिए भारत ने ईरान और अफगानिस्तान के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया। चाबहार बंदरगाह विकसित करने में भारत के निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके कारण 2019 में भारत को चाबहार बंदरगाह के प्रयोग का अधिकार मिल गया, जिसका भारत को प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराना होता था। हालांकि इसके कारण भारत स्थायी तौर पर कोई आर्थिक रणनीति बनाने एवं उसके प्रयोग के लिए आश्वस्त नहीं था। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कूटनीतिक सफलता ही है कि अब इस समझौते का नवीनीकरण प्रत्येक 10 साल बाद होगा। इस संदर्भ में भारत अब व्यापार की दीर्घकालिक नीतियों को क्रियान्वित कर सकेगा। चाबहार बंदरगाह में भारत के निवेश से अरब देशों में यह संदेश भी गया है कि भारत एक बदलता हुआ बड़ा निवेशक देश है, जो आधारिक संरचना का निर्माण करने में भी सक्षम है।

भारत के सभी बंदरगाहों से चाबहार बंदरगाह तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इससे आगे सड़क एवं रेलवे ट्रैक द्वारा कैस्पियन सागर से होते हुए रूस और उससे आगे यूरोपीय देशों तक पहुंचने का विकल्प मिलता है। इस बंदरगाह के माध्यम से ईरान के प्रमुख शहर तेहरान से गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। मध्य एशिया के लैंडलाक देशों के लिए 7,200 किमी लंबा यह कारिडोर हिंद महासागर तक पहुंचने का सुरक्षित एवं सुगम मार्ग है। यह एक बहुदेशीय परिवहन मार्ग है, जिसके द्वारा तुर्किए, इस्तांबुल, बुल्गारिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान से आगे चीन तक पहुंचा जा सकता है। वास्तव में चाबहार बंदरगाह का व्यापार मार्ग सिल्क रूट का विकल्प भी देता है, जो स्वेज नहर की तुलना में 40 प्रतिशत दूरी कम करता है। इससे होने वाले व्यापार में न केवल 15 दिन का कम समय लगेगा, बल्कि 30 प्रतिशत सस्ता होने से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भी भारत को मिलेगा। इस मार्ग का प्रयोग कर भारत अपनी व्यापार क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ इस क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक संबंधों को भी मजबूत कर सकता है। इस जुड़ाव से भारत के लिए व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे और पूरे क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी। मध्य एशिया के संसाधन-संपन्न नए बाजारों तक भारत की पहुंच भी बनेगी। ईरान सहित मध्य एशिया के देशों से हमारा व्यापार आनुपातिक रूप से बहुत कम होता है। तुर्कमेनिस्तान से प्राकृतिक गैस, कजाखस्तान से यूरेनियम सहित यह क्षेत्र जीवाश्म ईंधन और जल विद्युत के माध्यम से भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान कर सकता है और कई महत्वपूर्ण खनिजों और धातुओं की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। भारत भी दवा, मांस, यांत्रिक उपकरण, प्रसाधन सामग्री, गारमेंट्स, रसायन, कीटनाशक दवाएं, इंजीनियरिंग उत्पाद, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा पर्यटन और आइटी आदि के निर्यात को बढ़ा सकता है। इन क्षेत्रों में भारत रुपये में व्यापार को बढ़ावा देकर अंतरराष्ट्रीय स्वीकृत मुद्राओं पर निर्भरता कम कर सकता है।

चाबहार बंदरगाह से ईरान को भी लाभ होगा, जो पहले से ही अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों को झेल रहा है। भारत क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान करते हुए अफगानिस्तान को विभिन्न तरह की सहायता पहुंचाने के लिए इसी बंदरगाह का उपयोग करता है। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण बदलती परिस्थितियों में भारत का रूस से तेल आयात काफी बढ़ा है। भारत ने अमेरिकी दबाव को न मानते हुए रूस से होने वाले तेल आयात से 25 से 30 अरब डालर बचाए हैं। चाबहार बंदरगाह समझौते के बाद रूस और भारत के व्यापार में और बढ़ोतरी होगी। चाबहार बंदरगाह द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का सामरिक प्रभाव बढ़ने से भू-राजनीतिक स्थिति भी मजबूत होगी। बदलते समय में आर्थिकी अब राजनीति पर भारी पड़ रही है। चीन भी भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहा है। इसे देखते हुए अमेरिका भी कठोर रुख अपनाकर भारत की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगा। अब मध्य एशियाई एवं यूरोपीय देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त लाजिस्टिक्स नीति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिससे इन देशों एवं भारत के बीच संबंध और मजबूत हो सकें। कुल मिलाकर चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, यह एक ऐसे भविष्य का प्रवेश द्वार है, जो भारत की आर्थिक क्षमता को बल देने के साथ उसके अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को मजबूत करेगा। इससे क्षेत्रीय समृद्धि और आर्थिक विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)

response@jagran.com

चाबहार में भारत और ईरान के अधिकारी • प्रेट्र

https://t.me/NewsPaperPaid

ऊर्जा

आत्मविश्वास की शक्ति

सफलता के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है। अच्छे से अच्छा तैराक भी आत्मविश्वास के अभाव में किसी नदी को पार नहीं कर सकता। वह बीच में ही फंस जाएगा। नदी के प्रवाह में बह जाएगा। एक सामर्थ्यवान व्यक्ति के मन से जब आत्मविश्वास नष्ट होने लगता है तो संसार में उसके जमे हुए पैर भी उखड़ने लगते हैं। आत्मविश्वास मनुष्य को तुच्छता से महानता की ओर अग्रसर करता है। उसे सामान्य से उत्कृष्ट बना देता है। हममें आत्मविश्वास जितना अधिक होगा अनंत शक्ति के साथ हमारा संबंध उतना ही गहरा होता जाता है।

आत्मविश्वास संपूर्ण शक्तियों को संगठित करके उन्हें एक दिशा में लगाता है। शारीरिक और मानसिक क्षमताएं आत्मविश्वासी व्यक्ति के इशारे पर काम करती हैं। जो अपनी शक्तियों का नियंत्रक है, उसे संसार में कोई भी नहीं हरा सकता। संगठित शक्तियों को मनुष्य जिस क्षेत्र में भी केंद्रित करता है तो उसमें उसे भारी सफलता मिलती है। जैसे कोलंबस जब पृथ्वी की परिक्रमा करने चले तो उनके कुछ दुर्बल साथियों ने उन्हें वापस लौट जाने की सलाह दी, लेकिन उनका आत्मविश्वास नहीं डिगा। आत्मविश्वास मनुष्य के कार्यकलाप, उसके जीवन व्यवहार आदि में एक प्रकार से चैतन्यता भर देता है। उसके समस्त जीवन को प्राणवान बना देता है। ऐसे व्यक्ति पर लोग विश्वास करने लगते हैं। उसमें एक प्रकार की दिव्यता का अहसास होने लगता है। यह और कुछ नहीं, बल्कि उसका अपना अपार आत्मविश्वास ही होता है।

अतः जीवन में सफल होना है। विजयी बनकर जीवन बिताना है। समाज को नई दिशा देने वाला बनकर जीना है। संसार पर अपनी छाप छोड़नी है। इस जीवन के उतार-चढ़ाव, हार-जीत के द्वंद्वों, कठिनाइयों, उलझनों में भी स्थिर रहना है। आशा और उमंग के साथ जीवन बिताना है तो अपने आत्मविश्वास को जगाना होगा। ध्यान, योग, कठिन परिश्रम और सत्य के रास्ते पर चलकर हम अपनी आत्मविश्वास की शक्ति जगा सकते हैं।

समराज चौहान

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

क्षेत्रीयता का भंवरजाल

'संकुचित दृष्टिकोण वाले क्षेत्रीय दल' शीर्षक से लिखे आलेख में प्रो. निरंजन कुमार ने क्षेत्रीय दलों की चाल, चरित्र एवं चेहरे को दिखाया है। जातिवाद एवं परिवारवाद के उद्देश्यों को पूरा करने के निमित्त गठित इन क्षेत्रीय दलों का राष्ट्रीय निर्माण और राष्ट्रीय गौरव से कोई सरोकार नहीं होता। ये क्षेत्रीय दल केवल क्षेत्रीयता के भंवरजाल में उलझकर रह जाते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 जैसी किसी व्यावहारिक राष्ट्रीय योजना का बंगाल सरकार द्वारा लागू न किया जाना इसका उदाहरण है। यह दिखाता है कि किसी योजना का विरोध मात्र इस आधार पर किया जा रहा है कि वह योजना एक विरोधी दल द्वारा बनाई गई है। संविधान, एकता, अखंडता, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि आदि संकल्पनाओं को बखूबी प्रस्तुत करते लेखक ने दिखाया है कि क्षेत्रीय दल किस प्रकार से परिवारवाद, जातिवाद एवं स्वार्थ की गिरफ्त में हैं। एक तरफ तो हम संविधान की प्रथम पंक्ति 'हम भारत के लोग भारत की एकता और अखंडता...' का यशोगान करते हैं तो वहीं ये क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय एकता और अखंडता की संकल्पना को मुंह चिढ़ा देते हैं। इसका अर्थ यह भी नहीं हो जाता कि क्षेत्रीय दल समाप्त ही कर दिए जाएं। असहमति भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग है, लेकिन समय रहते हमें इस प्रकार के स्वार्थपरक उद्देश्यों को पहचानकर उनका यथाशीघ्र निराकरण करने पर विचार करना चाहिए और प्रवृत्ति को रोकना चाहिए।

अजय कुमार कुमावत, दिल्ली विश्वविद्यालय

अखंडता का विरोध असहनीय

प्रोफेसर निरंजन द्वारा लिखित आलेख 'संकुचित दृष्टिकोण वाले क्षेत्रीय दल' पढ़ा। जाति-संप्रदाय, भौगोलिक क्षेत्र, भाषा इत्यादि के आधार पर विविधता के बावजूद भारत में आदिकाल से सांस्कृतिक एकता रही है। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है कि हम भारत के लोग राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित रहेंगे। फिर भी कई दल क्षुद्र राजनीतिक लाभ के लिए अखंडता विरोधी भाषण बाजी कर रहे हैं। पंजाब में खालिस्तान की आवाज उठती ही रहती है, वहां से एक अलगाववादी चुनाव भी लड़ रहा है। यह असहनीय है। दक्षिणी राज्यों में भी देश विरोधी भाषण देने से जिम्मेदार पदों पर आसीन राजनीतिज्ञ बाज नहीं आ रहे हैं। बंगाल में भी यही स्थिति है। इन सभी दलों व नेताओं पर चुनाव आयोग को नकल कसनी चाहिए। भारत की अखंडता के विरोध में बोलने वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं होना चाहिए। इस पर कानून एवं स्पष्ट मापदंड बनाने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में जनता ही सारी शक्ति का स्रोत होती है, इसलिए हमें इन बिंदुओं को ध्यान में रख कर मतदान करना चाहिए।

अभिषेक कुमार, कनौली, जहानाबाद

किस्तों में हो गर्मी छुट्टी

बिहार के राज्यपाल द्वारा गर्मी छुट्टी को लेकर दिए गए सुझाव को अमल में लाने की जरूरत है। पहले यहां मई के दूसरे पखवाड़े से जून के प्रथम पखवाड़े तक प्रचंड गर्मी रहती थी, अब मार्च से ही गर्मी का प्रकोप देखने को मिलता है, ऐसे में गर्मी छुट्टी किस्तों में दी जाए तो बेहतर होगा।

आनंद पांडेय, रोसड़ा, समस्तीपुर

जल का दुरुपयोग रोकना आवश्यक

शाश्वत सत्य है कि जल ही जीवन है। अनेक कारणों से जल की आपूर्ति में कमी हो रही है। सबमर्सिबल पंपों से प्राकृतिक जल का दोहन बड़ी मात्रा में हो रहा है। बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि के कारण भी जल की मांग में वृद्धि हुई है। प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना के कारण भी जल की खपत बढ़ी है। जो चीज सहजता से प्राप्त होने लगती है, उसके उपयोग में कुछ लापरवाही आ ही जाती है। इसको नियंत्रण में रखने के लिए यह आवश्यक है कि बिजली की तरह इसकी बिक्री भी मीटर पर आधारित हो। प्रति 100 लीटर पानी के उपभोग पर शुल्क निर्धारित हो। इससे घरों में पानी अनावश्यक रूप से नहीं बहेगा। इसी तरह का शुल्क उन लोगों पर भी लगना चाहिए, जिन्होंने सबमर्सिबल पंप लगवा रखा हो, पंप भले ही निजी हो परंतु उससे निकाला जाने वाला जल तो समाज की धरोहर है। मीटर लग जाने पर जल की अनावश्यक बर्बादी नही होगी। विकास भरपूर और तेजी से हो रहा है, परंतु उसी अनुपात में जमीन पर बसावटें व निर्माण भी हो रहा है। इससे भूमि यथेष्ट मात्रा में जल को अवशोषित करने में सफल नही हो पा रही है। सड़कों के निर्माण में टाइल्स इस तरह के लगाने चाहिए, जिससे जल छनकर धरती के गर्भ तक पहुंच जाए। प्रत्येक घर की छत पर सोलर पैनल के साथ इस बात की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि छत पर गिरने वाला वर्षा का जल नाली में न बह कर सीधे भूमि पर बने कुएं में एकत्रित हो।

धर्मेन्द्र नाथ रस्तोगी, दुर्गादेवी मंदिर मार्ग चौक पटना

पोस्ट

सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन राष्ट्र सबसे बड़ा है। राष्ट्र की एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं। भारतीय होना हमारी पहली पहचान है। यही बाबा साहब की शिक्षा है। दिलीप मंडल@Profdilipmandal

पूर्व पीएम चंद्रशेखर ने एक बार जेपी से कहा था कि आज आप जिन नेताओं के बल पर संपूर्ण क्रांति की बात कर रहे हैं, कालांतर में वही नेता अपनी-अपनी जातियों के नेता बनकर रह जाएंगे। उनकी बात एकदम प्रासंगिक रही। चुनाव में सफलता के सूत्र जातिगत गुणा-गणित में ही तलाशे जाते हैं। राजेश शुक्ला@astroraj

भारत में कुछ लोगों का झुकाव इजरायल की ओर है तो कुछ लोग फलस्तीन का भी समर्थन करते हैं। विश्व के प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में कमोबेश यही स्थिति है। इसके उलट पश्चिमी देशों में बसे पाकिस्तानी भी इजरायल के प्रति एकतरफा दुराव रखते हैं। सदानंद धूमे@dhume

धन अपराधों को दबा देता है। पुणे का 17 वर्षीय किशोर, जिसे एक बाइक को टक्कर मारकर दो लोगों की जान लेने वाली पोर्श गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद जमानत पर बाहर आ गया। जमानत की शर्त कहती है कि 300 शब्दों का निबंध लिखें। अतुल्य। प्रिया तंवर@Priya_Tanwr

जनपथ

घनी अंधेरी रात में सकता उल्लू देख,
लेकिन लिबरल लेफ्ट तो खड़ा लगाए टेक।
खड़ा लगाए टेक कथा उलटी ही लिखता,
उसको हुआ विकास नहीं दिन में भी दिखता!
ये उलूक अवतार हरकतें करें छिछोरी,
भारत में ये रात चाहते घनी अंधेरी!!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073

E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 42

****

कार्यशैली में सुधार हो

चुनाव आयोग की ओर से बुधवार को देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों के अध्यक्षों को दिए गए आदेश पर और चाहे जो भी कहा जाए, उसके औचित्य पर सवाल नहीं किया जा सकता। चिंता की बात यह है कि सत्तारूढ़ दल और सबसे बड़े विपक्षी दल के नेतृत्व को यह समझाने की जरूरत पड़ रही है कि सांप्रदायिक भाषणों और संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले बयान नहीं दिए जाने चाहिए।

चुनाव आयोग: आदेश में देरी

एक महीने पुराना मामला | गौर करने की बात यह है कि यह कोई नया मामला नहीं है। चुनाव आयोग ने एक महीने पहले ही शिकायत मिलने पर BJP और कांग्रेस के अध्यक्षों को नोटिस देकर आगाह किया था कि वे अपने स्टार प्रचारकों से भाषण के दौरान सावधानी बरतने को कहें। हालांकि तब आयोग के रेस्पॉन्स को कमजोर इस मायने में कहा गया था कि शिकायत तो पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के खिलाफ थी, लेकिन नोटिस सीधे इन दोनों नेताओं के बजाय पार्टी अध्यक्षों को भेजा गया।

नोटिस का असर नहीं | चुनाव आयोग के अब तक के चलन को देखते हुए यह तरीका नया था। हालांकि इसके पक्ष में भी तर्क दिए जा सकते हैं और कम से कम पक्षपात का आरोप इस मामले में नहीं लगाया जा सकता क्योंकि दोनों दलों की शिकायतों पर आयोग का रुख एक जैसा रहा। लेकिन अंतिम परिणाम यही रहा कि दोनों में से किसी भी पार्टी पर आयोग के नोटिस का पॉजिटिव असर नहीं रहा। दोनों ने नोटिस के जवाब में अपने स्टार कैंपेनर्स के भाषणों का बचाव किया।

वक्त निकल गया | सवाल-जवाब के क्रम में समय बीतता रहा और अब जब चुनाव आयोग का आदेश आया है तो पांच चरणों की वोटिंग हो चुकी है और छठे चरण का प्रचार भी समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर सातवें और आखिरी चरण का प्रचार ही बचा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार की शैली पर इस आदेश का कैसा और कितना असर होता है।

चुनाव प्रचार के मुद्दे | बहरहाल, चुनाव आयोग ने शिकायतों पर जो स्टैंड लिया, उसमें गड़बड़ी नहीं थी। जिस तरह से तीखे सांप्रदायिक मुद्दे इस बार चुनाव प्रचार में छाए रहे, वे उचित नहीं कहे जा सकते। संविधान बदले जाने का जो आरोप विपक्ष ने जोर-शोर से उठाया उसके औचित्य पर भी सवाल उठने लाजिमी हैं। खासकर इसलिए कि संविधान में संशोधन शुरू से होते रहे हैं, लेकिन संविधान के बुनियादी ढांचे में कोई बदलाव नहीं हो सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार साबित किया है।

आगे के लिए सबक | मार्के की बात यही है कि उचित स्टैंड रखते हुए भी चुनाव आयोग खुद को वैसा असरदार साबित नहीं कर सका जैसी उससे अपेक्षा की जाती है। आयोग को इस अनुभव की रोशनी में भविष्य की अपनी कार्यशैली पर पुनर्विचार करना चाहिए।

क्रॉस-वर्ल्ड
दिल है हिंदुस्तानी

शैलेंद्र पांडेय

पुर्तगाल के एंटोनियो कास्टा, सिंगापुर के हलीमा याकूब, सूरीनाम के चान संतोखी, मॉरिशस के पृथ्वीराज सिंह रूपन, गुयाना के मोहम्मद इरफान, सेशेल्स के वेवल रामखेलावन, अमेरिका की कमला हैरिस, ब्रिटेन के ऋषि सुनक - अपने यहां की राजनीति में शीर्ष पर होने के अलावा और कौन-सी बात इन्हें आपस में जोड़ती है? ये सभी भारतीय मूल के हैं और बस इतने ही नहीं, इस लिस्ट को बढ़ाते जाइए तो आंकड़ा सौ के ऊपर चला जाएगा। इसी तरह की एक सूची तैयार हो सकती है दुनिया की टॉप कंपनियों में टॉप पर बैठे भारतवंशियों की। एक सूची कला, साहित्य से जुड़ी शख्सियतों की और एक सूची ज्ञान, विज्ञान की। ये तो नाम हैं, उन लोगों के जिनसे जुड़कर हमें अपने देश पर नाज होता है, लेकिन कई प्रवासी भारतीय ऐसे भी हैं, जो विदेश से हर साल अपने परिवार वालों को पैसे भेजते हैं। इसमें से जो पैसा उनके खर्च करने के बाद बचता है, वह उनके बैंक खातों में ही पड़ा नहीं रहता। बैंक उससे कर्ज देते हैं, जिससे देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है। इस बढ़ती ताकत पर भारत में रहने वालों के साथ बरसों पहले देश छोड़कर जा चुके भारतवंशियों को भी गर्व होता है। यह पावर है Diaspora nationalism की, जिसने दुनियाभर के सौ से ज्यादा देशों में भारतीयता को पहुंचा दिया है। कभी हिंदुस्तानियों को गिरमिटिया मजदूर के रूप में अंग्रेज अपने साथ लेकर गए थे। आज उन्हीं के वंशज उन देशों की पॉलिसी तय कर रहे हैं। हिंदुस्तान के बाहर फैला उसका यह परिवार करीब 3.2 करोड़ लोगों का है। World Migration Report, 2022 बताती है कि भारत के बाद मेक्सिको, रूस और चीन का नंबर है। विदेशों में बसी यह आबादी diaspora diplomacy का जरिया भी है। कोई भी देश अपनी विदेश नीति में इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। अमेरिका और यूरोप में भारत की बात का वजन होता है, तो इसकी एक वजह वहां बसे भारतीय भी हैं। सॉफ्ट पावर के अलावा अर्थव्यवस्था को सुधारने में भी मदद करते हैं प्रवासी। भारत पहला देश है, जिसे विदेश में रहने वाले अपने लोगों से सौ बिलियन डॉलर से अधिक की रकम मिली। 2023 में यह आंकड़ा 125 बिलियन डॉलर रहा, GDP का 3.4%। Diaspora nationalism लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जैसा है। कहते हैं कि जब प्यार बहुत ज्यादा हो, तो दूरियां मायने नहीं रखतीं। फिर यहां तो इस प्यार में कई पहलू भी जुड़े हैं। इस राष्ट्रवाद में सीमाएं बंद नहीं होतीं, और विस्तार पाती हैं। यह ऐसा प्रेम है जिसकी सबसे जरूरी शर्त ही है दूर रहना।

एकदा
टैगोर की चिट्ठी

तब रवींद्रनाथ टैगोर शांतिनिकेतन में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने के साथ लाइब्रेरी की देखरेख भी करते थे। उन्हें एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो बच्चों को मन लगाकर अंग्रेजी पढ़ाए और लाइब्रेरी भी देखे। इस तलाश में उनका ध्यान सिटी कॉलेज, कलकत्ता में काम कर रहे उस शख्स की तरफ गया, जिसे बंग-भंग आंदोलन के दौरान एक प्रदर्शन में भाग लेने के चलते स्कूल से निकाल दिया गया था। बाद में वह शांति निकेतन में काम करने लगा था, लेकिन शांतिनिकेतन के वित्तीय संकट के कारण उसे वहां से भी हटना पड़ा था। रवींद्रनाथ टैगोर ने बिना किसी पूर्वाग्रह के उस व्यक्ति को वापस बुलाने का फैसला किया। उन्होंने उसे एक चिट्ठी लिखी। अपने पत्र में उन्होंने कहा, 'मुझे इस समय एक ऐसे शख्स की तलाश है जो शांतिनिकेतन की लाइब्रेरी की देखरेख कर सके और बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा सके। वैसे तो मैं दोनों काम खुद कर रहा हूं लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं है। किसी अजनबी को यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए मेरा मन गवाही नहीं दे रहा। मेरा ध्यान आपके ऊपर है। अगर आप सपरिवार आकर यह जिम्मेदारी संभाल लें तो मुझे खुशी होगी।' चिट्ठी ने प्रभात कुमार मुखोपाध्याय को इतना भावविभोर कर दिया कि वह शांतिनिकेतन जाने के लिए न सिर्फ तुरंत तैयार हो गए, बल्कि ताउम्र इसे अपनी सेवाएं देते रहे। लाइब्रेरी की देखरेख, शिक्षण और साहित्य सृजन के साथ उन्होंने चार खंडों में 'रवींद्र जीवनी' भी लिखी। शिक्षण संस्थानों को शिखर तक ले जाने के लिए वाकई टैगोर जैसी प्रतिभा को पहचानने और उसे संरक्षित करने वाली सूक्ष्म, गहरी और उदार दृष्टि की जरूरत होती है।

Subrata Dhar
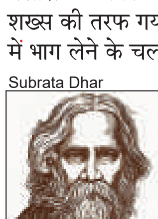

संकलन : हरिप्रसाद राय

महाराष्ट्र के गांवों में ऐसे मतदाताओं की बड़ी तादाद है, जिनकी शादी की उम्र कबकी पार हो चुकी है
बिना रोजगार के नहीं मिल रही दुल्हनिया

जयदीप हार्डीकर

कपास की खेती के लिए मशहूर इलाके यवतमाल के एक छोटे से गांव में 35 साल का एक पोस्टग्रैजुएट लड़का मिला। मैंने पूछा, 'क्या करते हो?' वह अपना ही मजाक उड़ाते हुए बोला, 'मैं सुशिक्षित, बेरोजगार और कुंवारा हूं।' उसकी बात पर वहां पान की दुकान पर बैठे उसके सारे दोस्त हंसने लगे क्योंकि यह मजाक उन पर भी लागू होता है। सब 30-35 साल के, ग्रैजुएट, बेरोजगार और कुंवारे हैं।

कैसे करें शादी | अब कोई लड़की उनसे शादी क्यों करेगी? दुल्हन मिल भी जाए तो शादी करेंगे कैसे? बच्चे पैदा होंगे तो उन्हें कैसे पालेंगे? खेती से गुजारा मुश्किल है। बहनों की शादी भी ऐसे लड़कों से नहीं कर सकते, जो सिर्फ खेती पर निर्भर हों। ये मान चुके हैं कि इनकी हालत अब नहीं बदलने वाली।

कमाई का सवाल | यहां लड़कियां सरकारी नौकरी वाले लड़कों को पसंद करती हैं, जो मुश्किल से मिलते हैं। दूसरे नंबर पर आती है प्राइवेट नौकरी, जो घट रही है। आखिर में हैं खेती करने वाले लड़के। शादी की बातचीत में पहला सवाल होता है, लड़के की सालाना कमाई कितनी है? गांव में लड़कियों के लिए भी अच्छा रिश्ता ढूंढना मुश्किल हो गया है।

शर्मिंदगी का अहसास | मैंने पूछा, 'यहां कितने लड़के होंगे ऐसे जो शादी की उम्र पार कर चुके हैं?' 20-25 लड़के वहीं इकट्ठा हो गए। सब 35 पार, शादी की उम्मीद खत्म। एक ने बताया, 'सब यही पूछते हैं, तुम्हारी शादी कब है?' अपनी मजबूरी पर ये हंसते हैं,

दूरगामी हो सकते हैं नतीजे
- खेती में न मुनाफा है न इज्जत
- ख्वाहिशें शहरी युवाओं जैसी हैं
- बेरोजगारी ने रोक रखी है राह

लेकिन उनकी हंसी में छिपी हुई बेचैनी और नाराजगी साफ झलक जाती है। यहां अमूमन 20-25 की उम्र तक शादी हो जाया करती है।

दूरगामी नतीजे | हालांकि बेरोजगारी यहां कोई नई बात नहीं है। अच्छी शिक्षा और स्किल की कमी के चलते रोजगार की पात्रता का अभाव भी काफी समय से समस्या है। लेकिन महाराष्ट्र जैसे अपेक्षाकृत समृद्ध माने जाने वाले राज्य के गांवों में बेरोजगारी और खेती के इस बड़े संकट के परिणाम बड़े दूरगामी और विनाशकारी हो सकते हैं।

खेती में रुचि नहीं | वहीं खेती करने वालों की इज्जत घट गई है। आजकल के नौजवान पढ़े-लिखे हैं, शहर वालों की तरह ही उनकी भी ख्वाहिशें हैं। हालांकि स्किल के मोर्चे पर वे थोड़े कमतर पड़ जाते हैं। मगर खेती करने में उनकी वैसी रुचि नहीं रही।

ओबीसी में असंतोष | देखा जाए तो देर से शादी होना भी कोई नई या अजूबी बात नहीं है इन इलाकों के लिए। सूखा पड़ने पर या

AI Image

फसल खराब होने पर शादियां टलती ही रही हैं। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर आज यह समस्या है, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। खासकर जमीन रखने वाली ओबीसी जातियों में स्थिति और ज्यादा गंभीर नजर आती है।

जॉब : एक प्रेमकथा | एक समय था, जब अच्छी पढ़ाई अच्छी नौकरी की शर्त मानी जाती थी। अब अच्छी नौकरी शादी की शर्त हो गई है। 'टॉयलेटः एक प्रेम कथा' याद है? टॉयलेट नहीं तो शादी नहीं। इसे थोड़ा सा बदल लीजिए, 'जॉबः एक प्रेम कथा'। नौकरी नहीं तो शादी नहीं। आजकल की लड़कियां पढ़ी-लिखी हैं, उनकी अपनी ख्वाहिशें हैं। वे भी ऐसा लड़का चाहती हैं जिसकी शहर में पक्की नौकरी हो और गांव में जमीन भी।

राष्ट्रव्यापी समस्या | महाराष्ट्र के बीड जैसे जिलों में तो हालत और भी खराब है, जहां लड़कियों की तादाद कम है। अमीर इलाके भी इससे अछूते नहीं हैं। वैसे यह पूरे देश की समस्या है। 2022 में एक रिसर्च में पता चला कि बेरोजगारी की वजह से देशभर में शादी की उम्र बढ़ती जा रही है। लड़कों को शादी के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है।

ठुकराए जाने का अहसास | उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में भी यही हाल है। खेती से कमाई घट रही है, कर्ज बढ़ रहा है, पढ़ाई महंगी हो गई है। ऐसे में गांव के लोगों का गुस्सा कभी भी राजनीतिक भूचाल ला सकता है। एक बंदे ने कहा, '2014 में मैं 24 साल का था, अब 34 का हो गया। मेरे लिए कुछ नहीं बदला।' 2024 के चुनाव का नतीजा जो भी हो, नौकरीपेशा लोगों में जो निराशा और ठुकराए जाने का एहसास है, वह ज्वालामुखी की तरह है, जो कभी भी फूट सकता है।

नाकाम रहे प्रयास | महाराष्ट्र के गरीब इलाकों से लेकर अमीर गन्ना क्षेत्रों तक, हर जगह ऐसे पढ़े-लिखे नौजवान भरे पड़े हैं, जो खेती से तंग आ चुके हैं और शादी की उम्र निकलने को है। सब मुंबई-पुणे-नासिक के इंडस्ट्रियल इलाकों में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। ठेकेदारी की, कम तनख्वाह में गुजारा किया, छोटी-छोटी जगहों में रहे, सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं।

कोई नया उद्योग नहीं | ऊपर से विदर्भ और मराठवाड़ा में तो सालों से खेती का बुरा हाल है। न कोई नया उद्योग लगा, न ही कोई नया काम-धंधा खुला। मराठवाड़ा में तो पानी की भी भयंकर किल्लत है, सूखा पड़ता रहता है। ऐसे में कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे गांव में नहीं करना चाहता जहां यह समस्या हो। हां, अगर लड़के की नौकरी शहर में हो तो बात अलग है। वैसे, यह सब अचानक से नहीं हुआ, न ही यह सिर्फ महाराष्ट्र की कहानी है।

(लेखक पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया से जुड़े हैं)

ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में औरतों की भागीदारी कम

अपर्णा रॉय

पिछले दिनों आई इंस्टिट्यूट फॉर एनर्जी इकनॉमिक्स एंड फाइनैंशल एनालिसिस (IEEFA) की रिपोर्ट बताती है कि भारत में सौर और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ रहा है। भारत ने 2070 तक 'नेट जीरो' कार्बन उत्सर्जन का वादा किया है। 2030 तक क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में 10 लाख नौकरियां आने वाली हैं, लेकिन इस क्षेत्र में औरतों की भागीदारी बहुत कम है। देश में सिर्फ 11% औरतें ही इस फील्ड में हैं, जबकि पूरी दुनिया में इसका औसत 32% है।

आंकड़ों की कमी | सवाल है कि इस क्षेत्र में औरतों के साथ भेदभाव और असमानता क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह है कि सरकार को पता ही नहीं कि कितनी औरतें इस क्षेत्र में काम करना चाहती हैं, उनके पास क्या हुनर या संसाधन हैं, और उनकी मुश्किलें क्या हैं। जरूरत है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे।

सभी साथ आएं | अलग-अलग मंत्रालयों, जैसे सांख्यिकी मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और दूसरी एजेंसियों को साथ लाना होगा। सब मिलकर पूरी योजना के साथ आंकड़े इकट्ठा करें, तभी सरकार सही कदम उठा पाएगी और इस क्षेत्र में औरतों को बराबरी का मौका मिल पाएगा।

STEM है जरूरी | दूसरा जरूरी कदम है, औरतों को हुनरमंद बनाना, खासकर साइंस, टेक्नॉलजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स (STEM) जैसे क्षेत्रों में। एक रिसर्च के मुताबिक, अगले 10 सालों में जितनी भी नौकरियां आएंगी, उनमें से 80% के लिए STEM की जानकारी जरूरी होगी। भारत में सिर्फ 14% STEM वाली जॉब्स औरतों के पास हैं।

स्किल सिखाएं | सरकार ने 'सूर्य मित्र' जैसा प्रोग्राम शुरू किया है। लेकिन 2015 से 2022 के बीच, इस प्रोग्राम में ट्रेनिंग पाने वाली कुल 2,251 यानी 4.37% औरतें थीं। जरूरत है ऐसे और प्रोग्राम लाने की। हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनानी होगी, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा महिला लीडर, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ तैयार हो सकें।

AI Image

कॉमन रूम

नए बिजनेस मॉडल | तीसरा जरूरी कदम है, औरतों को एनर्जी आंट्रप्रेन्योर (ऊर्जा उद्यमी) बनाना। यह एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो दूर-दराज के इलाकों तक पहुंच बनाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। गांव में बिजली पहुंचाने वाली कंपनियों को बिजली की चोरी, पुराने तार की वजह से काफी नुकसान होता है। वहीं सोलर लालटेन, सोलर लाइट और माइक्रो-ग्रिड, ज्यादा तेज और सस्ते हैं। लेकिन इन उपायों को कारगर बनाने के लिए हमें ऐसे बिजनेस मॉडल बनाने होंगे जो मौजूदा सिस्टम का इस्तेमाल कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचें।

बड़ी भूमिका | औरतें इसमें अहम भूमिका निभा सकती हैं। वे घर सहित अपने समुदाय में बदलाव की अगुआ बन सकती हैं। औरतें स्थानीय परिस्थितियों को अच्छे से समझती हैं। वे ऊर्जा उत्पादों और सेवाओं की बिक्री को बढ़ा सकती हैं, मजबूत वितरण नेटवर्क बना सकती हैं और नई तकनीक अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर सकती हैं।

बिजनेस और बिजली | अफसोस कि इस दिशा में अभी तक ज्यादा निवेश नहीं हुआ है। औरतों के लिए खास तौर पर बने फाइनेंस के विकल्प बहुत जरूरी हैं। इससे उनको मजबूती मिलेगी। और जब बिजनेस चलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बिजली पहुंच पाएगी।

आएगा बदलाव | हमें ऐसी परंपराओं को तोड़ना होगा जो औरतों को आगे बढ़ने से रोकती हैं। साफ-सुथरी ऊर्जा की बातचीत में औरतों की आवाज भी शामिल होनी चाहिए। यह बदलाव धीरे-धीरे आएगा, इसमें समय लगेगा। लेकिन तभी हम एक ऐसा भविष्य बना पाएंगे जिसमें सबको बराबरी का हक मिले और जहां साफ-सुथरी ऊर्जा सबके लिए सुलभ हो।

(लेखिका ORF मे फेलो है)

नौकरी की बात क्यों कर रही हैं सारी पार्टियां

नरेंद्र नाथ

आम चुनाव में धर्म और जाति से लेकर तमाम तरह के मुद्दे उठाकर पक्ष-विपक्ष ने एक-दूसरे को घेरने का प्रयास किया है। लेकिन, इस चुनाव में यह भी पहली बार देखा जा रहा है कि रोजगार का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया है। विपक्ष का इस पर जोर देना तो समझ में आता है, लेकिन सत्ता पक्ष भी इसकी अनदेखी नहीं कर पा रहा। सभी दलों को इस पर बात करनी पड़ रही है। युवा खासकर पहली बार वोट देने वाली पीढ़ी का साफ कहना है कि अब वक्त आ गया है, जब रोजगार के सवाल पर मतदान किया जाए। दरअसल, हाल के बरसों में जब से युवा वोटर का हस्तक्षेप राजनीति में बढ़ा है, तब से रोजगार पर बात करना और इसे अपनी मुख्य राजनीतिक थीम में लाना सभी दलों के लिए जरूरी-सा हो गया है।

स्वाभाविक ही विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. ने रोजगार को अपना मुख्य चुनावी अजेंडा बनाया है। गठबंधन का कहना है कि अगर उसकी सरकार बनती है, तो सबसे पहला काम होगा 30 लाख सरकारी नौकरी देने की दिशा में। यही नहीं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के अधिकतर नेता अपनी हर सभा में इस बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं। इसका असर जमीन पर भी दिख रहा है। रोजगार पर बात करने से विपक्ष को दो फायदे हो रहे हैं।

विशुद्ध राजनीति
कसौटी

अलग सियासी पिच

पहला फायदा तो यह कि राष्ट्रवाद या हिंदुत्व से अलग अपनी एक दूसरी सियासी पिच बनाने में सफल हुए हैं। दूसरा फायदा है- सबसे बड़े वोट बैंक यानी युवाओं तक पहुंच। पिछले दो आम चुनावों में नरेंद्र मोदी की अगुआई में युवा वोटर्स पर BJP ने पकड़ बनाए रखी थी।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना था कि मोदी सरकार के दूसरे टर्म में सार्वजनिक मंचों से सबसे ज्यादा रोजगार और आर्थिक मसलों से जुड़े मुद्दे उठ रहे हैं।

AI Image
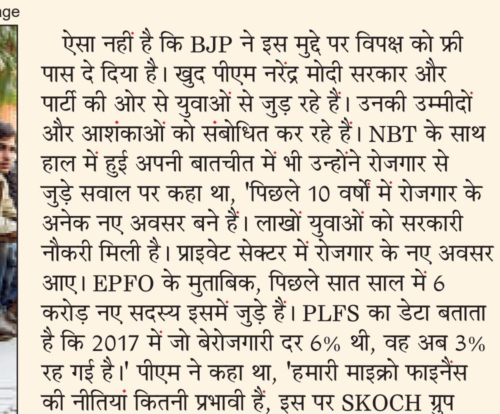

कोविड के बाद यह मसला और मुखर हुआ है। पिछले दिनों पेपरलीक और नौकरियों को लेकर यूपी से बिहार तक स्टूडेंट्स ने आक्रामक आंदोलन किया। इनमें से कई मामलों में सरकार को झुकना पड़ा। विपक्ष के प्रचार में सबसे ज्यादा फोकस है रोजगार पर। प्रचार का करीब एक चौथाई हिस्सा सिर्फ नौकरियों पर है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव ने NBT से बातचीत में कहा था कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने रोजगार के नाम पर वोट मांगा तो मिला और इस बात को उन्होंने याद रखा। यही वजह रही कि जब सरकार में आने का मौका मिला तो जितने भी वक्त तक सरकार में रहे, उन्होंने लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देने के प्रयास किए। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावों के दौरान तेजस्वी के इस वादे को गलत बताया था। स्वाभाविक था कि इस वादे को पूरा करने के मामले में तेजस्वी को अपने मुख्यमंत्री की तरफ से सक्रिय सहयोग नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी उनकी कोशिशें रंग लाईं। इसी वजह से इस बार आम चुनाव में भी उन्हें युवाओं का समर्थन मिल रहा है।

ऐसा नहीं है कि BJP ने इस मुद्दे पर विपक्ष को फ्री पास दे दिया है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी सरकार और पार्टी की ओर से युवाओं से जुड़ रहे हैं। उनकी उम्मीदों और आशंकाओं को संबोधित कर रहे हैं। NBT के साथ हाल में हुई अपनी बातचीत में भी उन्होंने रोजगार से जुड़े सवाल पर कहा था, 'पिछले 10 वर्षों में रोजगार के अनेक नए अवसर बने हैं। लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के नए अवसर आए। EPFO के मुताबिक, पिछले सात साल में 6 करोड़ नए सदस्य इसमें जुड़े हैं। PLFS का डेटा बताता है कि 2017 में जो बेरोजगारी दर 6% थी, वह अब 3% रह गई है।' पीएम ने कहा था, 'हमारी माइक्रो फाइनैंस की नीतियां कितनी प्रभावी हैं, इस पर SKOCH ग्रुप की एक रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट कहती है कि पिछले 10 साल में हर वर्ष 5 करोड़ पर्सन-ईयर रोजगार पैदा हुए हैं। आज देश में सवा लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। इनसे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बन रहे हैं। हमने अपनी सरकार के पहले 100 दिनों का एक्शन प्लान तैयार किया है। उसमें हमने अलग से युवाओं के लिए 25 दिन और जोड़े हैं। हम देशभर से आ रहे युवाओं के सुझाव पर गौर कर रहे हैं और नतीजों के बाद उस पर तेजी से काम शुरू होगा।'

सवाल वोटिंग पैटर्न का

जानकारों का कहना है कि मुद्दा उठने और उस पर किसी दल को वोट मिलने में फर्क है। चुनाव विश्लेषक यशवंत देशमुख की एजेंसी के ओपिनियन पोल में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा थी। वह बताते हैं, 'पिछले कुछ बरसों से आर्थिक मुद्दा प्रमुखता से उभरा है। लेकिन, इसे अपने पक्ष में मोड़ने के लिए कई फैक्टर की जरूरत होती है।' वह कहते हैं कि महंगाई या बेरोजगारी के नाम पर ही सरकार को नहीं घेरा जा सकता, बल्कि इसके लिए यह बताना पड़ता है कि सत्ता पक्ष कैसे जिम्मेदार है। अगर इन मुद्दों पर चुनौती देनी है तो विपक्ष को सिर्फ शिकायत नहीं, विकल्प और विजन के साथ आना होगा।

रीडर्स मेल
www.edit.nbt.in

■ आगे बढ़ती औरतें

23 मई को संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित लेख 'नया दिन, नई चुनौती' पढ़ा। विविध क्षेत्रों में अदम्य साहस दिखाने वाली महिलाओं के साहस संकल्प और कामयाबी के किस्से आश्चर्यजनक हैं। परंपरावादी देश में महिलाएं एक ताकत के रूप में उभर रही हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं ने अच्छा नाम कमाया है। फिर भी भारतीय समाज में महिलाओं के लिए कम चुनौतियां नहीं हैं। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। महिलाओं को धमकाने और अत्याचार करने वाले भूल जाते हैं कि महिलाएं अबला नहीं, बल्कि सबला हैं। आधी दुनिया को आगे बढ़ाने और लाभकारी योजनाओं में उनका हिस्सा बढ़ाने के लिए सरकार को आगे बढ़कर काम करना होगा।

कांतिलाल मांडोत, ईमेल से

■ नेताओं की गलतफहमी

संपादकीय पेज पर प्रकाशित लेख 'लोकतंत्र की ताकत पर क्या सोचते हैं लोग' (22 मई) पढ़ा। नेताओं के भ्रष्टाचार, उनकी गिरफ्तारी, उनके कारनामे और उनकी विक्टिम कार्ड खेलने की मनोवृत्ति को सब अच्छे से समझते हैं। फिर भी नेतागण इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि जनता को पहले की तरह आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। पर अब जनता परिपक्व है। वह अपने वोट की अहमियत समझती है। लोगों का मतदान करना दर्शाता है कि देश का लोकतंत्र दिन-ब-दिन मजबूत होता जा रहा है।

विभूति बुपक्या, ईमेल से

■ देरी पर सवाल

चुनाव आयोग द्वारा मतदान के 11 दिन बाद फिर से मतदान के आंकड़े अपडेट करना शक पैदा करता है। इससे उसकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर उंगली उठ सकती है। ध्यान रहे, यह युग तकनीक का है। 'चट मंगनी, पट ब्याह' की तर्ज पर शुद्ध और विश्वसनीय आंकड़े मतदान के समाप्त होने के कुछ घंटे बाद ही अपडेट हो सकते हैं। फिर इस काम में इतनी देर क्यों हुई, यह सवाल उठता है। चुनाव आयोग को अधिक पारदर्शिता से काम करना होगा।

हेमा हरि उपाध्याय, ईमेल से

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

बच्चों से भीख मंगवाने वालों की कुंडली खंगालेगी UP पुलिस- खबर
लगता है कि भीख मंगवाने वालों की कुंडली में शनि आ गया।

मोहन माथुर

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

दुख उन्हें अधिक सताता है, जिनका मन सरल नहीं है

बी.के. शर्मा

आजकल एक तरह के दिखावटीपन का चलन तेजी से पनप रहा है। आसपास सरल और सहज स्वभाव के लोग कम दिखने लगे हैं। कुछ दिखते हैं तो सिर्फ बाहर से ही, अंदर से वैसे नहीं हैं। अंदर कोई गुण हो या न हो, बाहर से खुद को गुणी दिखाने, या खुद को बेहतर बताने वाले लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। समाज में वे अपना मान बढ़ाने और बड़ाई पाने के लिए अपने आंतरिक गुणों के विपरीत अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। अंदर और बाहर के व्यक्तित्व में तालमेल न होने के कारण हमारे व्यक्तित्व में एकरूपता नहीं रह पाती।

जेब में पैसे हों या न हों, बहुत से लोग हैं जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए मंहगे मोबाइल फोन, मंहगी गाड़ी आदि का इस्तेमाल करते हैं। शुरू में तो हमें यह सब बहुत अच्छा लगता है, पर वक्त के साथ-साथ यह सब हमारे मानसिक तनाव की वजह बनने लगती है। ऐसे में या तो हम गलत तरीकों से पैसा कमाने में लग जाते हैं, या किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इस कुचक्र से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि शरीर, मन और वाणी की सरलता से व्यक्तित्व को सहज बनाया जाए। यह धीरे-धीरे हमें दुनियावी और फिर आत्मिक उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ाता है।

सरल या सीधेपन के भाव को संस्कृत में 'आर्जव' कहते हैं। इसे शास्त्रों में ज्ञान के साधन और जीवन मूल्य से भरे दिव्य गुण की श्रेणी में रखा गया है। अगर हम सरलता और सादगी रोजमर्रा के जीवन में भी बनाए रखते हैं तब हमारे अंदर और भी दिव्य गुण विकसित होते हैं। हमारी सोच में शुद्ध भाव आने लगते हैं और उन्हें हम इस तरह से व्यक्त करना सीख जाते हैं, जिससे किसी को कष्ट नहीं होता। फिर हमारे कर्म में लोगों का हित भी शामिल होने लगता है। गलती से भी हम गलत आचरण करते हैं तो स्वयं ही लज्जित होने लगते हैं।

सज्जन या सदाचारी व्यक्ति का मन, वचन और कर्म एक ही होता है। अंदर और बाहर से उसका एक ही व्यक्तित्व रहता है। वहीं बुरे आचरण वाले के मन, वचन और कर्म तीनों में अलग-अलग बातें होती हैं। वह व्यवहार में झूठ या दंभ का सहारा लेता है। उसके अंदर और बाहर एक साथ दो व्यक्तित्व रहते हैं। उनमें एकरूपता न होने के कारण आपसी संघर्ष रहता है और वह न चाहते हुए भी एक तनावयुक्त जीवन बिताता है। वह बाहर से खुश दिखने की कोशिश करता है, अंदर से अशांत रहता है। फिर एक दिन आता है, जब उसका दिखावटी चेहरा बेनकाब हो जाता है। तब वह समाज और खुद की नजरों से गिरा हुआ महसूस करता है।

इसलिए हमें स्वयं के गुण और दोषों का खुद ही निरीक्षण करते रहना चाहिए और समय-समय पर अपनी कमियां दूर करते रहना चाहिए। अपने जीवन से दिखावटी भावों यानी दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध आदि दोषों को दूर करके, मन, वाणी और शरीर की सरलता को अपनाने वाला आनंद महसूस करता है। किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, प्रिय और हितकारी वाणी, दूसरों के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रखना दिव्य गुण है। इनके जरिए अपनी आत्मा को निर्मल बनाए रखते हुए जीवन शांति और आनंद के साथ व्यतीत करने की कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए।

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

देश की आजादी की रक्षा करना केवल सैनिकों का काम नहीं, बल्कि यह पूरे देश का कर्तव्य है।
-लाल बहादुर शास्त्री

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य में 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द कर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को करारा झटका दिया है। मामले को शीर्ष अदालत में ले जाना उसका अधिकार है, लेकिन मनोनुकूल फैसला न मिलने पर दीदी जो रवैया दिखा रही हैं, क्या वह जायज है?

यह कैसी जिद

आठ वर्ष पुराने शिक्षक भर्ती घोटाले पर हाल ही में कड़ा फैसला सुनाने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अब राज्य में 2010 के बाद जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाणपत्रों को रद्द कर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को एक और बड़ा झटका दिया है। इस फैसले में अप्रैल से सितंबर, 2010 तक ओबीसी के तहत मुस्लिमों को 77 श्रेणियों में दिए गए आरक्षण को निरस्त कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 77 समुदायों में से, 42 को 2010 में तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार द्वारा ओबीसी का दर्जा दिया गया था, जिनमें से, अदालत के अनुसार 41 मुस्लिम थे। वहीं 2011 में सत्ता में आने वाली तृणमूल सरकार ने 35 समुदायों को ओबीसी का दर्जा दिया, जिनमें से 34 मुस्लिम थे। ध्यान देने वाली बात है कि पश्चिम बंगाल 17 फीसदी ओबीसी आरक्षण प्रदान करता है, जिसे दो भागों में विभाजित किया गया है। ओबीसी 'ए' (अति पिछड़े) को 10 फीसदी, जिसमें शामिल 81 समुदायों में से 73 मुस्लिम हैं, और ओबीसी 'बी' (पिछड़े) को सात फीसदी, जिसमें शामिल 98 समुदायों में से 45 मुस्लिम हैं। इन आंकड़ों से अदालत द्वारा जताए गए संदेह कि समुदाय विशेष को राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन बनाया गया, की पुष्टि तो होती ही है, इसके साथ यह पश्चिम बंगाल की राजनीति की विडंबनाओं को भी दर्शाता है। अब ममता बनर्जी बेशक यह कह रही हों कि घर-घर सर्वेक्षण करने के बाद विधेयक का मसौदा तैयार कर फिर इसे पारित किया गया था, लेकिन अदालत का यह कहना गंभीर है किसी वर्ग को ओबीसी में शामिल करने की जो वर्तमान व्यवस्था है, उसमें विधायी नीति का अभाव है, जिसे बदला जाना चाहिए। बावजूद इसके कि जिन व्यक्तियों ने पहले ही इन प्रमाणपत्रों का उपयोग करके रोजगार हासिल कर लिया है, वे इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे, ऐसा माना जा रहा है कि इस फैसले से 2010 के बाद जारी किए गए करीब पांच लाख प्रमाणपत्र प्राप्तकर्ता जरूर प्रभावित होंगे। लोकसभा चुनाव के छठे और सातवें चरण में बंगाल में जिन 17 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, उनमें मुस्लिम आबादी ज्यादा है और जिनमें से 12 पर टीएमसी, तो पांच पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में, यह आदेश तृणमूल कांग्रेस के लिए एक झटका है, जो मुसलमानों को एक प्रमुख वोट बैंक के रूप में गिनती है। शिक्षक भर्ती घोटाले की तरह उच्च न्यायालय के इस फैसले को लेकर भी दीदी जरूरत पड़ने पर शीर्ष अदालत में जाने की बात कर रही हैं, जिसमें किसी को भी हर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन मनोनुकूल फैसला न होने पर वह जिस तरह सार्वजनिक तौर पर फैसले की अवहेलना करती दिख रही हैं, वह कहां तक जायज है?

दिव्यांग सैनिकों के हक में

नौकरशाही की अड़ंगेबाजी के कारण अपना कर्तव्य निभाते हुए विकलांग हुए जवानों को काफी कष्ट भोगने पड़ते हैं। दुर्भाग्य से वे पेंशन और उचित इलाज सहित कई सुविधाओं के लिए संघर्ष करने के लिए मजबूर हैं और अंततः उन्हें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की शरण लेनी पड़ती है।

मारूफ रजा
सामरिक मामलों के विशेषज्ञ

हमारे सैनिक हमारे देश भारत के लिए गर्व हैं, जो न सिर्फ बाहरी सुरक्षा, बल्कि आंतरिक उथल-पुथल के समय में भी देश के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आजादी के बाद से ही हमारे सैनिक लगातार युद्ध जैसी स्थितियों को झेल रहे हैं। दुश्मन के खिलाफ सैन्य अभियानों में या खतरनाक मौसमी स्थितियों-बाढ़, भूस्खलन आदि में आम नागरिकों की मदद करते हुए हमारे जवान कभी-कभी जीवन भर के लिए विकलांगता के भी शिकार हो जाते हैं। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि देशसेवा की पुकार पर अपना जीवन दांव पर लगाने वाले हमारे जवानों के परिजनों को अपना बकाया पाने के लिए कभी-कभी दर-दर भटकना पड़ता है, खासकर ऐसे मामलों में, जिनमें सैनिकों को बलिदान के बदले उनकी वीरता के लिए भूखंड, पेट्रोल पंप आदि जैसी चीजें पुरस्कार स्वरूप दी जाती हैं।

लेकिन इससे भी बदतर स्थिति उन जवानों की होती है, जो अपना कर्तव्य निभाते हुए विकलांग हो गए हैं तथा जिन्हें न केवल नौकरशाही की अड़ंगेबाजी के कारण विकलांगता पेंशन एवं अन्य लाभों से वंचित कर दिया गया है। बल्कि दिल्ली स्थित उनके संबंधित मुख्यालय में बैठे उनके अपने ही तथाकथित सैन्य बंधुओं तथा कानूनी निकायों की वजह से भी उनकी स्थिति बदहाल हो जाती है।

वर्ष 2020 में राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के आधिकारिक जवाब में बताया गया था कि वर्ष 2020 में ऐसे कानूनी मामलों पर 26 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए थे। यह उस प्रवृत्ति का हिस्सा है, जो पिछले कुछ वर्षों से चली आ रही है। रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2013-2014 में ही, भारतीय वायुसेना के पास सबसे अधिक मामले (2,683) थे, जिसकी कानूनी सुनवाई पर सात करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए थे, जबकि नौसेना ने उत्तर भारत में अपने ही कर्मियों के खिलाफ

मुकदमा लड़ने के लिए 69 लाख रुपये खर्च किए थे और थल सेना ने 11.50 लाख रुपये खर्च किए थे। यह पैसा उन लोगों को लाभ से रोकने के लिए वकीलों को दिया गया, जिन्होंने विकलांगता लाभ या पेंशन के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) का द्वार खटखटाया था।

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उच्चतम न्यायालय ने हमारे सैन्य कर्मियों को उनका उचित हक देने से वंचित रखने की खातिर अत्यधिक मुकदमेबाजी का सहारा लेने के लिए सैन्य सेवा मुख्यालय को फटकार लगाई है। इसके अलावा, रक्षा मंत्री द्वारा संसद में दिए गए एक लिखित बयान के अनुसार, कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में लगभग 60 सिविल अपीलें वापस ले ली गईं, जिनमें से 17 विकलांगता पेंशन के लिए थीं। ये तथ्य दर्शाते हैं कि कानूनी विभागों (जैसे सेना के मामले में जज एडवोकेट जनरल शाखा) ने रक्षा मंत्रालय का पैसा बचाने का निर्णय लिया है। वे किसी सैनिक को उन लाभों से वंचित करना चाहते हैं, जो उन्हें सैन्य जीवन के बाद विकलांगता से उबरने में मदद कर सकते हैं, जिसका शिकार वे अक्सर कठिन परिस्थितियों में सैन्य अभियान या सेवा शर्तों से गुजरते हुए हो जाते हैं।

रक्षा मंत्रालय इन न्यायिक निकायों के माध्यम से उच्च अदालतों में मुकदमा लड़ने के लिए, कानूनी फीस के भुगतान के लिए, विकलांग लोगों को सेवा के दौरान विकलांग होने के कारण उनके हक से वंचित करने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च करता है। और इससे भी बुरी बात यह है कि घायल सैनिक इस बारे में बहुत कम जानते हैं कि चिकित्सा अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उनके बारे में क्या लिखते हैं, क्योंकि वे अपनी चोटों से उबरने के लिए किसी क्षेत्रीय अस्पताल में अर्ध-चेतन अवस्था में पड़े होते हैं। ऐसी रिपोर्टें हैं कि बाद के वर्षों में उन्हें विकलांगता का लाभ पाने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपनी अक्षमताओं को साबित करने के लिए एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में दर-दर भटकना पड़ता है! दुख की बात है कि विचित्र कानूनी पेच का शिकार हुए लोगों के अलावा केवल कुछ ही सैनिक इस तरह के अन्याय के बारे में जानते हैं। यह तो और भी दुखद है कि सैन्य मुख्यालय और सेना के उच्च अधिकारियों ने इस व्यवस्था को बदलने में जरा भी रुचि नहीं दिखाई है।

क्या इस तरह का व्यवहार देश के उन वीर सपूतों के लिए उचित है, जो देश के हित में अपना जीवन और अंग दांव पर लगा देते हैं? और इसी तरह की एक विचित्र पहल के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 24 जून, 2019 को एक अधिसूचना जारी की थी कि यदि किसी सेवारत व्यक्ति को सैन्य सेवा के दौरान सेवा से हटाया नहीं गया है, तो उन्हें मिलने वाली विकलांगता पेंशन को आयकर से छूट नहीं दी जाएगी। इसके बारे में वर्ष 2020 में लेफ्टिनेंट जनरल विजय ओबेराय ने लिखा, 'आयकर छूट की यह वापसी संभवतः सेना के सबसे कमजोर वर्ग, विकलांग कर्मियों के खिलाफ एक और नासमझी भरी कवायद है।' जबकि विशेष रूप से कुछ बहुत वरिष्ठ अधिकारियों के ऐसे मामले हैं, जो सर्वोच्च रैंक तक पहुंच गए हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद का लाभ प्राप्त करने के लिए, अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले खुद को आंशिक रूप से विकलांग घोषित करवा लेते हैं। यह वास्तव में सैनिक और राज्य के बीच होने वाले 'अनुबंध' के खिलाफ है, जिसने वर्दी पहनने वाले सैनिकों को आश्वासन दिया था कि यदि ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है या वे घायल हो जाते हैं, तो उनकी देखभाल की जाएगी।

गौरतलब है कि हमारे देश में तीनों सेनाओं एवं अर्ध-सैनिक बलों के करीब पंद्रह से बीस लाख जवान अभी कार्यरत हैं और इनके लगभग तीन गुना सेवानिवृत लोग हैं। हमारे सैनिक हमेशा देश के लिए जान देने को तत्पर रहते हैं, लेकिन वे सेवानिवृत्ति के बाद गरिमामय जीवन और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की अपेक्षा सरकार से करते हैं। हालांकि सरकार ने पूर्व सैनिकों के इलाज के लिए भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) चलाई है, लेकिन उसमें विभिन्न श्रेणियों के आधार पर सैनिकों से भेदभाव होता है। उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी देश का पैसा बचाने के लिए विकलांगता का लाभ लेने से उन्हें करते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि जवानों का अगर मनोबल टूट जाएगा, तो इसका देश की सुरक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

फ्रेडरिक नीत्शे

महानता के विकास के लिए पीड़ा आवश्यक है। वास्तव में महान लोग बड़ी मुश्किलों से गुजरे हैं। यह पीड़ा ही है, जो हमें अपनी क्षमता विकसित करने और खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने में मदद कर सकती है।

मुश्किलें ही मनुष्य को महान बनाती हैं

पीड़ा मानवीय जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जीवन कष्टों से भरा होता है। दुख-पीड़ा से हर कोई कभी न कभी तो अपने जीवन में गुजरता ही है। दुख कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसे खत्म किया या टाला जा सके, बल्कि इसे शक्ति के विकास के स्रोत के रूप में भी देखना चाहिए। कष्टों की स्थितियां ही जीवन को लचीला बनाने और चरित्र विकसित करने का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। जीवन का कोई अंतर्निहित अर्थ या उद्देश्य नहीं होता। और जो भी अर्थ या उद्देश्य हम पाते हैं, उसे हमें ही बनाना होता है। इस अर्थ में, दुख हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि यह हमें अस्तित्व की कठोर वास्तविकताओं का सामना करने और उनके सामने अपने को अर्थपूर्ण बनाने के लिए मजबूत बनाता है। इसलिए हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं, जिनमें दर्दनाक क्षण भी शामिल हो सकते हैं, को अपने व्यक्तिगत विकास के एक आवश्यक हिस्से के रूप में अपनाना चाहिए। हमें अपने भाग्य को स्वीकार करके जीवन से प्यार करना सीखना चाहिए, यहां तक कि सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में भी।

हम जीवन से दुख को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि यह भी सुख की तरह साथ चलता है। इसलिए इसे अपनाकर व्यक्तिगत विकास के साधन के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहिए। हम अपनी पीड़ा का डटकर मुकाबला करके खुद को बदल सकते हैं और अपने को पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत, लचीला और जीवंत बना सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि 'जो मुझे नहीं मारता, वह मुझे और मजबूत बनाता है।' महानता के विकास के लिए पीड़ा आवश्यक है। वास्तव में महान लोग बड़ी मुश्किलों से गुजरे हैं। यह पीड़ा ही है, जो हमें अपनी क्षमता विकसित करने और खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने में मदद कर सकती है। दर्द और परेशानी से बचना आकर्षक हो सकता है, लेकिन यह हमें कमजोर भी करता है। दूसरी ओर, पीड़ा का अनुभव व्यक्तिगत विकास और बदलाव के अवसर सामने रखता है और उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रतिकूल परिस्थितियां ही होती हैं, जो मनुष्य को अधिक लचीला और ताकतवर बना सकती हैं। दुख ऐसी चीज नहीं है, जिसे खत्म कर दिया जाए, क्योंकि यह तो आपके जीवन में किसी न किसी रूप में बना ही रहेगा। इसलिए दुख, पीड़ा, संकट आदि को गले लगाना और इसे विकास के उत्प्रेरक के रूप में देखना चाहिए। तभी हम अधिक इससे दूर रह पाएंगे। और ऐसा सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं है। संस्कृति और समाज के विकास का मार्ग भी कष्टों से ही गुजरता है। कला, साहित्य और संगीत सभी का जन्म पीड़ा से ही हुआ है, क्योंकि मनुष्य के दर्द और कठिनाई को व्यक्त करने और संसाधित करने के यही तो साधन रहे हैं। अपनी पीड़ा के माध्यम से ही हम दूसरों से जुड़ सकते हैं और उन्हें अपने से जोड़ सकते हैं। जब हम अपना दर्द और संघर्ष दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हम सहानुभूति और समझ के लिए जगह बनाते हैं। इसी से सामाजिक एकजुटता और सामूहिक कार्रवाई की नींव तैयार होती है।

दूसरों का दर्द भी समझें

सूत्र

जब हम अपना दर्द और संघर्ष दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हम सहानुभूति और समझ के लिए जगह बनाते हैं। इसी से सामाजिक एकजुटता और सामूहिक कार्रवाई की नींव तैयार होती है। पीड़ा के इन साझा अनुभवों के माध्यम से ही हम साझा उद्देश्य और अर्थ की भावना पैदा कर सकते हैं।

दूसरा पहलू

जर्मनी की लेखिका एर्पेनबेक के उपन्यास *कैरोस* को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, 2024 का विजेता घोषित किया गया है।

बर्लिन की दीवार की तरह ढह गई वह प्रेम कहानी

दर्द और खुशी के मनोरंजक संयोजन से तैयार एर्पेनबेक का उपन्यास *कैरोस* बर्लिन की दीवार गिरने से ठीक पहले और बाद के घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में पनपते प्रेम की एक कहानी है या यों कहें कि प्रेम के खो जाने की कहानी है। कैथरीना को जब अपने पूर्व प्रेमी की मौत की खबर मिलती है, तो वह दुखी नहीं होती। एक बक्सा उसके घर पहुंचता है, जिसमें मृतक के पुराने कागज व पत्रादि रखे थे। जब वह उसे खोलती है, तो अतीत उसके सामने ताश के पत्तों के महल की तरह भरभराकर गिरने लगता है।

जेनी एर्पेनबेक

उपन्यास में 19 साल की छात्रा कैथरीना और 50 वर्ष के विवाहित पुरुष हान्स के प्रेम और उनके रिश्तों के बीच आई दरार के साथ ही कला और संस्कृति की कहानी है।

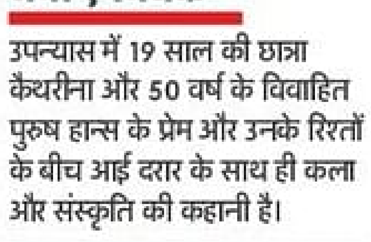

दैनिक जीवन के तनावों के बीच भी अंतरंगता बनी रहना, संबंधों की जटिलता को दिखाता है। इन्हें शब्दों में ऐसे गूंथना कि पढ़ने वाले की आंखों के सामने दृश्य नाचने लगे, यही लेखिका की खूबी है, जिसकी तारीफ जूरी ने भी की।

यह उन दिनों की बात है, जब बहुत कुछ होना बचा हुआ था। 'कैथरीना' इस कहानी की नायिका है, तो 'हान्स' नायक। 11 जुलाई, 1986 को बर्लिन में दोनों संयोग से एक बस में मिलते हैं। कैथरीना 19 साल की एक युवा छात्रा है, जबकि हान्स पचास साल का विवाहित पुरुष है, जिसका किशोर उम्र का एक बेटा है। हान्स पेशे से लेखक है। कला और संगीत के प्रति साझा जुनून उन्हें नजदीक ले आता है। वे दोनों इस प्रेम की गोपनीयता को बरकरार रखते हैं। लेकिन एक रात के बाद चीजें बदल जाती हैं। उस रात कुछ ऐसा हुआ, जिसके लिए हान्स ने उसे माफ नहीं किया और यहीं से उन दोनों के रिश्ते में एक खतरनाक दरार बन जाती है। इधर बर्लिन की दीवार ढहनी शुरू होती है, तो उधर दोनों के रिश्तों में क्रूरता की गुंजाइश पैदा होने लगती है। वफादारियां बदलने लगती हैं। दैनिक जीवन के तनावों के बीच भी अंतरंगता बनी रहना, संबंधों की जटिलता को दिखाता है। लेकिन इन्हें शब्दों में इस तरह गूंथ देना कि पढ़ने वाले की आंखों के सामने दृश्य नाचने लगे, यही लेखिका की खूबी है, जिसकी तारीफ बुकर पुरस्कार की जूरी ने भी की।

कहानी की शुरुआत बेशक प्रेम और जुनून से हुई हो, लेकिन यह कला, ताकत और संस्कृति के बारे में भी है, जो तत्कालीन पूर्वी जर्मनी के इतिहास से जुड़ी है। माइकल हॉफमैन का अनुवाद एर्पेनबेक के लेखन की विलक्षणता, वाक्यों की लय और भावनात्मक शब्दावली के विस्तार को दर्शाता है। उपन्यास की खासियत यह है कि यह एक साथ सुंदर और असुविधाजनक, व्यक्तिगत और राजनीतिक, दोनों है। एर्पेनबेक इसमें पाठकों को राजनीतिक घटनाओं एवं विनाशकारी व क्रूर प्रेम संबंध से जुड़ने के लिए आमंत्रित करती हैं। पूर्वी जर्मनी की तरह उपन्यास की कहानी भी उम्मीद व भरोसे से शुरू होती है, और बिखराव पर आकर खत्म हो जाती है।

आंकड़े

जापानी येन सबसे कमजोर

पिछले एक साल में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले विभिन्न मुद्राओं का ह्रास हुआ है। इनमें जापानी येन सबसे ज्यादा 28.39 फीसदी कमजोर हुआ।

मुद्रा	ह्रास
भारतीय रुपया	-9.64%
चीनी रेंबिनी	-12.49%
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर	-15.78%
यूरो	-16.27%
पाकिस्तानी रुपया	-25.46%
जापानी येन	-28.39%

अन्य देशों की तुलना में भारतीय रुपये की स्थिति ठीक है। | स्रोत : II Research

उपबर्हण गंधर्व को अपने रूप पर घमंड था, जिन्हें ब्रह्मा ने शाप दिया। अगले जन्म में उन्होंने भगवान की आराधना की। बाद में वह ब्रह्मा के मानस पुत्र बने।

गंधर्व से बने नारद

अंतर्यात्रा
संकलित

ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को नारद जयंती भी कहते हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने नारद मुनि का जिक्र *श्रीमद्भगवदगीता* में करते हुए कहा था कि *देवर्षीणाम च नारदः* अर्थात देवर्षियों में मैं नारद हूं।

शास्त्रों के अनुसार, नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, पर ब्रह्मा के पुत्र रूप में पैदा होने का संबंध नारद मुनि के पूर्व जन्म से भी है। मान्यता है कि पूर्व जन्म में वह गंधर्व थे। उनका नाम उपबर्हण था और उन्हें अपने रूप पर घमंड था। एक बार कुछ अप्सराएं और गंधर्व गीत और नृत्य से ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे थे, तब उपबर्हण स्त्रियों के साथ वहां आए और रासलीला में लग गए। इससे कुपित होकर ब्रह्मा ने उपबर्हण को शाप दिया कि अगले जन्म में वह एक दासी के घर जन्म लेंगे। ब्रह्मा के शाप से उपबर्हण का जन्म दासी के यहां हुआ, लेकिन बालक उपबर्हण बचपन से भगवान की आराधना करने लगे। यह देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और अगले जन्म में उन्हें ब्रह्मा पुत्र होने का वरदान दिया। समय आने पर इनका जन्म ब्रह्मदेव के मानस पुत्र के रूप में हुआ।

नारद मुनि उन देवताओं में से हैं, जिनके हाथ में कोई अस्त्र नहीं है। इनके एक हाथ में वीणा है और एक हाथ में वाद्य यंत्र है। नारद मुनि को समस्त देवताओं और असुरों के बीच संदेशवाहक का स्थान प्राप्त है। इसलिए नारद जयंती को कई जगहों पर पत्रकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।

अमर उजाला
पुराने पन्नों से — 02 अप्रैल, 1950

पंडित नेहरू का जीवन खतरे में, टाइम्स का कथन

पं० नेहरू का जीवन खतरे में ! 'टाइम्स' का कथन
अर्थ बिल पास

लंदन टाइम्स के दिल्ली स्थित संवाददाता का कथन है कि भारत के प्रधानमंत्री पं. नेहरू का जीवन खतरे में है, क्योंकि देश में इस समय वैसा ही वातावरण पैदा हो गया है, जिसमें महात्मा गांधी की हत्या की गई थी।

यह तिनका है, जो तूफान ला सकता है

फलस्तीन को तीन यूरोपीय देशों के समर्थन को कमतर आंकने वाले न भूलें कि अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन ऐसे ही शुरू हुआ था।

थॉमस एल. फ्रीडमैन | **कूटनीति**

एक तरफ इस्राइल की सरकार पूरी दुनिया से गाजा में हमास को नष्ट करने के उसके संघर्ष में साथ देने का आह्वान कर रही है, तो दूसरी तरफ वह गैर-हमास फलस्तीनियों के साथ किसी भी तरह के सहयोग से इन्कार भी कर रही है। ठीक ऐसे समय में यूरोप के तीन देश स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने जिस तरह फलस्तीन को स्वतंत्र व संप्रभु देश के तौर पर मान्यता देने का फैसला किया है, उससे यही लगता है कि यूरोप में इस्राइल विरोध का दायरा व्यापक होने लगा है।

उल्लेखनीय है कि आज 140 से ज्यादा देश एक राष्ट्र के रूप में फलस्तीनियों के अधिकार को वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी येरुशलम में मान्यता दे चुके हैं। हालांकि, तीन यूरोपीय देशों के हालिया कदम में गौर करने वाली बात यह है कि अब तक प्रमुख पश्चिमी यूरोपीय देश और अमेरिका ऐसा करने से पीछे ही हटे हैं। दरअसल, इनका मानना है कि पहले दोनों देशों में

शांति की स्थापना होनी चाहिए। यह दीगर बात है कि ऐसा अब तक हो नहीं सका है। मेरा ध्यान हमेशा व्यावहारिक बातों पर रहता है। क्या बिना पूर्व निर्धारित सीमाओं और बिना अस्तित्व वाले फलस्तीनी देश को मान्यता देने भर से स्थायी समाधान हो जाएगा? दो देसज समुदायों-यहूदी और फलस्तीनियों के लिए दोनों देशों के बीच वास्तविक जीवन में शांति आएगी? इसका जवाब हां भी है और नहीं भी। इस्राइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष योहानन प्लेसनर ने मुझे बताया कि साथी लोकतंत्रों द्वारा ये अल्पकालिक राजनयिक मान्यताएं इस्राइली जनता को प्रभावित नहीं कर पाएंगी। पिछले वर्ष सात अक्तूबर को हमास द्वारा की गई हत्याओं, दुष्कर्मों एवं अपहरण की भयावह घटनाओं के मद्देनजर उन्होंने कहा कि यूरोपीय लोग इस्राइल से कह रहे हैं कि उसे फलस्तीन राष्ट्र को स्वीकार कर लेना चाहिए। वे इसका उल्लेख भी नहीं करते कि वहां से सेना हटाई जानी चाहिए या हमास को नकारना फलस्तीनियों का भी कोई दायित्व है। ऐसे में इस प्रस्ताव को इस्राइल मौन बहुमत से खारिज कर देगा।

हालांकि दीर्घकाल में यह बिल्कुल इस्राइल के लिए रणनीतिक झटके से कम नहीं होगा। इससे इस्राइल के विपक्षी नेताओं को नेतन्याहू को घेरने का मौका मिलेगा। वह नेतन्याहू पर फलस्तीन में चल रहे युद्ध को रोकने और इस्राइल द्वारा फलस्तीन को मान्यता देने के लिए दबाव भी बना सकते हैं। हालांकि फिलहाल यह कहना दूर की कौड़ी होगा, क्योंकि अभी तो यही स्थिति है कि इन विषयों पर क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, सब कुछ नेतन्याहू ही तय करते हैं। जाहिर है, स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड की ओर से फलस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने से तनाव बढ़ेगा, क्योंकि इस्राइल ने इस पर नाराजगी जताई है। इस्राइल की नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि उसने नॉर्वे व आयरलैंड से अपने राजदूतों को वापस बुलाने का आदेश दिया है। इस्राइल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम के गंभीर नतीजे होंगे। सबसे पहले नॉर्वे ने मान्यता देने के फैसले की घोषणा की। नॉर्वे के पीएम जोनस गार स्तूर ने कहा, यदि मान्यता नहीं दी गई, तो पश्चिम एशिया में शांति नहीं हो सकती। नॉर्वे आगामी 28 मई तक फलस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दे देगा। यूरोपीय संघ के कई देशों ने पिछले दिनों संकेत दिया है कि फलस्तीन को मान्यता देने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र में शांति के लिए द्वि-राष्ट्र समाधान जरूरी है। इस निर्णय से एक तरफ इस्राइल नाराज है, तो फलस्तीन ने खुशी जताई है। 1990 के दशक में नेल्सन मंडेला की पोलिंग टीम के सदस्य रहे एक सर्वेक्षणकर्ता क्रेग चार्नी ने मुझसे कहा कि इस्राइल ने यदि अपना रास्ता नहीं बदला, तो यूरोपीय देशों का फलस्तीन को राष्ट्र की मान्यता देना-'हवा में उड़े एक बड़े तिनके की तरह है, जो तूफान में बदल जाएगा।' चार्नी ने बताया कि 1960 के दशक में दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद शासन का अलगाव सबसे पहले स्वैच्छिक हथियारों पर प्रतिबंध के साथ शुरू हुआ था, जो 1970 के दशक में सोवतो विद्रोह के बाद औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र हथियार प्रतिबंध में बदल गया। इसके बाद 1980 के दशक के मध्य में यह एक व्यापक आर्थिक, सैन्य और यात्रा प्रतिबंध में बदल गया, जब तक कि दो महान नेता, नेल्सन मंडेला और एफ.डब्ल्यू. डी क्लार्क अंततः रंगभेद को समाप्त करने के लिए सामने नहीं आए। चार्नी ने कहा कि लेकिन 'यह बहुत दर्दनाक यात्रा थी।'

©The New York Times 2024

कल्पमेधा

मेरे दोस्तो, किसी भी चीज को कुरूप मत कहो, सिवा उस भय के, जिसकी मारी कोई आत्मा स्वयं अपनी स्मृति से डरने लगे।
– खलील जिब्रान

हिंसा का सिलसिला

पश्चिम बंगाल में यह रिवायत जैसी बन गई है कि अगर वहां कोई भी चुनाव होना है तो हिंसा उसका एक पक्ष होगी! हैरानी की बात है कि वर्षों से लगातार यह स्थिति बदस्तूर कायम है, मगर इस पर लगाम लगाने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है, सरकारों और संबंधित महकमों की ओर से कभी सख्त कदम नहीं उठाए गए। यह बेवजह नहीं है कि आज भी बहुत छोटी-सी चिंगारी से वहां हिंसा अक्सर भड़क जाती है और उसमें नाहक ही आम लोग मारे जाते हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल में लोकसभा के लिए अलग-अलग चरणों में चुनाव चल रहा है। इस बीच कई बार हिंसा भड़की और वह किसी तरह संभाली जा सकी। अब छठे चरण का चुनाव होने से पहले नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच हिंसक संघर्ष शुरू हो गया। इसमें एक महिला की मौत हो गई और आठ अन्य लोग घायल हुए। बुधवार की रात हुई इस हिंसा और हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे पर आरोप लगाया, मगर इससे एक बार फिर यही जाहिर हुआ है कि तमाम चिंता के बावजूद वहां चुनावी हिंसा को रोक पाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

दरअसल, पश्चिम बंगाल के जिस नंदीग्राम इलाके में ताजा हिंसा हुई है, वहां कुछ दिन पहले से ही माहौल तनावपूर्ण था। मगर न तो राज्य सरकार ने अपनी ओर से इसे सुलझाने में रुचि दिखाई, न चुनाव आयोग को सुरक्षा व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान देना जरूरी लगा। नतीजतन, पहले से ही सुलग रही आग विवाद के बाद भड़क गई और इसमें एक महिला की मौत हो गई। इस हिंसा के नतीजे में फैली अराजकता और हालात बिगड़ने के बाद केंद्रीय बलों की तैनाती की गई। सवाल है कि इस तरह की हिंसा कभी भी भड़कने की आशंका बने रहने के बावजूद सरकार और चुनाव आयोग की ओर से समय रहते सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए। इतने लंबे चरणों में चुनाव कराने के बाद भी हिंसक घटनाओं पर लगाम नहीं लग पाना क्या दर्शाता है? विडंबना यह है कि इस तरह की कोई घटना जब तक तूल नहीं पकड़ लेती है, तब तक संबंधित महकमों की नींद नहीं खुलती। फिर जब तक ये सक्रिय होती हैं, तब तक जानमाल का नुकसान हो चुका होता है।

अफसोसनाक यह है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा मानो वहां की संस्कृति बन चुकी है। शायद ही ऐसा कोई चुनाव होता होगा, जिसमें जनता से जुड़े मुद्दों पर कोई बहस आकार लेती हो और शांत या लोकतांत्रिक माहौल में मतदान संपन्न होता हो। वहां की राजनीति में सक्रिय मुख्य दलों को मुद्दा आधारित बहस खड़ा करने के बजाय अपना जनाधार खड़ा करने के लिए उकसावे और टकराव का रास्ता अपनाना शायद ज्यादा बेहतर लगता है। आखिर इस तरह की अराजकता की राह की उम्र आखिर कितनी होती है और इससे कैसी राजनीतिक संस्कृति खड़ी होती है। ऐसे में न तो कभी लोकतंत्र का रास्ता मजबूत हो सकता है, न ही जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक विमर्श संभव है। हालत यह है कि स्वच्छ चुनाव और स्वतंत्र मतदान एक बड़ी चुनौती की तरह हो गई है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर हो चला है कि किसी इलाके में किस समूह का वर्चस्व है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर हिंसा को ही राजनीतिक रूप से हावी होने का औजार बना लिया जाएगा, तो ज्यादा ताकतवर समूह हमेशा कमजोर लोगों के हक का हनन करेगा। ऐसे में लोकतंत्र की क्या गति होगी, समझा जा सकता है!

संघर्ष के बीच

जिस दौर में इजराइल और हमास के बीच का संघर्ष अपने सबसे तीखे चरण में चल रहा है, उसमें तीन यूरोपीय देशों की ओर से फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से एक बेहद अहम घटनाक्रम है। माना जाता है कि चूंकि अमेरिका इजराइल के साथ आमतौर पर खड़ा दिखता है, इसलिए इसका असर यूरोप पर भी होता रहा है। यही वजह है कि ज्यादातर यूरोपीय देश फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल के आक्रामक रवैये के बावजूद या तो चुप रहने या फिर नरम रुख अख्तियार करने का रास्ता अपनाते हैं। ऐसे में स्पेन, नार्वे और आयरलैंड की ओर से फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा निश्चित रूप से नए समीकरण खड़े कर सकता है। इस फैसले से इजराइल का परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि फिलहाल उसे अंतरराष्ट्रीय समर्थन की जरूरत महसूस हो रही है। यही वजह है कि उसने इन तीनों देशों के रुख को आतंकवाद को पुरस्कृत करना बताते हुए वहां से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है।

इस मसले पर नार्वे ने साफ कहा कि अरब शांति योजना के लिए फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देना जरूरी है। स्पेन और आयरलैंड ने भी इस कदम का उद्देश्य इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष को द्वि-राष्ट्र समाधान के जरिए हल करने में मदद करना बताया है। गौरतलब है कि इजराइल पर हमास के हमले के बाद वैश्विक स्तर पर इजराइल के प्रति सहानुभूति का रुख सामने आया था। मगर उसके बाद इजराइल के बेलगाम हमले और उसमें पैंतीस हजार से ज्यादा फिलिस्तीनी आम लोगों के मारे जाने के बाद अब उसके प्रति समर्थन में तेजी से कमी आ रही है। ऐसे में इजराइल का पक्ष लेने के बजाय अगर स्पेन, नार्वे और आयरलैंड ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देना तय किया है तो यह एक तरह से इजराइल के रवैये पर सवाल उठाना भी है। हालांकि इससे वैश्विक स्तर पर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार किए जाने के मामले में फिलिस्तीन की राह के रोड़े खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन इतना तय है कि स्पेन, नार्वे और आयरलैंड के ताजा रुख से यूरोप के कुछ अन्य देशों पर भी फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करने का दबाव बढ़ेगा।

भारी पड़ती कुदरत की मार

दुनिया के लोग खाड़ी के रेगिस्तानी देशों में इतनी बड़ी बारिश की तबाही का मंजर देख कर हैरान हैं। क्या यह जलवायु परिवर्तन का असर है या कुदरत के काम में मानव की दखलंदाजी है?

अनिरुद्ध गौड़

दुबई में पिछले महीने भयंकर आंधी-तूफान, भारी बारिश और बाढ़ से हालात संभले भी नहीं थे कि इस महीने की शुरुआत में दूसरी बार हुई ओलावृष्टि और भारी बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए। दुबई में बारह घंटे में बीस मिमी और अबुधाबी में चौबीस घंटे में चौंतीस मिमी बारिश हुई, जो अप्रैल-मई में होने वाली बारिश से चार गुना ज्यादा है। विशेषज्ञ और शोधकर्ता इन देशों में चरम वर्षा के पीछे जलवायु परिवर्तन को कारण बता रहे हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह शोध का विषय है।

प्राकृतिक तूफान से दुबई का हाल ऐसा हुआ कि 15 और 16 अप्रैल की वर्षा से दुबई में भयानक बाढ़ जैसे हालात हो गए। आंधी-तूफान से ऊंची इमारतों की बालकनी में रखे सामान उड़ गए। लोगों की कारें जहां-तहां डूब गईं। माल, घर और बड़े-बड़े दफ्तरों की इमारतों में पानी घुस गया। दुनिया का बेहद व्यस्त दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जलमग्न हो गया। तमाम अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द करनी पड़ीं और हवाई जहाजों को पार्क करने के लिए जलमग्न हवाई अड्डे पर ऊंचाई वाली जगहें तलाशनी पड़ीं। वहां कभी इतना पानी नहीं बरसा, इसलिए जल निकासी व्यवस्था भी इसके लिए तैयार नहीं थी।

पृथ्वी पर 71 फीसद पानी और 29 फीसद जमीन है। इस 29 फीसद जमीन पर एक तिहाई भाग ठंडा और गर्म रेगिस्तान है। अरब का उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तान 23.3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसका अधिकतर भाग सऊदी अरब में है, जबकि बड़ा भाग जार्डन, इराक, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और यमन तक फैला हुआ है। रेगिस्तान में पूरे वर्ष में 250 मिमी से भी कम औसत वर्षा होती है। दुनिया के लोग खाड़ी के रेगिस्तानी देशों में इतनी बड़ी बारिश की तबाही का मंजर देख कर हैरान हैं। क्या यह जलवायु परिवर्तन का असर है या कुदरत के काम में मानव की दखलंदाजी है?

भयानक आंधी-तूफान से सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान में तबाही मच गई, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में भारी वर्षा और तूफान से स्थिति गंभीर हो गई। राजधानी अबुधाबी सहित आधुनिक शहर दुबई में चारों तरफ पानी भर गया। सभी गतिविधियां रुक गईं। ओमान में तूफान और भारी बारिश का कहर हुआ, अनेक लोग मरे, तो बाढ़ से नदियां उफन गईं, जिनकी जद में कई शहर आ गए। इसी दौरान पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबरपख्तूनख्वा सहित अफगानिस्तान के इलाकों में भी भारी बारिश की वजह से लोग त्राहिमाम कर उठे।

संयुक्त अरब अमीरात अपने रेगिस्तानी शहरों को हरा-भरा करने और घटते भूजल स्तर को सुधारने के लिए अक्सर वर्ष में कई बार 'क्लाउड सीडिंग' से वर्षा कराता है। इससे तीस से पैंतीस फीसद अधिक बारिश हो जाती है। हालांकि यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि इस घटना से पहले कृत्रिम बारिश के कितने प्रयास हुए, लेकिन दुबई में इस तरह की भारी वर्षा कभी नहीं हुई।

कृत्रिम बारिश की विधि विज्ञान ने ईजाद कर ली है। चीन में जब 2022

में ओलंपिक खेल हुए तो खबर थी कि बेजिंग में उद्घाटन से पहले छाए बादलों में क्लाउड सीडिंग कर पहले ही वर्षा कर उन्हें हल्का कर दिया गया, ताकि उद्घाटन के दिन बादल न बरसें। दुबई में राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (एनसीएम) कृत्रिम बारिश कराने के लिए हवाई यान के जरिए रसायन

> **जो घटनाएं पिछले पचहत्तर वर्ष में न हुई हों और एकाएक हो जाएं, तो यह बहुत चिंताजनक है। संयुक्त राष्ट्र की 'काप 28' जलवायु वार्ता में, जो संयुक्त अरब अमीरात में ही हुई, बढ़ते तापमान और 'ग्लोबल वार्मिंग' की चिंताओं से निपटने के लिए रणनीति बनाई गई। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजंसी ने भी कहा है कि अगर दुनिया 'ग्लोबल वार्मिंग' को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखना चाहती है, तो जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं को समाप्त करना होगा। यानी सभी देशों को अपनी पर्यावरणीय योजनाओं को बताने और उनके निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की जरूरत है। नहीं तो दुबई जैसी घटनाएं आम हो जाएंगी।**

का छिड़काव कर क्लाउड सीडिंग करता रहता है। मगर इस तकनीक में अभी यह कहना मुश्किल है कि किस प्रयास से कितनी अधिक बारिश होगी। पर इतना तो जरूर है कि मौसम में बदलाव लाने की कोशिश प्रकृति से छेड़छाड़ का दुस्साहस है।

अटकलें लगाई जा रही हैं कि दुबई में क्लाउड सीडिंग ने इस भारी वर्षा में योगदान दिया है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आंधी-तूफान और बारिश के पूर्वानुमान की सूचना देने वाली दुबई की व्यवस्था और एजंसियों ने पहले ही भारी आंधी-तूफान और बारिश की चेतावनी दे दी थी। प्रश्न है कि फिर ओमान और बहरीन ने तो क्लाउड सीडिंग नहीं की थी, फिर वहां क्यों भारी बारिश हुई। समझा जा रहा है कि समुद्री इलाके में भारी दवाब के चलते तबाही की बारिश हुई है। प्रश्न है कि आखिर खाड़ी देशों में इस तरह आंधी-तूफान और बारिश क्यों हो रही है, जबकि वहां आमतौर पर इन दिनों बारिश नहीं होती। विशेषज्ञों का मानना है कि मध्यपूर्व में मौसम बदलने के पीछे की वजह दक्षिण पश्चिम की ओर से आया कम दबाव है और इसी वजह से बने बादलों ने मध्यपूर्व के इन देशों में कहर ढाया।

पिछले पचहत्तर वर्षों में दुबई में इतनी भारी बारिश नहीं हुई है। दो दिन में डेढ़-दो साल में होने वाली बारिश के बराबर पानी बरस गया। 'द वाशिंगटन पोस्ट' की एक खबर में दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के मौसम संबंधी आंकड़े बताते हैं कि उस दिन सोमवार को देर रात से सुबह तक लगभग 20 मिलीमीटर बारिश हुई। फिर मंगलवार सुबह शुरू हुई बारिश ने चौबीस घंटे में 142 मिलीमीटर (5.59 इंच) बारिश कर दी। जबकि वहां पूरे वर्ष में कुल 94.7 मिलीमीटर (3.73 इंच) बारिश होती है।

वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी और मौसम के बदलावों को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने 1992 में चिंता जताई थी। फिर 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इसका खाका तैयार किया गया। इस सम्मेलन के उप-महासचिव रहे नितिन देसाई ने एक पत्रिका को दिए गए एक साक्षात्कार में बताया कि उस समय अमेरिका जैसे कई देश इस बात को लेकर संशय में थे कि क्या वाकई इंसानों की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर-सरकारी प्रकोष्ठ की पहली रपट में तो खुले तौर पर इसे जिम्मेदार नहीं माना गया था, लेकिन 2001 में अपनी तीसरी रपट में उसने यह बात स्वीकार की थी कि इंसानों की वजह से भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आज तो इस बात पर आम सहमति भी है।

समुद्र तल बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री से ऊपर जा रहा है। सर्दी के मौसम में गर्मी और गर्मी के मौसम में सर्दी, तापमान ऊपर-नीचे, कई इलाके सूखा झेल रहे हैं, तो वनों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। रेगिस्तानी इलाकों में भारी वर्षा और तबाही की चरम मौसमी घटनाएं जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम हैं। जो घटनाएं पिछले पचहत्तर वर्ष में न हुई हों और एकाएक हो जाएं, तो यह बहुत चिंताजनक है। संयुक्त राष्ट्र की 'काप 28' जलवायु वार्ता में, जो संयुक्त अरब अमीरात में ही हुई, बढ़ते तापमान और 'ग्लोबल वार्मिंग' की चिंताओं से निपटने के लिए रणनीति बनाई गई। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजंसी ने भी कहा है कि अगर दुनिया 'ग्लोबल वार्मिंग' को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखना चाहती है, तो जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं को समाप्त करना होगा। यानी सभी देशों को अपनी पर्यावरणीय योजनाओं को बताने और उनके निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की जरूरत है। नहीं तो दुबई जैसी घटनाएं आम हो जाएंगी।

दुनिया मेरे आगे

दुख में सुख

अलका 'सोनी'

सुख और दुख जिंदगी के खेल हैं। इन्हें खेल की तरह खेलते हुए चलना चाहिए, क्योंकि जब तक जीवन है, ये तो आएंगे ही... हमें मांजने... हमें जीवन के नए अनुभवों से और समृद्ध करने, ताकि हम अपने अंतिम लक्ष्य तक और बेहतर होकर पहुंचें। इसलिए अगर तकलीफों को नजरअंदाज न किया जाए तो यहां जीना मुश्किल हो जाता है। दुख अपने प्रत्यक्ष रूप में जितना बड़ा दिखाई देता है, अंदर से वह उतना ही खोखला और कमजोर होता है। अगर विचारों को मजबूत बनाकर रखा जाए तो दुख हवा के झोंके के साथ गायब होने वाले पानी के बुलबुलों की तरह हो जाते हैं। दुख हमारे लिए बड़ा होगा और हम पर हावी हो जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने सुख के कारणों पर कितना गौर किया है। कई बार दुख आता है, लेकिन अगर हम उसे उसकी प्रकृति का हिस्सा मान कर अपने ऊपर से गुजर जाने देते हैं तो वह नए अनुभव दे जाता है, जो सुख का आधार बन सकता है। वहीं अगर हम उसे अपना हिस्सा बनने देते हैं तो सुख की संभावनाओं को कमजोर कर देते हैं। मगर सवाल है कि अगर किन्हीं वजहों से दुख एक चुनौती बन कर सामने खड़ा हो ही जाए तो उन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर अगर हमारे पास है तो फिर दुख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच यह है कि जब तक इससे भागने की कोशिशें जारी रहेंगी, यह हमें और ज्यादा उकसाता, घेरता रहेगा।

> **कई बार दुख आता है, लेकिन अगर हम उसे उसकी प्रकृति का हिस्सा मान कर अपने ऊपर से गुजर जाने देते हैं तो वह नए अनुभव दे जाता है, जो सुख का आधार बन सकता है। वहीं अगर हम उसे अपना हिस्सा बनने देते हैं तो सुख की संभावनाओं को कमजोर कर देते हैं।**

तकलीफ के दौर में रोने, सिर पीटने या डरने के बजाय अपने आप पर, अपने कर्मों पर विश्वास रखने की जरूरत है। मगर होता यह है कि जब हम पर किसी वजह से दुख का पहाड़ टूटता है, तो हम उसके कारणों और उससे निकलने के उपाय पर विचार करने के बजाय उसके सामने समर्पण कर देते हैं और अपने आप पर भरोसा भी खो देते हैं। हर दुख का एक कारण होता है। हम इस दुनिया में रहते हैं, तो अपने आसपास की तमाम गतिविधियों में कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी का असर हम पर पड़े और उसका परिणाम हमें भी भुगतना पड़े। यह सकारात्मक हो सकता है और नकारात्मक भी। सकारात्मक असर होता है तब हम आमतौर पर सहज रह कर उससे आनंदित होते हुए अपना वक्त गुजार देते हैं, लेकिन नकारात्मक परिस्थितियों में दुख में डूब जाते हैं और कई बार खुद को खोते चले जाते हैं। जबकि दुख की जगह वहीं है, जहां दुख में डूबे रहने की मानसिकता है। अगर किसी के भीतर दुख से लड़ने का हौसला है, तब उसका आधा दुख यों ही कम हो जाएगा। बाकी दुख से लड़ाई शुरू करते ही दुखों से मुक्ति मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हां, अगर हमारे भीतर यह वहम बैठा हुआ है कि हमें केवल सुख ही मिलना चाहिए, तो इस दुनिया में जीवन गुजारते हुए यह न तो संभव है, न ही स्वाभाविक।

यह दुनिया हम मनुष्यों को यह समझने के लिए बनी है कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। अगर हमारे जीवन में बहुत दुख है तो हम अपनी तुलना उन लोगों से कर सकते हैं, जो हमसे ज्यादा दुखी और परेशान हैं। खुश रहने की कोशिश करना दुखों से मुक्ति पाने का एक सबसे शुरुआती और आसान रास्ता है। दुख के जाल में हम अकेले नहीं होते हैं। यह सच है कि दुख और आपदाएं इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई ऐसी अप्रासंगिक घटनाएं हैं, जो क्षति पहुंचाकर मनुष्य को विचलित कर देती हैं। कभी-कभी तो विवेक से रहित इंसान सहनशक्ति के अभाव मे अपने होश खो बैठता है। हालांकि एक आशावान मन उससे बिना डरे सकुशल बाहर निकल जाता है और निराश मन अपने भाग्य को रोता रहता है। अंतर केवल दृष्टिकोण का रहता है। यह ठीक है कि हम अपनी परिस्थितियों और घटनाओं को नहीं बदल सकते, लेकिन दृष्टिकोण बदलना तो हमारे हाथ में ही है।

परीक्षा के समय हम देखते होंगे कि कई विद्यार्थी इसके तनाव का डटकर सामना करते हैं तो कई हार मान लेते हैं और अवसाद में चले जाते हैं। कई तो कम नंबर आने पर अपनी जान तक दे देते हैं या इसकी कोशिश करते हैं, बिना यह सोचे कि यह तो जिंदगी का बहुत छोटा-सा पड़ाव है। आगे पूरा जीवन पड़ा है। इस तरह के बच्चों की हार के पीछे आमतौर पर उनके अभिभावकों के सपनों का बोझ होता है, जिसके नीचे कई बच्चे दब कर दम तोड़ देते हैं।

हर दिन एक जैसा नहीं होता। प्रकृति का नियम ही है कि रात के बाद दिन जरूर आता है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। बुरे वक्त में हमें भी सुख रूपी सवेरे का खुशी-खुशी इंतजार करते रहना चाहिए। इसलिए दुख से भागने की नहीं, सामना करने की जरूरत है। यह सबके जीवन को मांजता और मथता रहता है। जीवन के हर पल और अनुभव का सामना करना ही जीवन की खूबसूरती है और इसी से जीवन में संपूर्णता है।

आज अगर बुरा वक्त चल रहा है तो कल अच्छा समय भी आएगा, जब हमारे बिगड़े हुए सभी काम फिर से बनने लगेंगे। यह सारी उथल-पुथल थम जाएगी तब जिंदगी फिर मुस्कुराने लगेगी। जिस तरह तैराकी सिखाने वाला हमें जल की धारा में यों ही उतार देता है, ताकि हम हाथ-पैर चलाते हुए तैरना सीख जाएं, उसी तरह वक्त से मिला दुख हमें मांज कर और निखार देता है।

पर्दे का भटकाव

भारत संस्कृति-सभ्यता का देश है, पर कुछ पहलुओं से हमारी संस्कृति सभ्यता गुमनाम दिख रही है। वर्तमान दौर में मनोरंजन का मापदंड फूहड़ता, अश्लीलता और थोथी चकाचौंध में सिमट कर रह गया है। फिल्मों में अश्लीलता से युवावर्ग भटक-सा रहा है। मारधाड़, हत्या, फूहड़ता के दृश्य देखकर कभी-कभी उसी तरह की घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा। ऐसी स्थिति धारावाहिकों में भी देखने को मिल जाएगी। षड्यंत्र से परिपूर्ण धारावाहिकों में संस्कृति सभ्यता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मनोरंजन के नाम पर पैसा ऐंठना निर्माता-निर्देशक की परंपरा होती जा रही है। समझ से परे लगता है कि साहित्य को स्थान क्यों नहीं दिया जाता। पैसे कमाने की होड़ में देश की संस्कृति सभ्यता को दांव पर क्यों लगाया जाता है? अश्लील और हिंसक दृश्यों पर सेंसर बोर्ड की कैंची क्यों नहीं चलती? वर्तमान युवा वर्ग में आपराधिक प्रवृत्ति और अनुशासनहीनता प्रवेश कर रही है। इसे थामने के लिए कारगर रणनीति की जरूरत है कि फिल्मों का निर्माण-पथ प्रदर्शक हों। हिंदी के साहित्यकारों के साहित्य का समावेश हो। तभी आनेवाली भावी पीढ़ी को सही दिशा-निर्देश और दिशाबोध होगा।

– योगेश जोशी, बड़वाह

जोखिम की यात्रा

पूरे देश के अलग-अलग स्थानों से चारधाम की यात्रा करने जाने वाले तीर्थयात्रियों के जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इन तीर्थों पर स्थित मंदिरों के महत्त्व और लोगों की धार्मिक आस्थाओं की वजह से तीर्थयात्राएं की जाती हैं। सरकार द्वारा इन धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए जाने के दावे किए जा रहे हैं, पर बढ़ती भीड़ के साथ हादसे होने के अंदेशे भी बढ़ रहे हैं। इन परिस्थितियों में लोगों को ही धार्मिक स्थलों पर स्वयं को नियंत्रित करना जरूरी हो जाता है। जल्दबाजी का चक्कर और कतार को तोड़ना इंसानी फितरत होती है, जिन्हें उन्हें त्यागना होगा। प्रशासन सीमित संख्या में दर्शन की व्यवस्था करता है, उसी संख्या में यदि लोग दर्शन करें तो लोग सुरक्षित रहेंगे। यह बात जरूर है कि ऐसा करने मे थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। स्थानीय प्रशासन के साथ लोग भी अपेक्षित संयम और अनुशासन का परिचय दें, तब ये तीर्थयात्राएं सफल मानी जा सकती हैं।

– नरेश कानूनगो, देवास

विरासत की सुध

अपनी विरासत और इतिहास के प्रति जानकारी बढ़ाने और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। संग्रहालय के द्वारा हम अपनी दुर्लभ विरासत को संरक्षण प्रदान करते हैं और युवाओं को अपने अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। अपने इतिहास को जानना हर नागरिक का कर्तव्य है। इतिहासबोध से लैस व्यक्ति ही अपनी समस्याओं से बेहतर तरीके से संघर्ष कर सकता है। भारत का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे देश के धरोहरों को छिन्न-भिन्न करने का प्रयास किया था। देश के कई शहरों में संग्रहालय स्थापित हैं, लेकिन उन संग्रहालयों के प्रति युवाओं की घटती रुचि चिंताजनक है। सभी स्कूलों को शैक्षणिक भ्रमण के दौरान बच्चों को संग्रहालय की सैर करानी चाहिए, ताकि बच्चे देश की अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।

– हिमांशु शेखर, केसपा, गया

संकट का तापमान

गर्मी का पारा शिखर को छूता नजर आ रहा है। पूरे दिन वातावरण जिस तरह गर्म और तपता हुआ रह रहा है, उससे मानव ही नहीं, पशु-पक्षियों को भी सुकून नहीं है। दिन में चलती लपट से आग का खतरा बढ़ता जा रहा है। घरों, फैक्ट्रियों और बसों में अचानक आग लग जाना आम बात हो गई है। हरियाणा के नूंह में देर रात को चलती बस में आग लगने से श्रद्धालुओं की मौत दुखद है। बसों में आग की वजह लंबे मार्ग पर लगातार चलना भी बनती है। इस समय पटाखा फैक्ट्रियों में सबसे अधिक खतरा रहता है। आग की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर तमाम सावधानियां बरती जानी चाहिए। अग्निशमन यंत्रों के अलावा समय-समय पर रखरखाव पर भी ध्यान देना चाहिए। खासतौर पर किसी भी सवारी वाहन के लंबे सफर पर निकलने से पहले हर तरह की जांच-परख कर ली जानी चाहिए, जिस तरह विमानों में किया जाता है।

– अमृतलाल मारू 'रवि', मप

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

चिंतन

रिकार्ड सूचकांक व लाभांश मजबूत आर्थिक संकेतक

भाचाहे अब जबकि केवल दो चरण के चुनाव शेष हैं, आर्थिक मोर्चे पर आ रही खबरें बहुमत की सरकार की ओर इशारा कर रही हैं। शायद बाजार को अनुमान हो गया है कि केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। छठे चरण के चुनाव से ठीक दो दिन पहले भारतीय शेयर बाजार रिकार्ड उच्च स्तर पर जाना संकेत है कि पूंजी बाजार में निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। बैंक, पेट्रोलियम एवं वाहन कंपनियों के शेयरों में जबर्दस्त लिवाली से भारतीय शेयर बाजार के दोनों मानक सूचकांक अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। बीएसई के 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक सेंसेक्स ने 29 जनवरी के बाद की अपनी सबसे ऊंची छलांग लगाई और 1,196.98 अंक के लाभ के साथ यह 75,418.04 अंक के अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के निफ्टी भी 369.85 अंक यानी 1.64 प्रतिशत बढ़कर 22,967.65 अंक के अपने उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। इस तेजी का निवेशकों को बहुत फायदा हुआ है। निवेशकों की संपत्ति बृहस्पतिवार को 4.28 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण पांच लाख करोड़ डॉलर (4.28 लाख करोड़ रुपये) के पार पहुंचने के साथ ही भारत इस मुकाम तक पहुंचने वाला पांचवां देश बन गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण भी बृहस्पतिवार को पांच लाख करोड़ डॉलर से आगे निकल गया। कोरोनाकाल के बाद भारतीय घरेलू खुदरा निवेशकों की रुचि शेयर बाजार में बढ़ी है। 10 साल में डीमैट अकाउंट 2.3 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ हो गए हैं। म्यूचुअल फंड निवेशकों की संख्या 1 करोड़ से बढ़कर 4.5 करोड़ हो गई है। बाजार-समर्थक सुधारों से शेयर बाजार में निवेश का रुझान बढ़ा है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता व तेज वृद्धि के चलते बढ़ी है। खास बात है कि शेयर बाजारों में यह रिकार्ड उछाल रिजर्व बैंक की तरफ से अब तक के सर्वाधिक लाभांश भुगतान को मंजूरी दिए जाने के अगले ही दिन आया है। रिजर्व बैंक बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकार को रिकॉर्ड 2,10,874 करोड़ रुपये के लाभांश भुगतान को मंजूरी दी है। ये पिछले साल से 1.23 लाख करोड़ रुपये ज्यादा है। पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में आरबीआई ने सरकार को 87,416 करोड़ का लाभांश दिया था। रिजर्व बैंक की आय और व्यय के बीच के अंतर को लाभांश या सरप्लस कहते हैं। रिकॉर्ड लाभांश भुगतान बेहतर राजकोषीय स्थिति और नरम बॉन्ड प्रतिफल की ओर इशारा करता है। इस रिकार्ड लाभांश से सरकार को राजकोषीय घाटा 0.4 फीसदी कम करने में मदद मिलेगी। अगर चुनाव के नतीजे बाजार की उम्मीदों के अनुरूप रहते हैं, तो जून के पहले सप्ताह में निफ्टी नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक जून को नतीजे के दिन स्टॉक मार्केट के रिकार्ड प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। रिजर्व बैंक की घरेलू और विदेशी प्रतिभूतियों की होल्डिंग पर ब्याज, सर्विसेस से फीस और कमीशन, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट, सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनियों से रिटर्न आदि के रूप में आय होती है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने रिकार्ड लाभांश से भारत की वैश्विक रेटिंग को समर्थन मिलने की बात कही है। रिकार्ड सूचकांक व लाभांश अर्थव्यवस्था के मजबूती के संकेतक हैं।

अर्थराजनीति
डा. जयंतीलाल भंडारी

अर्थतंत्र में योगदान दे रहे प्रवासी

18वीं लोकसभा चुनाव में प्रवासी भारतीय पिछले लोकसभा चुनाव में किए गए मतदान की तुलना में अधिक संख्या में उत्साहपूर्वक मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं प्रवासी भारतीय अर्थतंत्र को अधिक मजबूत बनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। 22 मई को रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मार्च में खत्म हुए वर्ष 2023- 24 में प्रवासी भारतीयों ने 14.7 अरब डालर यानी करीब 1.22 लाख करोड रुपए का डिपाजिट भारतीय बैंकों में किया है। यह राशि पिछले वर्ष के मुकाबले 63 .5 प्रतिशत ज्यादा और पिछले 8 वर्षों का रिकॉर्ड डिपाजिट है। प्रवासी भारतीय अपने ज्ञान व कौशल की शक्ति से भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

यकीनन इस समय जहाँ एक ओर 18वीं लोकसभा चुनाव में प्रवासी भारतीय पिछले लोकसभा चुनाव में किए गए मतदान की तुलना में अधिक संख्या में उत्साहपूर्वक मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं प्रवासी भारतीय अर्थतंत्र को अधिक मजबूत बनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। 22 मई को रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मार्च में खत्म हुए वर्ष 2023- 24 में प्रवासी भारतीयों ने 14.7 अरब डालर यानी करीब 1.22 लाख करोड रुपए का डिपाजिट भारतीय बैंकों में किया है ।यह राशि पिछले वर्ष के मुकाबले 63.5 प्रतिशत ज्यादा और पिछले 8 वर्षों का रिकॉर्ड डिपाजिट है। इसी तरह 7 मई को यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन एजेंसी की नई रिपोर्ट 2024 के मुताबिक भारतीय प्रवासियों के द्वारा वर्ष 2022 में भेजा गया रेमिटेंस यानी प्रवासियों के द्वारा अपने घर भेजा गया धन 111 अरब डॉलर है, जो कि दुनिया के अन्य किसी भी देश के प्रवासियों की तुलना में सर्वाधिक है।

भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेटिक फंडराइजर का मानना है कि अधिकांश प्रवासी भारतीयों की चाहत भारत में मजबूत लोकतंत्र और मजबूत नई सरकार का गठन है । प्रवासी भारतीय भारत में ऐसी नई सरकार चाहते हैं जिससे प्रवासियों को भारत के विकास में सहयोग और सहभागिता करने के मद्देनजर नई ऊर्जा प्राप्त हो। साथ ही नई सरकार प्रवासियों के दुख- दर्द में भी अधिक सहभागिता कर सके। इस फंडराइजर का कहना है कि प्रवासियों के द्वारा भारत की लगातार तरक्की पर गर्व अनुभव किया जा रहा है। उनका मानना है कि पिछले 10 वर्षों में भारत की सुरक्षा में सुधार हुआ है। सरकार ने आतंकवादी खतरों या आतंकवादी घटनाओं को नियंत्रित कर दिया है। सरकार की नीतियां भारत को आगे बढ़ा रही हैं। वाणिज्य, छोटे और बड़े व्यवसाय, रेलवे विकास, सड़क सबके बुनियादी ढांचे में जो बड़ा निवेश किया जा रहा है, उसके सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं।

गौरतलब है कि यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन एजेंसी के द्वारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में कहा गया है कि भारतीय प्रवासियों के द्वारा वर्ष 2022 में भेजा गया रेमिटेंस दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है।यह उपलब्धि प्रवासी भारतीयों के परिश्रम, उनकी दक्षता और उनके मातृभूमि के प्रति स्नेह को भी रेखांकित करती है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि पिछले एक दशक में भारत में रेमिटेंस छलांगे लगाकर बढ़ा है। भारत में वर्ष 2010 में भारत में रेमिटेंस के तौर पर 53.48 अरब डॉलर आए थे। वहीं ये वर्ष 2015 में बढ़कर 68.19 अरब डॉलर और वर्ष 2020 में 83.15 अरब डॉलर हो गए हैं। भारत 100 डॉलर का आंकड़ा पार करने वाला पहला देश बन गया है, जहां एक साल में विदेश से इतनी बड़ी रकम भेजी गई है। खास बात यह भी है कि प्रवासी भारतीयों की ओर भारत भेजा गया धन वर्ष 2021-22 में भारत आए कुल 83.57 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से भी ज्यादा है। भारत के बाद मेक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देश हैं।

इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में सबसे ज्यादा प्रवासी

भारत के हैं जिनकी संख्या करीब 1 करोड़ 80 लाख हैं। यह देश की कुल जनसंख्या का करीब 1.3 फीसदी हिस्सा है। सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब में रहते हैं। पहले जहां भारत से अकुशल श्रमिक कम आय वाले खाड़ी देशों में जाते थे, वहीं अब विदेश जाने वाले भारतीयों में हाई स्किल्ड लोगों की संख्या ज्यादा है जो अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया और न्यूंजीलैंड जैसे उच्च आय वाले देशों में जा रहे हैं। ऐसे में वे अधिक कमाई करके अधिक धन भारत भेज रहे हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जब वर्ष 2020 में कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3 फीसदी की ऋणात्मक विकास दर की स्थिति में पहुँच गई थी और दुनिया के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में धीमापन आने के कारण भारतीय प्रवासियों की आमदनी में बड़ी कमी आई थी, फिर भी आर्थिक मुश्किलों के बीच प्रवासियों के द्वारा बड़ी धनराशि से भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिला था। अभी भी विदेशों में बड़ी संख्या में प्रवासियों को आर्थिक तंगी समेत कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं विदेशी कार्यस्थलों पर दुर्व्यवहार और नौकरी के समय जिनोफोबिया जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है।

निश्चित रूप से इस लोकसभा चुनाव के बाद भारत में एक स्थिर व मजबूत सरकार दुनिया के विभिन्न देशों में संकटों के बीच फंसे भारतीय प्रवासियों को संकट से बचाने और जरूरत होने पर भारत वापसी के लिए महत्वपूर्ण अभियान को अधिक प्रभावी रूप से पूरे करते हुए दिखाई दे सकेगी। ज्ञातव्य है कि पिछले दो वर्षों के तहत जहाँ वर्ष 2023 में इजराइल और हमास आतंकियों के बीच चल रहे संघर्ष के बीच इजरायल में फंसे भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए भारत ने 'ऑपरेशन अजय' चलाया है। जब वर्ष 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन में भारतीय समुदाय सीधे खतरे में आ गया था। तब ऑपरेशन गंगा के तहत बड़ी संख्या में भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया था। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि अभी भारत के द्वारा अपने प्रवासियों के दुख दर्दों को कम करने में और अधिक सहयोग किया जाना होगा। खाड़ी देशों में भारतीय कामगार बड़ी संख्या में है पर ऐसे भारतीयों की संख्या बढ़ती जा रही है जो गलत लोगों या संस्थाओं के हाथ लगकर दुर्दशा के शिकार हो गए है। यद्यपि भारत सरकार ने विभिन्न शिकायतों पर संबंधित देशों की सरकारों से दखल देने को कहा है। लेकिन भारत सरकार की और अधिक सक्रियता जरूरी है। दुनिया के कोने-कोने में विस्तारित भारतीय प्रवासियों का मत है कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के आर्थिक और राजनीतिक मंचों पर जिस तरह भारत की सफलताओं का परचम फहराया है, उससे दुनिया में इंडिया फिलांथ्रोपी अलायन्स (आईपीए) जैसे भारत हितैषी संगठन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी-20 को अभूतपूर्व सफलता दिलाने में प्रवासी भारतीयों की भी अहम भूमिका रही है।

इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज दुनिया के हर बड़े मंच पर भारत की आवाज सुनी जाती है। कहीं भी संकट आता है, तो सबसे पहले पहुंचने वाले देशों में भारत का भी नाम होता है। ऐसे में भारतीय प्रवासियों का मत है कि एक मजबूत सरकार भारत के विकास को और बल देगी। हम उम्मीद करें कि इस लोकसभा चुनाव के बाद देश में एक ऐसी मजबूत और प्रभावी सरकार का गठन होना जरूरी है जिसके द्वारा प्रवासियों के साथ स्नेह व सहभागिता के नए अध्याय लिखे जा सकेंगे। साथ ही प्रवासी भारतीय अपने ज्ञान व कौशल की शक्ति से भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और भारत को विकसित देश बनाने के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई दे सकेंगे।

(लेखक ख्यात अर्थशास्त्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

उपलब्धि
अरविंद कुमार मिश्रा

सौर ऊर्जा उत्पादन में अहम भूमिका निभा रहे छोटे राज्य

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के रजौटी गांव के रहने वाले मनमोहन सिंह को किसी समय साफ पानी के लिए दूर चलकर जाना पड़ता था, अब जलजीवन मिशन के अंतर्गत लगे सोलर ड्यूल पंप की बदौलत उनके घर तक बिना रुकावट पानी आ रहा है। सरगुजा जिले में बटवाही गांव के अली हुसैन की जिंदगी में सूरज की रोशनी ने तरक्की का ऐसा उजाला बिखेरा है, जो हर किसान को प्रेरित करता है। हुसैन पहले सिर्फ धान की फसल पर निर्भर थे। इसके बाद सौर सुजला योजना की उन्हें जानकारी मिली, इसके तहत उन्होंने सिर्फ 5 प्रतिशत हितग्राही अंशदान से 3 हॉर्स पावर का सोलर पंप खेत में लगवाया। सूरज की रोशनी से चलने वाले इस पंप की बदौलत उन्होंने खरीफ के बाद खाली खेत में सब्जियां लगानी शुरू की। इससे उनकी आमदनी दोगुनी हो चुकी है, उन्हें गांव में ही अच्छा रोजगार मिल गया है।सौर ऊर्जा से किसानों से लेकर सामान्य जन के जीवन में आए बदलाव की यह सच्ची घटनाएं छोटे राज्यों की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की कहानी बयां करती हैं। राज्य की विष्णु देव साय सरकार ने ऊर्जा के गैर जीवाश्म स्त्रोतों की ओर जिस तेजी से कदम बढ़ाया है। सरकार अगले छह साल में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से 50 प्रतिशत ऊर्जा की मांग पूरी करना चाहती है। छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) ने एनर्जी ट्रांजिशन के लिए जो कार्ययोजना तैयार की है, वह न सिर्फ अत्यंत महात्वाकांक्षी है, बल्कि छोटे राज्यों के लिए भविष्य में मॉडल बन सकती है। इस कार्ययोजना में हर विभाग में जीवाश्म ईंधन की जगह सौर ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने के लक्ष्य तय किए गए हैं। सौर ऊर्जा चलित स्ट्रीट लाइट, मॉडल सौर ग्राम परियोजना, आवासीय सोसाईटी,शासकीय कार्यालयों एवं व्यावसायिक भवनों में सौर संयंत्रों की स्थापना प्रमुख हैं। राज्य में एफसीआई और राज्य वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित गोदामों को भी ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र स्थापित भंडारण केंद्रों में सौर बिजली से ईंधन की आपूर्ति करने की तैयारी है। जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की ओर कदम बढ़ाने की दिशा में इन राज्यों ने ऊर्जा विविधिकरण को वरीयता दी है। छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ राज्य नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2017-2027, छत्तीसगढ़ लघु पन बिजली परियोजना नीति-2006 एवं छत्तीसगढ़ पवन ऊर्जा नीति लागू कर दी गई थी। प्रदेश इस समय 1072.54 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। कुछ महीने पहले ही सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने राज्य मेंदेश की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) को सफलतापूर्वक परिचालित किया है। यह हरित प्रौद्योगिकी सौर ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा का भंडारण करती है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में स्थापित यह परियोजना सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) संयंत्र के साथ 40 मेगावाट बीईएसएस है, जिसकी स्थापित क्षमता 152.325 मेगावाट घंटा और प्रेषण क्षमता 100 मेगावाट एसी (155.02 मेगावाट पीक डीसी) की है। इस बिजली की खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। इस तरह यह हरित इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके राज्य की ऊर्जा आवश्यकता को पूरी करेगा। इस परियोजना के चालू होने से हर साल हर साल कई टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होने का अनुमान है। यह परियोजना सूर्य के चमकने पर सौर्य ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए बैटरी भंडारण का उपयोग करती है। इसके बाद शाम को बिजली की अधिक मांग होने पर इसका उपयोग करती है।

सौर ऊर्जा व हाइब्रिड प्रौद्योगिकी परियोजना में नवाचार के अंतर्गत विश्व बैंक और स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष से वित्त पोषण के साथ-साथ घरेलू ऋण एजेंसियों से प्राप्त आर्थिक सहयोग से इस परियोजना का निर्माण हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य बिजली वितरण कंपनी (सीएसपीडीसीएल) के साथ एसईसीआई का दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौता इस परियोजना की आर्थिक रूप से सक्षम बनाएगा। इस परियोजना की सबसे ख़ास बात यह है कि इसे अप्रयुक्त भूमि पर विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत डोंगरगढ़ और डोंगरगांव तहसील के 9 गांव की 451 एकड़ बंजर भूमि उपयोग में लाई जाएगी। इस परियोजना के तहत बाइफेशियल सोलर पैनल मॉड्यूल स्थापित किए गए हैं, यह जमीन से प्रकाश को परावर्तित करते हैं। इस तरह मोनोफेशियल सोलर पैनल की तुलना में यह अधिक बिजली उत्पादन करते हैं। ग्रामीण इलाकों में परती और बंजर जमीन पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करने के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सबसे प्रभावी हरित तकनीक बनकर सामने आई है।

(लेखक एनर्जी विश्लेषक व पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

हमारी बहुत सी परेशानियों का कारण हमारा मोह

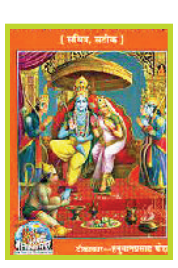

संकलित
दर्शन

श्रीरामचरितमानस और अन्य ग्रंथों का जीवन में महत्व समझें। आप कह सकते हैं कि भागदौड़ भरे जीवन में ग्रंथ पढ़ने का समय कहां से निकाले? मैं कहता हूं कि आज के इस दौर में तो इंटरनेट के जरिए भी बहुत से ग्रंथ पढ़ कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। ये ग्रंथ हमारे गुरु हैं। कलिकाल में समस्याओं के समाधान का एक बड़ा साधन और उपाय हरि नाम है। स्वयं भगवान शिव राम नाम जपते हैं। राम परम तत्व हैं। हमारी बहुत सी परेशानियों का कारण हमारा मोह है। मोह रूपी रावण को राम ने मारा था। हमारे भीतर महामोह का महिषासुर बैठा है। महिषासुर का वध राम ने नहीं, मां काली ने किया था। इसे मारने के लिए हम राम कथा का सहारा लें। राम कथा एक ओर जहां काली के रूप में कराल है, तो वहीं चंद्रमा की किरणों की तरह उसमें कोमलता-शीतलता भी है। प्रसन्न रहना है तो प्रत्येक व्यक्ति पर, प्रत्येक बात और प्रत्येक परिस्थिति पर संदेह करने की आदत छोड़नी होगी। एक समय सती ने शिव की बातों का विश्वास नहीं किया और भगवान की परीक्षा लेने लगीं। इस कारण अंत में उन्हें शिव वियोग का सामना करना पड़ा। शंकर विश्वास हैं। भक्ति में संशय का कोई स्थान नहीं। विश्वास जीवन है, संशय हमें नाश तक ले जाता है। एक बात और, किसी भी विपरीत परिस्थिति या किसी भी कठिनाई को विपत्ति मत समझें। श्रीरामचरितमानस की प्रसिद्ध पंक्ति है- कह हनुमंत बिपति प्रभु सोई। जब तव सुमिरन भजन न होई।।

ज्ञान पाना चाहते हैं तो अहंकार छोड़ दें

संकलित
प्रेरणा

गौतम बुद्ध यात्रा करते रहते थे और बीच-बीच में जहां ठहरते थे, वहां अपने शिष्यों को और अन्य लोगों को उपदेश दिया करते थे। बुद्ध के साथ उनका एक शिष्य हमेशा रहता था। उसका नाम था आनंद। एक दिन बुद्ध प्रवचन दे रहे थे और उस समय आनंद ने पूछा कि तथागत, आप जब प्रवचन देते समय ऊंची जगह पर बैठते हैं और सुनने वाले नीचे बैठते हैं, ऐसा क्यों है? बुद्ध ने आनंद की बातें ध्यान से सुनीं और कहा कि आनंद पहले तुम ये बताओ कि क्या तुमने कभी किसी झरने से पानी पिया है? आनंद बोला कि हां, मैंने झरने से पानी पिया है। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा कि तुमने पानी कैसे पिया? आनंद ने बुद्ध को बताया कि झरना ऊपर से बह रहा था और मैंने झरने के नीचे खड़े होकर पानी पिया था। बुद्ध ने आनंद से कहा कि बस यही तुम्हारी बात का जवाब है। अगर हम झरने से पानी पीना चाहते हैं तो हमें उस झरने के नीचे ही खड़े रहना पड़ेगा। ठीक इसी तरह प्रवचन भी एक झरने की तरह है। जहां ज्ञान का झरना बहाने वाला ऊंची जगह पर बैठते हैं और जो लोग ज्ञान के झरने का पान करना चाहते हैं, वे नीचे बैठते हैं। दरअसल, ज्ञान पाने का सबसे पहला नियम ये है कि हमें अहंकार छोड़ना पड़ेगा। नीचे बैठने से हमारे स्वभाव में जो विनम्रता आती है, अहंकार दूर होता है। इसके बाद ही हम किसी की ज्ञान की बातें ठीक से समझ पाते हैं।

अंतर्मन

आज की पाती

बुढ़ापा सुरक्षित करने की नहीं होती बात

लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। देश की बागडोर सौंपने के लिए कुछ राज्यों ने मतदान कर दिया है और अब कुछ ही राज्यों में मतदान शेष है। आम चुनाव की हो रही है गर्मागर्म राजनीति, लेकिन हमें अपने ठंडे दिमाग से सोचकर करना है अपने कीमती वोट का प्रयोग। आम चुनाव में वैसे तो राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे चलते हैं। जहां तक प्रदेश की बात है, यहां बहुत से मुद्दे हैं, उन पर अभी भी गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। आमजन को इन मुद्दों को ध्यान में रखकर अपने कीमती मत का प्रयोग करना चाहिए। प्रदेश में बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका बुढ़ापा गरीबी में कट रहा है, बुढ़ापा सुरक्षित करने की बात होनी चाहिए। इनकी मांगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

-मनोज चंद्राकर, रायगढ़

ट्रेंड

उपलब्धि पर बधाई

शाबाश सचिन, शाबाश। जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलीट में भारत के सचिन सर्जेराव ने 16.30 मीटर शॉटपुट फेंक स्वर्ण पदक हासिल कर देश को गौरवान्वित किया है। सचिन को इस उपलब्धि पर बधाई।

-ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री

दो मुख्यमंत्री गिरफ्तार

दो मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए। आदिवासी मुख्यमंत्री अब भी जेल में हैं। वे पहले जेल गए, अब तक बाहर नहीं आए। मायावती भ्रष्ट हैं लेकिन नवीन पटनायक भ्रष्ट नहीं है, लालू यादव भ्रष्ट हैं, बड़ी अजीब बात है अपने आप फ्रेमिंग हो जाती है।

-राहुल गांधी, कांग्रेस नेता

बच्ची से मिला

प्रतिदिन प्रचार के बाद एयरपोर्ट के बाहर मीडिया कर्मियों के साथ नियमित संवाद होता है। अचानक आज उसी क्रम में हवाई अड्डे पर किसी के आगमन का इंतज़ार कर रही एक प्यारी सी बच्ची ने मिलने की ज़िद की और बहुत कुछ पूछ डाला।

-तेजस्वी यादव, राजद नेता

ये फर्जी है

एक रेहान मालिक ने मेरा फर्जी वीडियो बनाया है और इसे "रेहान मलिक - ईमानदार टिपर!" के नाम से अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। यह एक सट्टेबाजी साइट है.।कृपया इससे भ्रमित न हों। ये फर्जी है।

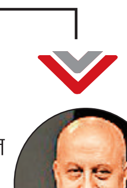

-अनुपम खेर, अभिनेता

करंट अफेयर

बडिगा अमेरिकी अदालत में न्यायाधीश नियुक्त

भारतीय-अमेरिकी वकील जया बडिगा को कैलिफोर्निया में सैक्रामेंटो काउंटी की उच्च अदालत में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम ने बडिगा की नियुक्ति की। इससे पहले वह 2022 से सैक्रामेंटो काउंटी की उच्च अदालत में आयुक्त के रूप में कार्य कर चुकी हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में पैदा हुई बडिगा न्यायाधीश रॉबर्ट एस. लाफम की जगह लेंगी जो सेवानिवृत्त हो गए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य बडिगा ने 2020 में कैलिफोर्निया स्वास्थ्य देखभाल सेवा विभाग में और 2018 में कैलिफोर्निया गवर्नर के आपातकालीन सेवा कार्यालय में एक वकील के रूप में भी काम किया।

सैक्रामेंटो कंट्री पब्लिक लॉ लाइब्रेरी के अनुसार, बडिगा एक प्रमाणित पारिवारिक कानून विशेषज्ञ हैं और उन्होंने दस वर्ष से अधिक समय तक पारिवारिक कानून से संबंधित काम किया है। इस बीच, गवर्नर ने फ्रेस्नो काउंटी के राज सिंह बधेशा को फ्रेस्नो काउंटी की उच्च अदालत में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। बधेशा न्यायाधीश जॉन एन. कपेटन का स्थान लेंगे जो सेवानिवृत्त हो गए हैं। वह 2022 से फ्रेस्नो सिटी अटॉर्नी कार्यालय में मुख्य सहायक नगर वकील के रूप में कार्य कर रहे थे।

ऑफ बीट

आखिर नेट जीरो क्या है? यह अवधारणा कहां से आई

वास्तव में 'नेट ज़ीरो' क्या है, और यह अवधारणा कहाँ से आई? शुरू से ही, वैज्ञानिकों और सरकारों ने माना कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना समीकरण का केवल एक पक्ष था। उत्सर्जन की भरपाई या भरपाई करने के तरीके खोजना भी आवश्यक होगा। क्योटो प्रोटोकॉल की बाद की बातचीत ने वैश्विक कार्बन चक्र में कार्बन सिंक के रूप में वनों की भूमिका का समर्थन किया। इसने अच्छे वन वाले विकासशील देशों को उभरते कार्बन ऑफसेट बाजार में भाग लेने और ''कार्बन तटस्थता'' के कार्बन लेखांकन लक्ष्य तक पहुंचने में अपनी भूमिका निभाने का साधन भी प्रदान किया। उन शर्तों के तहत, क्योटो प्रोटोकॉल के अधीन औद्योगिक देश कम लागत वाले शमन के रूप में अपने स्वयं के उत्सर्जन की भरपाई के लिए विकासशील देशों को भुगतान कर सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल बढ़ते वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में असमर्थ था, और एक उत्तराधिकारी समझौता अनिश्चित दिखाई दिया। परिणामस्वरूप, 2000 के दशक के अंत में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को हटाने के लिए अत्यधिक विवादास्पद जियोइंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करने की संभावना की ओर रुचि बढ़ी।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

चुनाव आयोग से अपेक्षा

चुनाव आयोग से अपेक्षाएं बढ़ी हैं, तो शिकायतों का भी अंबार लगने लगा है। इसी कड़ी में आयोग के ताजा हलफनामे को देखा जा सकता है। चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि आयोग के लिए फॉर्म 17सी के आधार पर मतदान संबंधी आंकड़ों के रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने का कोई कानूनी आदेश नहीं है। आयोग मानता है कि इन आंकड़ों का खुलासा अतिसंवेदनशील हो सकता है। चुनाव आयोग ने यह हलफनामा 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स', यानी एडीआर और 'कॉमन कॉज' द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में दायर किया है। याचिका में मौजूदा लोकसभा चुनावों में मतदान डाटा के तत्काल प्रकाशन की मांग की गई है और चुनाव आयोग शायद इसके लिए तैयार नहीं है। ध्यान रहे, यह देश अपनी तमाम सांविधानिक संस्थाओं से ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता की अपेक्षा करता है। सहजता से अगर देखें, तो कोई संस्था जब अपने आंकड़ों की गोपनीयता के प्रति ज्यादा आग्रह दिखाती है, तब बहुत से संवेदनशील लोग चिंतित हो जाते हैं। पारदर्शिता से ही विश्वसनीयता का विकास होता है और आयोग को यथासंभव जल्दी के साथ मतदान संबंधी आंकड़ों को सार्वजनिक करना चाहिए।

हां, तकनीकी रूप से चुनाव आयोग सही है। आंकड़ों को सबके लिए सार्वजनिक करना उसका कानूनी कर्तव्य नहीं है। बाध्यता नहीं है कि आयोग फॉर्म 17सी के तहत दर्ज प्रामाणिक आंकड़ों को सबसे साझा करे। दरअसल, चुनाव आयोग आंकड़ों की खान है और वह अपने तमाम आंकड़ों को उजागर करता रहा है। उसे इस मोरचे पर किसी भी तरह की हिचक से बचना चाहिए। संविधान रचने वालों ने सांविधानिक संस्थाओं से यही उम्मीद की थी कि जैसे-जैसे देश के लोगों को जरूरत होगी, ये संस्थाएं अपने को समय के अनुरूप बदलेंगी। हर बात के लिए लिखित कानून का इंतजार या कानून के अभाव का हवाला अनुचित है। अगर आयोग ने समय के साथ अपनी किसी नीति में परिवर्तन किया है, तो उसके बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए। मात्र तकनीकी आधार पर सूचनाओं के प्रसार को नहीं रोका जा सकता। यह कहना नैतिक रूप से ठीक नहीं है कि उम्मीदवार या उसके पोलिंग एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को फॉर्म 17सी की सूचनाएं प्रदान करने का कोई कानूनी आदेश नहीं है।

पारदर्शिता से ही विश्वसनीयता का विकास होता है, चुनाव आयोग को यथासंभव शीघ्रतापूर्ण मतदान संबंधी सभी आंकड़ों को सार्वजनिक करना चाहिए।

इस समग्र मामले को पूरी गंभीरता और साफगोई से देखना चाहिए। वैसे तो चुनाव आयोग मतदान के आंकड़े जारी कर रहा है, पर जारी करने में देरी हो रही है और इसी देरी से संदेहों को बल मिल रहा है। अनेक लोग सवाल उठा रहे हैं। एक विश्लेषण के अनुसार, 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले चार चरण के लिए हुए चुनाव में मतदान आंकड़ों में 1.07 करोड़ वोटों का अंतर लगता है। आशंका है कि प्रति सीट औसतन 28,000 वोटों की वृद्धि हो रही है। ये वोट किधर जा रहे हैं, इससे किसे लाभ होगा, इसकी चिंता अगर कुछ चुनाव विशेषज्ञों को हो रही है, तो आश्चर्य नहीं। चुनाव आयोग को अपने ठोस और अकाट्य जवाब के साथ सामने आना चाहिए। तकनीकी बहानों के पीछे ज्यादा समय तक छिपा नहीं जा सकता, क्योंकि अंततः आज के समय में आंकड़ों को छिपाना असंभव है। छिपाए गए आंकड़े देर-सबेर सामने आएंगे, तब इससे आयोग की ही प्रतिष्ठा प्रभावित होगी। अतः आयोग को अपने वर्तमान ही नहीं, भविष्य को भी संदेहों से परे बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले
24 मई, 1949

कांग्रेस जनों का कर्तव्य

कांग्रेस महासमिति का दो दिनों का अधिवेशन बिना अधिक धूमधाम तथा संघर्ष के समाप्त हो गया। देहरादून से हमारे प्रतिनिधि द्वारा प्रेषित समाचार के अनुसार अधिवेशन का प्रथम दिन प्राणपूर्ण नहीं था। उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि कांग्रेस से समाजवादी दल के बाहर निकल जाने के बाद विरोधी पक्ष प्रबल नहीं रहा है और उसमें प्रथम कोटि के मेधावी, दूरदर्शी तथा कर्मठ नेता नहीं हैं। लेकिन मुख्य कारण तो यह विदित होता है कि राष्ट्रमंडल सम्बन्धी प्रश्न पर पहले विधान परिषद में बहस हो जाने के बाद उसके बारे में सदस्यों की अधिक दिलचस्पी नहीं रही। हां, यदि इस समस्या को पहले कांग्रेस महासमिति के समक्ष विचारार्थ उपस्थित किया जाता तो बहस में अधिक जान आ सकती थी। विधान परिषद में लन्दन-सम्मेलन के निर्णय पर पक्ष तथा विपक्ष में इतना अधिक कहा जा चुका है कि इस समस्या के बारे में और कोई नवीन तर्क उपस्थित करना बहुत कठिन था।

राष्ट्रमंडल सम्बन्धी प्रश्न पर नेहरूजी अपने वक्तव्यों तथा पत्र-प्रतिनिधि सम्मेलनों में पर्याप्त प्रकाश डाल चुके हैं तथा विभिन्न शंकाओं का निवारण कर चुके हैं। महासमिति के इस अधिवेशन में भी विरोधियों को उन्होंने अपनी पुरजोर दलीलों से निरुत्तर कर दिया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत वास्तविक अर्थों में उसी प्रकार एक स्वतंत्र देश रहना चाहता है, जैसे कि संसार के चार-पांच बड़े देश हैं और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार की है। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रमंडल में रहकर भारत ऐसे बन्धनों से नहीं जकड़ जाता, जो कि उसकी सर्वोच्च सत्ता को हानि पहुंचावे। उदाहरणार्थ, जातीय भेदभाव तथा काश्मीर की समस्या के बारे में वह दक्षिण अफ्रीका तथा पाकिस्तान का जिस प्रकार विरोध कर रहा है, वैसे ही और किसी मामले पर एक पूर्ण स्वतंत्र तथा सत्तासम्पन्न राष्ट्र की हैसियत से कर सकता है। प्रस्ताव के विरोधियों की सबसे बड़ी दलील यह थी कि राष्ट्रमंडल का सदस्य रहने से भारत तीसरे महायुद्ध में ब्रिटेन तथा अमरीका का साथ देने के लिए विवश हो जायेगा, किन्तु राजेन्द्र बाबू ने इस शंका का भी निवारण कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले महायुद्ध में आयरलैंड तटस्थ ही नहीं रहा बल्कि जर्मनी के साथ उसने अपने कूटनीतिक सम्बन्ध भी कायम रखे।

सड़क पर सबके काम आए अच्छा कानून

कमलेश जैन | अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट

यहां स्कैन करें

पुणे की दुर्घटना में पुलिस-प्रशासन के आचरण के साथ-साथ किशोर न्याय बोर्ड के रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो स्वाभाविक हैं। इस मुद्दे को संजीदगी से लेने की जरूरत है।

पुणे में एक नाबालिग के शराब पीकर दो नौजवानों को रौंदने की घटना कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाती है। इस पूरी घटना में पुलिस-प्रशासन के साथ-साथ किशोर न्याय बोर्ड के रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो बिल्कुल स्वाभाविक हैं। दरअसल, शनिवार-रविवार की रात 17 वर्ष का एक किशोर शराब के नशे में अपने पिता की पोर्श कार करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा रहा था और उसने एक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार दो युवा इंजीनियरों की मौत हो गई। लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया और पुलिस उसे लेकर किशोर न्याय बोर्ड पहुंची, लेकिन वहां उसे न सिर्फ बड़ी आसानी से जमानत मिल गई, बल्कि 300 शब्दों में 'सड़क दुर्घटना' पर एक निबंध लिखने को भी उसे कहा गया। इसकी विशेषकर सोशल मीडिया में तेज प्रतिक्रिया हुई और किशोर न्याय बोर्ड की लानत-मलामत शुरू हो गई। नतीजतन, बोर्ड ने न सिर्फ अपना फैसला बदला, बल्कि 5 जून तक किशोर को बाल सुधार गृह में भेज दिया। हालांकि, यह अब तक स्पष्ट नहीं किया गया है कि उस किशोर को बालिग की तरह सजा दी जाएगी या नाबालिग की तरह रियायत?

यह जानकारी देश के संभवतः बहुत कम लोगों को है कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में साल 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे, जिसे 1 सितंबर, 2022 को लागू कर दिया गया है। यहां इसकी धारा 18 का जिक्र आवश्यक है, जिसमें पहले यह प्रावधान था कि जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उनके द्वारा यदि कोई 'छोटा' या 'गंभीर' अपराध किया जाता है, तो उसका निस्तारण किशोर न्याय बोर्ड करेगा। मगर 2021 के संशोधन में न सिर्फ इसमें 'जघन्य अपराध' को शामिल किया गया, बल्कि उम्र सीमा घटाकर 16 साल की गई। यानी, अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को बालिग माना जा सकता है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत उस पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। जाहिर है, कानूनी संशोधनों के मुताबिक इस किशोर को भी उम्र और अपराध की प्रकृति के मुताबिक बालिग समझा जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं किया गया। वैसे कानून यह भी है कि वह 16 वर्ष से कम भी होता, तब भी इतना गंभीर अपराध करके वह बाल सुधार गृह नहीं, जेल जाता या सजा पाता।

अफसोस की बात यही है कि यह कानून 1 सितंबर, 2022 से भारत में लागू है, फिर भी इसकी जानकारी कम लोगों को है। साधारण व्यक्ति की बात छोड़िए, इस मामले में तो यही जान पड़ता है कि संबंधित अधिकारीगण और किशोर न्याय बोर्ड भी आंखें मूंदे हुए है। यहां आरोपी को अपने परिवार के रसूख का फायदा मिलता भी दिखता है। इतना गंभीर अपराध करने के बाद भी यदि आरोपी को तुरंत जमानत मिल गई, तो यह बात कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था पर सवाल उठाती है। यह भी संकेत है कि आरोपी के परिजनों के दबाव में उसे राहत दी गई थी। उल्लेखनीय यह है कि किशोर न्याय अधिनियम में 'छोटे', 'गंभीर' और 'जघन्य' अपराधों की श्रेणियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिल्पा मित्तल बनाम दिल्ली के मामले में साल 2020 में दी गई टिप्पणी के बाद बांटी गई थीं, जिसमें कहा गया था कि किशोर न्याय अधिनियम में अपराध की चौथी श्रेणी 'जघन्य अपराध' के लिए प्रावधान नहीं किए गए हैं, जिसमें अपराध के लिए अधिकतम सजा सात वर्ष है, किंतु न्यूनतम सजा नहीं है।

स्पष्ट है, किशोर न्याय बोर्ड को इस कानून की जानकारी होनी चाहिए थी और इस मामले को नियमित अदालत में कार्रवाई के लिए भेजना चाहिए था। उसका कर्तव्य आरोपी को सही मार्ग दिखाना है, इसलिए उसकी यह अनभिज्ञता दुखद है। पीड़ित परिवार चाहे, तो उच्च न्यायालय जाकर इंसाफ की गुहार लगा सकता है। इस मामले में पुलिस चाहती, तो काफी कुछ कर सकती थी। ऐसे मामलों को रोकने के लिए उसके पास कई शक्तियां हैं। मसलन, पुलिस किसी को भी, बिना कारण भी, गिरफ्तार कर सकती है, जिसने किसी पुलिस अफसर के सामने एक गैर-जमानतीय अपराध किया हो। इतना ही नहीं, यदि किसी के खिलाफ वाजिब शिकायत की गई है या उसके खिलाफ कोई विश्वसनीय रिपोर्ट आई है या ऐसी कोई गैर-जमानतीय अपराध का संदेह उस पर हो, जिसमें सजा सात वर्ष या इससे ज्यादा हो, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है।

देश के परिवहन कानून को भी काफी सख्त बनाया गया है। अब तो तेज गति या लापरवाही से गाड़ी चलाने के परिणामस्वरूप किसी अन्य व्यक्ति को चोट लगने या मृत्यु होने के मामले में धारा 279 और धारा 304-ए (लापरवाही से मौत का कारण बनना), धारा 337 (किसी के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्य से चोट पहुंचाना) या धारा 338 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत दोषी को दंडित किया जा सकता है। इनमें 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। जाहिर है, कानून के पालन में चूक हुई है। पुलिस अधिकारियों को नए कानूनों की जानकारी के लिए प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। उनमें यह समझ भी विकसित करनी होगी कि किस अपराध में किस धारा के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए? यदि पुलिस-प्रशासन रसूखदारों की परवाह किए बिना, आम आदमी के हित में कानून का पालन करेंगे, तो देश बहुत हद तक अपराध से मुक्त हो सकता है।

इसी तरह, ड्राइविंग लाइसेंस को जारी करने की प्रक्रिया में भी सुधार जरूरी है। खास गाड़ियों के लिए सोच-विचारकर ड्राइविंग लाइसेंस जारी होना चाहिए। अच्छी बात है कि नाबालिगों के गाड़ी चलाने के मामले में उनके माता-पिता को गिरफ्तार कर सजा का प्रावधान किया गया है, जिसका कड़ाई से पालन जरूर किया जाना चाहिए। अपने देश में शराब पीकर गाड़ी चलाना, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाना या मोबाइल चलाते हुए गाड़ी चलाना आदि भी कानूनन अपराध हैं।

असल में, अपने देश में कानून तो कई हैं, लेकिन उनका पालन सुनिश्चित नहीं हो पाता है। इसी अनदेखी की वजह से कानून की अवहेलना होती है और इसे लागू करने वाली एजेंसियां अथवा अधिकारीगण सुस्त जान पड़ते हैं। विडंबना यह है कि न्यायालय आदेश देने में तो तत्परता दिखाते हैं, लेकिन उस आदेश को लागू करवाने के मामले में उनके हाथ बंधे दिखते हैं। हमें यह तस्वीर भी बदलनी चाहिए।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

आरक्षण पर अदालत से दो-दो हाथ को तैयार बंगाल सरकार

प्रभाकर मणि तिवारी | वरिष्ठ पत्रकार

यहां स्कैन करें

पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट के दो फैसलों से लगे झटके के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी न्यायपालिका से दो-दो हाथ करने के मूड में नजर आ रही हैं। वर्ष 2010 के बाद जारी अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) प्रमाणपत्रों को रद्द करने के हाईकोर्ट के ताजा फैसले के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अदालत पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने इसे भाजपा व प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए किया गया फैसला बताया है। अदालत के ताजा फैसले से करीब पांच लाख लोगों के प्रभावित होने का अंदेशा है।

राज्य में छठे और सातवें दौर के मतदान से पहले आए इस अदालती फैसले से राज्य सरकार को करारा झटका लगा है। इससे पहले बीते महीने ही हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में करीब 26 हजार शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अंतरिम रोक लगा दी है, पर उन हजारों लोगों का भविष्य अनिश्चित ही है। अब ओबीसी आरक्षण पर ताजा फैसला ही राज्य में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है।

ओबीसी आरक्षण पर अदालती फैसला पश्चिम बंगाल में बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। ममता पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप लग रहे हैं।

इसके बाद भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस की कथित मुस्लिम तुष्टिकरण नीति के लिए उसको कठघरे में खड़ा किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसे विपक्षी गठबंधन के चेहरे पर करारा थप्पड़ बताया है। सीपीएम और कांग्रेस ने भी अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि ममता सरकार ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ओबीसी के नाम पर अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का जो फैसला किया था, उसे अदालत ने गैर-कानूनी बताते हुए रद्द कर दिया है। इस तरह, सरकार लाखों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की दोषी है।

दरअसल, इस मामले की शुरुआत वर्ष 2010 में तत्कालीन वाम-मोर्चा सरकार के आखिरी दिनों में हुई थी। सरकार ने जनजातियों के चयन का काम पिछड़ा वर्ग आयोग को सौंपा था, पर उसकी अंतिम रिपोर्ट आने से पहले ही उसने 43 जातियों को ओबीसी की सूची में शामिल करने का फैसला किया था। तब इसके लिए ओबीसी में दो वर्ग-ओबीसी-ए और ओबीसी-बी बनाए गए थे। इनमें दस फीसदी आरक्षण ग्रुप-ए में शामिल अति पिछड़ी जातियों को मिलना था। उनमें ज्यादातर मुस्लिम थे। बाकी सात फीसदी आरक्षण के दायरे में वे जातियां शामिल थीं, जो वर्ग-ए में शामिल जातियों के मुकाबले कम पिछड़ी थीं, पर इससे संबंधित विधेयक को राज्यपाल की सहमति नहीं मिलने के कारण सरकार इसे कानूनी दर्जा न दे सकी थी। बाद में वह सरकार सत्ता से बाहर हो गई। वर्ष 2011 में ममता सरकार के सत्ता में आने के बाद अगले वर्ष 35 जातियों को ओबीसीमें शामिल किया गया, जिनमें से ज्यादातर मुस्लिम थीं।

अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि 8 फरवरी, 2010 को तत्कालीन वाम-मोर्चा सरकार ने मुस्लिमों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का एलान किया था। उसके छह महीने के भीतर तत्कालीन पिछड़ा वर्ग आयोग ने 42 जातियों को ओबीसी की सूची में शामिल करने की सिफारिश की, जिनमें से 41 मुस्लिम जातियां थीं, सरकार ने उस सिफारिश को मंजूरी दे दी थी। उसके बाद 11 मई, 2012 को ममता सरकार ने और 35 जातियों को उस सूची में शामिल कर दिया। अदालत का कहना है, इस मामले में कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं हुआ।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वह इस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि न्यायपालिका के प्रति उनकी श्रद्धा है, पर हर जगह अच्छे-बुरे लोग होते हैं। हाईकोर्ट का कोई जज इस्तीफा देकर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, तो कोई रिटायरमेंट के दिन कहता है कि वह तो शुरू से ही आरएसएस का सदस्य रहा है, इससे समझा जा सकता है कि उनके फैसलों पर किसका असर रहा होगा। ममता ने आरोप लगाया है कि भाजपा इस फैसले के जरिये पिछड़े मुसलमानों का आरक्षण खत्म करना चाहती है।

अभी राज्य में आखिरी दो चरणों में जिन सीटों पर मतदान होना है, वहां अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ी जातियों के मतदाताओं की खासी तादाद है। यही वजह है कि ममता इस मुद्दे पर काफी आक्रामक नजर आ रही हैं। अवमानना की परवाह किए बिना वह न्यायपालिका से भी टकराव की राह पर बढ़ती नजर आ रही हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

सबमें आत्म-दर्शन

एक बार कुछ साधकों ने प्रश्न किया, 'मनुष्य कब सुख और कब दुख पाता है? सुख पाने का रास्ता क्या है?'

मनुष्य जब संकुचित विचार वाली भावना से प्रेरित होकर कोई काम करता है, तो वह काम श्रेष्ठ नहीं हो पाता है और वह दुख पाता है। मगर जब बड़ा उद्देश्य लेकर कोई बड़ा काम किया जाता है, तो वह संतुष्टि देता है और उससे आनंद मिलता है। उसी से शांति मिलती है। संकुचित विचार से जब कोई काम किया जाता है, तो उसे क्षुद्रबुद्धि का काम कहते हैं और बड़े विचार, बड़े उद्देश्य को लेकर कोई काम किया जाता है, तो वह ब्रह्म भावना से प्रेरित कहलाता है। ब्रह्म भावना से जो काम होता है, उसमें सभी समा जाते हैं। उसका उद्देश्य होता है सभी को समेटकर एक बनाने का।

मनुष्य जब अपने को छोटा बनाता है, तो उसके विचार आसपास ही घूमते हैं। वह देखता है, पिता भी अपने नहीं हैं, माता भी अपनी नहीं हैं, सहोदर भाई-बहन भी अपने नहीं। अंत में उसे लगेगा कि इस संसार में कोई अपना नहीं है। भीतर हाहाकार मचेगा। शांति नहीं रहेगी। मरने के पहले ही वह मर जाएगा। साधना 'मैं' को छोटा बनाने के लिए नहीं है, यह तो 'मैं' को विस्तार देकर उसे अनंत कर देती है। साधना करने वाला जिधर देखेगा, उधर ही उसे 'मैं' नजर आएगा। सबमें आत्म-दर्शन। सोच छोटी हुई नहीं कि सब कुछ पराया नजर आने लगेगा। यहीं से विखंडन शुरू हो जाएगा।

एक बार किसी दफ्तर में कार्यरत चपरासी मेरे परिचित के पास आया। उन्होंने उसकी तरफ देखा नहीं और वह चपरासी करीब आधा घंटे तक उनके पास खड़ा रहा। उसके बाद उसने धीरे से कहा, 'बाबू, यह चिट्ठी आपकी है।' वह साहब चिल्लाकर बोले- 'जाओ, चले जाओ, डिस्टर्ब मत करो।' चपरासी कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों बाद मेरे परिचित व्यक्ति को एक खास चिट्ठी किसी तक पहुंचानी थी। वह उस दफ्तर में इस से उस मेज तक घूमते रहे, लक्षित व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। बेचारे परेशान हो गए। वह चपरासी उसी दफ्तर में था। उन्हें देखकर उसने कहा, 'बाबू, आइए, यह चिट्ठी फलां बाबू लेंगे।' बाबू का अपना किया व्यवहार याद आ गया। वह शर्मसार हो गए।

मनुष्य को ऐसा कर्म करना चाहिए कि इस संसार से हंसते-मुस्कराते जाया जाए और दुनिया वाले उसके लिए रोएं। यह तभी संभव है, जब अपनी सोच को ब्रह्म बनाया जाएगा।

इसलिए दूसरों से व्यवहार करते समय उसके मन की भावना समझनी चाहिए। उसका मन क्या चाहता है? यह समझ लो और उसके अनुसार व्यवहार करो, तो देखोगे कि दुनिया में तुम्हारा व्यवहार बहुत सुंदर रहेगा। ऐसे मनुष्य जब आते हैं, तब रोते हैं, मगर जब जाते हैं, तो उस वक्त मुस्कराते हैं। मनुष्य को ऐसा कर्म करना चाहिए कि जाते वक्त हंसते-मुस्कराते जाया जाए और दुनिया उसके लिए रोए। यह तभी संभव है, जब अपनी सोच को ब्रह्म बनाया जाएगा।

श्री श्री आनंदमूर्ति

एस वाई कुरैशी | पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

चुनाव आयोग को तो खुली किताब होना चाहिए और यह रहा भी है। मुझे नहीं मालूम कि किस 'विजडम' के तहत मतदान के बाद के संवाददाता सम्मेलन को रोक दिया गया! इससे विवाद और गहरा रहा है।

अनुलोम-विलोम
चुनावी दावे

विपक्ष के वादों का अपना आकर्षण

इस बार के आम चुनाव में विपक्षी दलों के 'इंडिया' ब्लॉक से यदि सत्ताधारी एनडीए गठबंधन हताश दिख रहा है, तो ऐसा इसलिए कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजद, आप, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार), शिव सेना (उद्धव ठाकरे) सहित तटीय प्रदेशों के क्षेत्रीय दलों की एकजुटता का जमीन पर वाकई असर दिख रहा है। दस साल पहले काला धन वापस लाने के बाद सभी नागरिकों के खाते में 15 लाख देने का जो वायदा किया गया था, वह तो जुमला साबित हुआ ही है, रोजगार के मुद्दे पर भी सत्ताधारी गठबंधन पूरी तरह विफल रहा है। पेपर लीक, सरकारी नियुक्तियों में लगातार कटौती, अग्निवीर जैसी योजनाएं आदि नौजवानों के प्रति उसके गैर-जिम्मेदाराना रवैये की तस्दीक करती हैं। दिक्कत यह भी रही कि सांविधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को लोकतांत्रिक पर्व से दूर रखने का कुत्सित प्रयास किया गया, जिससे लोगों के मन में यही संदेह बना कि सत्तारूढ़ गठबंधन लोकतंत्र का उपहास उड़ा रहा है। रही-सही कसर चुनावी बॉन्ड ने पूरी कर दी, जिससे जनता के मन में विपक्ष के प्रति भरोसा बढ़ गया।

इंडिया ब्लॉक के घटक दलों द्वारा बार-बार सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की बात कहना भी जनता को आकर्षित कर रहा है। यूपी-बिहार में जातीय गणना, दक्षिण में महिलाओं के लिए मासिक आय योजना से जनता का रुझान इंडिया ब्लॉक के पक्ष में दिखा है। फिर, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने यह भी कहा कि यदि एनडीए गठबंधन को 400 से अधिक सीटें आती हैं, तो संविधान बदला जा सकता है। इससे समाज के वंचित तबके में यही संदेश गया कि बाबा साहब भीमराव आंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान और उनको मिले आरक्षण रूपी अधिकार को खत्म करने की कवायद की जा रही है।

उत्तर भारत में इंडिया ब्लॉक का सटीक टिकट वितरण, रैलियों में उमड़ता जन-समर्थन, सामाजिक समीकरण के अनुसार बड़े वोट-बैंक से विपक्ष 300 से अधिक सीटों की उम्मीदें बांध रहा है। उत्तर प्रदेश में ही जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की चुनावी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, उससे ही काफी कुछ अंदाजा हो जाता है। फूलपुर की रैली में तो जनता ने भीड़ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोगों की भारी संख्या के कारण ये दोनों नेतागण जनता का सिर्फ अभिवादन कर पाए। ऐसा लगता है कि इस आम चुनाव में 1977 की तरह जनता लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, अविभाजित उत्तर प्रदेश में उस समय 84 सीटों पर विपक्ष जीता था। इस बार की जन-भावना भी कुछ इसी तरह की दिख रही है।

मणेन्द्र मिश्रा 'मशाल', टिप्पणीकार

सत्ता पक्ष का दावा काफी मजबूत

लोकसभा की 543 सीटों में से समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ पांच हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का दावा है कि उनका गठबंधन उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 79 पर जीत हासिल करेगा। इसी तरह, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की लोकसभा में सिर्फ एक सीट है। 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी 20 से अधिक सीटों पर दम ठोक रही है और पार्टी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा में अभी 22 सीटें हैं, लेकिन दावा है कि टीएमसी बंगाल की 42 सीटें तो जीतेगी ही, राष्ट्रीय स्तर पर भी ममता का कद चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी के समान हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल 2019 के चुनाव में शून्य पर पहुंच गया था। अब दावा कर रहा है कि बिहार की चालीस की चालीस सीटों पर गठबंधन के साथ कब्जा करेगा। कांग्रेस की अभी सिर्फ 52 सीटें हैं, लेकिन उसका दावा है कि मोदी सरकार को वह उखाड़ फेंकेगी। इन सबके बरअक्स, भाजपा को पिछली बार 303 सीटें मिली थीं, 67 और जोड़ दें, तो 370 बनती है, पर विपक्षी कह रहे हैं कि उसे ऐसा दावा नहीं करना चाहिए। हालांकि, भाजपा नीत गठबंधन, यानी एनडीए की 353 सीटें थीं और इसमें यदि 47 जोड़ दें, तो 400 तक पहुंचा जा सकता है, पर यह दावा भी विपक्ष को खोखला लगता है।

प्रत्युष मिश्रा, पत्रकार

दिवास्वप्न है यह

विपक्षी दलों का दावा है कि उत्तर प्रदेश में फरवरी में चुनाव होता, तो 80-0 एकदम तार्किक आंकड़ा होता। मार्च में संभावित आंकड़ा 75-05 था। अप्रैल के शुरू में जो संभावना 70-10 की जताई जा रही थी, वह महीने के अंत तक 60-20 हो गई। अगर मई के अंत तक 50-30 कही जा रही है, तो यह कहीं न कहीं विपक्ष की आंधी जैसी है। इस दावे में कोई सच्चाई नहीं दिख रही। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 400 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन 111 सीटें ही उनके खाते में आ सकीं। इसके खिलाफ भाजपा ने 255 सीटों पर जीत हासिल की। ऐसे में, समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रति लोगों में कितना उत्साह है। इतना ही नहीं, विपक्ष के पास मुद्दों का भी अभाव है। वोट जेहाद, मुस्लिमों का आरक्षण जैसे मुद्दे उठाकर वह जनता को भ्रमित करना चाहता है और सोचता है कि उसे 300 से अधिक सीटें मिल जाएंगी। यह उसका दिवास्वप्न ही है।

शोभित, टिप्पणीकार

https://t.me/AllNewsPaperPaid